खंड 3, अंक 11

सोमवार, 19 जुलाई, 2004
28 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार 19 जुलाई 2004 / 28 आषाढ़ 1926 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

*****

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	3	गुरूवार	सोमवार
1	2	18 आषाढ़	28 आषाढ़
341	23	198	193

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 11, गुरुवार, 19 जुलाई, 2004/28 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	2
तारांकित प्रश्न संख्या 182 से 201	2-34
अतारांकित प्रश्न संख्या 1535 से 1735	35-340
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	341
अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	342-346
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	347-348
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	349-350

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

सोमवार, 19 जुलाई, 2004/18 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को हमारे सहयोगी श्री रामचन्द्र वीरप्पा के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री रामचन्द्र वीरप्पा, वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने बीदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व श्री रामचन्द्र वीरप्पा वर्ष 1962 से 1970 तक तथा वर्ष 199? से आज तक तीसरी, चौथी, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा में इसी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे।

श्री वीरप्पा एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल गए।

व्यवसाय से कृषक श्री वीरप्पा वर्ष 1947 से 1948 तक नगर परिषद, बीदर, कर्नाटक के सदस्य रहे। वे वर्ष 1948 से 1952 तक कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य रहे। वर्ष 1957 से 1962 तक और पुन: वर्ष 1980 से 1985 तक वे कर्नाटक विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री वीरप्पा एक आदर्श संसदविद् थे तथा वे वर्ष 1998-1999 के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति और इसकी चीनी व खाद्य तेल विभाग की उपसमिति तथा संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1999-2000 के दौरान वे पुन: खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे तथा वर्ष 2000 से 2004 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री वीरप्पा एक समर्पित समाज-सेवी थे और वे लोगों में समाजिक तथा आर्थिक विषमता को मिटाने तथा उनमें मानवीय मूल्य पैदा करने में जुटे रहे।

श्री रामचन्द्र वीरप्पा का निधन 18 जुलाई, 2004 को 96 वर्ष की आयु में हैदराबाद में हुआ। वे काफी समय से बीमार थे और जब उनका दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार चल रहा था तब मैं उनसे मिलने गया था।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

***182. श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने और योजना में किसानों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में परिवर्तन करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) रबी 1999-2000 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) को, इसके तहत किसानों, फसलों व जोखिम प्रतिबद्धताओं के कवरेज को बढ़ाते हुए पूर्व व्यापक फसल बीमा स्कीम (सी.सी.आई.एस.) की तुलना में अधिक प्रभावी बनाया गया है।

भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (ए.आई.सी.) को दिसम्बर, 2002 में राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के साथ मात्र क्रियान्वयन के लिये निगमित किया गया।

वर्तमान में इन उपायों के फलस्वरूप रा.कृ.बी. स्कीम 23 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। विगत 8 फसल मौसमों के दौरान अर्थात् रबी 1999-2000 से खरीफ 2003 तक, 6.50 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में कुल 4.18 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। 1178.82 करोड़ रुपए के सृजित प्रीमियम की तुलना में 4472.85 करोड़ रुपए के दावे देय हो चुके हैं।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा केरल जैसे राज्यों ने

इस स्कीम के विषय व क्षेत्र में और अधिक सुधार लाने के लिए विभिन्न सुझाव दिये है। दिये गये कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:—

* पैदावार के आकलन के लिये इकाई क्षेत्र में कटौती।
* बारहमासी बागवानी फसलों की कवरेज।
* दावों का तेजी से निपटान।
* विशेष रूप से वाणिज्यिक फसलों के मामले में ऋणी किसानों के लिये इस स्कीम को वैकल्पिक बनाना।
* छोटे तथा सीमान्त किसानों को 50% प्रीमियम सब्सीडी की बहाली और इसे जारी रखना।
* क्षतिपूर्ति का स्तर 80%-90% होना चाहिये।
* सर्वोत्तम/सामान्य 3-5 वर्षों के पैदावार संबंधी आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम पैदावार का परिकलन किया जाना चाहिये।

रा.कृ.बी. स्कीम की समीक्षा प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उचित निर्णय के लिये राज्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून

*183. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप देश में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कितनी संख्या में रोजगार सृजित होने की संभावना है;

(घ) इन रोजगारों को प्राप्त करने संबंधी पात्रता के मापदण्ड क्या हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ङ) सरकार की ओर से प्रत्येक निर्धन परिवार के एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार देने की कानूनी गारंटी देने वाला एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम तैयार किया जा रहा है।

नदियों में जल का आकलन

*184. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नदियों को जोड़ने संबंधी व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने से पहले कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा नदियों में जल की मात्रा का आकलन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इन राज्यों में नदियों को जोड़ने की अनुमति दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने भारत के नदी बेसिनों में जल संसाधन क्षमता का आकलन किया है। कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा नदियों में वार्षिक औसत जल संसाधन क्षमता क्रमश: 78.12 बिलियन घनमीटर (बी.सी.एम.), 110.54 बी.सी.एम. और 45.64 बी.सी.एम. है। तथापि, स्थलाकृतिक एवं अन्य बाधाओं के कारण, इन तीन नदी बेसिनों में प्रयोज्य सतही जल का आकलन क्रमश: 58 बी.सी.एम., 76.3 बी.सी.एम. और 34.5 बी.सी.एम के रूप में किया गया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) ने भी गोदावरी एवं कृष्णा बेसिनों के उप-बेसिनों का जल संतुलन अध्ययन किया है। अपने अध्ययनों के आधार पर, एन.डब्ल्यू.डी.ए. ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) के प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत 17 नदी सम्पर्क प्रस्तावों का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किया है।

केन्द्र सरकार की यह योजना है कि पूरी तरह से परामर्श करके दक्षिणी नदियों से लेकर देश की सभी नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता की व्यापक समीक्षा की जाए। केन्द्र सरकार की बिहार जैसे राज्यों में नदियों के उप-बेसिनों को जोड़ने की व्यवहार्यता का पता लगाने की भी योजना है।

संदूषित जल

*185. **श्री अजय चक्रवर्ती:**

श्री ब्रजेश पाठक:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, उपलब्ध जल आर्सेनिक और फ्लोराइड से संदूषित हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस खतरे से लड़ने के लिए कौन से निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय के तहत आने वाले केन्द्रीय भूमि जल

बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ हिस्सों में भूजल में प्राकृतिक रूप से होने वाले आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषक अनुमत्य सीमा से अधिक पाए गए हैं। ऐसे जिलों, जिनके कुछ हिस्से अधिक आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित हैं, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जल राज्य का विषय होने के कारण इस समस्या से निपटने के लिए निरोधात्मक उपाय करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिए राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है तथा लोगों को जानकारी देने के लिए अनेक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भूजल में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भूजल गुणवत्ता की आवधिक निगरानी भी करता है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए इनकी जानकारी राज्य सरकार को देता है। इसने आर्सेनिक/फ्लोराइड मुक्त क्षेत्रों का पता लगाते हुए अन्वेषणात्मक कुंओं की खुदाई की है और उपयोग के लिए इन कुंओं को राज्य सरकारों को सौंप दिया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पेयजल आपूर्ति विभाग केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 की वित्तपोषण प्रणाली पर ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। 01-04-1998 से गुणवत्ता संबंधी समस्या से निपटने के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का 15% हिस्सा गुणवत्ता संबंधी समस्या से निपटने के लिए निर्धारित किया गया है।

विवरण

ऐसे जिलों, जिनके कुछ भाग आर्सेनिक और फ्लोराइड की अधिकता से प्रभावित हैं, के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिलों के नाम	
		फ्लोराइड	**आर्सेनिक**
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्रकाशम, अनंतपुर, नेल्लोर, नलगोंडा, रंगा रेड्डी, अदिलाबाद, कृष्णा, कुर्नूल, कडप्पा,, गुंटूर, करीमनगर	—
2.	असम	कामरूप, नौगोंग, करबी-अंगलोंग	—
3.	बिहार	मुंगेर, नवादा	भोजपुर
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, कांकेर, कोरबा, कोड़िया, रायपुर, राजनंदगांव	—
5.	दिल्ली	उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम	—
6.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भायनगर, जूनागढ़, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, बड़ोदरा, कच्छ, पंचमहल, मेहसाणा, फरीदाबाद	—
7.	हरियाणा	रोहतक, झज्जर, जींद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी, फतेहाबाद, पानीपत	—
8.	झारखंड	गिरीडीह, बोकारो	—
9.	कर्नाटक	बीजापुर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर, चित्रदुर्ग, कोलार, गदग	—
10.	केरल	पालघाट, अल्लेप्पी	—
11.	मध्य प्रदेश	भिंड, मुरैना, होशंगाबाद, गुना, झबुआ, टीकमगढ़, छिन्दवाड़ा, सीवनी, मंडला, डिंडोरी, शिवपुरी, धार, जबलपुर शहर	—

1	2	3	4
12.	महाराष्ट्र	भंडारा, चन्द्रपुर, नांदेड, गड़चिरोली, यवतमाल, शोलापुर	—
13.	उड़ीसा	बोलंगीर, खुर्दा, कालाहांडी	—
14.	पंजाब	भटिन्डा, संगरूर, मनसा, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, पटियाला	—
15.	राजस्थान	अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, सिरोही	—
16.	तमिलनाडु	धरमपुरी, सलेम, इरोड, बेल्लोर, नमक्कल, तिरूचिरापल्ली, रामनाथपुरम, विल्लुपुरम, कड्डालोर, तिरूनेलवेली	—
17.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर, रायबरेली, लखीमपुर, खीरी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजबाद, एटा, फतेहगढ़, मैनपुरी, महोबा, इलाहाबाद, वाराणसी	—
18.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम, हावड़ा, उत्तर 24 परगना	मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, हावड़ा, बर्धवान

प्रदूषण उपशमन और पर्यावरण सुधार के लिए हरित पट्टी

***186. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**

श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चुने हुए शहरों/कस्बों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से "प्रदूषण समाप्ति और पर्यावरण सुधार के लिए हरित पट्टी" (ग्रीन बेल्ट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एण्ड इनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट) नाम के नए कार्यक्रम की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न शहरों/कस्बों के चयन हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धांत/मानदंड क्या हैं;

(घ) इस कार्यक्रम के अधीन चयनित शहरों/कस्बों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) इसके लिए अब तक राज्य-वार कुल कितनी धनराशि निर्धारित और खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सरकार ने तमिलनाडु के पांच नगरों अर्थात् चेन्नई, कोयम्बत्तूर, मदुरै, सेलम और तिरूनेलवेली और 102 नगरपालिकाओं में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए प्रदूषण उपशमन और पर्यावरणीय सुधार हेतु हरित पट्टी से संबंधित प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के अंतर्गत 4,557 करोड़ रुपये की कुल लागत से इन पांच नगरों में 2,94,000 बाल वृक्ष (सेप्लिंग) उगाना और रोपित करना शामिल है। इस राशि में से भारत सरकार द्वारा 4.00 करोड़ रुपये और तमिलनाडु सरकार द्वारा 0.557 करोड़ रुपए का निधिकरण किया गया। 102 नगरपालिकाओं में बालवृक्ष उगाने और रोपित करने पर 1.02 करोड़ रुपए की लागत आई जिसमें से 0.765 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भारत सरकार द्वारा और 0.225 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान गया। अन्य राज्यों के दूसरे नगरों और शहरों में इस प्रकार की परियोजनाएं कार्यान्वित करने हेतु कोई कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हेतु आवंटन

***187. श्री राम कृपाल यादव:**

श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हेतु वित्तीय आवंटन कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निष्क्रय और अनुत्पाद स्कंधों को बंद करके इसके कार्यकरण को सुचारू बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) योजना आयोग से परामर्श करके शून्य आधारित बजटीय प्रयोग किया गया है तथा नौवीं योजना के दौरान प्रचालन में रही नौ योजना स्कीमों, जिन्होंने अपना अधिदेश पूरा कर लिया है या जिनकी उपयोगिता नहीं रही, को बन्द कर दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि, यह सरल एवं कारगर बनाने का कार्य पहले से ही प्रभावित है, इसलिए कोई नया अध्ययन करना प्रस्तावित नहीं है। पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यू.आर.टी.), संस्थान प्रबन्ध समिति (आई.एम.सी.), अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा स्कीमों/कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा की वर्तमान क्रियाविधि (मैकेनिज्म) जारी रहेगी।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान बन्द की गई योजना स्कीमों की सूची

1. बागवानी फसलों की सस्योत्तर, प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
2. प्रक्षेत्र और नगर अपशिष्ट का सूक्ष्मजीवी सड़न (अपघटन) और पुनर्चक्रण पर अ.भा.स.अ.प.
3. जुताई आवश्यकता पर अ.भा.स.अ.प.
4. उर्वरा भूमि और जल प्रबन्धन हेतु इंजीनियरिंग उपायों पर अ.भा.स.अ.प.
5. पशु उत्पादन में भ्रूण स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी पर अ.भा.स.अ.प.
6. रक्त प्रोटिस्टा पर अ.भा.स.अ.प.
7. कृषि जलनिकास पर अ.भा.स.अ.प.
8. चुनिंदा फसलों में संकर बीज के अनुसंधान और विकास की प्रोन्नति पर परियोजना
9. दियारा भूमि के प्रबन्धन पर अ.भा.स.अ.प.

अ.भा.स.अ.प.-अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

उपभोक्ता संरक्षण कानून

***188. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कुल कितने मामले दायर किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में न्यायालयों/मंचों द्वारा आज की तिथि तक इनमें से कितने मामलों का निपटारा किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन न्यायालयों/मंचों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं है और काफी संख्या में मामले लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो मामलों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में उपभोक्ता न्यायालयों के कार्य-निष्पादन/कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दई गई है।

(ग) से (च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दायर शिकायतों की 84% की समग्र निपटान दर को संतोषजनक समझा जा सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उक्त अधिनियम के तहत मामलों के संस्थापन, निपटान और निलंबन के बारे में आवधिक विवरणियां प्राप्त करने के लिए और सामान्य तौर पर राज्य आयोगों तथा जिला मंचों के कार्यकरण पर नजर रखने के लिए राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी न्यायिक स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाए।

देश में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों द्वारा मामलों के निपटान पर मुख्य रूप से अपर्याप्त आधार ढांचे, स्थगनों, अध्यक्षों/सदस्यों के पदों को न भरे जाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन एजेंसियों द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(i) उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान मंजूर किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के जरिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के कार्यों की निगरानी की जाती है।

(iii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों में अध्यक्षों/सदस्यों के खाली पदों को भरने के लिए तत्परता से कदम उठाने तथा अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार रखने का अनुरोध किया गया है।

(iv) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में हाल ही में 2002 में संशोधन किए गए हैं ताकि उपभोक्ता मंचों की क्षमता बढ़ाकर, उन्हें अधिक शक्तियां देकर मजबूत करके, प्रक्रिया को सरल बनाकर तथा अधिनियम के कार्य क्षेत्र का विस्तार करके शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाया जा सके। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य आयोग और जिला मंचों के नियमित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करने हेतु संशोधन में एक उपबंध जोड़ा गया है ताकि इन मंचों का कार्य सुचारू और अवाध रूप से चल सके।

विवरण

जनवरी, 2001 से मार्च, 2004 के दौरान दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों की कुल संख्या

राष्ट्रीय आयोग:

क्र.सं.		1.1.2001 से 31.3.2004 तक दायर किए गए मामले	1.1.2001 से 31.3.2004 तक निपटाए गए मामले (इनमें पिछले वर्षों के लंबित मामले भी शामिल है)
	राष्ट्रीय आयोग	12552	13007

राष्ट्रीय आयोग:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.1.2001 से 31.3.2004 तक दर्ज किए गए मामले	1.1.2001 से 31.3.2004 तक निपटाए गए मामले (इनमें पिछले वर्षों के लंबित मामले भी शामिल है)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3850	4290
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	25	28
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	7
4.	असम	326	260
5.	बिहार	2529	1068
6.	चण्डीगढ़	2012	1538
7.	छत्तीसगढ़	1442	463

1	2	3	4
8.	दादरा और नगर हवेली/दमण और दीव	6	8
9.	दिल्ली	6651	6907
10.	गोवा	303	207
11.	गुजरात	6267	6050
12.	हरियाणा	11357	6134
13.	हिमाचल प्रदेश	4299	2873
14.	जम्मू और कश्मीर	931	997
15.	झारखण्ड	1345	1275
16.	कर्नाटक	4644	4263
17.	केरल	3909	2329
18.	लक्ष्यद्वीप	2	0
19.	मध्य प्रदेश	7462	7508
20.	महाराष्ट्र	7886	4682
21.	मणिपुर	सूचित नहीं	सूचित नहीं
22.	मेघालय	138	108
23.	मिजोरम	सूचित नहीं	सूचित नहीं
24.	नागालैण्ड	सूचित नहीं	सूचित नहीं
25.	उड़ीसा	4127	2173
26.	पांडिचेरी	97	87
27.	पंजाब	6328	4327
28.	राजस्थान	6407	7979
29.	सिक्किम	6	4
30.	तमिलनाडु	3470	2178
31.	त्रिपुरा	206	200
32.	उत्तर प्रदेश	10925	1218
33.	उत्तरांचल	3084	1430
34.	पश्चिम बंगाल	2769	2984
	कुल	102812	73575

जिला मंच:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.1.2001 से 31.3.2004 तक दर्ज किए गए मामले	1.1.2001 से 31.3.2004 तक निपटाए गए मामले (इनमें पिछले वर्षों के लंबित मामले भी शामिल है)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23625	18977
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	79	83
3.	अरुणाचल प्रदेश	40	34
4.	असम	30008	24808
5.	बिहार	1104	1177
6.	चण्डीगढ़	8043	3391
7.	छत्तीसगढ़	5889	4378
8.	दादरा और नगर हवेली/दमण और दीव	12	0
9.	दिल्ली	34505	36729
10.	गोवा	908	627
11.	गुजरात	23952	24470
12.	हरियाणा	41760	41038
13.	हिमाचल प्रदेश	16166	6750
14.	जम्मू और कश्मीर	4241	2653
15.	झारखण्ड	6164	7179
16.	कर्नाटक	16934	17701
17.	केरल	22272	17369
18.	लक्ष्यद्वीप	15	11
19.	मध्य प्रदेश	27552	26885
20.	महाराष्ट्र	53962	49259
21.	मणिपुर	सूचित नहीं	सूचित नहीं
22.	मेघालय	324	310
23.	मिजोरम	सूचित नहीं	सूचित नहीं
24.	नागालैण्ड	सूचित नहीं	सूचित नहीं
25.	उड़ीसा	13937	15788
26.	पांडिचेरी	347	243

1	2	3	4
27.	पंजाब	31904	29847
28.	राजस्थान	38419	41423
29.	सिक्किम	34	43
30.	तमिलनाडु	14186	15040
31.	त्रिपुरा	सूचित नहीं	सूचित नहीं
32.	उत्तर प्रदेश	80525	24064
33.	उत्तरांचल	5898	6332
34.	पश्चिम बंगाल	11933	11858
	कुल	514196	428467

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना

*189 **श्रीमती निवेदिता माने:**

श्री विजय कृष्ण:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक विभिन्न निजी कंपनियों और एजेंसियों द्वारा अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, समुचित सरकारें अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती हैं और इसे लागू करती हैं। पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार को प्राप्त निजी कंपनियों तथा एजेंसियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किये जाने की राज्य-वार शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य से संबंधित शिकायतें	प्राप्त शिकायतों की संख्या	
	जून, 2002 से जून, 2003 तक	जुलाई, 2003 से जून, 2004 तक
बिहार	1	—
हरियाणा	1	1
हिमाचल प्रदेश	—	1
झारखंड	2	—
मध्य प्रदेश	—	2
महाराष्ट्र	—	1
पंजाब	1	—
उत्तर प्रदेश	2	5
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8	3
कुल	15	13

इन शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिये संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

*190. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की धनराशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 2004 के अंत तक राज्यवार उक्त धनराशि कितनी है;

(ग) उक्त धनराशि में इतनी वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी हां। कर्मचारी भविष्य निधि के तहत गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां 31-03-2001 की स्थिति के अनुसार 25 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) थीं, जो 30.4.2004 को बढ़कर 31.43 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) हो गई हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को देय राशि का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	अंकित मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1.	एच.एम.टी. लिमिटेड	25.00
2.	रिचर्डसन एंड क्रूडस लिमिटेड	6.00
3.	प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	0.43
	कुल	31.43

(ग) एच.एम.टी. लिमिटेड और रिचर्डसन एंड क्रूडस बीमार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां हैं और उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय संस्थान—प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है।

(घ) संबंधित प्रतिष्ठानों से मूलधन और उसके ब्याज की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रयास किए हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट

*191. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखण्ड के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है क्योंकि ये क्षेत्र केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार प्रभावित जनजातीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जनजातीय क्षेत्रों के लिए फसल उत्पादन से संबंधित आंकड़े अलग से संकलित नहीं किए जाते हैं। भारत के महा पंजीयक के कार्यालय से वर्ष 2001 के लिए जारी जनजातीय जनसंख्या के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में (6.6%) तथा पश्चिम बंगाल में (5.5%) की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का अनुपात अखिल भारतीय स्तर के तदनुरूपी अनुपात जो 8.2% हैं, से कम है। छत्तीसगढ़ (31.8%), झारखण्ड (26.3%) तथा उड़ीसा (22.1%) में कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातीय जनसंख्या का अनुपात अखिल भारतीय स्तर के तदनुरूपी अनुपात से काफी अधिक है।

छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन का रूझान निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है:—

खाद्यान्न उत्पादन का रूझान

(मिलियन टन)

राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	—	2.90	5.78	3.16	4.56
झारखण्ड	—	2.01	2.24	2.68	2.94

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	5.62	4.98	7.56	3.56	7.31
आंध्र प्रदेश	13.70	16.03	14.84	10.45	13.22
पश्चिम बंगाल	14.92	13.82	16.50	15.52	16.07

टिप्पणी : छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड नवनिर्मित राज्य है जिनसे संबंधित आंकड़े वर्ष 2000-01 के बाद से उपलब्ध हैं।

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है तीन राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उड़ीसा, जहां जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, में से छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में खाद्यान्न उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव हुआ है, जबकि झारखण्ड में इनमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान 80% से अधिक है और छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के उत्पादन में उतार-चढ़ाव मुख्यत: चावल उत्पादन का उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है। ये राज्य सिंचाई के लिए वर्षा जल पर सर्वाधिक निर्भर हैं और छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में उत्पादन में उतार-चढ़ाव का प्रमुख कारण वर्षा में उतार-चढ़ाव होना था।

(ग) से (ङ) खाद्यान्नों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) तथा कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न अधिकतम जनता को उचित/रियायती दरों पर दिया जाता है। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) लागू किए जाने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धनोन्मुख हो गई है। अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत, जो कि टी.पी.डी.एस. का उप घटक है, निर्धनतम लोगों को खाद्यान्न अत्यन्त रियायती दरों पर दिया जाता है। 1 अप्रैल, 2004 से ए.ए.वाई. का कवरेज दो करोड़ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें जनजातीय राज्यों/जिलों/क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कल्याण योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्न के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। तथापि कुछ योजनाओं जैसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.: सामान्य तथा विशेष घटक) के अंतर्गत अकुशल तथा अर्द्धकुशल मजदूरों को उत्पादक अथवा राहत कार्य की मजदूरी के बदले अनाज दिया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्यों में 1996-97 से जनजातीय गावों में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना—अनाज बैंक कार्यान्वित की जा रही है। ग्रामीण अनाज बैंक योजना (वी.जी.बी.एस.) का उद्देश्य चुनिंदा दुर्गम तथा पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु के संबंध में रोकथाम उपाय सुनिश्चित करना है। जहां तक नवनिर्मित झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त ग्रामीण अनाज बैंक योजना के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है और झारखण्ड सरकार से वी.जी.बी.एस के बारे में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन

***192. श्रीमती सी.एस. सुजाता:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नारियल प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए कोई धनराशि स्वीकृत तथा जारी की है;

(ङ) यदि हां, तो अभी तक जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) भारत सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान 4.00 करोड़ रुपए के आवंटन से "नारियल प्रौद्योगिकी मिशन" का अनुमोदन किया है। दसवीं योजना के दौरान सभी नारियल उत्पादक राज्यों में मिशन के क्रियान्वयन के लिए 53.65 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं: (1) कीट, कृमि और रोग ग्रस्त नारियल बागानों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और उन्हें अपनाना, (2) नारियल में प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और उन्हें अपनाना और (3) नारियल उत्पादों में मण्डी अनुसंधान और उन्हें बढ़ावा देना। यह स्कीम सभी संबंधित अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(सी.एस.आई.आर.), क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं (आर.आर.एल.), रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डी.एफ.आर.एल.), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और नारियल उत्पादक मुख्य राज्यों, नामत: केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और अन्य की राज्य सरकारों को शामिल करते हुए नारियल विकास बोर्ड के जरिए वर्ष 2001-02 से मिशन मोड एप्रोच में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान इस मिशन के अंतर्गत 12.227 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज की गई है। विभिन्न राज्यों/संस्थानों को निधियों की परियोजनावार निर्मुक्ति का ब्यौरा विवरण में संलग्न है। वर्षवार निधि आबंटन और निर्मुक्ति निम्नवत है:—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन	निर्मुक्त (रिलीज्ड)
2001-02	4.00	2.670
2002-03	10.00	4.740
2003-04	10.75	4.817
कुल	24.75	12.227

विवरण

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2004-05 (अब तक) की अवधि के दौरान नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संस्थानों को निर्मुक्त निधियां

राज्य/संस्थान	करोड़ रुपये में
केरल	6,2336
कर्नाटक	3.7516
तमिलनाडु	0.4574
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	0.3008
केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर	0.2884
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	0.2136
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	0.2489
सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर, डी.एफ.आर.एल., मैसूर तथा आर.आर.एल. भुवनेश्वर को निर्मुक्त धनराशि सहित नारियल विकास बोर्ड के जरिए मण्डी प्रवर्धन कार्यकलाप	2.1031
कुल	13.5974

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

***193. डॉ. सत्यनारायण जटिया:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या श्रम और रोजागर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने खेतिहर मजदूर हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना से राज्यवार कितने खेतिहर मजदूरों, श्रमिकों को लाभ पहुंचा है;

(ग) उक्त क्षेत्र के लिए नई श्रमिक कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजागर मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में लगभग 10.7 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) इस स्कीम को शुरू में केवल दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, नैल्लौर आदि जैसे शहरी केन्द्रों में लागू किया गया है। इन सभी शहरों में दर्ज श्रमिकों की संख्या लगभग 3500 है। व्यवसाय-वार/राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस समय, विशेषकर खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं है।

(घ) असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा स्कीम, 2004 प्रायोगिक आधार पर देश के 50 जिलों में शुरू की गई है और अभी यह लागू किये जाने की प्रारम्भिक अवस्था में है। श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इस स्कीम की समीक्षा किये जाने का प्रावधान है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	खेतिहर मजदूरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13818754
2.	अरुणाचल प्रदेश	18569
3.	असम	1289902
4.	बिहार	13527884

1	2	3
5.	छत्तीसगढ़	3088216
6.	गुजरात	4987657
7.	हरियाणा	1276143
8.	हिमाचल प्रदेश	92761
9.	जम्मू और कश्मीर	248577
10.	झारखंड	2861939
11.	कर्नाटक	6209153
12.	केरल	1653601
13.	मध्य प्रदेश	7380878
14.	महाराष्ट्र	11290945
15.	मणिपुर	120991
16.	मेघालय	172975
17.	नागालैंड	33852
18.	उड़ीसा	5001075
19.	पंजाब	1498976
20.	राजस्थान	2529225
21.	सिक्किम	16939
22.	तमिलनाडु	8665020
23.	त्रिपुरा	278334
24.	उत्तर प्रदेश	13604812
25.	उत्तरांचल	258752
26.	पश्चिम बंगाल	7350988
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5092
28.	चंडीगढ़	387
29.	दादर और नागर हवेली	14743
30.	दिल्ली	13559
31.	गोवा	36150
32.	दमन और दीव	1287
33.	लक्षद्वीप	0
34.	मिजोरम	27494
35.	पांडिचेरी	72095

औषध निर्माण में ''क्लोरो फ्लोरो'' कार्बन के उपयोग पर प्रतिबंध

***194. श्री तूफानी सरोज:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी.एफ.सी.) गैस का औषध निर्माण में उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ओजोन परत पर इस गैस के हानिकारक प्रभाव के कारण वर्ष 2000 में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औषध निर्माता कंपनियां ''रूम फ्रेशनर्स'' और कीटनाशकों के निर्माण में इस गैस का उपयोग कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन औषध निर्माता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सी.एफ.सी.) का मीटरर्ड डोज इन्हेलर (एम.डी.आई.) में केवल प्रॉपलैन्ट के रूप में औषधियां तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा 19.7.2000 को अधिसूचित ओजोन ह्रास पदार्थ (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000 में औषधीय उद्देश्यों के लिए मीडरर्ड डोज इन्हेलर के निर्माण में सी.एफ.सी. की खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना 01.01.2010 से प्रभावी होगा। यह समय सीमा मान्ट्रियल प्रोटोकोल के अन्तर्गत सी.एफ.सी. की खपत को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की भारत की वचनबद्धता की पुष्टि करती है।

(ग) जी, नहीं। एरोसोल उत्पादों अथवा रूम फ्रेशनर और पेस्टीसाइड स्प्रे के लिए प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर (औषधीय उद्देश्यों के लिए मीटरर्ड डोज इन्हेलर को छोड़कर) के निर्माण को 01.01.2003 से समाप्त कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण परिषदें

***195. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता संरक्षण परिषदों को कौन-कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं;

(ख) क्या ये परिषदें उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) वैकल्पिक तंत्र के रूप में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपभोक्ता संरक्षण परिषदें सभी राज्यों में स्थापित की गई हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करना है:—

(क) जान-माल के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से सुरक्षा पाने का अधिकार।

(ख) वस्तुओं और सेवाओं, जैसा भी मामला हो, की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों से बचाया जा सके।

(ग) आश्वासन पाने का अधिकार, जहां कहीं संभव हो, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच;

(घ) सुने जाने तथा यह आश्वासन पाने का अधिकार कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित मंचों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा;

(ङ) अनुचित व्यापार व्यवहारों अथवा अवरोधक व्यापार व्यवहारों अथवा उपभोक्ताओं के बेईमानीपूर्ण शोषण के खिलाफ प्रतितोष पाने का अधिकार; और

(च) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

(ख) और (ग) परिषदों की सिफारिशें सिफारिशी स्वरूप की होती हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं जो वर्ष 1991, 1993 और 2002 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन का आधार बनीं। उनकी सिफारिशों को उपभोक्ताओं से संबंधित नीतिगत निर्णय लेते समय भी ध्यान में रखा जाता है।

(घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में वर्ष 2002 में हाल ही में किए गए संशोधनों में परिषदों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए:

(i) उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) केंद्र सरकार राज्य परिषदों में 10 तक सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों को नामित कर सकती है।

(iii) अब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर भी परिषदों का गठन किया जाना है।

(ङ) वैकल्पिक तंत्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें प्रत्येक राज्य में स्थापित की गई हैं। जिला स्तर पर परिषदें स्थापित करने का प्रावधान 15.3.2003 से लागू हुआ। सभी राज्यों ने कार्यवाही शुरू कर दी है और उनमें से कईयों ने जिला परिषदें गठित कर ली हैं।

[अनुवाद]

दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट

*196. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत कर दी थीं;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा कौन-सी प्रमुख सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 29.06.2002 को प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशों में श्रम के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे कानूनों की समीक्षा, असंगठित क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल श्रम, कौशल विकास, श्रम प्रशासन इत्यादि, इन सिफारिशों पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया जा चुका है और इन क्षेत्रों में आगे कार्रवाई करते समय आयोग की सिफारिशों को निरन्तर ध्यान में रखा जाता है। इसलिए, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

*197. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक की गई नीतिगत पहल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए देश और विदेश में और अधिक विपणन के अवसर सृजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। फल एवं सब्जी के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेज के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 8 जुलाई, 2004 को संसद में, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, पांच वर्षों के लिए 100% लाभ को घटाने और अगले पांच वर्षों के लिए 25% लाभ को घटाने की अनुमति देने की घोषणा की है। डेयरी मशीनरी पर 16% के वर्तमान उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा दिया गया है। मांस, पाल्ट्री और मछली पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 8% कर दिया गया है। खाद्य तेल में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम करके 16% कर दिया गया है।

बेहतर विपणन संरचना सुनिश्चित करने तथा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए खाद्य पार्कों जो निरंतर बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, शीतागार/बर्फ संयंत्र, गोदाम सुविधाएं, बहिस्राव उपचार संयंत्र, गुणवत्ता नियंत्रण और जांच प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण/सम्मेलन सुविधाएं आदि उपलब्ध कराते हैं, की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों हेतु 25% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों हेतु 33.33% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपये है, की वित्तीय सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए भी सामान्य क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के क्रमशः 25% और 33.33% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 50 लाख रुपये और 75 लाख रुपये है, की वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रसंस्कृत खाद्यों के विपणन सर्वेक्षण, जांच विपणन और ब्राण्ड निर्माण आदि के लिए फारवर्ड एकीकरण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के बाजार के विकास और उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

सूरजमुखी की खेती

*198. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घटिया बीजों के कारण इस वर्ष कई राज्यों में सूरजमुखी की खेती को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को कितना नुकसान हुआ है;

(ग) इससे राज्य-वार कितने किसान प्रभावित हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं कि किसानों को कम से कम नुकसान हो और भविष्य में ऐसी क्षति न हो?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

*199. **श्री मोहन सिंह:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी के स्टॉक की वर्तमान स्थिति क्या है और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता कितनी है;

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ था और पिछले वर्ष की तुलना में यह संभवतः कितना कम था;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कमी को पूरा करने के लिए चीनी/कच्ची चीनी के आयात में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चीनी के घरेलू और आयातित मूल्य में अनुरूपता लाने तथा चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) 1.7.2004 की स्थिति के अनुसार चीनी का अनुमानित स्टाक 119 लाख मी. टन है।

(ख) वर्तमान चीनी मौसम 2003-2004 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान देश में 138.00 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि चीनी मौसम 2002-2003 के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन 201.00 लाख टन था।

(ग) और (घ) 2003-2004 (चीनी मौसम) में घरेलू खपत के लिए देश में चीनी के पर्याप्त स्टाक के मद्देनजर, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) चीनी खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है तथा आयतकों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार इसका स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है।

[अनुवाद]

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को सहायता

*200. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री एन.एन. कृष्णदास:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को कुल कितनी धनराशि मुहैया करायी गयी;

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या केरल सरकार द्वारा इस धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में अदालत में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि मुहैया कराने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सूखा राहत के लिए राज्यों को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। एन.सी.सी.एफ. से निर्मुक्त राशि को राज्यों के आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) से आकलित (क्रेडिट) किया जाता है। सी.आर.एफ. स्कीम के अनुसार, राज्य सरकार सी.आर.एफ. में उपलब्ध अद्यतन व्यय तथा बकाया राशि का ब्यौरे देने वाला विवरण जो कि इस उद्देश्यार्थ उपयोगिता प्रमाण-पत्र है, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। आगे की धनराशि ऐसे प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के बाद निर्मुक्त की जाती है।

(ग) से (च) केरल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(छ) और (ज) प्रभावित राज्यों द्वारा 2003-04 के सूखे हेतु सहायता संबंधी मांग तथा निर्मुक्त की गई धनराशि विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(राशि रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02 का सूखा एन.सी.सी.एफ.	2002-03 का सूखा एन.सी.सी.एफ.	2003-04 का सूखा एन.सी.सी.एफ.
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	123.51	50.58
2.	छत्तीसगढ़	—	127.51	—
3.	हिमाचल प्रदेश	—	14.35	—
4.	कर्नाटक	—	207.65	298.16
5.	मध्य प्रदेश	34.62	171.66	—
6.	महाराष्ट्र	—	20.00	242.79
7.	उड़ीसा	—	5.29	—
8.	राजस्थान	—	889.61	—
9.	तमिलनाडु	—	332.09	173.35
10.	उत्तर प्रदेश	—	310.06	—

एन.सी.सी.एफ.—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	एन.सी.सी.एफ. (रुपये करोड़ों में)		खाद्यान्न (लाख मी. टन)	
		मांग	निर्मुक्त राशि	मांग	आवंटन
1.	आन्ध्र प्रदेश	859.88	50.58	15.00	7.82
		942.99*	#	—	
2.	कर्नाटक	1881.55	298.16	9.90	7.29
		2877.99*		15.61	
3.	केरल	1359.03	—	2.00	0.61
		2844.90*	#		
4.	महाराष्ट्र	1715.00	242.79	2.00	7.00
		680.96*	—	6.00	
		914.97*	#	—	—
5.	तमिलनाडु	2283.73	173.35	10.80	3.04
6.	राजस्थान	—	—	0.22	0.14
7.	उत्तरांचल	411.87	#	—	—

एन.सी.सी.एफ.—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष

* पूरक मांग

विचाराधीन

[हिन्दी]

अप्रयुक्त पानी

***201. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**

श्री बीर सिंह महतो:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई मिलियन गैलन अप्रयुक्त पानी नदियों और समुद्र में व्यर्थ बह जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) व्यर्थ बहने वाले पानी के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) और (ख) देश में हिमपात सहित औसतन 4000 बिलियन घन मीटर वार्षिक वर्षा होती है और देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बी.सी.एम. आंकी गई है। प्रयोज्य जल संसाधन 1122 बी.सी.एम. (सतही जल 690 बी.सी.एम. और पुनर्भरणीय जल 432 बी.सी.एम.) आंका गया है। 605 बी.सी.एम. जल का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। यह माना जा सकता है कि बचा हुआ जल नदियों एवं समुद्र में प्रवाहित हो जाता है।

(ग) इस समय जल संसाधनों का उपयोग सतही तथा भूजल के विकास के जरिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। बहुत सी सतही और भूजल स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है और ये आयोजना एवं अन्वेषण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जल के अत्यधिक संरक्षण की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संबंधी स्कीमों की योजना भी बनाई है।

(घ) अभी तक 605 बी.सी.एम. जल का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है जिसमें से लगभग 83% सिंचाई के लिए है। चरम सिंचाई क्षमता 139.9 मिलियन हेक्टेयर (एम.एच.ए.) आंकी गई है और पंचवर्षीय योजना के अंत तक विभिन्न वृहद मध्यम एवं लघु (सतही और भूजल) परियोजना के जरिए सृजित क्षमता 93.95 मिलियन हेक्टेयर है।

[अनुवाद]

पत्रकारों की कार्य दशा के विनियमन के लिए विधान

1535. श्रीमती मिनाती सेन:

श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इलेक्ट्रानिक मीडिया में पत्रकारों की दुर्दशा की जानकारी है क्योंकि वहां उनके कार्य दशा के विनियमन का कोई कानून नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनकी कार्य दशा को विनियमित करने के लिए कब विधान बनाने का है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की कार्य-दशाओं को विनियमित करने के लिए कोई भी श्रम कानून अपेक्षित नहीं है क्योंकि उनके हितों की रक्षा सामूहिक सौदेकारिता के द्वारा की जा सकती है।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की दुर्दशा

1536. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में भारतीय श्रमिकों की दुर्दशा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) संबंधित भारतीय भर्ती एजेंटों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे संबंधित विदेशी नियोजकों की मदद से मामले का निपटान करें। यदि भर्ती एजेंट इसका पालन नहीं करते हैं तो उनका पंजीकरण निलंबित/रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाती है। समस्या के समाधान के लिए शिकायतों को विदेशी नियोक्ता और संबंधित विदेशी सरकार के साथ उठाने के लिए विदेश में अपने मिशनों/पोस्टों की सहायता भी ली जाती है। जो विदेशी नियोजक रोजगार की शर्तों का उल्लंघन करते हैं उन्हें काली सूची में डाल दिया जाता है अर्थात् उनके द्वारा भारतीय कार्यबल की भर्ती करने पर रोक लगा दी जाती है।

व्हाइट एस्बेस्टस पर प्रतिबंध

1537. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई संगठनों ने देश में व्हाइट एस्बेस्टस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है क्योंकि इससे फेफड़े का कैंसर हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण को प्रदूषणरहित बनाने के लिए व्हाइट एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। कुछ गैर सरकारी संगठन फेफड़ों का कैन्सर फैलाने वाले एस्बेस्टस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए देश में अभियान चला रहे हैं।

(ख) चूंकि कोई ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है जो ये प्रमाणित कर सके कि व्हाइट एस्बेस्टस के प्रयोग से फेफड़ों का कैन्सर होता है इसलिए व्हाइट एस्बेस्टस के प्रयोग पर रोक लगाना वांछनीय प्रतीत नहीं होता।

''टोनर कार्टरिजेज'' की दर

1538. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना मुख्यालय ने ''टोनर कार्टरिजेज'' की बाजार दर की अपेक्षा इसे ऊंची दर पर बेचने के संबंध में नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.) से शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि सेना मुख्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें एच.पी. लेजर जैट 2300 टोनर काट्राईज 2610 के संबंध में अन्य प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा ली जाने वाली दरों की तुलना में उच्च मूल्य वसूले जाने का आरोप लगाया गया है। उक्त आरोप के बारे में शिकायतकर्ता से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कोटेशनों के ब्यौरे मांगे गए हैं।

पर्यटन क्षेत्र के लिए आवंटन

1539. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य-वार किन-किन होटलों को बंद किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, योजना आयोग ने पर्यटन विभाग के लिए 2900 करोड़ रुपए का आबंटन दर्शाया है। इस केन्द्रीय क्षेत्र योजना आवंटन का राज्य-वार ब्रेकअप नहीं है। तथापि, पर्यटन विभाग अपने वार्षिक बजट में उपलब्ध योजना निधियों में से, पर्यटन परियोजनाओं के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) 10वीं योजना के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम के निम्नलिखित होटलों का अब तक विनिवेश किया जा चुका है:—

1. होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता
2. कोवलम अशोक बीच, रिजॉर्ट, कोवलम
3. होटल मनाली अशोक, मनाली
4. होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो
5. होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी
6. होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद
7. होटल रंजीत, नई दिल्ली
8. होटल इन्द्रप्रस्थ (ए.वाई.एन.), नई दिल्ली
9. होटल कनिष्क, नई दिल्ली
10. चंडीगढ़ में अपूर्ण होटल परियोजना

आलू की खेती

1540. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल से आलू की खरीद कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज तक कितनी मात्रा में आलू की खरीद की गई; और

(ग) किसानों को आलू की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 200/-रुपये प्रति क्विंटल के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य पर 20,000 मी. टन आलू की खरीद के लिए 7.4.2003 से 6.5.2003 तक मण्डी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित की गई थी। इस अवधि के दौरान 8594 मी. टन आलू की खरीद की गई। इस वर्ष के दौरान अब तक आलू की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन के लिए इस विभाग में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) बृहत् कृषि प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की कार्ययोजना के अनुसार किसानों को प्रौद्योगिकी अंतरण अर्थात् बीज उत्पादन के साथ-साथ उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और उसमें प्रशिक्षण के जरिए किसानों को आलू की खेती करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही, आलू सहित बागवानी उत्पाद की भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए "बागवानी उत्पाद हेतु शीतागार और भण्डारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु पूंजी निवेश राजसहायता" पर एक स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।

पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

1541. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में भागीदारी को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं का पात्र बनने हेतु गैर-सरकारी संगठनों के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों तथा अर्हताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में पर्यावरण और वनरोपण संबंधी चालू परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में इसके निमित्त कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण, उत्कृष्टता केन्द्र, पर्यावरणीय अनुसंधान, पर्यावरणीय परियोजनाओं में भागीदारी के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान सहायता देने जैसी स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) कोई भी पंचीकृत स्वैच्छिक/व्यावसायिक संगठन जिसके पास पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में प्रमाणित प्रत्ययपत्र और अनुभव है और जो कम से कम तीन वर्षों से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और उक्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित लेखा है, जिसमें लिखित संविधान और उपविधि स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित शक्तियों, ड्यूटियों और दायित्वों के साथ उपयुक्त रूप से गठित प्रबंध निकाय है और जिनकी परियोजना का कार्य करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय स्थिति हो वे उक्त स्कीम के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वित्तीय सहायता पाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पात्र हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पांच गैर सरकारी संगठनों को 16,45,472/- रुपये जारी किए हैं—

क्रम संख्या	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना स्थल	जारी तिथि
1.	गुरुदेव सामाजिक सेवा मण्डल, सिन्धी ता राजुरा	सिन्धी सातरी	3,98,640/-
2.	बास्को ग्रामीण विकास केन्द्र, अहमदनगर	परिवारी, पिम्पलगांव	2,88,640/-
3.	रूरल फाउंडेशन, नन्दुरबार	खोलघर	2,30,912/-
4.	युवक प्रतिष्ठान, मुलन्ड (ईस्ट) मुबई	ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे	3,98,640
5.	केसर-ए-हिन्द, रिव आर.एच. गायकवाड़ मैमोरियल फाउंडेशन अहमदनगर	संवेद, मंडेव	2,88,640

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य के किसी गैर-सरकारी संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास के लिए समिति का गठन

1542. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न संस्थानों से देश में पर्यटन के विकास के लिए कैबिनेट समिति के गठन के लिए सुझाव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन उद्योग एवं व्यवसाय पर एक मंत्रिमण्डल समूह का गठन किया गया है।

भविष्य निधि संबंधी विवाद

1543. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में भविष्य निधि के निपटान संबंधी राज्य-वार कितने विवाद लंबित है; और

(ख) इन विवादों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) भविष्य निधि के निपटान संबंधी विभिन्न न्यायालयों में लंबित विवादों की संख्या 1802 है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन मामलों में समुचित रूप से बचाव के लिए कदम उठाए हैं।

विवरण

विवादों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	विवादों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	20
2.	बिहार	37
3.	छत्तीसगढ़	66
4.	दिल्ली	135
5.	गोवा	03
6.	गुजरात	33
7.	हरियाणा	81
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	झारखण्ड	13
10.	कर्नाटक	45
11.	केरल	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	259
13.	महाराष्ट्र	264
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	शून्य
15.	उड़ीसा	231
16.	पंजाब	11
17.	राजस्थान	09
18.	तमिलनाडु	271

क्र.सं.	राज्य	विवादों की संख्या
19.	उत्तर प्रदेश	259
20.	उत्तरांचल	23
21.	पश्चिम बंगाल	42
	कुल	1,802

पर्यटन से विदेशी मुद्रा का अर्जन

1544. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री प्रदीप गांधी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटन के माध्यम से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया;

(ग) क्या सरकार विदेशी मुद्रा के और अधिक अर्जन के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान, पर्यटन के माध्यम से, अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमश: 14,344 करोड़ रुपए 14,195 करोड़ रुपए और 16,429 करोड़ रुपए हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पर्यटन के संवर्धन के लिए, निम्नलिखित अल्प-कालीन और दीर्घ कालीन योजनायें आरम्भ की हैं और उनके द्वारा देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है:—

* पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना;
* एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना;
* नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना;
* विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन करना;
* ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना;
* सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ-साथ सभ्यता और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और उत्तम शासन की ओर ध्यान देना; तथा
* पर्यटन परिपथों एवं पर्यटन-सह-सांस्कृतिक हबों का विकास करना।

इसके अतिरिक्त सरकार भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी कार्यान्वित कर रही है जिससे और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके:—

* "इनक्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना।
* विश्व स्तर की सामग्री का सृजन करना।
* केन्द्रीयकृत इलैक्ट्रानिक मीडिया अभियान।
* विदेशों में एयरलाइन्स, टूअर आपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष मार्केटिंग करना।
* उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
* व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।
* सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना।
* इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना।
* पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना।
* विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों, टूअर आपरेटरों को भारत के सुपरिचितिकरण टूअर पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना जिसमें एयर पैकेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

छत्तीसगढ़ के जोरनाला में बैराज का निर्माण

1545. श्री प्रदीप गांधी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने जोरनाला में बैराज के निर्माण के लिए केन्द्रीय जल आयोग को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) इन्द्रावती नदी में मानसून के बाद कम प्रवाह के कारण जगदलपुर नगर और अनुप्रवाह स्थित गांवों को जल आपूर्ति के संबंध में 31-5-2002 को दिल्ली में आयोजित

की गई अंतर्राज्यीय बैठक में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच दो संरचनाओं, एक जोरानाला पर दूसरी इंद्रावती पर, के निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति हुई थी। तथापि, छत्तीसगढ़ सरकार से जोरनाला पर बराज के निर्माण का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि अनुसंधान केन्द्र

1546. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। अलग तथा स्वतंत्र अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कृषि अनुसंधान केन्द्रों की संख्या (राज्यवार सूची)

राज्य का नाम	कृषि अनुसंधान केन्द्रों की संख्या
1	2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
आन्ध्र प्रदेश	18
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	1
बिहार	5
गोवा	1
गुजरात	4
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू एवं कश्मीर	1
झारखंड	1
कर्नाटक	9
केरल	8
मध्यप्रदेश	16
महाराष्ट्र	8
मणिपुर	2
मिजोरम	2
मेघालय	3
नागालैण्ड	2
नई दिल्ली	15
उड़ीसा	4
पंजाब	3
राजस्थान	12
सिक्किम	2
तमिलनाडु	5
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	29
उत्तरांचल	4
पश्चिम बंगाल	4
कुल	180

मिट्टी के तेल के लिए राज्यों का कोटा

1547. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत मिट्टी के तेल के लिए प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित मिट्टी के तेल के कोटे को कम कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार पहले से निर्धारित कोटे को बनाए रखने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आबंटन करती है।

(ख) वर्ष 2004-2005 की दूसरी तिमाही अर्थात् जुलाई से सितम्बर, 2004 के लिए किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य से नवम्बर, 2000 के दौरान अलग उत्तरांचल राज्य बनाए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2000-01 के दौरान अविभाजित राज्य को मूल रूप से किए गए मिट्टी के तेल के आबंटन को दो राज्यों यथा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच विभाजित कर दिया गया था।

विवरण

(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (जुलाई-सितम्बर, 2004)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1431
आंध्र प्रदेश	121014
अरुणाचल प्रदेश	2314
असम	62928
बिहार	157910
चंडीगढ़	3267
छत्तीसगढ़	35838
दादर और नगर हवेली	695
दमन और दीव	529
दिल्ली	42121
गोवा	4803
गुजरात	185939
हरियाणा	35517
हिमाचल प्रदेश	12634
जम्मू और कश्मीर*	14377
झारखण्ड	52794
कर्नाटक	115369
केरल	52758
मध्य प्रदेश	119173
महाराष्ट्र	313383
मणिपुर	4977
मेघालय	5100
मिजोरम	1554
लक्षद्वीप**	397
नागालैण्ड	3178
उड़ीसा	76824
पांडिचेरी	3014
पंजाब	58203
राजस्थान	99125
सिक्किम	1321
तमिलनाडु	136324
त्रिपुरा	7523
उत्तर प्रदेश	302871
उत्तरांचल	21490
पश्चिम बंगाल	187057

* लद्दाख क्षेत्र के लिए 3600 टन का आवंटन, जिसका उठान मई-अक्तूबर के दौरान किया जाना है, शामिल नहीं किया गया है।

** अप्रैल-सितम्बर, 2004 अर्थात् छः माह के लिए आवंटन।

[अनुवाद]

वर्षा जल का संग्रहण

1548. श्री निहाल चन्द: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में वर्षा जल संग्रहण का सकारात्मक परिणाम निकला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) "भूजल के पुनर्भरण विषयक अध्ययन" संबंधी अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा कार्यान्वित कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों के प्रभाव का राज्यवार मूल्यांकन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों का प्रभाव आकलन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कीम का नाम	स्कीम का प्रकार	परिणाम
1	2	3	4
चंडीगढ़	सी.आई.एस.ओ. चंडीगढ़ में छत के वर्षा जल संचयन	छत के वर्षा जल संचयन की प्रणाली	3812 घन मीटर वर्षा जल पुनर्भरित किया गया
	बेसिन साइंस ब्लॉक, पंजाब विश्व विद्यालय, चंडीगढ़ में छत के वर्षा जल का संचयन	छत के वर्षा जल संचयन की प्रणाली	1985 घन मीटर वार्षिक वर्षा जल (सृजित अपवाह जल का 93%) का पुनर्भरण किया गया
हरियाणा	डी.सी. ऑफिस, फरीदाबाद में छत/फुटपाथ वर्षा जल संचयन प्रणाली	छत के वर्षा जल संचयन की प्रणाली	एक वर्षा मौसम में 2370 घनमीटर वर्षा जल पुनर्भरित किया गया
	ब्रह्म सरोवर, जिला कुरुक्षेत्र से बेकार जल का प्रयोग करके भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	पुनर्भरण शाफ्ट्स	वर्ष के दौरान 0.3496 लाख घनमीटर वर्षा जल का पुनर्भरण हुआ। लाभग्राही क्षेत्र में जल स्तर की गिरावट दर 0.25 मी./वर्ष रही जबकि इस क्षेत्र में सामान्य गिरावट दर 1.175 मी./वर्ष की है।
कर्नाटक	मुलबगुल और गौरीबिदनूर तालुका, कोलार जिले में वर्षा जल संचयन	चेक बांध, वाटरशेड सुधार, ग्रेविटी पुनर्भरण कूप	भूजल संरचनाओं का स्थायित्व 2 से 3 गुना बढ़ा। फसल सघनता 2 से 3 गुना बढ़ी।
मध्य प्रदेश	उटावली वाटर शेड, बुरहानपुर ब्लॉक, खंडवा जिले के धोबीघाट और चिन्ताहरण में उप-सतही डाइकों का निर्माण	उप-सतही डाइक	प्रतिप्रवाह क्षेत्र में भूजल स्तरों में वृद्धि देखी गई। नदी के अनुप्रवाह में सतही प्रवाह में कमी आई।
	खरगौन जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक	इन डाइकों के आसपास के क्षेत्र में उत्खनित कूपों के कमान क्षेत्र की वृद्धि से भूजल स्तर में वृद्धि का पता चला। नदी के सतही प्रवाह में उल्लेखनीय कमी हुई है।
	लोंधरी वाटरशेड, नारायण गांव, देवास जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक चेक बांध	प्रतिप्रवाह क्षेत्र में मौजूदा नलकूपों के जल स्तर में 0.30 से 2.00 मीटर की वृद्धि पाई गई।

1	2	3	4
	बरवा कलां, राजगढ़ जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक	उत्खनित कूपों में जल स्तर में 0.80 से 3.80 मीटर तक और हैंडपंपों में 6 से 12 मीटर की वृद्धि पाई गई।
	सुखेड़ी, मंदसौर जिले में परिस्रवण तालाबों से कृत्रिम पुनर्भरण	परिस्रवण तालाब	तालाब के कमान क्षेत्र अनुप्रवाह के जल स्तर में 1-4 मीटर की वृद्धि पाई गई।
	देवास शहर में छत के वर्षा जल का संचयन	1000 भवनों के माध्यम से छत के वर्षा जल का संचयन	इस स्कीम के माध्यम से लोगों की सहभागिता का प्रदर्शन किया गया जिसमें केवल ऑनलाइन फिल्टर की आपूर्ति मुफ्त में की गई तथा छत के वर्षा जल संचयन की अन्य व्यवस्थाएं लाभग्राहियों द्वारा की गई। कम वर्षा के बावजूद नलकूपों से जल प्राप्ति में वृद्धि और भूजल संसाधनों में सुधार दर्ज किया गया।
	वाल्मी फार्म में उप-सतही डाइक का निर्माण	उप-सतही डाइक	सतही जल के तालाब के सूख जाने के पश्चात् डिमान्सट्रेशन फार्म में भूजल की उपलब्धता में वृद्धि दर्ज की गई। भूजल स्तर में औसतन कमी दर्ज की गई है।
महाराष्ट्र	बासाल्टिक क्षेत्र, वरूद तालुका, अमरावती जिले में कृत्रिम पुनर्भरण	परिस्रवण तालाब, चेक बांध	लाभान्वित क्षेत्र-प्रति परिस्रवण तालाब लगभग 60 से 120 हेक्टेयर, प्रति चेक बांध 3 से 15 हेक्टेयर जल स्तर वृद्धि-1.5 मिमी. तक।
	यावल तालुका जलगांव जिले में कछारी जलभृतों का पर्वतीय अग्रभाग पुनर्भरण	परिस्रवण तालाब, पुनर्भरण शैफ्ट, उत्खनित कूप	लाभान्वित क्षेत्र-5 वर्ग किमी. लाभान्वित क्षेत्र-400 हेक्टेयर जलस्तर में वृद्धि-1 से 5 मीटर
	किट्स, रेमटेक, नागपुर जिले में छत के वर्षा जल का संचयन	छत के वर्षा जल का संचयन	संचित किए गए वर्षा जल के 90% का पुनर्भरण किया गया। जल स्तर में वृद्धि हुई पास के कुंओं में जल उपलब्धता में वृद्धि पाई गई।
	जिला अमरावती में पंचायत समिति कार्यालय परिसर, की छत पर वर्षा जल का संचयन	छत के वर्षा जल का संचयन	अनुमान है कि 280.17 घनमीटर वर्षा जल (अपवाह जल का 90%) पुनर्भरण किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	जे.एन.यू. एवं आई.आई.टी. में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	चेक बांध	चेक बांधों के आसपास के क्षेत्र में जल स्तर 2.55 मीटर ऊपर हो गया है।
	आई.आई.टी. में छत के वर्षा जल का संचयन	छत के वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	787 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया। 0.12 से 0.78 मीटर जल स्तर में वृद्धि हुई है।

1	2	3	4
	प्रेसिडेंट इस्टेट में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	विद्यमान खोदे गए कुएं, पुनर्भरण शाफ्ट, पुनर्भरण कुएं के माध्यम से छत/ फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	जल स्तर में 0.94 से 2.32 मीटर की वृद्धि हुई।
	श्रमशक्ति भवन में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	एक बारिश के मौसम में 3000 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया। जल स्तर में 1.42 से 2.17 मीटर की वृद्धि हुई।
	लोधी गार्डन में फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	जल स्तर में 0.67 से 0.72 मीटर की वृद्धि हुई।
पंजाब	धुरी संपर्क नाली जिला संगरूर से कछारी जलभृतों में कृत्रिम पुनर्भरण	लेटरल शैफ्ट इंजेक्शन वेल्स। वर्टिकल शैफ्टस	16.51 लीटर प्रति सेकेंड की दर तक पुनर्भरण तथा लैटरल शाफ्ट के आस पास के क्षेत्र में भूजल स्तर में 1.38 मीटर तक वृद्धि हुई।
	इसूई गांव, लुधियाना में गांव के तालाब से कृत्रिम पुनर्भरण	इंजेक्शन कुएं के साथ पुनर्भरण शाफ्ट	10 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पुनर्भरण।
	खेती भवन, अमृतसर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के वास्ते संचयन प्रणाली	210 मीटर वर्षा जल को पुनर्भरित किया गया था।
	स्वर्ण मंदिर क्षेत्र, अमृतसर में सरोवर जल के पुनर्भरण की स्कीम	पुनर्भरण कुएं	भूजल स्तर की गिरावट दर 0.9 मी./वर्ष से घटकर 0.24 मी./वर्ष तक रह गई।
	भाट्टियन केनाल कालोनी, ब्लॉक खन्ना, जिला लुधियाना की खन्ना डिस्ट्रीब्यूटरी के अधिशेष जल का उपयोग करते हुए भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	पुनर्भरण कुएं	भूजल स्तर में 0.31-0.66 मीटर की वृद्धि देखी गई।
	ग्राम चान्नियन, नकोदर ब्लॉक, जिला जालंधर में नहर और सरोवर के अधिशेष जल का प्रयोग करते हुए भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	पुनर्भरण कुएं	जल स्तर गिरने की दर 1.39 मी./माह से घटकर 0.29 मी./माह तक हो गई।
	सरहिंद चोई, नाभा ब्लॉक, जिला पटियाला में अपवाह द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण	खाइयां	जल स्तर में 0.32-0.70 मीटर की औसत वृद्धि देखी गई।

1	2	3	4
राजस्थान	मैनपुरा, झुंझुनू जिले में कृत्रिम पुनर्भरण	चेक बांध व उप सतही बैरियर	वर्षा जल संचयन-88000 क्यूबिक मीटर वर्षा जल स्तर में वृद्धि-0.65 मीटर।
	मुख्य मंत्री निवास पर छत के वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 725 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	राज भवन, जयपुर पर छत के वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 490 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन के लिए प्रणाली	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1106 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	विट्टा भवन, जयपुर में छत/ फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1106 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	एम.आर.ई.सी. जयपुर में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1640 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	सी.जी.डब्ल्यू.बी., कार्यालय भवन, जयपुर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 350 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	जी.डब्ल्यू.डी., कार्यालय भवन, जयपुर में छत, पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 321 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	राज्य सचिवालय भवन (भाग I एवं II), जयपुर में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 2320 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
पश्चिम बंगाल	कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना-पुरूलिया जिला	खेत तालाब, नाला बांध, उप-सतही डाईक	जल स्तर में वृद्धि-0.15 मीटर।
	सलटोरा ब्लॉक, बांकुरा जिला में कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना	उप-सतही डाईक	निर्माण पूर्व अवधि की तुलना (1997) में मानसून पूर्व अवधि के दौरान डाइकों के प्रतिप्रवाह के भूजल स्तर में 0.45 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई।

[हिन्दी]

गन्ना मूल्य का भुगतान

1549. श्री संतोष गंगवार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों के लिए देश में अग्रणी गन्ना-उत्पादकों के गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस फैसले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सांपों को पकड़ना

1550. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांपों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के लागू होने के पश्चात् भी सपेरों का एक समुदाय कानून का उल्लंघन कर प्रति वर्ष 400.000 से अधिक सांपों को पकड़ने का कारोबार करता आ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सांपों को पकड़ने और उन्हें मारने पर अंकुश लगाने तथा सपेरों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) वन्य जीवों की सुरक्षा करना मुख्यत राज्य सरकार का दायित्व है। सापों, उनके अंगों तथा उत्पादों की जब्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर मिली रिपोर्टों से यह पता चलता है कि रोड-शोज सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए सांपों को गैर कानूनी तौर पर पकड़ा जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शिकार और जब्ती के मामलों का अलग-अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता। तथापि, कुछ प्रमुख जब्तियों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:—

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार सांपों के शिकार (जिसमें अन्य गतिविधियों के साथ-साथ उन्हें पकड़ना, मारना, विष देना और जाल में फंसाना शामिल है) पर प्रतिबंध है। जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी जानवर को लड़ाई अथवा किसी अन्य जानवर को सताने के लिए उत्तेजित करना प्रतिबंधित है।

(ii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अनुसूची I अथवा अनुसूची II के भाग II में विनिर्दिष्ट किसी भी सांप को स्वामित्व प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त नहीं कर सकता और न ही अपने कब्जे में रख सकता है।

(iii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और जीव-जंतुओं के प्रति क्रूरता निवारण, अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने सहित कड़े दण्ड की व्यवस्था है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सपेरों के पुनर्वास हेतु कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है।

विवरण

सांपों की खाल और उससे बनी वस्तुओं की प्रमुख जब्तियां

क्र.सं.	जब्त की गई मद और मात्रा	जब्ती का वर्ष
1.	तमिलनाडु वन विभाग द्वारा 1323 सांप की खालें जब्त की गईं	1994
2.	तमिलनाडु वन विभाग द्वारा 900 सांप की खालें जब्त की गईं	1995
3.	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव सुरक्षा (प. प्रदेश), मुम्बई द्वारा 80 कोबरा (सांप) खालें	2000
4.	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव सुरक्षा (दक्षिणी प्रदेश) चैनेई द्वारा कोबरा, रसल्स वाइपर अन्य सांपों की 1757 खालें	2000
5.	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव सुरक्षा (उत्तरी प्रदेश), नई दिल्ली द्वारा सांप की खालों के 1029 टुकड़े और सांप की खाल से बने कपड़ों के 3 टुकड़े	2000
6.	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव सुरक्षा (प. प्रदेश), मुम्बई द्वारा सांपों और छिपकलियों की 175 खालें।	2002
7.	क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव सुरक्षा (प. प्रदेश), मुम्बई द्वारा कोबरा रसल्स वाइपर, वॉटर स्नेक और चूहों की 300 खालें	2003

[हिन्दी]

मछुआरों हेतु आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के हिस्से को जारी किया जाना

1551. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मछुआरों हेतु राष्ट्रीय कल्याण कोष के अंतर्गत मछुआरों हेतु आवास योजना के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 20 लाख रुपए के अनुदान की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान को कब तक निर्गत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) मछुआरों को लाभ पहुंचाने के लिए मार्च, 2003 में मंजूर की गई 89.50 लाख रुपए की कुल लागत से 212 मछुआरा गृहों के निर्माण तथा 10 ट्यूब वैलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय हिस्से की अंतिम किश्त के रूप में केन्द्रीय प्रयोजित "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" के तहत जुलाई, 2004 में मध्य प्रदेश सरकार को 20 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों के विकास और संवर्धन हेतु कृतिक बल

1552. श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों और युवक कार्यक्रम के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल के साथ कितनी बार बैठकें की गईं हैं और उसमें क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या कृतिक बल ने सरकार को अपनी प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों के विकास तथा युवा कल्याण और संस्कृति के संवर्धन की कार्रवाई योजना की तैयारी के लिए पूर्व युवा कार्यक्रम और खेल राज्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 मार्च, 2000 को एक कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल की कुल पांच बैठकें हुई थीं।

(ग) जी, हां। रिपोर्ट 30 अप्रैल, 2002 को प्रस्तुत कर दी गई थी।

(घ) कृतिक बल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता को देखने के लिए सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के विकास और खेलों के संवर्धन पर 70.22 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

[हिन्दी]

तेंदुओं द्वारा लोगों को मारा जाना

1553. श्री मनोज कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ महीनों के दौरान 'राजाजी नेशनल पार्क' से कुछ तेंदुए भटककर रिहायशी इलाकों में घुसे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत कुछ दिनों के दौरान तेंदुओं ने पच्चीस से अधिक लोगों को मारा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें पार्क की सीमाओं के भीतर रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंधुआ बाल मजदूर

1554. श्री अजीत जोगी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने बंधुआ बाल मजदूर बंधन से मुक्त कराए गए;

(ख) क्या इसके थोड़े ही समय बाद मुक्त कराए गए बच्चे पुन: बंधक बना लिए गए;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 वयस्क बंधुआ एवं बाल बंधुआ श्रमिकों के बीच कोई भेदभाद नहीं करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, बंधुआ बाल श्रमिकों सहित मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा बंधुआ बाल श्रमिक सहित मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुन: बंधक बनाए जाने संबंधी मामले की कोई सूचना नहीं दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान, बंधुआ बाल श्रमिक सहित बंधुआ श्रम से मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	राज्य	बंधुआ श्रम से मुक्त कराए गए बाल श्रमिक सहित बंधुआ श्रमिकों की संख्या
2001-02	बिहार	28
	हरियाणा	7
	महाराष्ट्र	14
	कर्नाटक	36
	तमिलनाडु	3844
2002-03	महाराष्ट्र	5
	पंजाब	6
	कर्नाटक	1854
	चंडीगढ़	124
	हरियाणा	21
	बिहार	125
2003-04	बिहार	314
	उत्तरांचल	5
	उत्तर प्रदेश	398
	आंध्र प्रदेश	1699
	उड़ीसा	39
	राजस्थान	10

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में देवदुला परियोजना

1555. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में देवदुला परियोजना के वित्त पोषण के लिए ऑस्ट्रेलिया से सहायता मिलने का आश्वासन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु राज्य सरकार को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। तथापि प्राप्त सूचना के अनुसार, सिंचाई, जलविद्युत, स्वास्थ्य और अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं जैसे शहरी परिवहन के विकास में व्यापक सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आस्ट्रिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, आस्ट्रियाई पक्ष पहचान किए गए और सूचीबद्ध परियोजनाओं, जिनमें गोदावरी नदी पर देवदुला में गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम शामिल है, के लिए व्यावसायिक ऋणों सहित उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता का विस्तार किए जाने की संभावनाओं का पता लगायेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित पॉम ऑयल

1556. श्री परसुराम माझी:

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में पाम ऑयल का आयात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार पाम ऑयल के आयात को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) पाम ऑयल की लागत और इसका बिक्री मूल्य क्या है और आयातित कच्चे पाम ऑयल को साफ करने की लागत कितनी है;

(ङ) क्या कीमतों में अंधाधुंध वृद्धि करने से स्वदेशी पाम ऑयल की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पाम तेल तथा उसके घटकों की कुल 84.40 लाख टन मात्रा आयात की गई है। पाम तेल का मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है।

(ख) से (च) खाद्य तेलों (नारियल तेल को छोड़कर) का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत है। आयात की जाने वाली मात्रा, आयातकर्ताओं के वाणिज्यिक विवेक पर निर्भर करती है। देशीय पाम तेल सहित पाम तेल की लागत और बिक्री मूल्य बाजार स्थिति तथा उपलब्धता पर निर्भर करता है।

चिकित्सा पर्यटन

1557. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में चिकित्सा पर्यटन की पर्याप्त पर्यटन संभावना के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा पर्यटन एक विकसित होने वाली अवधारणा है और आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि जैसे कुछ राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की चिकित्सा सुविधाओं के साथ चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन कर रहे हैं।

(ग) पर्यटन विभाग ने प्राचीन स्वस्थ रखने वाले प्रमाणित तरीकों की जानकारी देते हुए "शरीर, मस्तिष्क और आत्मा" शीर्षक पर एक ब्रोशर तथा सी.डी. रोम तैयार किया है, जिन्हें भारत और विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा वितरित किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कार्यबल गठित किया है ताकि विश्वभर में चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन किया जा सके, जिससे देश में उपलब्ध स्वास्थ्य देख रेख सुविज्ञता और अवसंरचना का लाभकारी उपयोग किया जा सके।

प्रदूषित समुद्री तट

1558. श्री अनन्त नायक: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रदूषित समुद्री तटों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समुद्री तटों के प्रदूषित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन तटों को और अधिक प्रदूषित होने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) महासागर विकास विभाग द्वारा की गई मानीटरी के परिणामों के अनुसार गर्म स्थलों के 'बीचों' के निकट तटीय क्षेत्र का जल प्रदूषित है। इन स्थलों के कुछ प्रदूषण पैरामीटर उच्च और कम ज्वार-भाटे की अवधि के दौरान अलग-अलग होते हैं।

(ग) प्रदूषण के मुख्य कारणों में तटीय शहरों, कस्बों तथा रिसोर्टों आदि से निकलने वाले अशोधित/अर्धशोधित मलजल तथा नगर ठोस अपशिष्ट का निपटान करना है।

(घ) समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करने के क्रम में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

- संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने उद्योगों को यह निर्देश दिए हैं कि वह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1977 के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन करें तथा आवश्यक निपारक कदम उठाएं।
- मंत्रालय ने तटीय क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए एक तटीय क्षेत्र विनियम जोन अधिसूचना, 1991 जारी की है जिसके अनुसार तटीय विनियम जोन क्षेत्र के भीतर ठोस अपशिष्टों को डम्प करने तथा अशोधित बहिस्रावों को डिस्चार्ज करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

[हिन्दी]

कांडी नहर के निर्माण हेतु पंजाब को सहायता

1559. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब सरकार को होशियारपुर के नवांशहर में कांडी नहर के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना का वित्तपोषण केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को करना था;

(घ) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो नहर के निर्माण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ङ) पंजाब की कांडी नहर परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 10.50 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम मानकों के अनुसार पंजाब राज्य को केन्द्रीय ऋण सहायता 2:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में मुहैया कराई जाती है तथा निधि राज्य सरकार द्वारा उनके राज्य बजट में प्रावधान करने पर ही जारी की जाती है। अगले वर्ष के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता केवल तभी जारी की जाती है जब किसी राज्य ने जारी केन्द्रीय ऋण साहायता और राज्य के हिस्से के बराबर व्यय कर लिया हो। इस परियोजना का दसवीं योजना के पश्चात् पूरा होना निर्धारित है।

[अनुवाद]

घटिया गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों का निर्यात

1560. श्री अधीर चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों द्वारा भारत से निर्यात किए जा रहे गेहूं और चावल को घटिया गुणवत्ता के कारण अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मानक गुणवत्ता वाला खाद्यान्न विदेश भेजना सुनिश्चित करने हेतु क्या नीति अपनाई जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छी गुणवत्ता के बासमती चावल का निर्यात किया जाए, सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि केवल लागू मानक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाए जाने वाले बासमती चावल का ही निर्यात किया जा सकता है और ऐसे निर्यात के संबंध में नियत एजेंसियों द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना चाहिए। जहां तक गैर-बासमती चावल तथा गेहूं का संबंध है, निर्यातक, आयातकर्ता की विनिर्दिष्टियों का पालन करते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना

1561. श्री गणेश सिंह: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने स्टेडियम और ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में स्टेडियमों सहित विभिन्न खेल सुविधाओं के निर्माण हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण परिसर की, मुख्यत: राज्य की राजधानी तथा जिला स्तरीय खेल प्रशिक्षण परिसरों में, स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। स्टेडियमों सहित विभिन्न खेल सुविधाओं के निर्माण हेतु जारी की गई वित्तीय सहायता तथा राज्य/जिला स्तरीय खेल प्रशिक्षण परिसरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेडियमों सहित पूरी की गई खेल अवस्थापना परियोजनाओं तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, राज्य/जिला स्तरीय खेल प्रशिक्षण परिसरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002 जारी की गई राशि	2002-2003 जारी की गई राशि	2003-2004 जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	60.00	13.74	484.527
2.	अरुणाचल प्रदेश	56.85	156.44	191.00
3.	असम	50.00	73.50	17
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	3.89	0.00	0.00

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	37.00	1.20	40.17
8.	हिमाचल प्रदेश	45.05	6.61	100.213
9.	जम्मू व कश्मीर	0.409	5.02	26.823
10.	कर्नाटक	31.45	82.20	58.7
11.	केरल	1.66	0.124	13.018
12.	मध्य प्रदेश	58.83	62.40	152.27
13.	महाराष्ट्र	100.00	165.00	238.437
14.	मणिपुर	33.04	62.50	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	100.11
16.	मिजोरम	0.00	57.75	136.323
17.	नागालैण्ड	107.62	194.00	962.463
18.	उड़ीसा	0.00	15.50	0.05
19.	पंजाब	162.52	10.00	45.00
20.	राजस्थान	0.04	10.71	25.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	79.05	97.011	170.369
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	32.58	16.29	46.94
25.	पश्चिम बंगाल	10.00	28.00	20.07
26.	दिल्ली	2.52	0.00	0.00
27.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	78.50
28.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
29.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
31.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
34.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षदीप	0.00	0.00	0.00
	कुल	872.509	1057.995	2906.983

विवरण-II

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत पूरी की गयी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

वर्ष	राज्य	पूरी की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा
1	2	3
2001-2002	अरुणाचल प्रदेश	आऊटडोर स्टेडियम, तेजू
		एस.पी.डी.ए. केन्द्र, जेंगिंग
	दिल्ली	आऊटडोर स्टेडियम, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली
	गुजरात	तरणताल, अंकलेश्वर
		तरणताल, वल्लभ विद्या नगर, खेडा
	हिमाचल प्रदेश	बास्केटबाल कोर्ट, ताल, हमीरपुर
	जम्मू व कश्मीर	बास्केटबाल कोट्र, अण्डू, अनंतनाग
	कर्नाटक	इण्डोर स्टेडियम, मेडिकेरी, कोडगू
		इण्डोर हाल, बादमी, बीजापुर
	केरल	इण्डोर स्टेडियम, मिश्रा निकेतन विल्लानाद, तिरूवनंतपुरम
	महाराष्ट्र	खेल छात्रावास, सांगली
		तरणताल श्रेणी-2, लातूर
	पंजाब	इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, मानसा
		इण्डोर स्टेडियम, मुक्तसर
		इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, फतेहगढ़ साहिब
		खेल छात्रावास, पटियाला
		वेलोड्रम, पी.ए.यू. परिसर, लुधियाना में अतिरिक्त सुविधाएं
		बैडमिंटन हाल, जालंधर
		इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, गुरुनानक स्टेडियम, लुधियाना
		फ्लड लाइटिंग, गुरुनानक स्टेडियम, लुधियाना में अतिरिक्त सुविधाएं
		इण्डोर स्टेडियम, लुधियाना में अतिरिक्त सुविधाएं
		हाकी मैदान, पी.ए.यू. परिसर, लुधियाना में अतिरिक्त सुविधाएं
		टेबल टेनिस हाल, जालन्धर में अतिरिक्त सुविधाएं
	राजस्थान	बास्केटबाल कोर्ट, निम्बाहेरा, जतन, भीलवाड़ा
	तमिलनाडु	वालीबाल कोर्ट, राजकीय स्कूल, चेन्नई
2002-2003	अरुणाचल प्रदेश	खेल मैदान, गादुम गांव, जिला-ईस्ट सियांग
		खेल मैदान, नामसिंह गांव, जिला-ईस्ट सियांग
		खेल मैदान, सेवम, जिला-ईस्ट सियांग

1	2	3
	हरियाणा	आऊटडोर स्टेडियम, जीवन नगर, सिरसा
	हिमाचल प्रदेश	इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, बिलासपुर
	कर्नाटक	आऊटडोर स्टेडियम, मंड्या
		आऊटडोर स्टेडियम, तिपतुर, तुमकुर
		आऊटडोर स्टेडियम, मधुगिरी, तुमकुर
		इण्डोर स्टेडियम, गुलबर्गा
		आऊटडोर स्टेडियम, होलेनरसिपुरा, हासन
		आऊटडोर स्टेडियम, चिंतामणि, कोलार
		आऊटडोर स्टेडियम, होसाना गारा, सिमोगा
		आऊटडोर स्टेडियम, मुधोल, बीजापुर
		आऊटडोर स्टेडियम, हारोपनाहल्ली, बेल्लारी
		आऊटडोर स्टेडियम, के.आर. नगर मैसूर
		आऊटडोर स्टेडियम, सिरा, तुमकुर
	केरल	फुटबाल मैदान, नानकीचित्ती कांजीकुझी, इडुक्की
	मिजोरम	बास्केटबाल कोर्ट, कोलासिब
		बास्केटबाल कोर्ट, रिपब्लिक, एजवाल
		बास्केटबाल कोर्ट, मिशन वेंग
		बास्केटबाल कोर्ट, कुली कवन
	नागालैण्ड	इण्डोर स्टेडियम, न्यू टेसोफेमाइम, कोहिमा
	पंजाब	इण्डोर स्टेडियम, पी.ए.पी. कॉम्पलेक्स, जालंधर
	तमिलनाडु	वालीबाल कोर्ट, अनीकोरई, नीलगिरि, ऊटी
		बास्केटबाल कोर्ट, ओंडीपुदूर, कोयम्बटूर
		वालीबाल कोर्ट, अत्तूर, सलेम
		खेल मैदान, डब्ल्यू, पुदूपत्तई, जिला कामराजार
2003-2004	आंध्र प्रदेश	इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-3, करमचादू, जिला प्रकाशम
		इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, गच्चीबावली, हैदराबाद
		आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, गच्चीबावली, हैदराबाद
		इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, यूसुफगुड़ा, हैदराबाद
		इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, फतेह मैदान, हैदराबाद
		वेलोड्रम, हैदराबाद
		तरणताल श्रेणी-1, गच्चीबावली, हैदराबाद
		इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, सरूर नगर, हैदराबाद
		इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-2, चिराला, प्रकाशम
		तरणताल श्रेणी-2, खम्मम

1	2	3
	अरुणाचल प्रदेश	इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-1, निरजुली
	हिमाचल प्रदेश	बास्केटबाल कोर्ट, भरेरी, हमीरपुर
	कर्नाटक	आऊटडोर स्टेडियम, गदग
		आऊटडोर स्टेडियम, संकेश्वर, हुकेरी, बेलगाम
		खेल मैदान, न्यू तिप्पासांद्रा, बंगलौर
		इण्डोर स्टेडियम, मंगलौर
	केरल	फुटबाल मैदान, इदावन्ना, जिला मल्लापुरम
		खेल मैदान, श्रीकांदापुरम, कण्णूर
		इण्डोर स्टेडियम, ओट्टापालम, पालघाट
	मध्य प्रदेश	आऊटडोर स्टेडियम, सिवनी
	महाराष्ट्र	तरणताल श्रेणी-1, लोनी, अहमद नगर
		इण्डोर स्टेडियम, श्रेणी-3, कोल्हापुर
		तरणताल, अकलुज, सोलापुर
		तरणताल, रोथ, रायगढ़
		तरणताल श्रेणी-1, धुले
		तरणताल, विंचूर, गाओली, नासिक
		तरणताल, पुणे
	मेघालय	खेल मैदान, सांगमार्ग, जिला साऊथ गारो हिल्स
		जल खेल परिसर, बारपनी दाम, शिलांग
		खेल मैदान, गुलापानी बिबरा, साऊथ गारो हिल्स
		खेल मैदान, रांगसौगल, साऊथ गारो हिल्स
	मिजोरम	आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, रिपब्लिक
		आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, लावंगलेई
		आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, तलंगनम
		आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, आईबॉक
		आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, वैवकॉन
		खेल मैदान, बेथालेहम वेंग
		आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, रामहुलुम
		इण्डोर स्टेडियम श्रेणी-3, एजवाल
		आऊटडोर स्टेडियम, खाउजॉल
		फुटबाल मैदान, जोटलांग
		टेनिस कोर्ट, जोटलांग

1	2	3
		बास्केटबाल कोर्ट, जोटलांग
		आऊटडोर स्टेडियम, कोलासिब
		आऊटडोर स्टेडियम, ममित
	नागालैण्ड	खेल मैदान, दीमापुर
		खेल मैदान, याकुमसांग गांव, तवेनसांग
		खेल मैदान, इमरूप, तुवेनसांग
		खेल मैदान, लोकांग
		खेल मैदान, सांगड़क
		खेल मैदान, यांगपी
		खेल मैदान, सौशोन
		खेल मैदान, मॉमचिंग
		खेल मैदान, पोतानबौ
		फुटबाल मैदान, काशीराम, दीमापुर
		फुटबाल मैदान, लखोती वोखा
		खेल मैदान, यानयू
		खेल मैदान, लितेम
		खेल मैदान, लांगतेंग
		खेल मैदान, याली
		खेल मैदान, मोंगती
		खेल मैदान, बागती, वोखा
	उड़ीसा	खेल मैदान, अरतात्रुना, खुर्दा
	राजस्थान	तरणताल श्रेणी, कोटा
	तमिलनाडु	बास्केटबाल कोर्ट, नांदीवरम, कांचीपुरम
		तरणताल श्रेणी-2, तिरूचिरापल्ली
		फुटबाल मैदान, मानापारा, तिरूची
		बास्केटबाल कोर्ट, कोदायनलोर, तिरूनवेली
		बास्केटबाल कोर्ट, अरालवैमोझी, कन्याकुमारी
		बास्केटबाल कोर्ट, भवानी सागर, इरोड
		हाकी मैदान, अरियालुर, पेरम्बलूर
		हाकी मैदान, पलानी, डिंडीगुल
		खेल मैदान, वर्धाचलम, कुड्डूलोर
		बास्केटबाल कोर्ट, राजाकमंगलम, कन्याकुमारी

1	2	3
		इण्डोर स्टेडियम, चेन्नई
		बास्केटबाल कोर्ट, टी. वाडीपट्टी, मदुरई
		तरणताल, सलेम
		फुटबाल मैदान, मरथांदम, कन्याकुमारी
		बास्केटबाल कोर्ट, कदयाल, कन्याकुमारी
		खेल मैदान, जिला यूनिट स्टेडियम, सलेम
		बास्केटबाल कोर्ट, एम.एम.डी.ए. कालोनी, चेन्नई
		तरणताल श्रेणी-2, इरोड
		तरणताल श्रेणी-2, रामानाथपुरम
	पश्चिम बंगाल	इण्डोर स्टेडियम, जलपाईगुड़ी
		खेल मैदान, सेरमपुर म्यूनिस्पल्टी, हुगली

[अनुवाद]

किसानों के लिए चीनी विकास कोष से सहायता

1562. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ना उगाने वाले किसानों को भी चीनी विकास कोष का लाभ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कोष के माध्यम से कितने गन्ने उगाने वाले किसानों को लाभ पहुंचा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) चीनी विकास निधि से ऋण चीनी उपक्रमों को दिए जाते हैं, और न कि सीधे गन्ना उत्पादकों को। ये ऋण उस क्षेत्र, जहां कोई चीनी फैक्ट्री स्थित है, में गन्ना के विकास के लिए दिए जाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पौधशालाओं का पोषण, ट्रीटमेंट संयंत्रों की स्थापना, कीट-नियंत्रण के उपाय, कृषकों को गन्ने की उन्नत किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन, सिंचाई योजनाओं आदि को कवर किया गया है। चीनी उपक्रम उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं जिनका लक्ष्य उनके क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों को शामिल कर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना होता है।

समुद्री तट का कटाव

1563. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल तट के समुद्री तट के निरन्तर कटाव से गुरूवेयूर के समीप कडप्पुरम स्थित कनोली नहर और समुद्र के बीच की संकरी भूमिपट्टी के पारिस्थितिकीय संतुलन को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) क्या समुद्री तट के कटाव से वेतनपल्ली बीच स्थित लाइट हाउस ध्वस्त हो गया है और गुरूवेयूर के समीप कडप्पुरम बीच को खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) वेतनपल्ली ग्राम पंचायत द्वारा स्टील युक्त टावर के ऊपर संस्थापित एक गाइडिंग लाइट जो इस वर्ष समुद्री कटाव के कारण ध्वस्त हो गया, के अलावा वेतनपल्ली बीच पर कोई लाइट हाउस नहीं था। तथापि, कडप्पुरम बीच में एक लाइट हाउस स्थित है जिसे समुद्री कटाव से खतरा है।

(ग) कटावरोधी कार्यों की आयोजना एवं कार्यान्वयन का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का है तद्नुसार केरल सरकार ने, आगामी क्षतियों से मार्ग एवं लाइट हाउस की सुरक्षा के लिए आपतकालीन कार्यों, लाइट हाउस के भाग आदि को शामिल करते हुए वेतनपल्ली में 1000 मी. लंबी नई समुद्री दीवार के निर्माण सहित कडप्पुरम और वेतनपल्ली में वांछित सुरक्षा उपाय प्रारंभ किए हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि नए सुरक्षा कार्यों की भी आयोजना की जा रही है।

रिक्त पड़े पद

1564. श्री तापिर गावः क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) उक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूरिया का अधिक प्रयोग

1565. श्री सूरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता के कारण किसान यूरिया का अधिक प्रयोग और फास्फोरस तथा पोटाशियम का कम प्रयोग करते हैं जिससे फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे आचरण को रोकने के लिए फास्फोरस और पोटाशियम पर भी राजसहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) नाइट्रोजन युक्त, फास्फेट युक्त और पोटाश युक्त (एन.पी.के.) उर्वरकों का आदर्श मैक्रोलेबेल अनुपात 4:2:1 है जो फास्फेट युक्त और पोटाशियम युक्त उर्वरकों पर राजसहायता (रियायत) वापिस लेने के कारण वर्ष 1992-93 के दौरान घटकर 9:5:3:2:1 रह गया, वर्ष 2003-04 के दौरान अब यह बढ़कर 6:5:2:5:1 हो गया है।

(ख) सरकार फास्फेट युक्त और पोटाश युक्त उर्वरकों पर भी राजसहायता (रियायत) दे रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पशुओं का एच.आई.वी. परीक्षण

1566. श्री राकेश सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पशुओं के खून का एच.आई.वी. परीक्षण करने हेतु कोई किट उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त किट का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पशुओं का उक्त परीक्षण देश में या उससे बाहर कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कपास पर आयात शुल्क

1567. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य फसलों की तुलना में कपास पर आयात शुल्क कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कपास उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद हेतु उपयुक्त कीमत पाने में विफल रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश के कपास उत्पादकों को लाभ पहुंचाने हेतु कपास पर आयात शुल्क बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) विभिन्न कृषि जिन्सों पर अलग-अलग दर पर आयात शुल्क लगाया जाता है। आयात शुल्क निर्धारित करते समय सरकार किसी खास कृषि जिन्स के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखती है।

(ग) सरकार किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वृद्धि होती रही है।

(घ) फिलहाल, कच्चे कपास पर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

1568. श्री दिनशा पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) पूरे देश में कई योजनाओं/परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत् तीन वर्षों के दौरान गुजरात में क्रियान्वित की गई उक्त योजनाओं/परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितना धन आबंटित किया गया है और योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग गुजरात सहित पूरे देश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जरिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है :—

(i) उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास

(ii) बागवानी उत्पादन हेतु शीतागारों और भण्डागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम

(iii) बागवानी प्रवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास और अंतरण

उपर्युक्त स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं और दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ये स्कीमें पूरे देश में वर्तमान वर्ष 2004-05 के दौरान चल रही हैं। ये स्कीमें उद्यमियों द्वारा चलायी जाती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार कोई निधियां आवंटित नहीं की जाती, लेकिन वर्तमान वर्ष हेतु स्कीमवार बजटीय आवंटन निम्नलिखित है:—

स्कीम का नाम	बजटीय आवंटन (करोड़ रु. में)
(i) उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास	35.00
(ii) बागवानी उत्पादन हेतु शीतागारों और भण्डागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम	40.00
(iii) बागवानी प्रवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास और अंतरण	06.00

विवरण-I

I. उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास

स्कीम/परियोजना का नाम	घटक	सहायता का प्रतिमान
i) उत्पादन से संबंधित	*उच्च गुणवत्ताप्रद वाणिज्यिक बागवानी फसलें *स्वदेशी फसलें/उत्पाद, जड़ीबूटी *सुगंधित और औषधीय पौधे *बीज और नर्सरी *जैव प्रौद्योगिकी, टिशू कल्चर *जैव कृमिनाशी *जैविक खाद्य पदार्थ *उत्पादों का बुनियादी प्रसंस्करण *बागवानी हेल्थ क्लिनिक/प्रयोगशाला की स्थापना (कृषि/बागवानी के बेरोजगार स्नातकों के लिए) *परामर्शदात्री सेवाएं *मधुमक्खी पालन	*25 लाख रुपये प्रति परियोजना की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 20% से अनधिक पार्श्वांत पूंजी राजसहायता/पूर्वोत्तर/ जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राजसहायता की अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 30.00 लाख रुपये होगी।

स्कीम/परियोजना का नाम	घटक	सहायता का प्रतिमान
ii) कटाई पश्चात् प्रबंधन/ प्रसंस्करण संबंधित	*ग्रेडिंग/वॉशिंग/सॉर्टिंग/ड्राइंग/पैकिंग केंद्र	
	*पूर्व-शीतन यूनिट/शीतागार	
	*रेफर वेन/कन्टेनर	
	*विशेष परिवहन वाहन	
	*खुदरा बिक्री केन्द्र	
	*नीलामी प्लेटफोर्म	
	*मार्किट यार्ड/रोप वेज	
	*प्रसंस्करण यूनिट/विकिरण यूनिट/वी.एच.टी. यूनिट	
	*बागवानी में सहायक उद्योग जैसे औजार, उपस्कर, प्लास्टिक, पैकेजिंग आदि	
	*क्रेट, कार्टून, एसेप्टिक पैकेजिंग और नेट (50% राजसहायता)	

II. **बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों और भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम**

घटक

नियंत्रित वातावरण और संशोधित वातावरण सहित शीतागारों, भण्डार, पूर्व-शीतन यूनिट और प्याज आदि के लिए अन्य भण्डार

सहायता का प्रतिमान

स्कीम के अंतर्गत पात्र संगठनों को पार्श्वांत पूंजी निवेश राजसहायता परियोजना लागत के 25% की दर से दी जाती है—जो प्रति परियोजना 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति परियोजना 60 लाख रुपए की सीमा तक परियोजना लागत के 50% की दर से दी जाती है।

III. **बागवानी प्रवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण**

*नई प्रौद्योगिकियां लागू करना	*उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिए 10 लाख रु./परियोजना तक 100% वित्तीय सहायता और अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए 25.00 लाख रुपए
*प्रगतिशील किसानों का दौरा	*30 किसानों के समूहों के लिए द्वितीय श्रेणी की स्लीपर रेल/साधारण बस किराया और 100 रुपये/दिन/किसान
*भारत/विदेश से विशेषज्ञ सेवाएं	*वास्तविक आधार पर
*प्रौद्योगिकी जागरूकता	*50.000 रुपये/सेमीनार तक
*सेमीनारों का आयोजन/उनमें भाग लेना	*राज्य के लिए 3 लाख रु., राष्ट्रीय सेमीनारों के लिए 5 लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपये
*उद्यान पंडित	*1.50 लाख रुपये
*प्रचार	*गुण-दोष के आधार पर
*प्रेक्षण-सह-अध्ययन दौरे (विदेश)	*वास्तविक आधार पर
*प्रभावी प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु वैज्ञानिकों को मानदेय	*5 विशेषज्ञ/परियोजना तक प्रत्येक विशेषज्ञ हेतु 20,000/-रुपये तक

पात्र संगठन

उपर्युक्त स्कीमों के तहत पात्र संगठनों में गैर-सरकारी संगठन, उत्पादक संघ व्यक्ति, साझेदार/मालिकाना हक वाले फर्म कम्पनियां, निगम, सहकारी समितियां, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगम/समितियां, कृषि-उद्योग निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और संबंधित अन्य अनुसंधान और विकास संगठन शामिल होंगे। व्यक्ति, राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा संबंधित अन्य अनुसंधान और विकास संगठन, शीतागार पूंजी राजसहायता स्कीम हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, ''व्यक्तियों'' को उन मामलों में जहां बैंक/एफ.आई. वित्त पोषण शामिल हैं, केवल प्याज के भण्डारण के लिए पात्र संगठन के रूप में शामिल किया जाता है।

विवरण-II

गुजरात राज्य में वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वित स्कीमों और स्वीकृत वित्तीय सहायता का ब्यौरा

i) उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास

(लाख रुपये में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	पात्र राजसहायता स्वीकृत
2001-02 से 2003-04	222	938.00

ii) बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों और भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम (नाबार्ड/एन.सी.डी.सी./एन.एच.बी.)

(लाख रुपये में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मी. टन)	पात्र राजसहायता स्वीकृत
2001-02 से 2003-04	173	148402	1261.6

iii) बागवानी प्रवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	पात्र राजसहायता स्वीकृत
2001-02 से 2003-04	9	11.54

यूरिया की खपत

1569. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में यूरिया की प्रति एकड़ खपत कितनी हैं;

(ख) खपत का यह स्तर इसकी खपत के राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक अथवा कम है; और

(ग) इस संबंध में संतुलन को बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्ष 2000-01 सकल फसली क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान यूरिया की प्रति हैक्टेयर खपत 49.07, 40.22, 35.78 और 10.10 कि.ग्रा. आंकी गई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर क्रमश: 102.60, 106.50, 98.89 और 106.96 कि.ग्रा. होना आंका गया है। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में यूरिया की प्रति हैक्टेयर खपत राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार यूरिया की खपत का राष्ट्रीय औसत निम्नलिखित कारणों से राज्य में बरकरार नहीं रखा जा सकता:—

(i) सिंचित क्षेत्र सीमित हैं।

(ii) जैव कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिकतम प्रयास किए गए हैं।

(iii) अधिकतम क्षेत्र तिलहन और दलहन से कवर किए गए हैं जिसमें कम यूरिया की खपत होती है।

(iv) राज्य में उर्वरक के संतुलित प्रयोग का प्रचार करना।

प्रिंट मीडिया उद्योग में ठेका रोजगार

1570. श्री सुनील खां:

श्रीमती पी. सतीदेवी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रिंट मीडिया उद्योग में ठेका श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो प्रिंट मीडिया उद्योग में ठेका रोजगार प्रणाली के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां।

(ख) ठेका श्रम (विनियमन व उत्सादन) अधिनियम, 1970 कतिपय प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करता है और इसमें विशेष परिस्थितियों में ठेका श्रम के उन्मूलन की व्यवस्था की गई है। मुद्रित समाचार माध्यम के मामले में वह राज्य सरकार समुचित सरकार है जिसमें वह इकाई स्थित है। ठेका श्रमिकों के शोषण के खास मामलों की जांच की जाती है और कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और जहां कहीं आवश्यकता हो, संबंधित प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिकों के नियोजन को निषिद्ध करने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है।

पत्रकारों हेतु वेतन बोर्ड

1571. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री एस. अजय कुमार:
श्री निहाल चन्द:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समाचार पत्र उद्योग से सम्बद्ध पत्रकारों और गैर-पत्रकारों हेतु एक नया वेतन बोर्ड गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) मणिसाना वेतन बोर्ड ने जुलाई, 2000 में अपनी सिफारिशें सौंप दी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसे मामूली संशोधन के साथ दिसम्बर, 2000 में लागू करने के लिए अधिसूचित कर दिया था। अत: समाचार पत्र उद्योग के पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए नए वेतन बोर्ड का गठन करना समय पूर्व होगा।

सिन्धु-जल संधि

1572. **चौधरी लाल सिंह:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिन्धु-जल संधि के अनुसार जम्मू-कश्मीर की नदी के जल को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रवाहित करने की अनुमति दी गई और पंजाब की नदियों के जल का पंजाब में उपयोग किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू-कश्मीर में नदियों के जल के और उपयोग के संदर्भ में सिन्धु-जल संधि जम्मू-कश्मीर के लिए अलाभप्रद है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सिन्धु-जल संधि के कारण जम्मू-कश्मीर को होने वाले खर्च/हानि को पूरा करने पर पुनर्विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) सिंधु जल संधि, 1960 के अंतर्गत, पूर्वी नदियों (सतलज, व्यास एवं रावी) का सारा जल भारत के स्वतंत्र उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। जबकि, संधि में निर्धारित किए गए अनुसार पाकिस्तान पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम एवं चिनाब) का सारा जल स्वतंत्र उपयोग करने के लिए प्राप्त करेगा। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर द्वारा 3.6 मिलियन एकड़ फीट (एम.ए.एफ.) के स्वीकृत भंडारण का उपयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार से, वर्ष 2002-03 के दौरान 13,43,477 एकड़ के मूल स्वीकृत सिंचित फसल क्षेत्र में से केवल 8,11,568 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया जा सका।

राजस्थान में प्याज के मूल्यों में गिरावट

1573. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में प्याज के उत्पादन में वृद्धि के कारण इसके मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उत्पादन लागत के आधार पर किसानों को प्याज का बेहतर मूल्य प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा ऋण में डूबे इन किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) 280/-रुपये प्रति क्विंटल के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य पर 5000 मीटरी टन प्याज की अधिप्राप्ति हेतु मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) 11.06.2004 से 10.7.2004 तक चालू करने के लिए अनुमोदित की गई थी जिसे केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) और राज्य एजेन्सी के रूप में राज्यस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (राजफेड) द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।

''स्प्रिंग-समर कॉटन'' बीज का विकास

1574. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ''स्प्रिंग-समर काटन'' बीजों की कीट-मुक्त, गैर-ट्रासजेनिक किस्म विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में विभाग द्वारा सघन क्षेत्रीय परीक्षण किया गया है;

(ग) क्या इस परीक्षण में गैर-कपास उत्पादक क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो परीक्षण परिणामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) बीजों की इस किस्म को किसानों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(च) क्या नए बीजों के विकास से आयातित बीजों पर निर्भरता में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। तथापि, एक जीनप्ररूप विकसित किया गया है, जो गंभीर नाशीजीव के प्रभाव से बचाता है, सिवाय इस पर धब्बेदार बॉलवर्म का बहुत कम प्रभाव देखा गया।

(ख) (i) वर्ष 2002 के दौरान आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली तथा (ii) वर्ष 2003 के दौरान आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली; पी.ए.यू., लुधियाना तथा बुलंदशहर स्थित एस.वी.बी.पी.यू.ए.टी. के अनुसंधान केन्द्रों में खेत परीक्षण किए गए हैं।

(ग) जी, हां। इस जीनप्ररूप पर कृषि विज्ञान केन्द्र, सुन्दरबनों में स्थित नीमपीठ, पश्चिम बंगाल में स्प्रिंग/समर 2004, में परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) स्प्रिंग/समर, 2002 के दौरान नई दिल्ली में इस जीनप्ररूप की बिनौले की 458 कि.ग्रा./हैक्टर उपज रिकार्ड की गई है। स्प्रिंग/समर 2003 के दौरान इसके बिनौले की नई दिल्ली में 866 कि.ग्रा./हैक्टर; लुधियाना (पंजाब) में 842 कि.ग्रा./हैक्टर तथा बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में 689 कि.ग्रा./हैक्टर उपज रिकार्ड की गई है।

(ङ) इस जीनप्ररूप का अभी भा.कृ.अ.प. की अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के तहत मूल्यांकन किया जाना है। किसानों द्वारा खेती करने के लिए इसकी समग्र मैरिट को इस समन्वित परियोजना में बहु-स्थानिक परीक्षणों के बाद ही जाना जाएगा।

(च) और (छ) इस अवस्था में कोई भी स्पष्ट भविष्यवाणी करना जल्दबाजी हो सकती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडारण निगम में कदाचार

1575. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भंडारण निगम के कार्यकरण में कदाचार के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। गत छ: महीनों में केवल तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

गन्ने का उत्पादन

1576. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान देश में राज्यवार कितनी मात्रा में गन्ने का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार गन्ने के और अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को विशेषकर मध्य प्रदेश के किसानों को और अधिक तकनीकी जानकारी देने के लिए नया कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गन्ना आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों के सतत् विकास (एस.यू.बी.ए.सी.एस.) पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1995-96 में शुरू की गई थी तथा मध्य प्रदेश सहित 21 राज्यों में लागू की गई थी। तथापि अक्तूबर 2000 से राज्यों को और अधिक लचीलापन देने के लिए तथा राज्य की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए 26 अन्य स्कीमों के साथ एस.यू.बी.ए.सी.एस. को कृषि की बृहत् प्रबंधन पद्धति के अधीन मिला लिया गया है। भारत सरकार द्वारा कृषि की बृहत् प्रबंधन पद्धति के लिए राज्यों को निधियां एकमुश्त में आवंटित तथा निर्मुक्त की जाती हैं तथा किसी एक विशेष फसल के आधार पर प्रदान नहीं की जाती हैं। आरंभ में अधिकांश घटकों को भारत

सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 अंशदान के आधार पर सहायता दी गई। अब भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच सहभागिता का विद्यमान प्रतिमान 90:10 आधार पर है। स्कीम का मुख्य जोर किसानों को खेतों पर प्रदर्शन के जरिए उन्नत प्रौद्योगिकी अन्तरण, कृषक प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति, बीज उत्पादन बढ़ाने तथा कृमि संबंधी उपायों आदि पर है।

विवरण

वर्ष 2003-04 में गन्ना का उत्पादन

(उत्पादन 000 मी. टन में)*

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गन्ना
आंध्र प्रदेश	15735
असम	908
बिहार	4533
छत्तीसगढ़	17
गुजरात	10850
हरियाणा	9720
हिमाचल प्रदेश	5
झारखण्ड	136
कर्नाटक	22405
केरल	290
मध्य प्रदेश	2050
महाराष्ट्र	26982
उड़ीसा	722
पंजाब	8000
राजस्थान	317
तमिलनाडु	19773
उत्तर प्रदेश	113061
उत्तरांचल	7651
पश्चिम बंगाल	1268
अखिल भारत	244819

* उत्पादन के आंकड़े 03-06-2004 को निर्गत तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार है तथा राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर इसे बाद में संशोधित किए जाने की आशा है।

लम्बित जल परियोजनाएं

1577. योगी आदित्यनाथ: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भारत और नेपाल के बीच कितनी जल परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके लम्बित होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के पूरे होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाली बाढ़ों को रोकने में सहायता मिलेगी;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर नेपाल सरकार से बात की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जल संसाधन परियोजनाओं पर नेपाल के साथ समय-समय पर विचार विमर्श किया गया है और इस समय निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है:—

1. पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना;
2. सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सन कोसी भंडारण-सह-डाइवर्जन स्कीम;
3. बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना;
4. ऊपरी करनाली जल विद्युत परियोजना;
5. कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना;
6. बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना;

(ख), (घ) और (ङ)

1. पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना:

अधिकांशत: क्षेत्र अन्वेषण पूरे कर लिए गए हैं और नेपाल के साथ लंबित मामलों, जिन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, के समाधान के बाद संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है।

2. सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सन कोसी भंडारण-सह-डाइवर्जन स्कीम:

21 जून, 2004 को पत्रों के आदान प्रदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ, नेपाल में संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना के द्वारा क्षेत्र अन्वेषण शुरू करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। भारत सरकार ने क्षेत्र अन्वेषण शुरू करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 29.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली स्कीम का पहले ही अनुमोदन कर दिया है।

3. बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना:

भारतीय अभिकरण द्वारा क्षेत्र अन्वेषण शुरू करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सिद्धांततः समझौता हो गया है जिसके समझौता ज्ञापन पर भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षर किया जाना है।

4. ऊपरी करनाली जल विद्युत परियोजना:

एन.एच.पी.सी. नेपाल की जल विद्युत नीति के तहत इस परियोजना के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है और इस मामले पर नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

5 एवं 6. कमला और बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना:

इन परियोजनाओं पर नेपाल के साथ विचार-विमर्श चल रहा है हालांकि नेपाली पक्ष यह महसूस करता है कि सामाजिक और पर्यावरणीय कठिनाइयों के कारण ये व्यवहार्य नहीं हो सकतीं। इस मामले पर जून, 2003 में विशेषज्ञों के संयुक्त दल की पांचवीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और इसकी अनुपालना की जा रही है।

(ग) संयुक्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा सन कोसी भंडारण-सह-डाइवर्जन स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर बिहार के लिए बाढ़ नियंत्रण के लाभ की योजना है। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना से उत्तर प्रदेश को आनुषंगिक बाढ़ नियंत्रण लाभ होंगे। ऊपरी करनाली जल विद्युत परियोजना, नदी स्कीम का अपवाह होने के कारण कोई बाढ़ नियंत्रण लाभ होने की योजना नहीं है। जहां तक बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना; कमला और बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का संबंध है इन परियोजनाओं के संबंध में नेपाल के साथ समझौता होने के बाद ही परियोजना के क्षेत्र की पुष्टि की जा सकती है।

[अनुवाद]

ताजमहल का विकास

1578. श्री राज बब्बर: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन दृष्टिकोण से ताजमहल को विकसित किए जाने की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों के दौरान इस स्थल पर आने वाले विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक स्थल का दौरा करने के लिए विदेशी और घरेलू पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजमहल का भ्रमण करने वाले विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:—

वर्ष	भारतीय	विदेशी
2001	19,77,485	2,49,267
2002	15,90,304	1,71,035
2003	16,03,942	2,50,716

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार, भारत और विदेशों में, भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से तथा विदेशों में स्थित संभाव्य पर्यटन मार्केटों में केन्द्रीयकृत मीडिया अभियान चलाकर, देश में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों सहित गंतव्यों का संवर्धन करता है।

[हिन्दी]

देव शरीफ की पर्यटक-स्थल के रूप में पहचान

1579. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बाराबंकी स्थित देव शरीफ तीर्थस्थल का विकास पर्यटन स्थल के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटक/तीर्थ स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे विचार-विमर्श और आपसी सम्पर्क से अभिनिर्धारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास और उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास और वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

उत्तर प्रदेश सरकार से अब तक, बाराबंकी में तीर्थ केन्द्र के रूप में देव शरीफ के विकास के लिए, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

खतरनाक कचरे का निपटान

1580. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में विशेषकर दिल्ली में निजी कम्प्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से उत्पन्न होने वाले कचरे का निपटान इनके निपटान को शासित करने वाले कानूनों की अनुपस्थिति के कारण पर्यावरण अनुकूल तरीके से नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक उद्योग 2003 में यथा संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियमों की अनुसूची 1 में शामिल है। इसलिए इन उद्योगों के अपशिष्टों का इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निपटान किया जाना अपेक्षित है। चूंकि इस समय दिल्ली सहित देश में ऐसे अपशिष्टों के पुनर्चक्रीकरण की आधुनिक सुविधा उपलब्ध नहीं है अत: पर्सनल कम्प्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उत्पादों के अपशिष्टों का एकत्रीकरण एवं पुनर्चक्रीकरण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट सहित प्रभागीकरण, वर्गीकरण और निपटान पद्धति और पर्यावरण पर इलेक्ट्रानिक तथा इलेक्ट्रानिक उत्पादों के अपशिष्टों के प्रभाव की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्ययन प्रारंभ किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक अपशिष्टों का पर्यावरण के अनुरूप प्रबन्धन करने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु विनियामक एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संघों, विशेषज्ञों तथा री-साइक्लर्स को मिलाकर एक कार्य दल का गठन भी किया गया है।

नाजुक पारिस्थितिकीय व्यवस्था का संरक्षण

1581. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम और नागालैंड की सीमावर्ती पाटकाई पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर खुले मुहाने की खानों से खनन कार्य होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकीय व्यवस्था के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में लघु सिंचाई हेतु सहायता

1582. श्री रघुनाथ झा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को लघु सिंचाई, नलकूपों और उथले नलकूपों हेतु कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): बिहार सरकार को लघु सिंचाई, ट्यूबवेलों और उथले ट्यूबवेलों के लिए सहायता, योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय द्वारा दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई कुल सहायता नीचे दी गई है:—

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु सिंचाई, ट्यूबवेलों तथा उथले ट्यूबवेलों के लिए योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	वर्ष	स्कीम का नाम	30% सब्सिडी वितरण सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता की राशि	योजना आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की श्रेणी
1.	2001-02	मिलियन शेलो ट्यूबवेल्स कार्यक्रम	25.50 करोड़	योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत
2.	2002-03	मिलियन शेलो ट्यूबवेल्स कार्यक्रम	30.00 करोड़	—वही—
3.	2003-04	मिलियन शेलो ट्यूबवेल्स कार्यक्रम	144.57	राष्ट्रीय सम विकास योजना, योजना आयोग, भारत सरकार
	कुल		200.07 करोड़	

2. कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता

केन्द्र प्रायोजित स्कीम "पूर्वी भारत में बढ़ते फसल उत्पादन का खेत सम्बन्धी जल प्रबन्धन-2002-03" के अन्तर्गत बिहार को उपलब्ध कराई गई सहायता निम्नानुसार है:—

वर्ष	उपलब्ध कराई गई सहायता
2002-03	3.2465 करोड़
2003-04	2.6987 करोड़
कुल	5.9452 करोड़

इस स्कीम के तहत 4 घटक हैं अर्थात् (i) पम्पिंग सेट के साथ उथले ट्यूबवेलों (एस.टी.डब्ल्यू.) का निर्माण (ii) लिफ्ट सिंचाई स्थलों (एल.आई.पी.) (iii) इलेक्ट्रिक/डीजल पम्पिंग सेटों का वितरण और (iv) पठारी क्षेत्रों में डग वेलों का निर्माण।

ई.एस.आई. अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सों के रिक्त पद

1583. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सकों/नर्सों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में चिकित्सकों और नर्सों के कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सकों और नर्सों के रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं औषधालयों में डॉक्टरों तथा नर्सों के क्रमश: 9916 एवं 6864 संस्वीकृत कुल पदों में से डॉक्टरों के 2204 और नर्सों के 1015 पद रिक्त थे।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे संस्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई करें। अभी तक स्टाफ की भर्ती नियमित आधार पर की जाती है, उन्हें यह परामर्श दिया गया है कि वे रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरें।

नकली मिनरल वॉटर की बिक्री

1584. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से उपचारित नलके के पानी की मिनरल लॉटर के रूप में बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो हाल में कई कंपनियों को ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि नकली मिनरल वॉटर की बोतलें बाजारों में न पहुंच सकें, क्या ठोस योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल और पैकबंद पेयजल को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 759 (अ) तथा सा.का.नि. 760 (अ) के जरिए 29 मार्च, 2001 से भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के तहत लाया गया था। इन अधिसूचनाओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो चिह्न के बिना पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल और पैकबंद पेयजल के विनिर्माण, बिक्री अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। अत: ऐसे विनिर्माताओं द्वारा बोतलबंद जल की बिक्री करना खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अवैध और अप्राधिकृत है जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न लाइसेंस नहीं है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत उक्त प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी जिम्मेदार हैं।

(ख) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो अपनी परीक्षण और निरीक्षण तथा निगरानी निरीक्षण की स्कीम के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि पैकबंद पेयजल/पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल के लिए इसके सभी लाइसेंसधारी संगत भारतीय मानकों में निर्धारित विनिर्देशनों का कड़ाई से अनुपालन करें। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जब भी कोई कमी पाई जाती है, तो लाइसेंसधारी को "स्टॉप मार्किंग" के अंदर रखा जाता है जिसका मतलब यह है कि पैकबंद पेयजल/पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल का तब तक विनिर्माण न किया जाए जब तक लाइसेंसधारी द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही न की जाए। आई.एस.आई. चिह्न के बिना बोतलबंद जल के विनिर्माताओं के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। यदि कोई पैकबंद पेयजल/पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल नकली आई.एस.आई. चिह्न लगाकर बाजार में सप्लाई किया जाता है तो ऐसे उत्पाद के विनिर्माता के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। पैकबंद पेयजल/पैकबद प्राकृतिक खनिज जल का अनिवार्य प्रमाणन लागू होने से लेकर अब तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 61 तलाशी और जब्ती आपरेशन चलाए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001 से पैकबंद पेयजल पर आई.एस.आई. चिह्न के दुरुपयोग के मामलों का ब्यौरा

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 30.6.2004 तक
आंध्र प्रदेश		1	11	4
बिहार				
चंडीगढ़				
छत्तीसगढ़		1		
दमण				
दिल्ली	2		1	
गुजरात	4	2		1
हरियाणा		1	1	
झारखण्ड				
कर्नाटक			2	
केरल				1
महाराष्ट्र			2	
मध्य प्रदेश			4	
उड़ीसा			1	
पंजाब				
राजस्थान				
तमिलनाडु			7	
उत्तर प्रदेश	1	2	9	2
उत्तरांचल				
पश्चिम बंगाल			1	
योग	7	7	39	8

वन भूमि पर कब्जा

1585. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनुष्यों द्वारा वन भूमि पर कब्जा करना पशु प्रजातियों के लुप्त होने का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इससे अवगत है कि अवैध रूप से वन भूमि पर कब्जा करने वालों की संख्या वर्ष 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) वन भूमियों पर अतिक्रमण के साथ वनों पर जैविक दवाब बढ़ता है। यद्यपि अतिक्रमण, पशु प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण नहीं है तथापि यह निश्चित रूप से

वनस्पतिजात और प्राणिजात को विलुप्त होने के लिए प्रहार्य बनाता है।

(ख) से (घ) विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में लगभग 14.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र अतिक्रमण के अंतर्गत है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों के साथ परामर्श के बाद सितम्बर 1990 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों को समयबद्ध तरीके से वन भूमियों से अपात्र अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखल करने के लिए 3 मई, 2002 को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से बेदखली प्रक्रिया का उच्चतम स्तर तक मानीटर करने का अनुरोध किया गया है और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने पर जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा है। विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान अब तक लगभग 1.52 लाख हैक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाए गए हैं।

कृषकों को राशन से मनाही

1586. श्री पी. करुणाकरन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से गरीब कृषक एवं कृषि श्रमिकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लागू होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार और श्रेणी-वार राशन कार्ड के लिए मना किये गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) गरीब कृषकों को दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वंचित वर्गों को खाद्य की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए एक समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। भारत सरकार के अनुदेश किसी वास्तविक भारतीय नागरिक को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्ड जारी करने से नहीं रोकते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम के लाभार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संशोधन और सुधार करने के लिए दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी जिसके तहत प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न अत्यधिक राज-सहायता प्राप्त दरों—2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल देने का प्रावधान किया गया। अप्रैल, 2000 से जारी की जाने वाली मात्रा में वृद्धि करके इसे 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना, जिसमें प्रारंभ में एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को कवर किया गया था, का जून, 2003 में विस्तार किया गया है ताकि इसमें 1.5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को कवर किया जा सके। 50 लाख अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, विशेष रूप से जो भुखमरी की कगार पर हैं, को कवर करने के लिए इसका पुन: आगे विस्तार किया जा रहा है। समाज के कमजोर तबके के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन भी खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) सरकार के पास इस समय सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समाज के कमजोर तबकों अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों जिन्हें अत्यधिक राजसहायताप्राप्त दरों पर खाद्यान्न दिया जा रहा है, को लक्षित करते हुए जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। "सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली" को लागू करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने उद्देश्य से भटक जाएगी।

गोदामों की कमी

1587. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि सरकारी गोदामों में 30 लाख टन से अधिक खाद्यान्न गोदामों की कमी, रख-रखाव में कुप्रबंधन और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से खराब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन भूमि का हस्तांतरण

1588. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपयोगी उद्देश्यों हेतु राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों को वन भूमि के हस्तांतरण से संबंधित नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि के हस्तांतरण का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) नीति यह है कि वन भूमि को मात्र विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आसानी से उपलब्ध संसाधन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि उसे राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के रूप में लिया जाना चाहिए जिसे पूरे समुदाय को सतत् लाभ उपलब्ध करवाने के लिए उचित रूप से बचाने की आवश्यकता है। किसी भी गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों एवं लाभों को ध्यान में रखते हुए बेहद सावधानीपूर्वक जांच करने पर ही किया जाना चाहिए। वन भूमि का ऐसा वनेतर प्रयोग करने वाली परियोजनाओं द्वारा कम से कम पुनरुद्धार, पुनर्वनस्पतिकरण, प्रतिपूरक वनीकरण, पुनर्वास एवं अन्य पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के लिए अपने निवेश बजट से निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस नीति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों और सार्वजनिक उद्यमों सहित विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों के वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों की जांच करती है और उन पर निर्णय लेती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पक्षियों की प्रजातियों का विलुप्त होना

1589. श्री सुरेश चन्देल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बे नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी और बर्ड लाईफ इंटरनेशनल ने भारत में पक्षियों की प्रजातियों के तेजी से विलुप्त होने के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निकायों ने इस ओर भी संकेत दिया है कि पिन हेड बत्तख, जंगली उल्लू, जुरडोन्स कुर्सुर, हिमालयी पहाड़ी बटेर, सारस क्रेन और गिद्दों की दो प्रजातियां भी विलुप्त होने के कगार पर है और इन्हें संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो उनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) हाल के वर्षों में पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। मुम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बी.एन.एच.एस.), बर्ड-लाइफ-इण्टरनेशनल तथा अनेक अन्य संगठन भारत में कई पक्षी प्रजातियों की संख्या में कमी होने के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। गुलाबी सिर वाली बत्तख (पिंक हैडेड डक्क) तथा हिमालयन माउंटेर क्वेल को अंतिम बार क्रमश: 1935 और 1876 में देखा गया था, इसलिए इन्हें विलुप्त माना जाता है। देश के कई हिस्से में गिद्दों की तीन प्रजातियों अर्थात् व्हाइट बैक्ड, लोंग बिल्ड तथा स्लैंडर बिल्ड की संख्या में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

(ग) जी, हां।

(घ) जुरडोन्स कुर्सुर, फारेस्ट स्पाटेड उल्लू, सारस-क्रेन और गिद्धों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:—

(i) गिद्दों की सुरक्षा की स्थिति को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV से अनुसूची I में शामिल करके उसे अपग्रेड किया गया है जिसमें अधिनियम के तहत इन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ii) वन्यजीवों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के महत्वपूर्ण वासस्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को भी 'रामसर क्षेत्र' तथा 'विश्व' के प्राकृतिक धरोहर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(iii) वन्य जीवों के वासस्थलों का प्रबंधन वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर केवल उन्हें गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है जो वन्यजीवों की बेहतरी के लिए हों।

(iv) विभिन्न प्रजातियों की संख्या की स्थिति संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सहायता देना तथा विभिन्न प्रजातियों के स्वस्थाने तथा स्थान बाह्य संरक्षण के लिए रणनीतियां तैयार करना।

(v) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना, 2002-16 तथा वन्यजीव संरक्षण रणनीति, 2002 तैयार की गई है तथा इन्हें जनवरी, 2002 में अपना लिया गया है।

(vi) राष्ट्री उद्यानों और अभयारण्यों के प्रभावी रूप से प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(vii) मुम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी ने हरियाणा राज्य के वन विभाग के सहयोग से गिद्दों के संरक्षण पर एक परियोजना शुरू की है। पंचकुला में एक 'वल्चर केप्टिव केयर फेसिलिटी' स्थापित की गई है।

[अनुवाद]

असम की बाढ़ प्रबन्धन योजनाएं

1590. श्री अनवर हुसैन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि असम सरकार केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) के माध्यम से वर्ष 1974 से बाढ़ प्रबन्धन योजना चला रही थी और बाद में इसे बन्द कर दिया;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू योजनाओं को जारी रखने के लिए सी.एल.ए. को पुन: आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 1974-75 से राज्य के योजनागत ढांचे के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई है तथा मार्च, 2000 तक असम को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) के अंतर्गत ऋण के रूप में 390.94 करोड़ रु. और अनुदान के रूप में 10.09 करोड़ रु. जारी किए गए। भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की योजना के कारण केन्द्रीय ऋण सहायता को रोक दिया गया था।

(ग) और (घ) सिक्किम और उत्तर बंगाल सरकार सहित असम तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की सहायता करने के क्रम में भारत सरकार ने गंभीर कटावरोधी/बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को आरंभ करने के लिए 90% केन्द्र के हिस्से और 10% राज्य के हिस्से के साथ 166.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए इस स्कीम को योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया है। उपर्युक्त को देखते हुए केन्द्रीय ऋण सहायता को पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि को बढ़ावा

1591. श्री कैलाश मेघवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में रोजगार सृजन के लिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सरकार का विचार कृषि, जिसमें संबंधित कार्यकलाप भी शामिल हैं, में अधिक निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करके रोजगार के अवसर में विस्तार करने के लिए नीतियां अपनाने का है। वर्ष 2004-05 के केन्द्रीय बजट में अभिवृद्धि क्षेत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित मदों की पहचान की गई है:—

तीन वर्षों में कृषि ऋण को दोगुना करना, सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना और ग्रामीण अवसंरचना में निवेश करना, कृषि बीमा और पशुधन बीमा प्रदान करना, कृषि उत्पाद मण्डियों में सुधार करना और कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देना।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की क्षमता

1592. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी हां।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सामान्य क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के क्रमश: 25 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा क्रमश: 50 लाख रु. और 75 लाख रु. है, की वित्तीय सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेज के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में सरकार ने 8 जुलाई, 2004 को संसद में आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत लाभ की छूट और अगले 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत लाभ की छूट की अनुमति देने की घोषणा की है। डेरी मशीनरी पर 16 प्रतिशत के वर्तमान उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा दिया गया है। मांस, पॉल्ट्री और मछली पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत कर दिया गया है। खाद्य तेल में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32 प्रतिशत से कम करके 16 प्रतिशत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

वैश्विक रोजगार

1593. **श्री महबूब जाहेदी:**

श्री डी. विट्टल राव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वैश्विक रोजगार व्यापार 2004 संबंधी आई.एल.ओ. की रिपोर्ट की और गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत के संबंध में इस रिपोर्ट में क्या टिप्पणी की गई है;

(ग) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट से सहमत है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए सुधारात्मक कदम अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में भारत के संबंध में मुख्य टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- दक्षिण एशिया क्षेत्र में श्रम बाजार के लिए समग्र सम्भावनाएं काफी हद तक भारत के निष्पादन पर निर्भर करती हैं, जिसका क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 80 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एक चौथाई योगदान कृषि क्षेत्र का है जो लगभग 70 प्रतिशत श्रम बल को रोजगार प्रदान करता है।
- अन्य मुख्य मुद्दों में बेरोजगारी के उच्च स्तर, जीवन यापन के लिए विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मजदूरी न मिलने की अधिक घटनाएं, श्रम बल की बढ़ती संख्या और विश्व के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले शिक्षा का निम्न स्तर शामिल हैं।

(ग) से (ङ) यह रिपोर्ट विश्व के आठ राज्यों में श्रम बाजार एवं रोजगार प्रवृत्तियों की स्थिति को प्रदर्शित करती है। सरकार ने रिपोर्ट की टिप्पणियों को नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

झारखण्ड में धान का उत्पादन

1594. **श्री सूरज सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखण्ड राज्य में धान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप इस राज्य में धान की फसल की उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार झारखण्ड सहित देश में चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल (आई.सी.डी.पी.-चावल) पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित करती रही है। राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर लचीलापन प्रदान करने के लिए इस स्कीम को अक्तूबर 2000 से बृहत् कृषि प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों की कार्ययोजनाओं के अनुसार उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, संकर चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, खेतों पर प्रदर्शन के जरिए समेकित कृमि प्रबंधन के प्रचार-प्रसार, महिलाओं सहित कृषक प्रशिक्षण: इलैक्ट्रोनिक मीडिया और प्रकाशित साहित्य के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण; कृषि उपकरणों; स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना; किस्मीय प्रतिस्थापन; प्रमाणित बीजों के उत्पादन आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन भी किए जाते हैं। इसके साथ ही झारखण्ड सरकार ने राज्य में धान का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान बीजों के आदान-प्रदान, अधिक उपज देने वाली किस्मों के धान के बीजों के उत्पादन तथा तीन बीज ग्रामों की स्थापना के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य में धान की उत्पादकता 1850 कि.ग्रा./हैक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

जमशेदपुर में होटल प्रबंधन संस्थान

1595. **श्री बाबूलाल मरांडी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड के जमशेदपुर में होटल प्रबंधन संस्थान खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित समय अवधि क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने होटल प्रबंध संस्थान की शीघ्र स्थापना के लिए, निश्चित औपचारिकताएं पूरी करने और सरलीकरण हेतु मिश्रित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, झारखण्ड सरकार से अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

पर्यटन सूचना केन्द्र

1596. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश और विदेश स्थित भारतीय पर्यटन सूचना केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस पर्यटन केन्द्रों को पुन: सक्रिय करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशों में कार्यरत कुछ पर्यटन सूचना केन्द्र बंद कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पर्यटन विभाग के भारत में 20 भारत पर्यटन कार्यालय और विदेशों में 13 भारत पर्यटन कार्यालय हैं।

(ख) और (ग) ये कार्यालय अपेक्षित कार्यों को सक्रिय रूप से पूरा कर रहे हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) कुछ कार्यालय, सरकार द्वारा लिए गए पुनर्संरचना कार्य निष्पादन के एक भाग के रूप में, वर्ष 2002 में बंद कर दिए गए थे।

व्यय का इष्टतम उपयोग

1597. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक व्यय को कम करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक व्यय को कम करने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) निगम में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है।

(ii) कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने के कारण सीधी भर्ती के अधीन खाली होने वाले दो तिहाई पदों को नहीं भरा जा रहा है।

(iii) समयोपरि भत्ते पर व्यय कम करने के लिए विभिन्न उपाय करना।

[हिन्दी]

बिलासपुर सिंचाई परियोजना

1598. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में बिलासपुर सिंचाई परियोजना के लिए जल मार्ग के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लेने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राजस्थान सरकार से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल करने के लिए 25,041 हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र वाली बीसलपुर पेयं जल-सह-सिंचाई परियोजना (फेज-I) को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत इस परियोजना को शामिल किया जाना, राज्य सरकार द्वारा निर्माणाधीन कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के पूरा करने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

निजी उद्यमों को प्रोत्साहन

1599. श्री किरिप चालिहा: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गन्ने और फलों के प्रसंस्करण द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु निजी उद्यमियों को आकर्षित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निजी उद्यमियों को प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सामान्य क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के क्रमश: 25 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा क्रमश: 50 लाख रु. और 75 लाख रु. है, की

वित्तीय सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेज के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में सरकार ने 8 जुलाई, 2004 को संसद में आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत लाभ की छूट और अगले 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत लाभ की छूट की अनुमति देने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र में रा.कृ.बी.यो. के अंतर्गत बीमा दावों का भुगतान नहीं किया जाना

1600. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य से विशेषत: लातूर और ऊसमानाबाद जिलों से बीमा दावों का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) को महाराष्ट्र में स्कीम के प्रावधानों के अनुसार उचित तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लातूर और ऊसमानाबाद जिलों सहित चार जिलों के मामले में खरीफ 2003 के लिये लम्बित बीमा दावों के शीघ्र निपटान के लिये एक पत्र भेजा है।

महाराष्ट्र के लिये खरीफ 2003 हेतु 11.88 करोड़ रुपये के समतुल्य दावों का पहले ही निपटान किया जा चुका है। लातूर, ऊसमानाबाद, अहमदनगर और सतारा नामक चार जिलों के मामले में दावों के निपटान में विलम्ब हुई है क्योंकि क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी ने इन चार जिलों के दावों में पाई गई कुछ विसंगतियों की वजह से इनकी जांच करवाई है। इस समय इन चार जिलों से संबंधित 80.94 करोड़ रु. के दावों के निपटान का काम पूरा हो चुका है जैसे ही फंड में राज्य सरकार का अंश प्राप्त हो जाता है, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा इन दावों की राशियां निर्मुक्त कर दी जायेंगी।

[हिन्दी]

अमरूद का उत्पादन

1601. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार अमरूद का औसत उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के चैल (कौशाम्बी) में अमरूद का उत्पादन और इसकी उन्नत किस्म के संवर्धन के लिए एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार ये स्थान कहां-कहां हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए पहले ही सर्वेक्षण किए जा चुके जिलों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा उत्पादकों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(छ) क्या अमरूद उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरूद का राज्यवार औसत उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। अमरूद पर अलग से अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कृषि मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने खुसरूबाग, इलाहाबाद में एक बागवानी प्रयोग और प्रशिक्षण केन्द्र की पहले ही स्थापना कर दी है, जो चैल (कोशाम्बी) के पास है। इसके अलावा केन्द्रीय उपोष्ण कटिबंधीय (सबट्रॉपिकल) बागवानी संस्थान, लखनऊ है जिसे अमरूद, आम और अन्य उपोष्ण कटिबंधीय फलों की फसलों पर कार्य करने का प्रमुख अधिदेश प्राप्त है।

(च) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अमरूद उत्पादक किसानों को सहायता दे रहा है : (i) बृहत् कृषि प्रबंध पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्ययोजना के जरिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण (ii) उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

(छ) और (ज) अमरूद उत्पादक प्रमुख राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर बिक्री मूल्य को लाभप्रद माना गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान अमरूद का राज्यवार उत्पादन

(उत्पादन 000 मी.टन में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
बिहार	320.70	324.60	327.50
महाराष्ट्र	177.20	190.10	203.00
कर्नाटक	157.00	153.00	उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश	125.87	128.48	137.49
पश्चिम बंगाल	112.20	121.30	126.94
आंध्र प्रदेश	123.50	118.57	119.34
योग	1016.47	1036.05	914.27

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए अवसंरचना और स्टेडियमों का विकास

1602. श्री अर्जुन सेठी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए दिल्ली और अन्य शहरों में अवसंरचना और स्टेडियमों के विकास हेतु कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए दावेदारी करते समय यह प्रस्ताव किया गया था कि भारतीय खेल प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियां जैसे डी.डी.ए./एन.डी.एम.सी./एम.सी.डी. मौजूदा अवस्थापना का चरणबद्ध तरीके से उन्नयन करेंगी और यमुना खेल परिसर में दो नये स्टेडियमों (एक इंडोर और एक आऊटडोर) का निर्माण किया जाएगा।

इसके बाद यह भी निर्णय लिया गया कि सीरी फोर्ट खेल परिसर में बैडमिंटन कोर्ट को संशोधित करके 1000 अतिरिक्त व्यक्तियों के बैठने की क्षमता प्रदान की जाएगी। तथापि, सीरी फोर्ट खेल परिसर में स्क्वैश कोर्ट के मौजूदा कोर्ट की संरचनात्मक कठिनाईयों को देखते हुए इसे नया बनाया जाएगा।

किसानों का कल्याण

1603. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कितने किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में विशेषकर उड़ीसा में किसानों के कल्याणार्थ क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्यों को ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्यवार/योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं से लाभान्वित किसानों की संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) योजना आयोग लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में कराये गये व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के जरिये राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे आने वाली आबादी का आकलन करता है। वर्ष 1999-2000 (एन.एस.एस. 55वां राउन्ड) में कराये गये ऐसे अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों की संख्या 169.09 लाख है जिसमें से 143.69 लाख व्यक्ति राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में और 25.40 लाख व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बांस के फूल

1604. श्री मणि चारेनामै: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1998 में पूर्वोत्तर राज्यों में बांस के फूल आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बांस की ऐसी प्रजातियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या बांस के फूलों के परिणामस्वरूप कुतरने वाले प्राणियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2003 में कृषि फसलों की बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है और मणिपुर के तमंगलांग जिले में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राहत उपायों पर खर्च की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) अब तक बांस के छिट-पुट फूल निम्नलिखित स्थानों पर देखे गए हैं:—

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान	प्रजाति
1.	मणिपुर	जिला तमंगलांग, चूराचांदपुर, चन्देल और जिनबाम इम्फाल पूर्वी जिला की सब डिवीजन	मेलोकैन्ना बैम्सीफरा, डेण्ड्रो केलामस, हैमिल्टोनी
2.	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम कोमंग जिला लोहित और चांगलांग जिले	डेण्ड्रो केलामस साहनी, डेण्ड्रो केलामस हैमिल्टोनी
3.	नागालैंड	राज्य के सभी जिले दीमापुर, कोहिमा और पेरेन जिले,	डेण्ड्रोकेलाम्ड्र हैमिल्टोनी, मेलोकेन्ना बम्बूसोइड्स,
		जिला कोहिमा	डेण्ड्रोकेलामस, जाइगोण्टयस
4.	मिजोरम	कोलासिब, मामित, आईजोल, चम्फाई, लंगलेई, सार्दिप, सैहा जिले	डेण्ड्रो केलामस हैमिल्टोनी, मोलोकैन्ना वैम्सीफेरा
5.	असम	कारबी, एंगलोग नॉर्थ कछार हिल्स और बरक बैली जिले	मेलोकैन्ना बैक्सीफेरा काको बम्बू
6.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा और धलाई	मेलोकैन्ना बैक्सीफोरा
7.	मेघालय	पश्चिमी खासी हिल ढलाई	डेण्ड्रोकेलामस स्ट्रिक्ट्स

(ग) जी हां। राज्य के तमंगलांग जिले में समस्या अधिक गंभीर है और राज्य सरकार ने इसे एक 'प्राकृतिक आपदा' घोषित किया है।

(घ) समस्या की लगातार मानिटरिंग के लिए मणिपुर की राज्य सरकार ने राज्य स्तर और जिला स्तर दोनों पर एक बहु-अनुशासनिक अंतर-विभागीय टास्क-फोर्स का गठन किया है। डिप्टी कमिश्नर तमंगलांग द्वारा, जिला स्तर के टास्क-फोर्स की अध्यक्षता में, जिले में रोकथाम/उपचारात्मक और राहत कार्य किए जा रहे हैं।

(ङ) राहत कार्यों पर हुए खर्च का विस्तृत विवरण राज्य सरकार से मंगाया जा रहा है।

घटिया गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री

1605. श्री अजीत कुमार सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली की तारें, बोतलबंद पानी, शिशु दुग्ध पाउडर विभिन्न खाद्य रंगों और ज्वैलरी जैसे घटिया किस्म के उत्पाद बड़े बाजारों विशेषकर दिल्ली में प्रवेश कर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या की गंभीरता के आकलन के अतिरिक्त इस अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो उन उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है जिन पर ब्यूरो का मानक चिह्न लगा होता है जिसके लिए ब्यूरो विनिर्माताओं को लाइसेंस मंजूर करता है। ब्यूरो इन उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी फैक्टरी के नियमित निरीक्षणों के जरिए तथा फैक्टरी और बाजार से लिए गए नमूनों के परीक्षण द्वारा करता है। यदि उपभोक्ताओं से मानक चिह्न वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो ब्यूरो शिकायतों को दर्ज करता है तथा उनकी शिकायतकर्ता और विनिर्माता दोनों के यहां जांच करता है। यदि उत्पाद की जांच और परीक्षण के बाद यह सिद्ध होता है कि शिकायत सही है तो ब्यूरो शिकायत के प्रतितोष की व्यवस्था करता है और लाइसेंसधारी के खिलाफ कार्यवाही भी करता है जो चेतावनी हो सकती है अथवा स्टॉप मार्किंग का आदेश या लाइसेंस रद्द करना भी हो सकता है।

(ख) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो को बाजार में उन घटिया सामग्रियों की आपूर्ति की जानकारी नहीं है जिन पर मानक चिह्न न लगा हो और इस संबंध में ब्यूरो कोई सर्वेक्षण नहीं करता। तथापि, जब यह स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉल मार्किंग स्कीम शुरू कर रहा था तब इसने उपभोक्ता कार्यकर्ताओं के सहयोग से दिल्ली सहित

भारत के आठ बड़े नगरों में स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता का सर्वेक्षण किया। आठ शहरों में जोहरियों से लिए गए 120 नमूनों में से केवल 14 नमूने दावाकृत शुद्धता में खरे पाए गए। तदनुसार भारतीय मानक ब्यूरो ने एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के तहत कुछ जौहरियों के खिलाफ मामले दायर किए थे।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

1606. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नियोजक की चूक संबंधी व्यवहार की जांच के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य निधि बकाया के भुगतान की चूक के आधार पर न्यायालय के समक्ष कितने मामले लंबित हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1052 के प्रशासन और अनुपालन में सुधार लाने के लिए उसमें अनेक संशोधनों का प्रस्ताव किया है।

(ग) दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों के समक्ष 49750 अभियोजन के मामले और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/40 के अन्तर्गत 545 मामले लम्बित हैं।

वन सुरक्षा समितियों की स्थापना

1607. श्री रूपचन्द्र मुर्मू: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर वन सुरक्षा समितियों (एफ.पी.सी.) की स्थापना की गई है;

(ख) इन समितियों के क्रियाकलाप क्या हैं और इनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अन्य राज्यों और संघ क्षेत्रों में ऐसी समितियों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) देश की सभी 28 राज्य सरकारों ने संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) की धारणा को अपनाया है जिसके अंतर्गत ग्राम-स्तर की वन समितियों की स्थापना की जाती है।

(ख) ये समितियां वनों की सुरक्षा प्रबंधन और विकास में शामिल हैं। 10-09-2003 को 27 राज्यों की 84,632 समितियों का लगभग 17.33 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र संयुक्त वन प्रबंधन के अधीन था। इसके बाद, मेघालय राज्य सरकार ने भी संयुक्त वन प्रबंधन को अपनाया है और अब तक राज्य में 72 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी हैं।

(ग) जी हां।

(घ) संयुक्त वन प्रबंधन 'केयर एण्ड शेयर' के सिद्धान्त पर आधारित एक स्वयंसेवी अभियान है। संघ शासित प्रदेशों से भी इस कार्यक्रम को स्वीकार करने और ऐसी समितियों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है।

''सायलन्ट वैली'' पर बांध निर्माण के प्रभाव

1608. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''सायलन्ट वैली'' के नजदीक पाथराकडवु पन विद्युत बांध के निर्माण से ''सायलन्ट वैली'' की पारिस्थितीय प्रणाली के बर्बाद होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित बांध ई.आई.ए. की रिपोर्टों की चेतावनियों और उपायों के विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ''सायलन्ट वैली'' की पारिस्थितीय प्रणाली की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा साइलेंट वैली के साथ जुड़े प्रस्तावित पथराकाडवु पन-विद्युत बांध का कोई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मांगने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों द्वारा आत्महत्या

1609. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
डा. रत्न सिंह अजनाला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में जुलाई, 1998 से आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि और रोजगार देने संबंधी वादे की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अवधि के दौरान देश के अन्य राज्यों में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवारों को इसी प्रकार के लाभ देने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में ऐसे प्रभावित परिवारों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में हाल ही के महीनों में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों से प्रभावित प्रत्येक परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50,000 रु. की सहायता देने की घोषणा की है। राज्य सरकार को प्रत्येक ऐसे परिवारों, जिसने अपने जीविका कमाने वाला खो दिया हो, के एक व्यक्ति को जीविका का साधन प्रदान करने के लिए बैंकों के साथ निकट सहयोग से काम करने का निर्देश दिया गया है।

(ख) से (घ) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मानसून पर निर्भर किसान

1610. **श्री डी. विट्टल राव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों की मानसून पर निर्भरता को कम करने और साथ ही सिंचाई के लिए अवसंरचनात्मक विकास हेतु कोई योजना बनाने का; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव है जिसे अस्थायी रूप से "शुष्कभूमि वर्षासिंचित कृषि प्रणाली की सततता में वृद्धि" का नाम दिया गया है। यह स्कीम वैचारिक चरण में है। स्कीम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत विचार किए जा रहे कुछ घटक हैं (i) खेतों पर वर्षा जल प्रबंधन (ii) कुंआ (वेल) रिचार्जिंग प्रणाली (iii) वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली आदि।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि उत्पाद

1611. **श्री चन्द्र शेखर दूबे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि उत्पादों को संदूषित बताया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भारतीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार सस्य-उत्पादों पर चर्श्वा (लेबल) लगाने की अपेक्षाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 तथा माप व तोल (पैकेटबंद जिंसें) मानक नियमावली, 1977 के तहत निर्धारित किये गए प्रावधानों के अनुरूप होती हैं। इस अपेक्षा का निर्धारण विभिन्न सस्य उत्पादों पर प्रत्येक भारतीय मानक के तहत किया जाता है।

भारतीय मानक के अनुसार सस्य-उत्पादों का प्रमाणन स्वैच्छिक प्रकृति का है तथा यह चीनी, टैपिओका, स्टार्च, चाय आदि जैसे कुद उत्पादों तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि तथा संबद्ध जिंसों के गुणवत्ता प्रमाणन के लिये लाइसेंसिंग को समान्य रूप से एगमार्क नियमावली, 1937 के तहत कवल किया जाता है तथा फल और सब्जी उत्पादों को फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत कवर किया जाता है।

[अनुवाद]

संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क में खरगोश और सुअरों को छोड़ना

1612. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**

श्री राजेश वर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण विदों ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क में खरगोश और पालतू सुअरों को छोड़ने के कृत्य का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यहां के तेंदुए नरभक्षी हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसी भी पर्यावरणीय ग्रुप ने संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क में खरगोशों और घरेलू सुअरों को छोड़ने का विरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा तेंदुओं के आतंक को कम करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क के इर्द-गिर्द विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर 34 बाड़े समस्याग्रस्त क्षेत्रों में तेंदुओं को पकड़ने के लिए स्थापित किए हैं। पहली जून, 2004 से अब तक 11 तेंदुओं को पकड़ा जा चुका है।
2. तेंदुओं के हमलों से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है।
3. प्रायोगिक आधार पर 168 घरेलू सुअरों और 10 खरगोशों को पार्क में छोड़ा गया है।
4. गश्ती दल द्वारा समस्याग्रस्त क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सूचना देने के लिए नियमित रूप से गश्ती लगाई जा रही है जिसमें स्थानीय स्वयंसेवी और प्रकृति प्रेमी भी शामिल हैं।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को आश्रय स्थल की पुन: स्थापना और संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

1613. श्री शिशुपाल एन. पाटले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई नयी सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप किसानों की समस्या के कहां तक कम होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के भण्डारा जिले के किसानों के लिए किसी पैकेज की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह पैकेज कब तक दे दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण नई सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और उनका वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। सिंचाई परियोजनाओं से कमान में किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलती है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय सम विकास योजना के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशियेटिव घटक के तहत 132 जिले शामिल किए गए हैं। इन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य धीमी कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी संबंधी समस्याओं को दूर करना और वास्तविक तथा सामाजिक अवसंरचना के गंभीर अंतर को समाप्त करना है। प्रत्येक जिले को तीन वर्षों के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि प्रति जिले/प्रति वर्ष अनुदान के रूप में जारी की जाती है। महाराष्ट्र का भण्डारा जिला बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों में से एक है।

भण्डारा जिले से संबंधित जिला योजना को जनवरी, 2003 में अनुमोदित किया गया और 7.50 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त सितम्बर, 2003 में जारी की गई थी। जिला योजना के तहत खर्च संबंधी विवरण प्राप्त करने के पश्चात् मई, 2004 में 7.50 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त जारी की गई थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना

1614. प्रो. एम. रामदास: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद द्वारा यथा विकसित राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना की वरीयताएं क्या हैं;

(ख) क्या ये वरीयताएं दसवीं योजना में समाहित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी हेतु पता लगायी गयी प्रादेशिक अनुसंधान वरीयताओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना की प्रमुख प्राथमिकताएं आधुनिक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पद्धतियों के प्रयोग, नर्सरी तथा वनीकरण तकनीकों के मानकीकरण, दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के स्रोत सर्वेक्षण, महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों का प्राकृतिक पुनरुद्धार तथा कीटों, नाशी जीवों और रोगों का जैविक पद्धति द्वारा नियंत्रण, मृदा और जल संरक्षण, संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण और दावानल प्रबंधन आदि गतिविधियों द्वारा अवक्रमित वनों की पारि-बहाली करना, काष्ठ तथा अन्य वनोत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि करना है।

(ख) जी, हां।

(ग) दसवीं योजना के दौरान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियां चलाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है:—

(1) कृषि वानिकी प्रजातियों के इलाइट क्लोनों की पहचान करना तथा उनका व्यापक प्रसार करना,

(2) महत्वपूर्ण वनोत्पादों के संबंध में बाजार सूचना,

(3) संयुक्त वन प्रबंधन, बांस और औषधीय पौधों के विकास पर नीति अनुसंधान,

(4) वैल्यु एडिशन/नए उत्पादों और मानकों के संबंध में वनोत्पाद अनुसंधान,

(5) मानव आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके कल्याण के लिए वानिकी सहयोग बढ़ाना।

(घ) इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एण्ड ट्री ब्रीडिंग, कोयम्बटूर द्वारा पांडिचेरी यूनियन टैरिटरी के लिए निर्धारित क्षेत्रीय अनुसंधान प्राथमिकताओं में निम्नलिखित कार्य अधिकार क्षेत्र को शामिल किया गया है:—

(1) जैव विविधता संरक्षण और उपयोग

(2) अवक्रमित वनों की पारि-बहाली

(3) मृदा और जल संरक्षण (एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन सहित)

(4) दावानलों को प्रबंधन

(5) महत्वपूर्ण प्रजातियों का प्राकृतिक पुनरुद्धार

(6) सहभागिता आधारित वन प्रबंधन

(7) प्लांटेशनों का प्रबंधन

(8) काष्ठ विकल्पों का विकास

दक्षिण में पैलेस ऑन व्हीलस

1615. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "पैलेस ऑन व्हीलस" जैसी एक नयी रेलगाड़ी चलाने का है जो दक्षिण के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों से होकर जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिण में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार, आन्ध्र में दक्षिण भारत पर्यटक ट्रेन चलाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की तैयारी कर रही है। पर्यटक ट्रेन का आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्यों को कवर करने का प्रस्ताव है।

(ग) पर्यटन का विकास/संवर्धन मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग भी वार्षिक आधार पर, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। दक्षिण राज्यों सहित, सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चालू वित्त वर्ष के दौरान विचारार्थ विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव भेजें।

श्रम नीति का कार्यान्वयन

1616. श्री तथागत सत्पथी:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम नीतियों के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रुप स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के एक कोर ग्रुप ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दी गई मंत्रालय से संबंधित नीतियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के मानीटरन का कार्य शुरू कर दिया है।

खाद्यान्नों का दुरुपयोग

1617. श्री किन्जरपु येरननायडु:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत छ: महीनों के दौरान किसी राज्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित खाद्यान्नों का और कहीं उपयोग किये जाने तथा इसका दुरुपयोग किये जाने के किसी मामले का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे घपलों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) किसी भी राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित खाद्यान्नों के विपथन और दुरुपयोग को रोकने के लिए अब तक निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) केन्द्रीय गोदामों से उचित दर दुकानों तक और उचित दर दुकानों के परिसर में स्टाक में किए जाने वाले जानबूझकर अपमिश्रण, विस्थापन, विपथन, चोरी आदि को रोकने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे सामाजिक लेखापरीक्षा के उपाय के रूप में उचित दर दुकानों की मानीटरिंग करने के काम में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सक्रिय रूप से शामिल करें।

(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक माडल सिटीजन चार्टर अपनाने के लिए जारी किया गया है।

वृक्षारोपण कंपनियों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण

1618. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर केरल में वृक्षारोपण कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों का संगठित अतिक्रमण करने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों को खाली कराने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) देश में केरल राज्य सहित वृक्षारोपण कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों का संगठित रूप से अतिक्रमण करने का कोई भी दृष्टान्त सरकार के संज्ञान में नहीं आया है। तथापि वृक्षारोपण कंपनियों द्वारा कर्नाटक राज्य में अतिक्रमण के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:—

जिला	कंपनियों की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
कोडागु	4 कंपनियां	217.00
चिकमंगलूर	20 कंपनियां	299.45

इन कंपनियों के विरुद्ध वन अपराध मामले दर्ज किए गए हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना

1619. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान के उन क्षेत्रों में कोई प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है जहां गुलाब की खेती भारी मात्रा में की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान ऐसे उद्योगों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करती है। किन्तु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहनात्मक उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते योजना स्कीमें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। ये स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य या क्षेत्र विशेष। गुलाब का प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत शामिल नहीं है।

(ङ) दसवीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन/विकास हेतु 650 करोड़ रु. की धनराशि दी गई है।

उत्तर प्रदेश में मत्स्यन क्षेत्र के लिए धनराशि

1620. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003-2004 के दौरान मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना, राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना आदि मत्स्य प्रशिक्षण और प्रसार योजना के लिए उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से की धनराशि प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त धनराशि को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। 2003-04 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई केन्द्रीय निधियों का योजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपए में)

(1) मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना (ताजा जल जलकृषि का विकास)	230.00
(2) राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना (मछुआरा कल्याण योजना-आवास)	28.00

(ग) 2003-04 के दौरान मत्स्य प्रशिक्षण और प्रसार योजना (मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार) के अंतर्गत राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय धनराशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि राज्य के पास केन्द्रीय हिस्सेदारी की खर्च न की गई शेष धनराशि के रूप में 13.97 लाख रुपए थे। तथापि, राज्य सरकार से योजना की प्रगति और खर्च न की गई शेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, चालू वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य को केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 20 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

ओगेल ग्लास वर्क्स की भविष्य निधि देयराशियां

1621. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सातारा जिले में ओगेल-वाड़ी स्थित ओगेल ग्लास वर्क्स के कर्मचारी भविष्य निधि देयराशियों को जारी करने के संबंध में भूख हड़ताल पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) ओगेल ग्लास वर्क्स के कर्मचारी अपने भविष्य निधि देयों के समाधान सहित अनेक मुद्दों पर उत्तेजित होकर क्षेत्र के तहसीलदार के कार्यालय के सामने कथित रूप से भूख हड़ताल पर हैं।

(ख) ओगेल ग्लास वर्क्स को जनवरी, 1984 से अंततः बन्द कर दिया गया था। भविष्य निधि बकाया राशि के रूप में 35,18,669/-रुपये की धनराशि का निर्धारण किया गया है और प्रतिष्ठान से देयों की वसूली करने के लिए वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा मांग नोटिस तथा नियोजक को गिरफ्तार करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये हैं। दिनांक 27.12.2002 को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक (लिबिवडेटर) के समक्ष एक दावा भी दायर किया गया था। उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्हापुर द्वारा दिनांक 17.06.2004 को प्रतिष्ठान की अचल संपत्ति अर्थात् भूमि और इमारत की कुर्की कर ली गयी है। प्रतिष्ठान द्वारा जमा करायी गयी धनराशि के आधार पर सदस्यों के दावों का निपटान कर दिया गया है तथा इस समय उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्हापुर में कोई भी दावा निपटान के लिए लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

पर्यटन का विकास

1622. श्री अजीत जोगी:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित राज्यों में पर्यटन का विकास करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राज्यों के लिए कार्य-योजनाएं पर्यटन विभाग द्वारा तैयार नहीं की जाती हैं। तथापि, पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति, छत्तीसगढ़ राज्य समेत, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श द्वारा तथा क्षेत्र दौरों के आधार पर दी जाती है।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, हर प्रकार से पूर्ण, कुल 628 परियोजना प्रस्तावों पर प्रक्रिया की गई और 40916.29 लाख रुपए की राशि के लिए स्वीकृति दी गई। वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान, देश में विभिन्न राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं, स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई निधियों के संबंध में जानकारी प्रदान करता हुआ एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14	1621.85	1221.20
2.	असम	19	1479.09	1127.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	25	1407.80	943.38
4.	बिहार	15	1525.77	1420.24
5.	छत्तीसगढ़	18	1348.00	486.00
6.	गोवा	12	130.99	85.11
7.	गुजरात	21	1423.13	995.25
8.	हरियाणा	31	1673.07	1273.12
9.	हिमाचल प्रदेश	46	1119.28	924.33
10.	जम्मू एवं कश्मीर	11	1054.88	1045.42
11.	झारखण्ड	4	1189.00	798.60
12.	कर्नाटक	28	2089.91	1586.77
13.	केरल	28	2149.94	1750.61
14.	मध्य प्रदेश	39	1589.45	1074.74
15.	महाराष्ट्र	28	2683.49	2426.74
16.	मणिपुर	3	87.68	27.35
17.	मेघालय	10	198.44	83.07
18.	मिजोरम	17	782.11	279.41
19.	नागालैण्ड	14	1113.04	566.93
20.	उड़ीसा	11	505.10	183.07
21.	पंजाब	8	136.50	39.24
22.	राजस्थान	29	2748.51	2512.95
23.	सिक्किम	26	1606.16	1020.68
24.	तमिलनाडु	39	2432.49	1333.89
25.	त्रिपुरा	16	780.70	267.81
26.	उत्तरांचल	10	843.95	662.64
27.	उत्तर प्रदेश	15	1466.54	1258.13

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	32	1148.39	542.97
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	7	25.75	21.75
31.	दादर एवं नगर हवेली	3	11.77	8.31
32.	दिल्ली	37	3875.29	3708.45
33.	दमन व द्वीव	5	319.57	256.96
34.	लक्षद्वीप	1	17.00	5.10
35.	पांडिचेरी	6	331.65	135.83
	जोड़	628	40916.29	30073.64

[अनुवाद]

तिलहन उत्पादन

1623. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न तिलहनों का राज्यवार/तिलहनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004-2005 के लिए विभिन्न प्रकार के तिलहन के उत्पादन के लिए क्या अनुमान है; और

(ग) तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) 2000-01 से 2002-03 के दौरान देश में तिलहनों के उत्पादन का राज्यवार, वर्षवार तथा फसलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2004-05 के लिये विभिन्न प्रकार के तिलहनों के उत्पादन के लिये 262 लाख मी. टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) देश में तिलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये भारत सरकार 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का संबंधी समेकित स्कीम (आइसोपाम) का क्रियान्वयन कर रही है। इस स्कीम के तहत, किसानों को तिलहनों की खेती के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन व वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों के वितरण, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवारनाशी दवाओं के वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट विलायक बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों तथा पानी की पाइपों के वितरण प्रचार-प्रसार आदि के लिये सहायता दी जाती है। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के लिये राज्य कृषि विभागों के जरिये प्रखण्ड प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन और भा.कृ.अ.प. के माध्यम से अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।

विवरण

2000-01 से 2002-03 के दौरान देश में तिलहनों के उत्पादन का राज्यवार, वर्षवार और फसलवार

(हजार मीटरी टन)

राज्य	मूंगफली			सोयाबीन			सूरजमुखी			तिल			रामतिल		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	2142.9	1249.6	820.0	11.8	19.7	41.8	168.0	219.0	276.0	37.2	26.7	18.0	6.0	8.0	6.0
अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	8.0	7.8	4.7	5.0	5.1
बिहार	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	15.8	13.9	18.0	1.8	2.0	2.3	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	32.0	41.7	37.6	6.9	8.7	8.9	0.5	1.2	0.6	4.0	5.7	7.3	13.1	14.3	11.9
गोवा	3.2	2.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	688.6	2646.6	1094.5	5.1	5.1	10.0	0.0	0.0	0.0	98.4	226.6	123.2	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	0.4	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	15.0	8.8	9.0	1.3	1.7	4.2	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.1	0.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	1.9	0.0	0.0	0.0
जम्मू व कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	2.7	0.0	0.0	0.0
झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4	6.0	16.6	16.6	12.0
कर्नाटक	1081.1	585.8	546.0	58.8	40.2	50.0	231.0	262.4	406.0	40.0	27.1	29.0	8.4	7.0	5.6
केरल	2.7	1.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	227.5	243.6	120.8	3431.0	3735.0	2576.1	1.1	1.0	0.9	40.7	40.4	23.0	17.4	21.8	19.1
महाराष्ट्र	470.0	492.2	438.3	1266.2	1385.5	1576.0	175.1	130.7	146.5	30.0	37.4	35.3	13.0	14.5	13.8
मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0
मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	1.6	1.2	1.8	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	1.8	0.0	0.0	0.0

नागालैंड	4.0	1.2	2.5	16.5	25.0	35.0	4.1	2.0	6.0	2.5	4.0	4.5	0.0	0.0	0.0
उड़ीसा	57.5	61.0	48.8	0.0	0.0	0.0	5.0	7.1	3.0	6.7	11.4	7.0	30.0	35.8	40.0
पंजाब	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	11.2	10.5	22.9	7.6	7.8	4.9	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	180.8	297.6	165.8	455.9	715.9	236.4	0.0	0.0	0.0	31.9	103.3	11.4	0.0	0.0	0.0
सिक्किम	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	1358.4	1250.0	977.6	0.0	0.0	0.0	8.4	9.0	8.8	64.6	46.0	31.2	0.0	0.0	0.0
त्रिपुरा	1.3	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	96.4	90.2	48.3	9.2	7.9	0.6	11.0	10.6	9.0	32.1	41.5	19.1	0.0	0.0	0.0
उत्तरांचल	1.5	1.0	1.0	3.0	8.7	13.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.0	0.0	0.0	0.00
पश्चिम बंगाल	53.4	55.7	47.3	0.3	0.3	0.3	0.2	3.3	3.3	92.3	90.8	89.5	3.7	3.6	3.6
दादर व नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पांडिचेरी	2.2	1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0

विवरण

2000-01 से 2002-03 के दौरान देश में तिलहनों के उत्पादन का राज्यवार, वर्षवार और फसलवार ब्यौरा

(हजार मीटरी टन)

राज्य	एरंड			तोरिया-सरसों			कुसुम			अलसी			कुल		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	136.9	83.0	85.2	1.0	1.0	1.0	6.0	6.0	7.0	1.1	1.0	1.0	2510.9	1614.0	1256.0
अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	20.6	23.0	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	28.2	25.6
असम	0.7	1.0	0.7	141.2	137.0	129.8		0.0	0.0	5.3	5.0	5.1	160.0	156.0	148.5
बिहार	0.2	0.1	3.0	84.4	78.1	59.7	0.2	0.4	0.0	28.5	25.6	25.9	131.1	120.2	109.1
छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	16.0	18.7	18.5	0.2	0.1	0.3	15.8	22.2	16.3	88.5	112.6	101.4
गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.5	4.2
गुजरात	639.0	465.1	283.1	230.6	292.1	172.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1661.7	3635.5	1683.1
हरियाणा	0.0	0.0	0.0	554.0	796.0	694.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	570.7	806.9	709.1
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.4	10.1	10.0	6.4
जम्मू व कश्मीर	0.0	0.0	0.0	25.0	38.9	95.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	28.1	41.8	97.7
झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	28.0	28.0	22.0
कर्नाटक	38.9	16.1	14.0	2.0	1.9	1.1	71.6	72.8	54.0	6.4	6.6	6.0	1538.2	1019.9	1111.7
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	3.5	2.1	1.4
मध्य प्रदेश	0.8	0.8	0.6	323.6	459.2	210.3	0.0	0.1	0.1	54.1	62.7	45.2	4096.2	4567.6	2996.1
महाराष्ट्र	4.3	3.1	6.8	1.9	3.0	2.0	122.0	139.0	95.0	16.3	21.0	13.0	2098.8	2226.4	2326.7
मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	1.0
मेघालय	0.0	0.0	0.0	4.7	4.8	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.4	6.4
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	1.8	2.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.1	5.1

नागालैंड	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	17.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	9.0	46.1	53.2	74.0
उड़ीसा	7.0	9.3	7.0	1.7	2.2	1.6	2.0	2.2	1.0	8.0	8.5	6.0	117.9	137.5	114.4
पंजाब	0.0	0.0	0.0	64.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.2	87.4	82.6	92.0
राजस्थान	46.0	66.1	21.9	1312.8	1943.0	1318.3	0.0	0.0	0.0	5.2	3.1	0.6	2032.6	3129.0	1754.4
सिक्किम	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	7.1
तमिलनाडु	8.9	8.0	5.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1440.4	1313.0	1023.3
त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	3.8	4.3
उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.0	945.7	845.4	759.1	0.0	0.0	0.0	50.2	38.4	36.9	1144.6	1034.0	873.0
उत्तरांचल	0.0	0.0	0.0	9.6	7.6	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	17.7	23.0
पश्चिम बंगाल	0.1	0.1	0.0	417.0	336.9	328.5	0.0	0.0	0.0	4.0	4.7	3.7	571.0	495.4	476.2
दादर व नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	3.5
पांडिचेरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.0	2.1

[हिन्दी]

नर्मदा बांध परियोजना

1624. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नर्मदा बांध के निर्माण को वर्ष 1990 तक पूरा कर लिये जाने के लक्ष्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) बांध का निर्माण कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) मुख्य नर्मदा नदी पर दो वृहद नदी घाटी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं अर्थात् जून, 2000 में पूरा किए जाने के लिए निर्धारित मध्य प्रदेश राज्य में स्थित इंदिरा सागर परियोजना (जिसे पहले नर्मदा सागर परियोजना के रूप में जाना जाता था) तथा जनवरी, 1998 में पूरा किए जाने के लिए निर्धारित गुजरात राज्य में स्थित सरदार सरोवर परियोजना (नर्मदा परियोजना)।

(ख) और (ग) इंदिरा सागर बांध का निन्यानबे प्रतिशत से अधिक कंक्रीट कार्य पूरा हो चुका है तथा क्रेस्ट गेटों की संस्थापना सहित बांध को मई, 2005 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। बांध के पूरा होने में हुए विलम्ब का मुख्य कारण राज्य सरकार के सामने आने वाली संसाधनों की कमी है।

सरदार सरोवर बांध को ऊंचाई स्तर 110.64 मीटर तक ऊंचा उठाने संबंधी निर्माण कार्य जून, 2004 में पूरा हो चुका है तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार पूर्ण ऊंचाई तक बांध का निर्माण संबंधी कार्य जून, 2005 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा रिट याचिका तथा पक्षकार राज्यों द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना में हुई देरी इस बांध के पूरा होने में हुए विलम्ब के कारण हैं।

वन अनुसंधान केन्द्रों को वन विश्वविद्यालय का दर्जा

1625. श्री राकेश सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जबलपुर (नीमखेड़ा) में उष्म कटिबंधीय वन अनुसंधान केन्द्र में स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम आरंभ करने की सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या इस केन्द्र का वन विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जबलपुर (नीमखेड़ा) में उष्मकटिबंधीय वन अनुसंधान केन्द्र में स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम आरंभ करने की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.टी. कॉटन की नकली संकर किस्में

1626. श्री दिनशा पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में बी.टी. कॉटन के बीजों की नकली संकर किस्मों के पाये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाओं के मामले प्रकाश में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बी.टी. कॉटन के उत्पादन को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) गुजरात में नकली बी.टी. कॉटन बीजों के उत्पादन के बारे में सूचित किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 61751 कि.ग्रा. नकली बी.टी. कॉटन बीजों को जब्त किया गया है। दिनांक 30.6.2004 तक 12 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में नकली बी.टी. कॉटन बीजों के उत्पादन और बिक्री की अपुष्ट रिपोर्टें मिली हैं। राज्य सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत खतरनाक माइक्रो आर्गनिज्मों/आनुवंशिक रूप से निर्मित आर्गनिज्मों या कोशिका के विनिर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात तथा भण्डारण संबंधी नियमावली 1989 के अंतर्गत नकली बी.टी. कॉटन बीजों के उत्पादकों और विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

(ङ) पर्यावरण तथा वानिकी मंत्रालय में आनुवंशिक निर्माण अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में अब तक वाणिज्यिक खेती के लिए बी.टी. कॉटन के चार संकरों को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नदी-जल विवाद आयोग

1627. श्री अधीर चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों संबंधी एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है ताकि ऐसे विवादों का समाधान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नैफेड

1628. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैफेड ने विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए भारतीय कंपनियों के साथ प्रमुख एजेंसी के रूप में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार और उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 2003-04 और आज की तिथि तक भारतीय कंपनियों की ओर से नैफेड द्वारा कितने मूल्य की कितनी स्थानीय कंपनियां खोली गई हैं; और

(घ) नैफेड द्वारा प्रमुख ऐजेंन्सी के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से अब तक कितना लाभ अर्जित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खेल संघ के लिए अनुदान राशि में वृद्धि

1629. श्री विजय कृष्ण: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खेल संघ के लिए अनुदान राशि में वृद्धि की है और ओलंपिक स्तर पर बिना किसी उपलब्धि के और अधिक वार्षिक विदेशी दौरों को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संघवार कितनी वृद्धि की गयी;

(घ) क्या खेल प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ संघों के कार्यालय उनके अध्यक्षों को आबंटित निवास स्थानों से चलाये जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) 2001 में "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए दिशानिर्देश" की योजना का पुनरीक्षण किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों में खिलाड़ियों के विदेश में प्रदर्शन के अवसर की संख्या में निम्नलिखित वृद्धि की गई है:—

(1) प्राथमिकता श्रेणी में जूनियर टीमें—पूर्ण लागत के साथ एक अतिरिक्त प्रदर्शन का अवसर।

(2) सामान्य श्रेणी में जूनियर टीमें—एक पूर्ण लागत और एक हवाई यात्रा व्यय की तुलना में पूर्ण लागत के साथ प्रदर्शन के दो अवसर।

(3) प्राथमिकता और सामान्य श्रेणी में सब जूनियर टीमें—पूर्ण लागत और एक हवाई यात्रा व्यय के साथ अतिरिक्त प्रदर्शन का अवसर।

इस वृद्धि का उद्देश्य जूनियर/सब जूनियर रैंकों से ही खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करना है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों/प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए सहायता की मात्रा निम्नानुसार संशोधित कर बढ़ाई गई थी:—

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप: सीनियर, जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए क्रमश: 1.00 लाख रुपए, 2.00 लाख रुपए और 3.00 लाख रुपए से 2.00 लाख रुपए, 4.00 लाख रुपए और 6.00 लाख रुपए।

अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप: विश्व कप/विश्व/राष्ट्रमण्डल/एशियाई चैम्पियनशिप के लिए 5.00 लाख रुपये की बजाय 10.00 लाख रुपये तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए 3.00 लाख रुपये से 6.00 लाख रुपये।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलम्पिक/एशियाई राष्ट्रमण्डल और सैफ खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन के रूप में 20.00 अमरीकी डालर प्रति दिन/प्रति व्यक्ति जेब खर्च भी स्वीकृत किया गया था।

(ग) "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए दिशा-निर्देश" की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए किया गया कुल व्यय क्रमशः 29.75 करोड़ रुपये 34.99 करोड़ रु. और 30.76 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ) जी, हां। ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के जेब खर्च में वृद्धि का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(च) और (छ) जी, हां। तथापि, उन मामलों को छोड़कर, जहां भारतीय खेल प्राधिकरण के परिसरों में कार्यालय किराये पर दिये जाते हैं, खेल परिसंघों को कार्यालय आबंटित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कानून

1630. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को चार महीने के भीतर देश भर की नदियों को नियंत्रण में लेने हेतु कानून बनाने में की गयी प्रगति का ब्यौरा देने के लिए कहा है ताकि उन्हें आपस में जोड़ने में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) "नदियों की नेटवर्किंग" संबंधी रिट याचिका (सिविल) संख्या 512/2002 के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31.10.2002 के अपने आदेश में अभिलिखित किया है कि "याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यदि संविधान की प्रविष्टि 56, सूची-I के तहत कोई कानून बनाया जाता है तो राज्यों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और केन्द्र परियोजना को शुरू करने और उसे समय से पूरा करने की स्थिति में होगा" तथा न्यायालय ने आगे कहा कि 'यह न्यायालय कानून बनाने के लिए संसद को कोई निर्देश नहीं दे सकता लेकिन एटार्नी जनरल ने यह माना है कि सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और, यदि ऐसा सुझाव दिया गया, तो एक उपयुक्त कानून बनाएगी'। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अधिनियमित नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 की ओर ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर न्यायालय ने अभिलिखित किया कि विद्वान एटार्नी जनरल इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए किसी और कानून की आवश्यकता है, इसकी जांच करेंगे। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 26.4.04 के अपने आदेश में निर्देश दिया कि चार महीनों के भीतर दायर किए जाने वाले शपथपत्र में इस न्यायालय के दिनांक 31 अक्तूबर, 2002 के आदेश में उल्लिखित किए गये अनुसार केन्द्रीय कानून का पहलू भी शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) केन्द्र सरकार की पूर्णतः परामर्शी ढंग से देश की नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता की व्यापक समीक्षा करने की योजना है।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

1631. श्री हरिकेवल प्रसादः

श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां अब भी बंधुआ मजदूर हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अनुदान देने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त मामलों में से सरकार के पास लम्बित मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने सूचित किया है कि उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित राज्यों में से केवल छत्तीसगढ़ राज्य माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार अपेक्षित रिपोर्टें नियमित रूप से आयोग को नहीं भेज रहा है।

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों का पालन किया जाए और बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने, मुक्ति और पुनर्वास के संबंध में रिपोर्टें नियमित रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जाएं।

विवरण

पुनर्वास प्रक्रिया के अधीन आने वाले बंधुआ श्रमिकों की राज्यवार संख्या नीचे दर्शाई गई है:

राज्य	पुनर्वास प्रक्रिया के अधीन आने वाले बंधुआ मजदूरों की संख्या
बिहार	223
छत्तीसगढ़	593
झारखण्ड	144
मध्य प्रदेश	338
उड़ीसा	19

घोटालों की सी.बी.आई. द्वारा जांच

1632. श्री राम कृपाल यादव:

श्री बीर सिंह महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. द्वारा हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम में वर्ष 1998 में घोटालों के लगभग सभी मामलों की जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है और उनके पद नाम क्या हैं; और

(घ) उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिन पर आरंभ में आरोप लगाया गया किन्तु बाद में छोड़ दिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1. श्री आर.के. रंगा, तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, हरियाणा

2. श्री एस.सी. वाधवा, सहायक प्रबंधक (लेखा)

3. श्री वीरेन्द्र वालिया, सहायक प्रबंधक (लेखा)

4. श्री रंजीत सिंह, ए.जी.-III (एम.)

5. श्री सुरजीत सिंह पाल, सहायक प्रबंधक (लेखा)

6. श्री ओम नारायण शर्मा, ए.जी.-II (एम.)

(घ) 1. श्री आर.के. रंगा, तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, हरियाणा को विशेष न्यायाधीश, अंबाला की माननीय अदालत द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।

2. श्री एस.सी. वाधवा, सहायक प्रबंधक (लेखा), वीरेन्द्र वालिया, सहायक प्रबंधक (लेखा) और रंजीत सिंह, ए.जी.-III (एम.) को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।

[अनुवाद]

गांजे की खेती

1633. श्रीमती निवेदिता माने:

श्री विजय कृष्ण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में गांजे की अनाधिकृत खेली की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गांजे की ऐसी खेती को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत की जलवायु जंगली और अपने आप उगने वाले गांजा की उपज के लिए अनुकूल है और देश के कुछ भागों में इसकी खेती की जाती है। गांजा की खेती गैर कानूनी कार्यकलाप होने की वजह से इसके आंकड़ों का संकलन नहीं किया जा सकता।

(ग) भारत सरकार ने गांजा की खेती रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। जब कभी भी गांजा की खेती औषध विधि (ड्रग-ला) प्रवर्तन एजेन्सियों के नोटिस में आतो है इसे नष्ट कर दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों में अवैधानिक खेती/जंगली रूप से उगे गांजे के क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार है:—

	2001	2002	2003
एकड़ में क्षेत्र	123	340	2620

नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वह अवैध भांग की खेती के क्षेत्रों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करायें। नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड ने राज्यों से यह भी अनुरोध किया है कि वे अवैध खेती को समाप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव के अधीन समन्वय समिति का गठन करें तथा समन्वित ढंग से नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और नशाखोरी को रोकें।

उड़ीसा में समुद्र-तट का कटाव

1634. श्री भर्तृहरि महताब: : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में केन्द्रपाड़ा जिले के राजनगर के निकट समुद्र-तट कटाव के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारणात्मक कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रहराजपुर (हंसुआ माउथ के निकट) से कैथ अर्थात् राजनगर-गोपालपुर क्षारीय तटबंध के आर.डी. 9.00 कि.मी. से 19.00 कि.मी. तक का तट कटाव से प्रभावित है। इसी भांति, सतभाया के निकट 1.00 कि.मी. की लम्बाई में समुद्री तट पर ज्वारीय प्रभाव के कारण तट कटाव हो रहा है। तट कटाव-रोधी कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा सतभाया क्षारीय तटबंध और राजनगर-गोपालपुर क्षारीय तटबंध का निर्माण कार्य कर लिया गया है ताकि उच्च ज्वार के समय राजनगर क्षेत्र में समुद्री जल/ ज्वारीय लहर के प्रवेश को रोका जा सके। जल संसाधन मंत्रालय ने मार्च, 2004 में समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में समुद्री तट-कटाव रोकने के लिए निर्माण कार्यों की एक केन्द्र प्रायोजित योजना प्रायोगिक आधार पर तैयार की है। इस योजना में केन्द्रपाड़ा जिले के जम्बू में आर.डी. 8.67 कि.मी. से 10.855 कि.मी. तक गोबरी लेफ्ट पर जम्बू क्षारीय घेरी की समुद्री दीवार का निर्माण भी शामिल है जिसकी अनुमानित लागत 3.14 करोड़ रु. है।

धान की फसल को नुकसान

1635. श्रीमती सी.एस. सुजाता:

श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष केरल के कुट्टानाड़ और पलक्कड़ जैसे धान उत्पादक क्षेत्रों में हजारों एकड़ में धान की फसल बर्बाद हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय पैकेज मंजूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) केरल सरकार से 2003-04 में सूखे के कारण धान की फसल को क्षति की रिपोर्ट मिली थी। ऐसे मामलों में राहत सहायता के पैकेज में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रणाली शामिल है। केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष में शेष राशि को समायोजित करने के अधीन सूखा राहत के लिए 49.04 करोड़ रु. तथा 28.53 करोड़ की सहायता राशि अनुमोदित की थी। वर्ष 2003-04 के सूखे के लिये राहत रोजगार हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के विशेष घटक के तहत नि:शुल्क 0.61 लाख मी. टन खाद्यान्न भी राज्य को आबंटित किया गया है। 2004-05 के लिये आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की पहली किश्त जो 30.65 करोड़ रु. के समतुल्य है, केरल राज्य को निर्मुक्त कर दी गई है।

[हिन्दी]

पाम ऑयल के लक्षित क्षेत्र

1636. श्री तूफानी सरोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि हेतु पाम ऑयल के लक्षित क्षेत्र में भारी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कटौती की वजह से खाद्य तेल के आयात में बढ़ोतरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बढ़ोतरी का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। आठवीं और नौवीं योजना के दौरान आयल पॉम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.) के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव के प्रकाश में आयल पॉम के अन्तर्गत क्षेत्र कवरेज हेतु लक्ष्य को नौवीं योजना के दौरान 80,000 हेक्टेयर से कम करके दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 50,000 हैक्टेयर कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन का संवर्द्धन

1637. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में विस्तृत समुद्रतटीय क्षेत्र के बारे में जानकारी है जिसमें पर्यटन संवर्द्धन हेतु पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटक रुचि के स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग द्वारा भी तटीय क्षेत्रों सहित देश में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर परियोजनाओं की मंजूरी दी जाती है। ये परियोजनाएं क्षेत्र के दौरों/संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, तटीय क्षेत्र के विकास से संबंधित, गुजरात राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04 तक) के दौरान, गुजरात राज्य में पर्यटन के विकास के लिए, 1423.13 लाख रुपए की 21 परियोनजाएं स्वीकृत की गई थी।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन परियोजनाएं

1638. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु तिरूपति, श्रीशैलम, कानिगिरी पत्तन, उदयगिरि पत्तन, कोटापतनम समुद्रतट जैसी पर्यटन परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं हेतु अब तक कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत और जारी की गयी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन का विकास और संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर और उनके साथ परामर्श करके, क्षेत्र दौरों के आधार पर धन मुहैया कराता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाएं मुहैया कराई गई हैं:—

(1) उत्पाद अवसंरचना और गंतव्य विकास

(2) पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास

(3) वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता

(ग) ट्रेकिंग उपकरणों और तिरूपति में यात्री निवास के निर्माण के लिए 42.23 लाख रुपए की राशि की दो परियोजनाएं स्वीकृत और रिलीज की गई। श्रीशैलम में यात्रिका के निर्माण के लिए 54.00 लाख रुपए की एक परियोजना स्वीकृत और रिलीज की गई थीं। ये सभी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

दसवीं योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं हैं:—

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	विशाखा उत्सव और इंदूर उत्सव 2002-03	7.50
2.	हैदराबाद में पर्यटन भवन 2002-03	500.00
3.	ग्रामीण पर्यटन के लिए पोचामपल्ली का विकास 2003-04	50.00
4.	कोनासीमा गांव में ग्रामीण पर्यटन 2003-04	50.00
5.	बौद्ध परिपथ के तहत नागार्जुनसागर का विकास 2003-04	500.00
6.	बौद्ध परिपथ के तहत अमरावती का एकीकृत विकास 2003-04	300.00
7.	ऑन लाइन सॉफ्टवेयर के लिए विस्टा सॉफ्टवेयर का विकास 2003-04	22.50
8.	पर्यटक गंतव्यों पर सीडीज का विकास	24.00
	जोड़	1454.00

[हिन्दी]

कार्य के अधिकार को मूल अधिकार बनाना

1639. श्री मोहन सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु कार्य के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) काम के अधिकार को मुख्यत: संसाधनों की सीमितता के कारण संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों को लाने ले जाने में होने वाली हानि

1640. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

श्री काशीराम राणा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों को तौलने के बाद उनकी बुकिंग हेतु रेलवे के पास समुचित व्यवस्था की कमी के कारण खाद्यान्नों को लाने ले जाने में अधिकतम हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे रेल रसीद जारी नहीं करता है और इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की ढुलाई खाद्य मंत्रालय के जोखिम पर की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभाग अपने खर्चों पर ''वेइंग ब्रिजेज'' का निर्माण करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) रेलवे ''कथित माल है की रेल रसीद'' जारी करती है और आमतौर पर वैगन की सील ठीक पाए जाने पर कमियों के बारे में कोई देयता स्वीकार नहीं करती है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने कुछ चुनिंदा स्थानों में अपने खर्चे पर इन-मोशन तौल सेतु लगाने का प्रयास किया है लेकिन प्रचालनात्मक और तकनीकी कारणों से उसे बहुत उत्साहजनक नहीं पाया है।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन

1641. श्री शिवराज सिंह चौहान:

श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन चालू चीनी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्होंने वर्तमान पेराई मौसम में चीनी उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार बंद चीनी मिलों की राज्यवार संख्या क्या है और उनको बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) बंद मिलों को चालू करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) चालू पेराई मौसम के दौरान कितनी चीनी के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्तमान पेराई मौसम 2003-04 के दौरान देश में चालू तथा बन्द चीनी मिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

चीनी मिलों के बन्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अलाभकर आकार, संयंत्र व मशीनरी का पुराना होना तथा उनकी खराब स्थिति, तकनीकी तथा प्रबंधकीय अक्षमता आदि।

(ग) बन्द चीनी मिलों को पुन: आरम्भ करने/जीवनक्षम बनाने की जिम्मेदारी उद्यमी की है। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की रुग्ण चीनी मिलें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) के उपबंधों के दायरे में आती हैं। जब इन मिलों की संचित हानियां नेट-वर्थ के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाती हैं तब उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को लिखना अपेक्षित होता है। यदि बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्स्थापन स्कीमों में इस मंत्रालय से किसी रियायत/राहत की व्यवस्था होती है, तो विद्यमान मार्ग निर्देशों के अनुसार उस पर विचार किया जाता है।

जहां तक सहकारी चीनी मिलों का संबंध है, इस क्षेत्र की संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी मिलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) द्वारा एक समिति गठित की गई है।

(घ) चीनी के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, वर्तमान पेराई मौसम 2003-2004 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान लगभग 138 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है।

विवरण

चीनी मौसम 2003-04 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चालू, बन्द और कुल संस्थापित चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा देने वाला विवरण

राज्य	चालू चीनी मिलें	बन्द चीनी मिलें	कुल संस्थापित चीनी मिलें
	(1)	(2)	(1+2)
1 2	3	4	5
1. पंजाब	22	1	23
2. हरियाणा	15	—	15
3. राजस्थान	1	2	3
4. उत्तर प्रदेश	101	19	120
5. उत्तरांचल	10	—	10
6. मध्य प्रदेश	6	5	11
7. छत्तीसगढ़	1	—	1
8. गुजरात	15	7	22
9. महाराष्ट्र	136	49	185
10. बिहार	10	18	28
11. असम	—	3	3
12. उड़ीसा	4	4	8
13. पश्चिम बंगाल	1	1	2
14. नागालैंड	—	1	1
15. आंध्र प्रदेश	28	14	42
16. कर्नाटक	34	13	47
17. तमिलनाडु	34	4	38
18. पांडिचेरी	1	1	2
19. केरल	—	2	2
20. गोवा	1	—	1
समस्त भारत	420	144	564

[अनुवाद]

मानार्थ सदस्यता

1642. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) ने कतिपय श्रेणी के अधिकारियों को स्वीमिंग पूल हेतु मानार्थ सदस्यता, नि:शुल्क आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मानदंडों के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और उक्त अवधि के दौरान इन होटलों को कितनी हानि हुई है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी सुविधाओं को वापस लेने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) स्विमिंग पूल और हैल्थ क्लब के लिए मानार्थ सदस्यता दिसम्बर 2001 से समाप्त कर दी गई है।

नियमों/शर्तों के अनुसार पदाधिकारियों को मुफ्त आवास दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पदाधिकारियों को दी गई मानार्थ सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है। आतिथ्य उद्योग में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सभी होटलों द्वारा मानार्थ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मुहैया कराई जा रही मानार्थ सुविधाओं के मामले पर जुलाई 2002 में एक जांच की थी।

(ङ) जांच रिपोर्ट बताती है कि बदलते व्यावसायिक वातावरण/प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में जहां विपणन वह शब्द है जिसके अनुसार, कोई भी जो होटलों की निश्चित शर्तों में व्यवसाय करता है, व्यवसाय संवर्धन योनजाओं के एक भाग के रूप में पूर्व नियत मापदण्ड पर निश्चित मानार्थ आतिथ्य के लिए हकदार होना चाहिए। उसी तरह, यह सुनिश्चित करने के लिए, नीति में जिम्मेवारी के तंत्र को समाविष्ट किया जाए कि ऊपर बताए गए होटलों के व्यवसाय संवर्धकों को स्वीकृत मानार्थ के लचीलेपन के बावजूद, व्यक्तिगत पारस्परिक रूचियों के संवर्धन के विचार-विमर्श पर दिए जा रहे आतिथ्य के व्यक्तिपरक दुरुपयोग को माफ नहीं किया जाना चाहिए। जांच रिपोर्ट में कोई हानि नहीं आंकी गई है।

(च) स्विमिंग पूल और हैल्थ क्लब के लिए मानार्थ सदस्यता दिसम्बर 2001 से वापिस ले ली गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा प्रदान की गई मानार्थ सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

एकक का नाम	मानार्थ सुविधाएं								
	2001-2002			2002-2003			2003-2004		
	कुल रूम नाइट्स	स्वीमिंग पूल (पैक्स की सं.)	हैल्थ क्लब (पैक्स की सं.)	कुल रूम नाइट्स	स्वीमिंग पूल (पैक्स की सं.)	हैल्थ क्लब (पैक्स की सं.)	कुल रूम नाइट्स	स्वीमिंग पूल (पैक्स की सं.)	हैल्थ क्लब (पैक्स की सं.)
दिल्ली									
अशोक होटल	47	101	शून्य	119	शून्य	शून्य	185	शून्य	शून्य
सम्राट होटल	73	लागू नहीं	लागू नहीं	57	लागू नहीं	लागू नहीं	113	लागू नहीं	लागू नहीं
जनपथ होटल	72	लागू नहीं	लागू नहीं	50	लागू नहीं	लागू नहीं	132	लागू नहीं	लागू नहीं
राजस्थान									
जयपुर अशोक	20	शून्य	लागू नहीं	77	शून्य	लागू नहीं	13	शून्य	लागू नहीं
भरतपुर अशोक	19	लागू नहीं	लागू नहीं	16	लागू नहीं	लागू नहीं	10	शून्य	लागू नहीं
जम्मू एवं कश्मीर									
जम्मू अशोक	18	शून्य	लागू नहीं	12	शून्य	लागू नहीं	03	शून्य	लागू नहीं
उड़ीसा									
कलिंग अशोक	13	लागू नहीं	लागू नहीं	10	लागू नहीं	लागू नहीं	03	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्नाटक									
एल.एम.पी.एच. मैसूर	35	शून्य	शून्य	14	शून्य	शून्य	10	शून्य	शून्य
बिहार									
पाटलिपुत्र अशोक	35	शून्य	लागू नहीं	46	शून्य	लागू नहीं	52	शून्य	लागू नहीं

टिप्पणी: जहां होटल के पास स्वीमिंग पूल और हैल्थ क्लब नहीं हैं या इन सुविधाओं को लीज पर दिया गया है, उन्हें विवरण में एन.ए. (लागू नहीं) दिखाया गया है।

विरासत और पारिस्थितिकीय पर्यटन

1643. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विरासत और पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक प्रत्येक राज्य द्वारा केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजी गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन नीति तैयार की है और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा पर्यटन व्यवसाय में परिचालित कर दी है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002 में पारिस्थितिकी पर्यटन के संवर्धन और सांस्कृतिक हैरिटेज के संरक्षण और परिरक्षण पर भी अधिक बल दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दक्षिणी सिक्किम में चमचेई में साहसिक और पारिस्थितिकी पर्यटन हेतु भारतीय हिमालयी केन्द्र की स्थापना के लिए, सिक्किम सरकार को 494 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं

1644. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश में स्थापित ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये अस्पताल/औषधालय देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में कामगारों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कामगारों को आपातस्थिति में अन्य अस्पतालों में चिकित्सा सेवा लेने हेतु अधिकृत किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा कामगारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, बीमित कामगारों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) राज्य सरकारों तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रबंधित अस्पतालों और औषधालयों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) बीमित व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए हैदराबाद सहित देश के अधिकांश भागों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या कुल मिलाकर पर्याप्त है।

(घ) और (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल रोगियों को सामान्यत: कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों में अथवा उन अन्य अस्पतालों/क्लीनिकों में जाना होता है जिनके साथ टाइ-अप व्यवस्था की गई है। तथापि, आपातकाल में रोगी सबसे पास के अस्पताल में उपचार करवा सकते हैं।

(च) कामगारों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

1. उपस्करों की उपलब्धता को बढ़ाने तथा नैदानिक तथा क्लीनिकल सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए कार्य योजना बनाई गई है।
2. बीमित व्यक्तियों द्वारा उनके परिवारों को अधिक व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत सी राज्य सरकारों ने विशेषज्ञ अस्पतालों से टाई-अप व्यवस्था की है। ऐसी सेवाओं का आसानी से लाभ उठाने के लिए एक चक्रीय निधि तंत्र की स्थापना की गयी है।
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रत्येक राज्य की सहमति से हर राज्य में एक अस्पताल स्वयं द्वारा चलाए जाने के लिए उसे नियंत्रण में लिया गया है/लिया जा रहा है, ताकि राज्य सरकार को वित्तीय राहत दी जा सके। इन अस्पतालों को बेहतर साज-सामान से सुसज्जित किया जा रहा है और उनकी सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ताकि व्यापक चिकित्सा देख-रेख सेवाएं प्रदान की जा सकें।
4. राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2000-2003 में चिकित्सा देख-रेख व्यवस्था पर प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 600/-रु. से बढ़ाकर वर्ष 2004-2005 में प्रति बीमित परिवार यूनिट 750/-रु. कर दी गयी है।

विवरण-I

योजना के अन्तर्गत व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों की कुल संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2003 की स्थिति के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	567550
2.	असम	33300
3.	बिहार	32900
4.	चण्डीगढ़	29500
5.	छत्तीसगढ़	24100
6.	दिल्ली	561100
7.	गोवा	78150
8.	गुजरात	511700
9.	हरियाणा	399700
10.	हिमाचल प्रदेश	43900

1	2	3
11.	जम्मू एवं कश्मीर	17400
12.	झारखंड	72100
13.	कर्नाटक	724700
14.	केरल	356350
15.	मध्य प्रदेश	185950
16.	महाराष्ट्र	1122250
17.	मेघालय	1500
18.	उड़ीसा	128450
19.	पांडिचेरी	57750
20.	पंजाब	372800
21.	राजस्थान	267450
22.	तमिलनाडु	1104900
23.	उत्तर प्रदेश	460950
24.	उत्तरांचल	21700
25.	पश्चिम बंगाल	652000
	योग	7828150

विवरण-II

31.03.2003 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. अस्पातलों/ औषधालयों की राज्यवार स्थिति

		अस्पताल	औषधालय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	135
2.	असम	1	01
3.	बिहार	3	25
4.	चण्डीगढ़	1	2
5.	छत्तीसगढ़	—	12
6.	दिल्ली	4	43
7.	गोवा	1	9
8.	गुजरात	12	125
9.	हरियाणा	5	68
10.	हिमाचल प्रदेश	1	9
11.	कर्नाटक	9	147
12.	केरल	13	135
13.	मध्य प्रदेश	7	48
14.	महाराष्ट्र	14	64
15.	मेघालय	—	1
16.	उड़ीसा	5	49
17.	पांडिचेरी	1	15
18.	पंजाब	7	70
19.	राजस्थान	5	66
20.	तमिलनाडु	9	187
21.	उत्तर प्रदेश	16	129
22.	उत्तरांचल	—	7
23.	पश्चिम बंगाल	14	37
24.	जम्मू एवं कश्मीर	—	8
25.	झारखंड	3	29
	योग	142	1447

[हिन्दी]

फुटबाल की लोकप्रियता

1645. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा फुटबाल को क्रिकेट की तर्ज पर लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): सरकार फुटबाल के खेल के संवर्धन में अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (ए.आई.एफ.एफ.) के प्रयासों को बढ़ावा देती है। यह विदेशों में प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता; सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन; भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन; शिविरों में उदीयमान फुटबाल खिलाड़ियों को कोचिंग/प्रशिक्षण तथा मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करके किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को खेल मैदानों सहित फुटबाल के मैदान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

रोजगार हेतु योजना

1646. श्री प्रबोध पाण्डा:

श्री गणेश सिंह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं और विभिन्न रोजगार कार्यालयों के अन्तर्गत खर्च की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए गए लोगों की योजनावार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या बेरोजगार लोगों को इन योजनाओं और रोजगार कार्यालयों से पर्याप्त लाभ नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) सरकार के प्रमुख रोजगार सृजन एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों/योजनाओं में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत् वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान केन्द्रीय आवंटन क्रमश: लगभग 14677.81 करोड़ रु., 13523.23 करोड़ रु. एवं 14223.6 करोड़ रु. (अनंतिम) था। रोजगार कार्यालय प्रत्यक्ष रूप से संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। राज्य-वार रोजगार कार्यालय-वार व्यय का ब्यौरा रखा जाता है।

(ख) रोजगार सृजन का योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। रोजगार कार्यालयों द्वारा दिए गए नियोजनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा नियमित रूप से संबंधित योजनाओं की प्रगति का प्रबोधन किया जाता है ताकि बेरोजगार व्यक्ति इन योजनाओं के तहत् लाभान्वित हो सकें।

विवरण-I

वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के तहत् सृजित रोजगार

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष के दौरान सृजित रोजगार (लाख में)		
		2001-02	2002-03	2003-04
1.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), (लाख मानव दिनों में)	5229.78	7482.93	7288.84*
2.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	9.37	8.26	1.96* सितम्बर-03 तक
3.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)	1.03	1.28	0.86
4.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)	2.84	2.72	1.41*
5.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.)	3.43	3.61	4.70*
6.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*अनंतिम

विवरण-II

वर्ष 2001-2003 के दौरान प्रतिवर्ष रोजगार कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले निबंधनों की संख्या

संख्या (हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001	2002	2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.4	4.1	3.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	@	0.1	@
3.	असम	0.9	2.6	0.6
4.	बिहार	0.9	0.4	0.6
5.	छत्तीसगढ़	0.6	1.0	1.6
6.	दिल्ली	@	0.2	0.4
7.	गोवा	0.4	0.8	0.3
8.	गुजरात	69.2	70.6	64.9
9.	हरियाणा	5.4	4.5	4.3
10.	हिमाचल प्रदेश	3.0	2.0	1.3
11.	जम्मू व कश्मीर	8.0	@	@
12.	झारखंड	4.3	1.1	8.6
13.	कर्नाटक	4.1	2.9	2.9
14.	केरल	15.1	10.4	7.3
15.	मध्य प्रदेश	2.7	1.8	1.9
16.	महाराष्ट्र	12.1	8.3	14.0
17.	मणिपुर	—	@	@
18.	मेघालय	0.1	0.2	@
19.	मिजोरम	@	@	0.3
20.	नागालैण्ड	0.1	0.1	0.2
21.	उड़ीसा	2.2	2.4	1.8
22.	पंजाब	2.2	1.7	3.2
23.	राजस्थान	1.1	1.1	2.3
24.	सिक्किम*			

1	2	3	4	5
25.	तमिलनाडु	17.4	9.7	18.9
26.	त्रिपुरा	1.1	0.9	0.7
27.	उत्तरांचल	0.8	2.1	1.8
28.	उत्तर प्रदेश	3.2	3.0	2.6
29.	प. बंगाल	10.0	7.7	9.3
	केन्द्र शासित राज्य			
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.3	0.9	0.4
31.	चण्डीगढ़	1.0	0.6	0.5
32.	दादरा व नगर हवेली	@	0.3	—
33.	दमन व दीव	@	@	@
34.	लक्षद्वीप	@	@	0.1
35.	पांडिचेरी	0.4	1.1	0.4
	योग	169.2	142.6	154.9

स्त्रोत: रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

टिप्पणी: @ आंकड़ें 50 से कम

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़ें योग से मेल न खाएं।

[हिन्दी]

खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

1647. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

श्री रूपचन्द मुर्मू:

डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने राज्यों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में खेलकूद के विकास हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान युवक और खेल कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को जारी की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण-I संलग्न है।

(घ) सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(ङ) विभिन्न युवा एवं खेल कार्यक्रमों के लिए उपर्युक्त चार राज्यों को जारी की गई निधि संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

(ख) और (ग) खेलों के संवर्धन के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति।

1. खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

राज्य	वर्ष	प्रस्तावों की संख्या				
		प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	कमियां पाई गई तथा कमियां सूचित कर दी गई	जारी किया गया अनुदान (रु. में)
मध्य प्रदेश	2001-02	9	1	4	4	58,83,000
	2002-03	15	6	1	8	62,40,000
	2003-04	11	3	2	6	1,52,27,000
महाराष्ट्र	2001-02	26	7	12	7	1,00,00,000
	2002-03	5	शून्य	2	3	1,65,00,000
	2003-04	19	3	5	11	2,38,43,00
उत्तर प्रदेश	2001-02	8	5	3	शून्य	32,58,000
	2002-03	11	3	1	7	16,29,000
	2003-04	11	5	2	4	46,94,000
पश्चिम बंगाल	2001-02	4	4	शून्य	शून्य	10,00,000
	2002-03	33	28	शून्य	5	28,00,000
	2003-04	1	शून्य	शून्य	1	20,07,000

2. सिंथेटिक सतह बिछाने हेतु अनुदान

राज्य	वर्ष	प्रस्तावों की संख्या				
		प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	कमियां पाई गई तथा कमियां सूचित कर दी गई	जारी किया गया अनुदान (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	2001-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
	2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
	2003-04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	2001-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
	2002-03	1	1	शून्य	शून्य	50,00,000
	2003-04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
उत्तर प्रदेश	2001-02	2	2	शून्य	शून्य	—
	2002-03	1	शून्य	शून्य	शून्य	—
	2003-04	2	2	शून्य	शून्य	— #
पश्चिम बंगाल	2001-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
	2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
	2003-04	1	शून्य	शून्य	शून्य	—

अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी निधि के अंश को निवेश करने के बाद निधि जारी की जाती है।

3. स्कूलों में खेलकूद के संवर्धन की योजना

राज्य	वर्ष	प्रस्तावों की संख्या		जारी किया गया अनुदान (रु. में)
		प्राप्त	अनुमोदित	
मध्य प्रदेश	2001-02	शून्य	—	—
	2002-03	शून्य	—	—
	2003-04	शून्य	—	—
महाराष्ट्र	2001-02	1	1	19,50,000
	2002-03	1	1	19,50,000
	2003-04	शून्य	—	—
उत्तर प्रदेश	2001-02	शून्य	—	—
	2002-03	शून्य	—	—
	2003-04	शून्य	—	—
पश्चिम बंगाल	2001-02	शून्य	—	—
	2002-03	शून्य	—	—
	2003-04	शून्य	—	—

4. ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना

ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना, जो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाती है, के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य स्तर के ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए उसके द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, राज्य नामत: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश को उनके द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की गई है। पश्चिम बंगाल ने पिछले तीन वर्षों में किसी भी वर्ष के दौरान कोई प्रतिपूर्ति नहीं मांगी। आंकड़े इस प्रकार से हैं—

राज्य	वर्ष	जारी किया गया अनुदान (रु. में)
मध्य प्रदेश	2001-02	3,00,000
	2002-03	—
	2003-04	—
महाराष्ट्र	2001-02	3,00,000
	2002-03	1,80,000
	2003-04	—
उत्तर प्रदेश	2001-02	3,00,000
	2002-03	3,00,000
	2003-04	3,00,000
पश्चिम बंगाल	2001-02	—
	2002-03	—
	2003-04	—

विवरण-II

1. राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की योजना

(रुपयों में)

राज्य	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
मध्य प्रदेश	2,25,000	2,25,000	—
महाराष्ट्र	2,25,000	2,25,000	—
उत्तर प्रदेश	—	2,25,000	2,25,000
पश्चिम बंगाल	2,25,000	—	—

2. राष्ट्रीय सेवा योजना

(रुपयों में)

राज्य	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	62,37,442	64,84,938	57,49,333
महाराष्ट्र	1,43,61,104	1,87,48,107	2,22,88,119
उत्तर प्रदेश	75,44,375	शून्य*	शून्य*
पश्चिम बंगाल	31,56,396	73,10,188	70,12,378

लेखे प्राप्त नहीं हुए

3. युवा छात्रावास की योजना

(रुपयों में)

राज्य	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	23,40,000	25,00,000	63,944
महाराष्ट्र	—	—	—
उत्तर प्रदेश	30,00,000	20,51,000	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—

4. खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना

(रुपयों में)

राज्य	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
मध्य प्रदेश	58,83,000	62,40,000	1,52,27,000
महाराष्ट्र	1,00,00,000	1,65,00,000	2,38,43,7000
उत्तर प्रदेश	32,58,000	16,29,000	46,94,000
पश्चिम बंगाल	10,00,000	28,00,000	20,07,000

5. सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने हेतु अनुदानों की योजना

(रुपयों में)

राज्य	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
मध्य प्रदेश	—	—	—
महाराष्ट्र	—	50,00,000	—
उत्तर प्रदेश	—	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—

6. स्कूलों में खेलकूद के संवर्धन की योजना

(रुपयों में)

राज्य	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
मध्य प्रदेश	—	—	—
महाराष्ट्र	19,50,000	19,50,000	—
उत्तर प्रदेश	—	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—

7. ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना

(रुपयों में)

राज्य	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	3,00,000	—	—
महाराष्ट्र	3,00,000	1,80,000	—
उत्तर प्रदेश	3,00,000	3,00,000	3,00,000
पश्चिम बंगाल	—	—	—

[अनुवाद]

सिंचाई हेतु नई प्रौद्योगिकी

1648. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपलब्ध सिंचाई की विभिन्न प्रणालियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सिंचाई हेतु कोई नई प्रौद्योगिकी अपनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में उपलब्ध विभिन्न सिंचाई प्रणालियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया हैं।

(ख) और (ग) स्प्रिंकलर और सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई की आधुनिक प्रणालियां हैं। इस संबंध में, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में सूक्ष्म सिंचाई संबंधी एक टास्क फोर्स को गठन किया गया था। टास्क फोर्स ने केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में देश में दसवीं योजना के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 3 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान और 14 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के कवरेज की सिफारिश की है। टास्क फोर्स के अनुसार, इसमें दसवीं योजना के दौरान 10,500 करोड़ रुपये तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान 51,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

मामले को वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

विवरण

देश में उपलब्ध सिंचाई की विभिन्न प्रणालियां

सिंचाई की परम्परागत प्रणालियां

परम्परागत रूप से, फसलों की सिंचाई मिट्टी की सतह पर सीधे पानी के प्रयोग से की गई है जिसे आम तौर पर सिंचाई की प्रवाहित प्रणाली के रूप में जाना जाता है। प्रवाहित सिंचाई प्रणालियों में और सुधार किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(क) **बेसिन सिंचाई:** प्रवाहित सिंचाई को आम तौर पर धान जिसमें जगह कम रखी जाती है, जैसी अनाज फसलों के लिए

अपनाया जाता है, और जहां खड़े जल की फसल वृद्धि की लम्बी अवधि के लिए आवश्यकता होती है। बेसिनों को जल आपूर्ति की दो प्रणालियां हैं अर्थात् (i) सीधी प्रणाली और (ii) जल प्रपात प्रणाली। सीधी प्रणाली में पानी को साइफन, छलकाने या मेढों को तोड़ने के माध्यम से सीधे बेसिन के लिए आपूर्तित किया जाता है। जल प्रपात प्रणाली में जहां बेसिन टीलों पर बनाए जाते हैं, पानी को ऊपरी टीले से नीचे टीले के लिए प्रवाह की अनुमति दी जाती है।

(ख) **सीमान्त (बोर्डर) सिंचाई:** बोर्डर सिंचाई में, पानी को भूमि की छोटी खाली जगहों जिन्हें बोडर्स के रूप में जाना जाता है, जिन्हें समान रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है, में छोड़ा जाता है। बोडर्स के साथ मेंढ पानी के खेत में नीचे प्रवाह में जाने में मदद करता है। यह प्रणाली आम तौर पर गेहूं, मक्का, दलहनी व तिलहनी जैसी फसलों की सिंचाई करने में उपयोग में लाई जाती है। फसल की कटाई के पश्चात् बोडर्स को विखण्डित किया जा सकता है। यह मध्य से भारी प्रकृति की मृदा के लिये उपयुक्त है।

(ग) **फरों सिंचाई:** इस प्रणाली में, पानी के समान्तर नालियों जो आगे मुख्य चैनल के साथ जुड़ी होती हैं, की शृंखलाओं के माध्यम से छोड़ जाता है। यह आलू, गन्ना, सब्जियों आदि जैसी फसलों जो मेढ़ पर आई जाती हैं के लिए उचित प्रणाली है।

सिंचाई की आधुनिक प्रणालियां

सिंचाई की आधुनिक प्रणालियां हैं—स्प्रिंकलर और सूक्ष्म सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी को उत्सर्जन उपायों, जिन्हें टोटियों के रूप में जाना जाता है जो एच.डी.पी.ई. (हाई डेनसिटी पोलीइथाइलेन) पाइपों के साथ जुड़ी होती हैं के माध्यम से छोड़ा जाता है। ये प्रणालियां आम तौर पर कम जगह वाली फसलों, लॉन और तृणभूमि के लिए उपयोग में लाई जाती है। चूंकि पानी पाइपों के जरिए भेजा जाता है इसलिए इससे रिसाव और वाष्पण से होने वाली हानियां 20 से 50 प्रतिशत तक कम होती हैं। इससे उपज में वृद्धि भी होती है।

सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई की दूसरी आधुनिक प्रणाली है और यह भी स्प्रिंकलर सिंचाई की अपेक्षा अधिक पानी बचाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत पानी की पूर्वनिर्धारित मात्रा विभिन्न उत्सर्जकों/ड्रिपर्स के रूप में उत्सर्जन उपायों के माध्यम से पौधे की जड़ के क्षेत्र में सीधे छोड़ा जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से विलयनशील/तरल उर्वरक तथा रसायनों जैसे अन्य आदानों की भी आपूर्ति की जा सकती है।

[हिन्दी]

पशुपालन और डेयरी विकास हेतु निधियों का आबंटन

1649. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुपालन और डेयरी विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को और अधिक धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यवार धनराशि का कोई आबंटन नहीं करता है। तथा राज्यों को धनराशि उनसे प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती है। पशुपालन तथा डेयरी विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (जून, 2004 तक) के दौरान राज्यों को जारी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पशुपालन एवं डेयरी के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (जून 2004 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	860.02	1042.16	1582.49	557.08

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	79.00	24.74	168.57	42.70
3.	असम	190.34	508.69	358.57	110.97
4.	बिहार	149.79	82.30	489.99	472.45
5.	छत्तीसगढ़	903.09	262.79	358.66	265.26
6.	गोवा	28.72	83.76	90.71	95.18
7.	गुजरात	196.68	146.46	655.39	711.79
8.	हरियाणा	487.15	78.30	434.89	739.36
9.	हिमाचल प्रदेश	321.30	448.23	320.36	90.97
10.	झारखंड	55.98	234.30	325.44	183.36
11.	जम्मू एवं कश्मीर	117.79	99.42	256.03	205.59
12.	कर्नाटक	336.85	434.30	793.98	1041.09
13.	केरल	241.93	577.55	382.50	544.13
14.	मध्य प्रदेश	1264.84	862.63	612.27	1161.65
15.	महाराष्ट्र	824.00	550.27	1470.48	1323.82
16.	मणिपुर	72.67	43.86	118.22	52.50
17.	मेघालय	107.56	102.29	205.46	35.76
18.	मिजोरम	317.86	313.86	349.15	133.85
19.	नागालैंड	509.89	140.48	472.74	193.79
20.	उड़ीसा	81.04	970.24	375.87	486.69
21.	पंजाब	424.09	294.48	271.25	377.95
22.	राजस्थान	706.99	245.47	342.50	426.73
23.	सिक्किम	338.41	109.59	431.86	57.46
24.	तमिलनाडु	93.41	1204.20	488.59	828.58
25.	त्रिपुरा	310.75	424.77	449.76	57.48
26.	उत्तर प्रदेश	822.65	2012.95	1506.48	1998.60
27.	उत्तरांचल	298.00	663.65	839.86	182.89
28.	पश्चिम बंगाल	1025.19	317.00	409.60	893.90
29.	अंड. एवं निको.द्वी.स.	90.75	61.30	54.70	12.59
30.	चण्डीगढ़	97.65	136.97	18.50	10.09
31.	दादर एवं नगर हवेली	1.20	2.70	9.70	2.43
32.	दमन एवं दीव	2.00	1.50	9.03	2.78

1	2	3	4	5	6
33.	दिल्ली	34.13	29.45	154.96	73.00
34.	लक्षद्वीप	12.70	13.00	19.01	14.40
35.	पांडिचेरी	12.30	24.68	22.92	10.51
	कुल	11416.72	12548.34	14850.49	13397.62

वन भूमि को पट्टे पर दिया जाना

1650. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:

श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और अन्य उद्देश्यों के लिए वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाली अनुसूचित जनजातियों सहित व्यक्तियों को पट्टा विलेख प्रदान करने क लिए कोई योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को पट्टा विलेख देने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 के अन्तर्गत अतिक्रमण एक अपराध है। इन्हें वनभूमियों से बेदखल किया जाना है। यद्यपि, केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों को 18 सितम्बर, 1990 को नीचे दिए दो अलग-अलग मार्गनिर्देश जारी किए थे:

(i) कुछ मामलों में विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों ने अतिक्रमणों की कतिपय श्रेणियों के अतिक्रमणों को नियमित करने का निर्णय लिया था परन्तु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के कारण इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अत: इसे ध्यान में रखते हुए एकल व्यवस्था के रूप में वनभूमियों पर 1980 से पूर्व के पात्र अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए मार्गनिर्देश। यह छूट 24-10-1980 के बाद हुए अतिक्रमणों के लिए लागू नहीं है। अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश/मानदण्ड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ii) राजस्व अधिकारी, संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी एवं जनजातीय कल्याण विभाग के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए समिति का गठन कर वनों में रहने वाली जनजातियों के विवादित दावों के निपटान के लिए मार्गनिर्देश। यह मार्गनिर्देश संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है जिसमें ऐसे विवादित दावों के निपटान के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश में पिछले वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई थी। इसलिए, केन्द्र सरकार ने जनजातियों के अधिकारों का समयबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए उन्हीं मार्गनिर्देशों को 30.10.2002 को दोहराया था परन्तु पुन: कोई प्रगति नहीं हुई। केन्द्र सरकार ने जनजातीय अधिकारों के नियमितीकरण और उनके विवादित दावों के निपटान के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों को 05.2.2004 को नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं जो संलग्न विवरण-III के रूप में संलग्न है। इन मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन को 1995 की रिट याचिका (सी) सं. 202 में आई.ए. सं. 1126 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23-2-2004 के आदेश से रोक लगा दी है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, केरल, त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने वनभूमि के पूर्व के अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए 18 सितम्बर, 1990 को जारी मार्गनिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने 1980 से पूर्व के अतिक्रमणों में से 3.66 लाख हैक्टेयर वनभूमि को नियमितीकरण के लिए पात्र पाया। इन मामलों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। वनभूमियों पर अतिक्रमणों के नियमितीकरण का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सी) सं. 202 में आई.ए. सं. 703 में दिनांक 23.11.2001 के अपने आदेश के तहत संघ सरकार को वनभूमि पर होनेवाले अतिक्रमणों को आगे नियमित करने से मना कर दिया है।

विवरण-I

वन भूमि पर अवैध कब्जों की विनियमितीकरण

1. कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिए वन भूमि पर अवैध कब्जे करना पूरे देश के वन संसाधनों के लिए घातक है। नौवें दशक के शुरू में तत्कालीन कृषि मंत्रालय द्वारा एकत्र की गई सांख्यिकीय सूचना से पता चलता है कि लगभग एक दशक पहले देश में लगभग 7 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे थे। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 1980 से पहले कई राज्यों ने समय-समय पर इस प्रकार के अवैध कब्जों को विनियमित किया था तथा 1951 और 1980 के मध्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए लगभग 43 लाख वन भूमि उपयोग में लाई गई तथा इसके आधे से अधिक वन भूमि कृषि उपयोग में लाई गई थी। समय-समय पर अवैध कब्जों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों के निर्णयों ने वन क्षेत्रों में अवैध कब्जे करने के लिए प्रेरणा का कार्य किया है और इस हानिकर कार्य के विरुद्ध प्रभावी तथा सम्मिलित प्रयास की कमी के कारण समस्या आज भी वैसी ही बनी है जैसे पहले थी।

2. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में भी वन भूमि पर अवैध कब्जों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को महसूस किया गया है और उसमें कहा गया है कि इस तरह के अवैध कब्जों को विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों, जिनमें से कुछ ने अभिव्यक्त किया है कि वे 1980 से पहले की अवधि के अवैध कब्जों को विनियमित करने के लिए वचनबद्ध हैं, पर पड़े दबावों को देखते हुए मंत्रालय द्वारा इस निर्णय के कार्यान्वयन की जांच की गई है। इस मामले को मई, 1989 में हुए वन मंत्रियों के सम्मेलन में विशेष रूप से उठाया गया और कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके मंत्रालय द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा इसकी जांच की गई। वन मंत्रियों के सम्मेलन तथा उपयुक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, पहले किये गये अवैध कब्जों की पुनरीक्षा तथा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में इस संबंध में लिए गए निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया जाता है।

2.1 जीवन-निर्वाह से संबंधित अवैध कब्जों के सभी मामले, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पूर्व में की गई वचनबद्धता के आधार पर नियमित किया जा रहा है, इस मंत्रालय के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पुवानुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। यह प्रस्ताव निश्चित रूप से नीचे दिए गए मानदण्डों को पूरा करते है।

1. 1980 से पहले के अवैध कब्जे जिनके बारे में राज्य सरकार अवैध कब्जों की "मात्र" श्रेणी को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले निर्णय ले चुकी थी।

1.1. ऐसे वे मामले हैं, जिनमें राज्य सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार कुछ पात्रता मानदण्ड बनाये थे तथा इस प्रकार के अवैध कब्जों को विनियमित करने के लिए निर्णय ले लिया था किन्तु उन्होंने 25.10.1980 को वन (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने से पहले पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से अपने निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया था।

1.2. ऐसे सभी मामलों की अलग-अलग पुनरीक्षा की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को राजस्व, वन तथा आदिवासी कल्याण विभागों का एक संयुक्त दल गठित करना चाहिए और उसे समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूर्ण करना चाहिए।

1.3. ऐसे मामलों में, जिनमें प्रस्तावों को अभी प्रतिपादित किया जाना है यहां निर्दिष्ट सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निष्कर्ष को भविष्य में झगड़ों को रोकने के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाए।

1.4. विनियमित किये जाने के लिए प्रस्तावित सभी अवैध कब्जों वाली भूमियों का अच्छी तरह सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

1.5. जिन अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने का प्रस्ताव है वे अवैध कब्जे 25.10.1980 से पहले के होने चाहिए। यह उस समय के वन अधिनियम के अंतर्गत जारी पहली ऑफिंस रिपोर्ट से पता लगाया जाना चाहिए।

1.6. भूमि पर अवैध कब्जा होना चाहिए तथा अवैध कब्जे वाली भूमि निरंतर अवैध काबिज के अधिकार में होनी चाहिए।

1.7. अवैध कब्जा करने वाला राज्य द्वारा पहले से निर्धारित पात्रता मानदण्ड के अनुसार विनियम के लाभों को प्राप्त करने का पात्र होना चाहिए।

1.8. जहां तक संभव हो विनियमित किये जाने के लिए प्रस्तावित दूर-दूर फैले हुए अवैध कब्जों को वनों की बाहरी सीमाओं के पास समेकित/पुन: निर्धारित किया जाना चाहिए।

1.9. अवैध कब्जों के विनियमन के लिए जिन क्षेत्रों की बाह्य सीमाओं को अधिसूचित किया जाना है, उनका भूमि पर स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर सीमांकन किया जाना चाहिए।

1.10. इस श्रेणी के अंतर्गत विनियमित किये जाने के लिए प्रस्तावित सभी मामले एक प्रस्ताव में शामिल किये जाने चाहिए और उनका जिलेवार ब्यौरे दिये जाने चाहिए।

1.11. अवैध कब्जों के प्रस्तावित विनियमन के सभी मामले के साथ वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण के प्रस्ताव होने चाहिए।

1.12. कुछ विशेष ढलानों पर कृषि करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

2. 1980 के पहले के अवैध कब्जों की अपात्र श्रेणी जिनमें राज्य सरकारों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले निर्णय ले लिया था।

2.1. 1980 के बाद के अवैध कब्जों के समान समझा जाना चाहिए और उन्हें विनियमित नहीं किया जाना चाहिए।

3. 24.10.1980 के बाद् किये गये अवैध कब्जे।

3.1. 24.10.1980 के बाद किये गये अवैध कब्जों को किसी भी हालत में विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। अवैध कब्जे करने वालों की बेदखली करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। तथापि, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार ऐसे व्यक्तियों को एकत्रित करके इस मंत्रालय के दिनांक 1-6-1990 के पत्र सं. 6-21/89-वन नीति में सुझाए गए तरीके से वृक्षारोपण कार्यों में लगाकर उन्हें वैकल्पिक आर्थिक आधार प्रदान कर सकती है।

स्पष्टीकरण

वनों पर अवैध कब्जों के ऊपर बताए कतिपय मामलों को नियमित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। दिशा-निर्देशों का पैरा 1.1 जिसमें अवैध कब्जों के उन मामलों को स्पष्ट किया गया है जो विशिष्ट शर्तों के अधीन निर्धारित किये जाने के लिए पात्र होंगे, को नीचे प्रस्तुत किया गया है:—

''ऐसे वे मामले हैं, जिनमें राज्य सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार कुछ पात्रता मानदण्ड बनाये थे तथा इस प्रकार के अवैध कब्जों को विनियमित करने के लिए निर्णय ले लिया था किन्तु उन्होंने 25.10.1980 को वन (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने से पहले पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से अपने निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया था''।

2. इस संबंध में यह संदेह व्यक्त किये गये हैं कि क्या पात्रता फार्मूले, जिसके द्वारा पहले के कुछ अवैध कब्जों को विनियमित किया गया, के अनुसार 25.10.1980 तक किये सभी अवैध कब्जे विनियमित किये जा सकते है।

3. उपरोक्त पैरा को देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी अवैध कब्जे के विनियमित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दो पूर्व शर्तें लगाई गई हैं:—

(क) राज्य सरकार ने अवैध कब्जों को नियमित करने के संबंध में निर्णय 25.10.1980 से पहले ले लिया हो; और

(ख) निर्णय किसी पात्रता मापदण्ड के संदर्भ में होना चाहिए। सामान्यत: अवैध कब्जा करने वालों के सामाजिक और आर्थिक स्तर अवैध कब्जे की अवस्थिति और विस्तार, अवैध कब्जे के कट ऑफ डेंट आदि से संबंधित होना चाहिए।

4. यह देखा जाएगा कि जिन अवैध कब्जों पर निर्धारित शर्तों के अधीन विनियमित किये जाने के लिए विचार किए जाने का प्रस्ताव है वे ऐसे अवैध कब्जे हैं जो अवैध कब्जों को नियमित करने के बारे में 25.10.1980 से पूर्व किये गये निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये पात्रता मापदण्डों को पूरा करते हैं इसका उद्देश्य 25.10.1980 से पूर्व लिये गए उन निर्णयों के कार्यान्वयन की अनुमति देने तक सीमित है/जिनका कार्यान्वयन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बन जाने के कारण नहीं किया जा सका। अत: यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विनियमित करने के लिए ''पात्र'' के रूप में जिन अवैध कब्जों पर विचार किया जा सकता है वे 25.10.1980 से पहले के होने चाहिए। किन्तु 25.10.1980 से पहले के सभी अवैध कब्जे नियमित किया जाने के लिए पात्र नहीं होंगे—वे ''अपात्र'' इसलिए हो सकते हैं या तो वे पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते होंगे या 25.10.1980 से पूर्व लिए गए किसी निर्णय के अंतर्गत नहीं होंगे। इस प्रकार यदि किसी राज्य में अवैध कब्जों को नियमित करने संबंधी निर्णय केवल 25.10.1980 से पूर्व की तारीख तक के अवैध कब्जों पर ही लागू होते हैं तो अवैध कब्जों को नियमित किये जाने संबंधी दिशा-निर्देशों का यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य सरकार अब उस तारीख और 25.10.1980 के बीच हुए अवैध कब्जों का सर्वेक्षण करेगी और नियमित किये जाने का प्रस्ताव रखेगी। बाद के अवैध कब्जे, यद्यपि 25.10.1980 के पहले किये गये थे, उस तारीख से पहले किये गये नियमन संबंधी किसी निर्णय के अधीन नहीं आते हैं इसलिए इस अवस्था में उनको नियमित करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

5. तद्नुसार, राज्य सरकार 25.10.1980 से पूर्व की अवधि के केवल ऐसे निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करे जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बन जाने के कारण कार्यान्वित नहीं किये जा सके और उन निर्णयों तथा उनमें निर्धारित पात्रता मापदण्डों के अनुसार अवैध कब्जों के नियमित करने के प्रस्ताव रखें। हमारे दिशा-निर्देशों के अनुसार अब ऐसे किसी अवैध कब्जों को नियमित करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जो 25.10.1980 से पूर्व लिए गए किसी निर्णय के अंतर्गत नहीं आते हैं, भले ही वह कब्जा उस तारीख से पहले ही क्यों न कर लिया गया हो।

विवरण-II

वन बन्दोबस्त से उठे वन भूमि के विवादास्पद दावों की समीक्षा

इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों ने कुछ निश्चित अधिसूचित वन भूमियों पर यह बताते हुए दावे प्रस्तुत किए हैं कि वे वन बन्दोबस्त की शुरुआत से पहले ऐसे क्षेत्र उनके कब्जे में थे और/अथवा संबंधित कानूनों के अंतर्गत इन भूमियों को वनों के रूप में अधिसूचित करने से पूर्व उनके अधिकार न तो पूछे गए और न ही जोड़े गए। दावेदार अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसी भूमियों का हक उन्हें सौंपा जाए। यह आमतौर पर महसूस किया जा रहा है, वास्तविक दावों को लगातार नजरंदाज करने के कारण दुखी लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस तरह के उदाहरणों से अन्ततः वन प्रशासन की साख और वन कानूनों की पवित्रता विशेषतः आदिवासियों द्वारा बसाए गए इलाकों में खत्म होती जा रही है।

2. इन जटिलताओं से निपटने के लिए वन भूमि पर विवादास्पद दावों से संबंधित मामलों की मंत्रालय द्वारा एक अर्न्त-मंत्रालीय समिति के माध्यम से कड़ाई से जांच करवाई गई थी। समिति ने लम्बे विचार विमर्श और कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ उचित परामर्श से ऐसे विवादास्पद मामलों को अतिशीघ्रता सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और वनों तथा वन भूमि के संरक्षण को खतरा पहुंचाए बिना उचित शिकायतों पर काम करने के लिए कार्रवाई की एक सुविधाजनक प्रक्रिया सुझाई है। उक्त समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए तथा समक्ष प्राधिकरण के उपयुक्त अनुमोदन से, वन भूमि पर विवादास्पद मामलों को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए कार्य की निम्नलिखित प्रक्रिया सुझाई गई है।

2.1. राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन को वन भूमि विवादास्पद दावों के मामले की पुनरीक्षा करनी चाहिए दावों की निम्नलिखित तीन श्रेणियां अभिनिर्धारित करनी चाहिए।

(क) वन अधिनियमों में यथा प्रदत्त बन्दोवस्त की उचित प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना माने गए आरक्षित वनों के रूप में अधिसूचित वन क्षेत्रों के संबंध में दावें, बशर्ते ये निम्नलिखित से संबंधित हों,

(i) आदिवासी क्षेत्रों, अथवा गैर-आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण निर्धनों के बड़े भाग को प्रभावित करे और

(ii) दावेदार के अधिकार में विवादास्पद भूमि हो।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों दावे जहां ये प्रथम दृष्टि प्रमाण है कि वन बन्दोबस्त की प्रक्रिया अपूर्ण अथवा गलत रिकार्डों/मानचित्रों अथवा प्रभावित व्यक्ति के पास सूचना के अभाव में, जैसा कि कानून द्वारा यथा बशर्ते कि निर्धारित किया गया है, अवैध है,

(i) ऐसा वन बन्दोबस्त 1947 के बाद की अवधि से संबंधित हो और

(ii) दावेदारों के कब्जे में विवादास्पद भूमि है।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में दावे जहां बन्दोवस्त की प्रक्रिया पूरी हो गई हो लेकिन भारतीय वन अधिनियम, 1972 की धारा 20 के (संबंधित अधिनियम की समवर्ती धारा) के अंतर्गत अधिसूचना अभी जारी की जानी हो विशेषतः जहां धारा 20 के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने में पर्याप्त विलम्ब हुआ हो बशर्ते कि विवादास्पद भूमि अभी भी दावेदारों के अधिकार में है।

2.2 दावों की उपरोक्त तीन श्रेणियों को अभिनिर्धारित करने के बाद राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन समिति जिसमें कम से कम संबंधित विभागीय वन अधिकारी, उप-विभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) और आदिवासी कल्याण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हो, से इनकी जांच कराएगी समिति सभी उपलब्ध प्रमाणों की जांच करने के बाद दावों की सत्यता को यह स्थापित करने के लिए निर्धारित करेगी कि:

(i) श्रेणी 2.1 (क) के मामले में विवादास्पद भूमि दावेदार के अधिकार में भी जब "माना गया आराक्षित वन" घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की गई और

(ii) 2.1 (ख) और 2.1 (ग) श्रेणियों के संबंध में विवादास्पद भूमि दावेदार के अधिकार में भी जब भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (अथवा संबंधित अधिनियम की समवर्ती धारा) के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने की सरकार की इच्छा को जाहिर करते हुए अधिसूचना जारी की गई और उनके अधिकार जोड़े नहीं गए थे अथवा कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन में समाप्त कर दिए गए थे।

2.3 किसी भी मामले में न तो सरकार अथवा उपरोक्त समिति ऐसे दावे पर विचार करेगी जहां पूरे समय विवादास्पद भूमि दावेदार के अधिकार में नहीं थी।

2.4. यदि एक बार उचित जांच के द्वारा दावों की प्रामाणिकता स्थापित हो जाती है, तो राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकार दावेदारों के हकों को पुन:स्थापित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए:

(i) जहां तक सम्भव हो, दावों का पुनरूद्धार के फलस्वरूप वनों की सफाई ही नहीं हो जानी चाहिए इस तरह के मामलों में परिधि के पास अथवा अन्य कही (उदाहरणत: गैर वन सरकारी भूमि) भूमि के आदान प्रदान की सम्भावना समाप्त हो जाएगी।

(ii) दावेदारों को लौटाई गई भूमि का, स्थायी सीमा चिन्हों से उचित सीमांकन होना चाहिए।

2.5 राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा सिद्धांत रूप से दावेदारों के प्रस्तावों के हकों को बहाल करने का निर्णय लेने के बाद प्रतिपूरक वनीकरण के प्रस्तावों सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों को उचित रूप से तैयार करके प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण-III

भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

दूरभाष: 24360379, फैक्स: 24365721

दिनांक 5.2.2005

सं. 2-1/2003-एफ.सी. (भाग)

सेवा में

1. सभी मुख्य सचिव,
   सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र
2. सभी प्रधान सचिव,
   सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र

विषय:— वन भूमि पर जनजातियों के अधिकारों को विनियमित करना।

महोदय,

भारत सरकार को देश के विभिन्न भागों में वनभूमि में रहने वाली वन जनजातियों के अधिकारों को विनियमित करने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। यह प्रश्न विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी संसदीय परामर्शदाता समितियों और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों की विभिन्न बैठकों सहित अलग-अलग सार्वजनिक चर्चाओं में भी उठाया गया है कि आदिवासी लम्बे समय से वनों में सामंजस्य के साथ रह रहे है और ऐसी भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि इन क्षेत्रों को सम्बद्ध वन अधिनियमों के अंतर्गत लाते समय उनके पारम्परिक अधिकारों का अनेक कारणों से निपटान नहीं किया जा सका और कानून की दृष्टि में उन्हें अवैध कब्जाधारी बना दिया गया। केन्द्र सरकार ने अपने सितम्बर 1990 के सं. 13-1/90-एफ.पी. (2) और (3) के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को वन भूमि पर जनजाति लोगों के विवादित दावों का निपटान करने, पट्टा लीज जारी करने करने आदि का अनुरोध किया था परंतु अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ राज्यों से केवल पात्र अवैध कब्जों को केवल नियमित किए जाने की श्रेणी के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इससे जनजातियां प्राकृतिक न्याय से वंचित रह गई है क्योंकि अवैध कब्जों के विनियमितिकरण के मार्गनिर्देश विवादित निपटान दावों के निपटान के लिए मार्गनिर्देशों से भिन्न है।

इस मामले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद समग्र रूप से पर्याप्त गहराई से जांच की गई है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन से नीचे दिए अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के अनुरोध सहित निम्नलिखित निर्णय लिए हैं।

1. राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों को वन भूमि पर जनजाति लोगों के पारम्परिक अधिकारों की पहचान करनी चाहिए और उनके अधिकारों को निर्धारित प्रक्रिया अपना कर संबंधित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में लागू सम्बद्ध अधिनियमों, नियमों और विनियमों में शामिल किया जाना चाहिए।

2. (i) वन भूमि पर जनजाति निवासियों के पहचाने गए इन अधिकारों के संबंध में केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों संघशासित प्रशासन से पूरा प्रस्ताव प्राप्त होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इन प्रस्तावों को निरंतर अधिगृहीत वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए विचार करेगी ताकि यह जनजातियां ऐसी भूमि पर निरंकुश कानूनी अधिकार प्राप्त कर सके। जनजातियों का ऐसी भूमि पर वंशगत परंतु अरहरणीय अधिकार होगा। यह निर्णय उन जनजाति निवासियों पर लागू होगा जिनके कब्जे में ऐसी वन भूमि 31.12.1993 से लगातार है।

(ii) यद्यपि वनेतर प्रस्तावों के मामलों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा वित्तीय वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव एकीकृत जनजाति पुनर्वास स्कीम भाग के रूप में हो ताकि जनजाति लोगों को किसी विशेष भूमि पर रखा जाए और समस्या को एक बार सदा के लिए सुलझाया जा सके। पुनर्वास पैकेज के साथ स्वस्थाने जैवविविधता संरक्षण को सुनिश्चित

करने के लिए कार्यक्रम को वन विभाग के जनजाति पुनर्वास विंग द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जहां ऐसा विंग नहीं है वहां इनका सृजन किया जाना चाहिए। जनजातियों के पुनर्वास के लिए केरल सरकार द्वारा अपनाए गए माडल इस मामले में एक उदाहरण है और राज्य सरकारों को इस पद्धति को अपनाना चाहिए।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका 202/95 में अपने आदेश के तहत केन्द्रीय सरकार से अवैध कब्जों को नियमित करने से रोक दिया है, केन्द्रीय सरकार न्यायालय के आदेशों में संशोधन के लिए न्यायालय से संपर्क करेगी ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए इस निर्णय को कार्यान्वित किया जा सके।

3. वन क्षेत्रों में जनजातियों और गैर जन जातियों द्वारा वन भूमि के किसी नए कब्जे के संबंध में इसके बाद राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन संबंधित जिलामजिस्ट्रेट और कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और मण्डलीय वन अधिकारी ऐसे अवैध कब्जों के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे और वे ऐसे किसी अवैध कब्जे के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

4. राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन का ध्यान इस कार्यालय के दिनांक 3 मई, 2002 के पत्र संख्या 7-16/2002 एफ.सी. की ओर दिलाया जाता है जिसमें राज्य स्तर और सर्किल स्तर पर अवैध कब्जा निगरानी समितियां गठित करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिलामजिस्ट्रेट कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और डिवीजनल वन अधिकारी को शामिल करके जिला स्तर समिति भी तत्काल गठित की जानी चाहिए और राज्य स्तर, सर्किल स्तर और जिला समिति स्तर पर आवधिक अंतराल पर इसकी निगरानी की जानी चाहिए। इन समितियों के गठन की अधिसूचना और उनके द्वारा की गई कार्रवाई भी वनेतर प्रस्ताव द्वारा की गई कार्रवाई भी वनेतर प्रस्ताव का भाग होगी।

5. राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों को गैर वन क्षेत्रों के बराबर भूमि जहां आरक्षित वन अथवा संरक्षित वन के रूप में ऐसी भूमि को शामिल करना संभव हो, उपलब्ध करवाने के ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 1980 से पूर्व के पात्र अवैध कब्जों के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने मार्गनिर्देशों और सरकारी नीति के अनुसार ऐसे पात्र अवैध कब्जों को नियमित करने की अनुमति पाने के लिए अक्तूबर, 2002 को पहले ही उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है।

7. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा 1980 से पूर्व और 1980 के बाद अपात्र गैर जनजाति कब्जाधारी और 31.12.1993 के बाद के सभी कब्जों की बेदखली में प्राप्त प्रगति पर निर्भर होगा।

8. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनजातियों के अधिकारों के इस मामले को यह पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए और इसके बाद किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. ऊपर पैरा 3 के अंतर्गत उल्लिखित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर समिति उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करेगी।

भवदीय

ह/

(डा. वी.के. बहुगुणा)

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

प्रतिसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. प्रधानमंत्री का कार्यालय, नई दिल्ली (ध्यानार्थ: श्री के.वी. प्रताप उप सचिव)
2. सभी मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (मध्य) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
3. सचिव, जनजाति कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. सदस्य/सलाहकार (पर्यावरण), योजना आयोग, नई दिल्ली।

ह/

(डा. वी.के. बहुगुणा)

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

विवरण-IV

वन भूमि पर अवैध कब्जों के विनियमितिकरण का राज्यवार विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

राज्य का नाम	पहले से अनुमोदित वनभूमि पर 1980 से पूर्व के पात्र अवैध कब्जों का विनियमितिकरण
1	2
1. मध्य प्रदेश	275405.692
2. गुजरात	31982.80
3. केरल	28588.159
4. अरुणाचल प्रदेश	13419.290
5. कर्नाटक	14848.83ϕ

1	2
6. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1367.000
7. उड़ीसा	29.940
8. त्रिपुरा	27.400
योग	365669.111

[अनुवाद]

गन्ने में बीमारी

1651. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में चीनी उत्पादक शूट बोरर बीमारी से बुरी तरह प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार चीनी की शूट बोरर बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र के चीनी उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में गन्ने के तने में कीट के प्रकोप की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (च) जी हां, गन्ने में लगे कीट/रोग के प्रकोप के मामले में केन्द्रीय प्रायोजित गन्ना विकास स्कीम के तहत कीटनाशियों, जैव कीटनाशियों तथा पौध संरक्षण उपकरणों के लिए प्रभावित किसानों को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जिसके लिए वर्ष 2004-05 हेतु 13.00 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

1652. श्री रामदास बंडु आठवले:

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के पास लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के लिए बने बेस डिपो का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये डिपो राज्यों, विशेषकर उड़ीसा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो देश के किन-किन जिलों में बेस डिपो नहीं है; और

(घ) इन जिलों में बेस डिपो खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं की संख्या और देश में बिना बेस डिपुओं वाले जिलों के नाम को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में डिपु मौजूद हैं।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं का राजस्व जिला-वार ब्यौरा

20.5.2004 की स्थिति के अनुसार

अंचल	क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेस डिपु सहित राजस्व जिलों की सं.	बेस डिपु रहित राजस्व जिलों की संख्या
1	2	3	4
उत्तर	दिल्ली	7	7—नई दिल्ली और मध्य जिला

1	2	3	4
	हरियणा***	18	1—पंचकूला
	हिमाचल प्रदेश #	11	1—लाहौल स्पीति (लाहौल स्पीति के केलांग में 2500 टन के गोदाम के निर्माण को मंजूरी)
	जम्मू व कश्मीर	10	4—उधमपुर, कुपवाड़ा, बड़गाम और पुलवामा
	पंजाब व चण्डीगढ़	18	शून्य
	राजस्थान	30	2—राजसमंद, करौली
	उत्तर प्रदेश @#	59	11—कौशाम्बी, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बलरामपुर, बागपत नगर, कन्नौज और भदोई।
	उत्तरांचल @#	8	5—अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी (गढ़वाल), उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग
दक्षिण	आन्ध्र प्रदेश	23	शून्य
	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह #	1	शून्य
	कर्नाटक	23	4—चिकमंगलूर, कोप्पल, बागलकोट, चामराज नगर
	केरल	13	1—पठानमथिट्टा
	लक्षद्वीप		स्टाक को कोचीन से लक्षद्वीप प्रशासन को सुपुर्द किया जा रहा है।
	तमिलनाडु	19	10—थिरूवल्लूर, विल्लुपुरम, नागापट्टीनम, थिरूवरूर, करूर, पेरामबलूर, धरमपुर, नामाक्कल, शिवमंगल और थेनी
	पांडिचेरी	2	शून्य
पूर्व	बिहार	28	10—जहानाबाद, औरंगाबाद, भाभुआ, अरवल, बांका, शेखपुरा, खगड़िया, स्योहर, सिवान और गोपालगंज
	झारखंड	12	10—पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, सिमदेगा, लातेहर, चतरा, बोकारो, दुमका, जामतारा, गोड्डा, पाकुर
	उड़ीसा	26	4—जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, बौद्ध और देवगढ़
	पश्चिम बंगाल @	17	2—पूर्व मिदनापुर और हावड़ा
	सिक्किम #	2	2—पश्चिम सिक्किम और उत्तर सिक्किम
उत्तर-पूर्व	असम #	22	1—मारीगांव
	अरुणाचल प्रदेश #	4	9—पश्चिम केमांग, तवांग, निचली, सुबनश्री, ऊपरी सुबनश्री, पश्चिम सियांग, ऊपरी सियांग, दिबांग घाटी, तिराप और लोहित
	मणिपुर	2	7—बिशनपुर, चंदेल, सेनापति, इम्फाल पूर्व, थाऊबल, चुरहंदपुर और तामेंगलांग
	मेघालय #	5	2—पश्चिम खासी पहाड़ियां और दक्षिण गारो पहाड़ियां
	मिजोरम #	2	6—छिमतुईपुई, लुंगथलाई, चामफाई, सरचिप, माम्थ और लुंगलेई
	नागालैण्ड	4	4—कोहिमा, फेक, वोखा और जुन्हेबाटा
	त्रिपुरा #	2	2—दक्षिण त्रिपुरा और धलाई जिला

1	2	3	4
पश्चिम	गोवा	1	1—उत्तर गोवा
	महाराष्ट्र	25	7—लातूर, हिंगोली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि, गडचिरोली, भंडारा और यवतमाल
	गुजरात	17	8—नरेली, साबरकांठा, पाटन, दहोद, नर्मदा, नवसारी, डैंग्स और पोरबंदर
	दादर और नगर हवेली	पहचान नहीं की गई	गुजरात क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के नजदीकी डिपुओं (अपने/किराये के) से स्टाक जारी किया जा रहा है।
	दमन और दीव	पहचान नहीं की गई	—वही—
	मध्य प्रदेश @	35	4—रायसेन, पन्ना, मंदसौर और शाजापुर
	छत्तीसगढ़ @%	16	शून्य

(*) — बेस डिपुओं के अतिरिक्त उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधान वितरण केन्द्रों की घोषणा की है जिसके लिए एच.टी.एस./आर.टी.सी. की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(@) — राज्य सरकार विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन अपने स्वयं के गोदामों से खाद्यान्नों का वितरण कर रही है।

(***) — भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले/किराये पर लिए गए सभी गोदामों से स्टाक जारी किए जा रहे हैं।

($$) — पंजाब राज्य सरकार द्वारा राज्य एजेंसी (पनसप) के जरिये अपने स्वयं के गोदामों से स्टाक जारी किए जा रहे हैं।

(%) — छत्तीसगढ़ ने भी केवल गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम के लिए 6 केन्द्र इंगित किए।

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को सहायता

1653. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी राशि की सहायता जारी की जा चुकी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि का इस्तेमाल किया गया; और

(ग) जारी की गई राशि के इस्तेमाल न होने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ए.आई.बी.पी. के मानकों के अनुसार केन्द्रीय ऋण सहायता वर्ष दर वर्ष आधार पर जारी की जाती है और अगले वर्ष के लिए सी.एल.ए. तभी जारी की जाती है जब राज्य जारी की गई सी.एल.ए. और राज्य के हिस्से के बराबर खर्च कर लेता है।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता		
		2001-02	2002-03	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	281.660	33.186	205.530
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.000	1.500	20.000
3.	असम	14.521	16.274	19.2015
4.	बिहार	3.420	14.481	74.644
5.	छत्तीसगढ़	48.200	104.000	74.3630
6.	गोवा	58.000	0.000	2.000
7.	गुजरात	581.690	1000.330	650.359
8.	हरियाणा	0.000	18.000	7.735
9.	हिमाचल प्रदेश	3.244	8.150	14.692
10.	जम्मू और कश्मीर	11.070	34.999	21.545

1	2	3	4	5
11.	झारखण्ड	10.820	9.670	1.833
12.	कर्नाटक	492.500	620.850	266.478
13.	केरल	11.275	5.665	31.000
14.	मध्य प्रदेश	215.410	220.000	568.440
15.	महाराष्ट्र	39.100	133.134	164.395
16.	मणिपुर	9.360	19.500	15.500
17.	मेघालय	4.470	1.500	1.088
18.	मिजोरम	2.000	0.750	9.300
19.	नागालैंड	5.000	2.659	8.000
20.	उड़ीसा	168.475	179.570	154.685
21.	पंजाब	113.690	36.660	0.000
22.	राजस्थान	96.315	174.385	499.837
23.	त्रिपुरा	21.063	13.395	13.377
24.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000
25.	उत्तर प्रदेश	354.690	359.000	274.785
26.	उत्तरांचल	0.000	25.163	25.5525
27.	पश्चिम बंगाल	38.608	28.133	3.144
28.	सिक्किम	2.400	0.750	0.750
	कुल	2601.981	3061.703	3128.5010

[हिन्दी]

चीनी मिलें

1654. श्री संतोष गंगवार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का गन्ना उत्पादकों को भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चीनी मिलों ने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया है; और

(ग) गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्र सरकार सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) निर्धारित करती है जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को अदा किया जाता है। 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान चीनी मौसम 2003-2004 के लिए गन्ने के मूल्य की कुल देय 4079.46 करोड़ रुपये की धनराशि में से चीनी मिलों द्वारा 3840.02 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और 239.44 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया रह गई है जो गन्ने के कुल देय मूल्य का लगभग 5.87 प्रतिशत है।

(ग) गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान शीघ्र कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चुककर्ता चीनी मिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अधिकांश मिलों के विरुद्ध रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

धान की खरीद

1655. श्री प्रदीप गांधी:

श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा किन राज्यों में धान की खरीद की जा रही है;

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल से खरीदे गए धान की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ से धान न खरीदे जाने से राज्य सरकार को भारी वित्तीय घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार को, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) विगत तीन खरीफ विपणन मौसमों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए धान और लेवी चावल के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में धान की वसूली शुरू किए जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 2001-02 से 2003-04 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली गई धान/लेवी चावल की मात्रा

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली गई धान/लेवी चावल की मात्रा					
	खरीफ विपणन मौसम 2001-02		खरीफ विपणन मौसम 2002-03		खरीफ विपणन मौसम 2003-04*	
	धान	लेवी चावल	धान	लेवी चावल	धान	लेवी चावल
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
आंध्र प्रदेश	0.74	62.22	0.04	26.29	0.99	38.16
अरुणाचल प्रदेश	—	—	--	—	—	—
असम	—	—	—	—	—	0.17
बिहार	0.15	—	0.22	—	1.64	—
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
छत्तीसगढ़	—	6.58		3.03	—	4.56
दिल्ली	—	—	—	—	—	—
गुजरात	—	—	—	—	—	—
हरियाणा	1.95	4.29	1.15	2.92	0.41	6.50
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	0.12	—	0.07	—	0.03
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
झारखण्ड			—	—	—	—
कर्नाटक		—	—	—	0.03	—
मध्य प्रदेश	0.37	0.95	0.01	0.93	0.84	0.1
महाराष्ट्र		0.3	—	0.6	—	1.5
उड़ीसा	—	12.53	0.01	8.87	0.44	10.68
पांडिचेरी	—	0.11	—	—	—	—
पंजाब	23.87	9.61	26.18	10.06	16.30	20.53
राजस्थान	0.17	0.28	0.42	0.13	0.20	0.28
तमिलनाडु	—		—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	—		—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरांचल	—	2.09	—	—	—	1.96
पश्चिम बंगाल	—	—	—	1.26	—	6.17
जोड़	27.25	100.45	28.03	54.16	20.85	90.64

नगण्य —500 टन से कम

* —15/07/2004 की स्थिति के अनुसार

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं की अनुपलब्धता

1656. श्री कैलाश मेघवाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में वितरणार्थ विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं सामान्यत: राशन की दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुणवत्ता परक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण अथवा शहरी दोनों क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के देश की सम्पूर्ण आबादी को वितरण हेतु खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण हेतु राज्यों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के अनुरूप उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति करनी होती है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक का उठान करने के पूर्व राज्य सरकारों को उनकी जांच करने और उनकी गुणवत्ता के विषय में स्वयं को संतुष्ट करने की छूट होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में प्रावधान है कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अथवा उनके नामिती और भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टाक की संयुक्त रूप से जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जारी किया जाने वाला स्टाक निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

[हिन्दी]

बागवानी के विकास के लिए निधि

1657. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष में, बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण तथा बागवानी के संवर्द्धन हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कितनी राशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण तथा बागवानी के संवर्धन के लिए पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

कृषि में वृहत प्रबंधन-कार्य योजनाओं, जिसमें बागवानी विकास के लिए कार्यक्रम शामिल हैं, के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को एक मुश्त रूप से निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। स्कीम में राज्य सरकारों को बागवानी विकास के कार्यक्रमों हेतु 20-30 प्रतिशत के न्यूनतम आवंटन के साथ अपनी कार्य योजनाओं के अनुसार महसूस की गई उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम चलाने तथा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लचीलापन प्रदान करने का प्रावधान है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वृहत प्रबंधन स्कीम के अधीन निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

तालिका-1: मिनी मिशन-II के अधीन बागवानी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	728.85	1099.00	1220.00	525.00
असम	611.12	1092.15	1400.00	525.00
मणिपुर	487.03	685.00	638.00	385.00
मेघालय	625.71	775.60	850.00	455.00
मिजोरम	508.95	1099.73	1089.00	455.00
नागालैण्ड	551.70	979.00	1256.00	667.10
सिक्किम	616.77	855.00	1000.00	402.50
त्रिपुरा	512.40	785.00	900.00	402.50
जम्मू एवं कश्मीर			650.00	507.50
हिमाचल प्रदेश			650.00	455.00
उत्तरांचल			564.72	455.00

तालिका-2: मिनी मिशन-III के अधीन बागवानी उत्पादन के विपणन हेतु अवसंरचना के सृजन के लिए निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
अरुणाचल प्रदेश	199.00	0.00	0.00
असम	17.04	143.75	0.00
मेघालय	0.00	90.25	5.00
मिजोरम	172.00	168.00	170.00
नागालैण्ड	138.92	0.00	326.80
सिक्किम	85.00	0.00	0.00

तालिका-3: मिनी मिशन-IV के अधीन बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना के सृजन के लिए निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
मणिपुर	0.00	34.13	199.26
मेघालय	62.50	45.85	0.00
मिजोरम	50.00	0.00	0.00

विवरण-II

बृहत प्रबंधन स्कीम के तहत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

राज्य	2001-02 निर्मुक्ति	2002-03 निर्मुक्ति	2003-04 निर्मुक्ति	2004-05* आवंटित	2004-05* निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	2250.00	1900.00	3800.00	3600.00	1800.00
अरुणाचल प्रदेश	219.50	463.20	317.28	500.00	250.00
असम	523.50	350.00	350.00	800.00	400.00
बिहार	1800.00	1250.00	900.00	1800.00	720.00
झारखण्ड	1095.00	600.00	1200.00	1400.00	700.00
गोआ	200.00	162.20	131.04	200.00	100.00

1	2	3	4	5	6
गुजरात	1900.00	1600.00	1150.00	2300.00	1150.00
हरियाणा	1620.00	1600.00	1662.00	1600.00	800.00
हिमाचल प्रदेश	1800.00	1600.00	1585.15	1600.00	800.00
जम्मू एवं कश्मीर	900.00	1932.00	1680.00	1600.00	800.00
कर्नाटक	5850.00	5338.00	5580.00	5700.00	700.00
केरल	2313.54	2762.00	2348.00	2900.00	2850.00
मध्य प्रदेश	5000.00	4350.00	4400.00	4500.00	1450.00
छत्तीसगढ़	1399.02	1138.32	1600.00	1800.00	900.00
महाराष्ट्र	9000.00	7612.00	8400.00	8200.00	2250.00
मणिपुर	345.00	300.00	300.00	700.00	4100.00
मिजोरम	720.00	810.00	820.00	900.00	350.00
मेघालय	202.74	700.66	427.25	700.00	450.00
नागालैण्ड	776.80	660.00	880.00	900.00	350.00
उड़ीसा	1485.00	1250.00	1949.31	2300.00	450.00
पंजाब	1035.00	850.00	0.00	1500.00	1150.00
राजस्थान	5250.00	6700.00	6616.19	6800.00	0.00
सिक्किम	422.00	330.00	500.00	600.00	3125.00
तमिलनाडु	4500.00	3360.00	4275.00	4300.00	300.00
त्रिपुरा	630.00	900.00	715.34	800.00	2005.00
उत्तर प्रदेश	7500.00	6685.00	7375.00	7000.00	400.00
उत्तरांचल	1400.00	1290.00	1600.00	1600.00	3205.00
पश्चिम बंगाल	2500.00	1427.47	1920.00	2400.00	719.00
दिल्ली		80.00	50.00	100.00	1200.00
पाण्डिचेरी	135.00	100.00	0.00	100.00	0.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90.00	100.00	100.00	100.00	50.00
चण्डीगढ़	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00
दादर और नगर हवेली	135.00	100.00	10.00	50.00	0.00
दमन और द्वीव	45.00	0.00	0.00	25.00	0.00
लक्षद्वीप	90.00	100.00	50.00	100.00	0.00
कुल	63182.10	58400.85	62691.56	69500.00	33574.00

[अनुवाद]

ऊपरी कोलब सिंचाई परियोजना

1658. श्री परसुराम माझी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा की ऊपरी कोलब सिंचाई परियोजना की प्राक्कलित लागत कितनी है;

(ख) क्या उक्त परियोजना को सितम्बर, 2000 में मंजूरी मिलने के बावजूद भी ये परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है; और

(ग) यदि हां, तो अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं और इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऊपरी कोलब परियोजना की नवीनतम प्राक्कलित लागत 492.32 करोड़ रुपए है और परियोजना का निन्यानवें प्रतिशत से अधिक भाग पूरा किया जा चुका है। इस परियोजना को मार्च, 2005 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विदेशों से ऋण

1659. श्री मनोज कुमार: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार झारखंड में पलामू के किले को विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता एवं एलोरा के संरक्षण तथा अवसंरचना विकास हेतु भारत सरकार ने जापान सरकार से विदेशी ऋण प्राप्त किए हैं।

(ख) झारखंड में पलामू के किले को विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पारम्परिक वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का पुनरूद्धार

1660. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष देश की वर्षा जल की पारम्परिक संग्रहण प्रणाली के पुनरूद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य में अभी तक ऐसा कोई प्रयोग किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुन: बहाल करने के लिए एक वृहद स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में देश के कम से कम पांच जिलों अर्थात् प्रत्येक पांच क्षेत्रों में एक जिले में प्रायोगिक परियोजना को आरंभ किया जाएगा। इस प्रस्तावित स्कीम की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये है और इस प्रयोजन के लिए निधि मौजूदा कार्यक्रमों से ली जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

1661. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य हेतु क्या प्रावधान किये हैं; और

(ग) इन निधियों को जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार ने 1394 करोड़ रुपए की शेष राशि से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.) को वर्ष 2008-09 तक पूरा करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने इस व्यय को राज्य योजना निधि और केन्द्रीय सहायता से मिलाकर पूरा करने का प्रस्ताव किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत 187.16 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्ष के लिए त्वरित सिंचाई लाभ-कार्यक्रम के तहत सहायता, समग्र रूप में राज्य के लिए त्वरित

सिंचाई लाभ कार्यक्रम के वास्ते सीमा जिस पर वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिया जा सकता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए राज्य योजना में राज्य सरकार द्वारा किया गया बजट परिव्यय, प्रत्येक वर्ष के लिए कार्यों के वास्तविक कार्यक्रम तथा पहले जारी राशियों के लिए उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है।

पंजाब में फसलों के विविधीकरण संबंधी योजना

1662. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब सरकार को फसलों के विविधीकरण हेतु योजना के लिए विनिर्दिष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए पंजाब सरकार से कुल कितने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए पंजाब सरकार को कोई वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है;

(घ) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार की इच्छानुसार क्षेत्र को चिन्हित कर लिया है; और

(ङ) इससे लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सुबानसिरी बांध परियोजना को स्वीकृति

1663. श्री किरिप चालिहा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पन विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) के निचले सुबानसिरी बांध परियोजना को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की स्वीकृति में देरी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कतिपय शर्तों को पूरा करने की शर्त पर एन.एच.पी.सी. द्वारा निर्माण की जानेवाली लोअर सुबांसिरी पन-विद्युत परियोजना को 10 जून, 2003 को पहले ही सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया है।

(ख) और (ग) अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य सरकारों से सिद्धांत रूप से अनुमोदन के अंतर्गत निर्धारित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जल संसाधनों का दोहन

1664. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के जल संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में अतिरिक्त जल संसाधन हैं;

(ग) यदि हां, तो जल संसाधनों के दोहन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लाखों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कृषि भूमि का विकास करने हेतु जल संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए दोहन न किए गए जल संसाधनों का इस्तेमाल करने अथवा जल चैनलों का विकास करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घनमीटर (बी.सी.एम.) है और इसमें से लगभग 1122 बी.सी.एम. (690 बी.सी.एम. सतही जल से और 432 बी.सी.एम. भूजल से) विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ख) और (ग) जल की उपलब्धता का आकलन नदी बेसिनवार किया जाता है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कराए गए अध्ययनों के अनुसार कुछ नदी बेसिनों/उप-बेसिनों की पहचान अधिशेष जल वाले बेसिनों/उप-बेसिनों के रूप में की गई है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में संसाधन उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने सभी संबद्ध मुद्दों पर उचित ध्यान देने के पश्चात् बाढ़ के अधिशेष जल की उपयोगिता की संभावना की जांच करने के लिए अध्ययन कराया है।

(घ) नहरों से अत्यधिक सिंचाई, दोषपूर्ण सिंचाई कार्यों, रिसाव, पर्याप्त नेटवर्क की कमी, प्राकृतिक निकास लाइनों का अवरोध इत्यादि के कारण सिंचित कमानों में अनेक क्षेत्र जल जमाव/जलमग्नता की समस्या से जूझ रहे हैं।

(ङ) और (च) अनेक सतही और भूजल स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं और आयोजना तथा अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। निर्माणाधीन जल संसाधन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में उनकी सहायता करने के लिए राज्य

सरकारों को केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि परियोजनाओं से शीघ्र लाभ प्राप्त किये जा सकें। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भूजल के पुनर्भरण का अध्ययन" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए भी 35.81 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर जारी रखा गया है। वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग के दौरान कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम "भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" प्रस्तावित की है। सिंचाई कमानों में जहां स्थान विशिष्ट सतही और उप सतही निकास प्रणाली लगाई जा रही है वहां पर कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जल जमावग्रस्त क्षेत्रों के सुधार के लिए अनेक परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1665. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस शिकायत की ओर आकर्षित किया गया है कि विदेशी कम्पनियों को गहरे समुद्र में ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ने की अनुमति दिए जाने और उनके द्वारा अंधाधुंध मछली पकड़ने के कारण अरब सागर में मत्स्य सम्पदा पूरी तरह क्षीण होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गहरे समुद्र में ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए अनुमति दी गयी प्रत्येक कम्पनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन्होंने कितनी मात्रा में मछली पकड़ी और सरकार द्वारा इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या सरकार का इन कम्पनियों पर कोई नियंत्रण है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कम्पनियों की मछली पकड़ने को गतिविधियों पर नियंत्रण रखने वाली सरकारी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। अरब सागर की मत्स्य सम्पदा में संभावित कमी के बारे में विभिन्न वर्गों की आशंका की बात सरकार के ध्यान में आई है। तथापि, यह बताना है कि विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जैड.) में विदेशी कम्पनियों को विदेशी मत्स्यन जलयानो को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एन.सी.सी.एफ. में सतर्कता के मामले

1666. श्री रघुनाथ झा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एन.सी.सी.एफ. में सतर्कता के कितने मामले प्रकाश में आए, उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ख) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने शिकायत पंजिका, जांच पंजिका तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही पंजिका के लिए कोई प्रोफार्मा निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या एन.सी.सी.एफ. में इन पंजिकाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) 37 मामले। मामलों के ब्यौरे और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक के दौरान रजिस्टर्ड सतर्कता मामलों के ब्यौरे तथा लगाए गए दण्ड/वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मामलों के ब्यौरे	लिप्त अधिकारियों के नाम	की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति
1999-00			
1.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक	(1) श्री एम.आर. सुमन, सहा. प्रबंधक (2) श्री पी.डी. शर्मा, लेखाकार	(1) 2 वर्ष के लिए 5 स्टेजों तक समय मान में निचले स्तर पर करने का बड़ा दण्ड

क्र.सं.	मामलों के ब्यौरे	लिप्त अधिकारियों के नाम	की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति
	आपूर्ति निगम, शिमला को साबुत चने की आपूर्ति में अनियमितताएं।		(2) 2 वर्ष के लिए 2 स्टेजों तक समय मान में निचले स्तर पर करने का बड़ा दण्ड
2.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की दिल्ली शाखा द्वारा मैसर्स जैन मोटर्स को 100000 रु. की सुरक्षा जमा राशि को रिलीज करने में अनियमितताएं।	श्री वी. वैद्यनाथन, महा प्रबंधक	(1) निन्दा का छोटा दण्ड मैसर्स जैन मोटर्स क. से एक लाख रुपए वसूले गए।
3.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, इन्दौर में झूठे शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।	श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक	एल.डी.सी. से चपरासी के पद पर पदावन्नत करके बड़ा दण्ड और अधिक भुगतान की राशि की वसूली। समयमान में एक वर्ष के लिए एक स्टेज की कमी का बड़ा दण्ड।
4.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की दिल्ली शाखा द्वारा बाईंडिंग और प्रिंटिंग मशीनों की आपूर्ति में अनियमितताएं।	(1) श्री जे.एस. आहलूवालिया, प्रबंधक	(1) समयमान में एक वर्ष के लिए एक स्टेज की कमी का बड़ा दण्ड
		(2) श्री आर.के. सतीजा, प्रबंध	(2) निन्दा का छोटा दण्ड
		(3) श्री वी.के. तलवार, प्रबंधक	(3) निन्दा का छोटा दण्ड
		(4) श्री बी.पी. कालिया, सहा. प्रबंधक	(4) निन्दा का छोटा दण्ड
		(5) श्री पूरन चन्द्र, प्रबंधक	(5) निन्दा का छोटा दण्ड
5.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, मुंबई में कम मार्जिन वसूलना	श्री एम. धनराज, उप प्रबंधक	निन्दा का छोटा दण्ड
6.	गुड चिरोली (महाराष्ट्र) में चावल में भूसी और छिलका की मिलावट	श्री के.बी. बागले, वित्त अधिकारी	समयमान में दो वर्ष के लिए एक स्टेज की कमी का बड़ा दण्ड।
7.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कोलकाता में जब्त वस्तुओं के उठान में प्राथमिक सहकारी समितियों को अनुचित सहायता	(1) श्री बी. चक्रवर्ती, सहा. प्रबंधक (लेखा)	(1) समयमान में दो वर्ष के लिए दो स्टेज की कमी का बड़ा दण्ड।
		(2) श्री पी.बी. चक्रवती, लेखाकार	(2) समयमान में दो वर्ष के लिए दो स्टेज की कमी का बड़ा दण्ड।
8.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ में जब्त वस्तुओं की बिक्री में अनियमितताएं	श्री एल.बी. सिंह, प्रबंधक	समयमान में 1 वर्ष के लिए 1 स्टेज की कमी का बड़ा दण्ड।
2000-01			
9.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, विजाग में सरकारी पैसे को अनधिकृत रूप से रखे रखने के बारे में शिकायत	श्री हरि नेने, वरिष्ठ लेखा लिपिक	एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
10.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, गुवाहाटी में विभिन्न व्यावसायिक सौदों में	(1) श्री एच. बर्मन, सहा. प्रबंधक (लेखा)	(1) 2 वर्ष के लिए 2 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
	अनियमितताएं	(2) श्री एस. बर्काकाती, सहा. प्रबंधक	(2) 2 वर्ष के लिए 2 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
		(3) श्री एस. घोष विश्वास, वित्त अधिकारी	(3) 2 वर्ष के लिए 2 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।

क्र.सं.	मामलों के ब्यौरे	लिप्त अधिकारियों के नाम	की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति
		(4) श्री बी.डी. बरुआ, उप प्रबंधक	(4) 2 वर्ष के लिए 2 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
11.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कटक में विभिन्न व्यावसायिक सौदों में अनियमितताएं	(1) श्री वी.के. झा, सहा. प्रबंधक (2) श्री डी.के. चक्रवर्ती, सहा. प्रबंधक (लेखा)	(1) निन्दा का छोटा दण्ड (2) निन्दा का छोटा दण्ड
		(3) श्री पी.के. दास सामंत, वित्त अधिकारी	(3) निन्दा का छोटा दण्ड
		(4) श्री के. दास, सहा. प्रबंधक	(4) निन्दा का छोटा दण्ड
12.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की दिल्ली शाखा द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को उच्च दरों पर घटिया सामग्री की आपूर्ति	(1) श्री जी.एन. सिंह, सहा. प्रबंधक	(1) 1 वर्ष के लिए 1 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
		(2) श्री पी.पी. सिंह, सहा. प्रबंधक	(2) 1 वर्ष के लिए 1 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
		(3) श्री ए.के. सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक	(3) निन्दा का छोटा दण्ड।
13.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मुख्यालय में झूठे शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना	श्री पी.के. रॉय, वित्त अधिकारी	अनिवार्य सेवा निवृति का बड़ा दण्डा
14.	दिल्ली शाखा के अधिकारियों द्वारा स्टेशनरी मदों की दरों के सत्यापन में अनियमितताएं	(1) श्री विनय शर्मा, वित्त अधिकारी (2) श्री रामजी वर्मा, उच्च श्रे. लि.	(1) निन्दा का छोटा दण्ड (2) निन्दा का छोटा दण्ड
15.	दिल्ली शाखा द्वारा स्टेशनरी मदों की दरों के सत्यापन में अनियमितााएं	(1) श्री के.के. अधिकारी, वित्त अधिकारी (2) श्री प्रदीप निगम, वित्त अधिकारी	(1) निन्दा का छोटा दण्ड (2) निन्दा का छोटा दण्ड
16.	जबलपुर में अप्राधिकृत रूप से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का संपर्क कार्यालय खोलना	(1) श्री शौकत अली, सहा. प्रबंधक	समयमान में 1 वर्ष के लिए 1 स्टेज की कमी का बड़ा दण्ड
17.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कोलकाता में प्रामाणित धान बीज के खरीद/फरोख्त में अनियमितताएं	(1) श्री पी.सी. सिंह, उप प्रबंधक (2) श्री बी. सरकार, सहा. प्रबंधक	(1) निन्दा का छोटा दण्ड (2) निन्दा का छोटा दण्ड
18.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, मुंबई में जब्त अफीम के बीजों की बिक्री में अनियमितताएं	श्री एम. धनराज, उप प्रबंधक	समयमान में 1 वर्ष के लिए 1 स्टेज की कमी का बड़ा दण्ड।
2001-2002			
19.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कोलकाता में प्राथमिक सोसायटियों को जब्त की गई वस्तुओं की सीधी बिक्री में अनियमितताएं	(1) श्री पी.सी. सिंह, उप प्रबंधक (2) श्री बी. सरकार, सहा. प्रबंधक (3) श्री डी.सी. दत्ता, सहा. प्रबंधक (4) श्री आर.एन. मुखर्जी, सहा. प्रबंधक	अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई बड़े दण्ड की कार्रवाई में जांच रिपोर्टें और रिपोर्टों पर अधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की कार्यकारी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

क्र.सं.	मामलों के ब्यौरे	लिप्त अधिकारियों के नाम	की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति
20.	दिल्ली में डाक तार भवन के शो रूम में अनाधिकृत खरीद	(1) श्री दीन बंधु सिंह, उ.श्रे.लि.	(1) 1 वर्ष के लिए 1 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
		(2) श्री जगमिन्दर लाल, उ.श्रे.लि.	(2) 1 वर्ष के लिए 1 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
21.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, भोपाल द्वारा डब्ल्यू.एफ.पी. को बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम से 2,970 मिट्रिक टन गेहूं की खरीद में अनियमितताएं	(1) श्री शौकत अली, सहा. प्रबंधक (2) श्री आई.बी. सिंह, वित्त अधिकारी	केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अधिकारियों के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। मामले को बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया है।
22.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कानपुर/ लखनऊ में कम्प्यूटर/स्टेशनरी की मदों की उच्च दरों पर बिक्री में अनियमितताएं	(1) श्री शौकत अली, सहा. प्रबंधक (2) श्री एम.के. सिंह, सहा. प्रबंधक (3) श्री ऐ.के. चौधरी, सहा. प्रबंधक	(1) चेतावनी दी गई। (2) चेतावनी दी गई। (3) चेतावनी दी गई।
23.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, बैंगलोर द्वारा की गई आउट टू आउट बिक्री में अनियमितताएं	(1) श्री बी.बी. शेट्टी, प्रबंधक	चेतावनी दी गई।
24.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, बैंगलोर द्वारा भारत एरोनॉटिक लि. को उच्च दरों पर सूरज मुखी के तेल की बिक्री	(1) श्री एम.सी. नायर, सहा. प्रबंधक (2) श्री आर. शिवानाथम, वित्त अधिकारी	(1) निन्दा का छोटा दण्ड (2) 1 वर्ष के लिए 1 वेतन वृद्धि रोक कर छोटा दण्ड।
2002-03			
25.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, जम्मू द्वारा व्यावसायिक सौदों में अनियमितताएं	(1) श्री डी.के. मंगोत्रा, सहा. प्रबंधक (2) श्री एस.डी. शेख, वित्त अधिकारी (3) श्री डी.सी. सक्सेना, व.ले.लि.	(1) चेतावनी दी गई। (2) निन्दा का छोटा दण्ड (3) निन्दा का छोटा दण्ड
26.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नौएडा को काली सूची में डालना	श्री सी.एम. मेहरा, सहा. प्रबंधक	चेतावनी दी गई।
27.	मैसर्स सीटी शूज द्वारा 12,500 मिट्रिक टन चावल का निर्यात न करना	(1) श्री डी.के. त्यागी, प्रबंधक (2) श्री आर.सी. पुरी, उप प्रबंधक (3) श्री वी.के. कोहली, उप प्रबंधक (4) श्री प्रीथी सिंह, सहा. प्रबंधक (5) श्री एम.के. ककारिया, सहा. प्रबंधक (लेखा)	श्री डी.के. त्यागी, प्रबंधक को 30.6.2004 से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य चार दोषी अधिकारियों के खिलाफ इस समय कार्यवाही चल रही है। मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी छानबीन की जा रही है।
28.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, दिल्ली शाखा के जरिए मैसर्स प्रियदर्शिनी पेपर प्रोडक्ट द्वारा कपड़ों की आपूर्ति में अनियमितताएं	(1) श्री वी.के. कोहली, उप प्रबंधक (2) श्री आर.सी. पुरी, उप प्रबंधक (3) श्री एस.के. धवन, सहा. प्रबंधक (4) श्री डी.के. त्यागी, प्रबंधक (5) श्री एम.के. ककारिया, सहा. प्रबंधक (लेखा)	अन्य मामले में श्री डी.के. त्यागी, प्रबंधक को 30.6.2004 से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य चार दोषी अधिकारियों के खिलाफ इस समय कार्यवाही चल रही है।

क्र.सं.	मामलों के ब्यौरे	लिप्त अधिकारियों के नाम	की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति
29.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, श्रीनगर में व्यावसायिक सौदों में अनियमितताएं	(1) श्री एम.ए. खान, उप प्रबंधक (2) श्री जी.आर. शेख, सहा. प्रबंधक	शिकायत में कोई तर्क नहीं पाया गया और मामले को बंद कर दिया गया है।
30.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, हैदराबाद द्वारा ए.पी.वी.सी.सी., हैदराबाद को रिक्शों की बिक्री	श्री एम.ए. थोमस, सहा. प्रबंधक	निन्दा का छोटा दण्ड दिया गया।
31.	ओखला, नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के भवन के निर्माण के ठेके में अनियमितताएं	श्री टी.टी. अधिकारी, पूर्व प्रबंधक निदेशक	श्री अधिकारी को सरकार की नाराजगी से अवगत करा दिया गया है।
32.	दिल्ली शाखा द्वारा सरकारी विभागों को ऊंची दरों पर कम्प्यूटरों और लेपटाप की आपूर्ति	(1) श्री वी.के. कोहली, उप प्रबंधक (2) श्री एम.के. सिंह, सहा. प्रबंधक	(1) चेतावनी (2) चेतावनी सप्लायरों से 1,06,700 रु. की वसूली भी की गई।
33.	मैसर्स पी.के.एस. लि. के जरिए बंगलादेश को 3319 मिट्रिक टन पार बोईल्ड की आपूर्ति	(1) श्री जी. सेन, उप प्रबंधक (लेखा) (2) श्री बी. सरकार, सहा. प्रबंधक	दोनों दोषी अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई बड़े दण्ड की कार्रवाई में इस समय मौखिक पूछताछ की जा रही है।
2003-04			
34.	दिल्ली शाखा द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को ऊंची दरों पर स्टेशनरी तथा अन्य कार्यालय उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति	(1) श्री जी.एन. सिंह, सहा. प्रबंधक (2) श्री पी.पी. सिंह, सहा. प्रबंधक	दोनों दोषी अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई बड़े दण्ड की कार्रवाई में इस समय मौखिक पूछताछ की जा रही है।
35.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, जम्मू द्वारा स्टेशनरी मदों की ऊंची दरें वसूला जाना	श्री डी.के. मंगोत्रा, सहा. प्रबंधक	निन्दा का छोटा दण्ड
36.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कोलकाता में जब्त वस्तुओं के वितरण में कथित अनियमितताएं	पता नहीं चला	शिकायत में कोई तर्क नहीं पाया गया और मामले को बंद कर दिया गया है।
37.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कोलकाता द्वारा मैसर्स आर. प्यारेलाल इंटरनेशनल द्वारा सड़क मार्ग से बंगलादेश को 1,00,000 मिट्रिक टन गेहूं और चावल के निर्यात में अनियमितताएं	श्री जी.सेन, उप प्रबंधक (लेखा)	इस समय मामले की जांच की जा रही है।

घटिया चावल की खरीद

1667. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान घटिया चावल की खरीद की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे घटिया चावल की खरीद के लिए कोई जांच कराई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य, और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने भारत

सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्टियों में छूट देने के निर्णय के अनुसार चावल के स्टाक की वसूली की।

(ग) और (घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किसी जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं।

जब्त इमारती लकड़ी की बिक्री से अर्जित आय

1668. श्री मणि चारेनामै: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995 के.डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 202 और 1996 के.डब्ल्यू.पी. (सी) सं.-171 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के उत्पादों की बिक्री से अर्जित कुल आय में से राज्य आधी राशि का स्थानीय जनजातीय आबादी द्वारा वन रोपण और जनजातीय लोगों को सहायता के रूप में उपयोग करेंगे तथा शेष आधी राशि राज्य में अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के लिए राज्य के खजाने में जाएगी;

(ख) यदि हां, तो मणिपुर राज्य में वन विभाग द्वारा एकत्र राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वृक्षारोपण हेतु तथा जनजातीय लोगों को सहायता के रूप में कितनी राशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी.) सं. 202/95 में आदेश के तहत यह निदेश दिया है कि जब्त की गई इमारती लकड़ी की कुल बिक्री के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए तथा निपटाए गए इमारती उत्पादों तथा शास्तियों से प्राप्त राशि को राज्य के राजस्व में जमा किया जाएगा। इसमें से आधी धनराशि का उपयोग स्थानीय जनजातीय आबादी द्वारा प्लांटेशन के लिए तथा जनजातीय लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। कुल बिक्री का शेष आधा भाग खर्चों को घटाने के बाद राज्य के खजाने में राज्य के अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।

(ख) 40,67,577/-रुपए (चालीस लाख सड़सठ हजार पांच सौ सतत्तर रुपये केवल) की धनराशि मणिपुर वन विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुसरण में पकड़ी गई टिम्बर के एक भाग की बिक्री द्वारा प्राप्त की गई है।

(ग) स्थानीय जनजातीय आबादी द्वारा प्लांटेशन उगाने और जनजातियों को सहायता के लिए कोई राशि अब तक खर्च नहीं की गई है।

बंद प्रतिष्ठानों की भविष्य निधि देय

1669. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंद/निलंबित/तालाबन्द प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान न करने की शिकायतें बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बंद/निलम्बित/तालाबंदी वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कर्मचारियों की भविष्य निधि देयराशि के भुगतान को नियमित रूप से मॉनीटर करता है।

नियोजनों द्वारा कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गए किन्तु कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा न करवाए गए कर्मचारियों के अंश का विशेष आरक्षित निधि से भुगतान करके कामगारों के हित का संरक्षण किया जाता है।

निम्नलिखित मामलों के संबंध में भी विशेष आरक्षित निधि से नियोजक के अंश का भुगतान किया जाता है:—

(i) ऐसे प्रतिष्ठान जिनका परिसमापन किया जा रहा है;

(ii) ऐसे प्रतिष्ठान जो पांच वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि तक निरन्तर बंद रहे हों;

(iii) एन.टी.सी. की मिलें (पूर्व-अधिग्रहण/पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि)

सिंचाई योजनाएं

1670. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल की कौन सी सिंचाई योजनाओं को गत दो वर्षों के दौरान योजनावार विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितना कार्य किया गया;

(ग) पश्चिम बंगाल के कितने सिंचाई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं और इनके लम्बन के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की किसी भी सिंचाई स्कीम को कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) "कंग्सावती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण" सम्बन्धी प्रस्ताव को पर्यावरणीय अनापत्ति के

अध्यधीन 27.1.1988 को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तब से राज्य सरकार ने उपर्युक्त परियोजना के कार्य क्षेत्र में दो बार परिवर्तन किया है और पिछले संशोधित प्रस्ताव पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां 1998 के दौरान अनुपालन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के पास भेज दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का पूर्णत: अनुपालन नहीं किया है। द्वारकेश्वर गंधेश्वरी जलाशय सम्बन्धी प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में जनवरी, 2004 में प्राप्त हो गई थी। जिसके संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की 'सैद्धान्तिक' सहमति की सूचना मार्च, 2004 में राज्य सरकार को दे दी गई है। सिद्धेश्वरी नून बील जलाशय परियोजना के जल विज्ञानी पहलुओं की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई है और इसकी टिप्पणियां अनुपालन के लिए राज्य सरकार के पास भेज दी गई हैं। राज्य सरकार ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी विश्व बैंक सहायता के लिए "लघु सिंचाई विकास परियोजना" पर 8 जून 2004 को एक संकल्पना नोट प्रस्तुत किया है। जल संसाधन मंत्रालय की टिप्पणियां 28.6.2004 को राज्य सरकार के पास भेज दी गई है।

राजधानी को मर्करी के जहर का खतरा

1671. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री राजेश वर्मा:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 2 जुलाई, 2004 के "दि हिंदू" में प्रकाशित समाचार के अनुसार राजधानी के सामने मर्करी के जहर का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वस्तु स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव मर्करी तथा "मेडिकल वेस्ट इंसीनेरेशन" के आयात को प्रतिबंधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मामले में अभी तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) "राजधानी को मर्करी जहर का खतरा" शीर्षक के समाचार में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में मर्करी के प्रयोग और निपटान से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है। यह समाचार क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन टाक्सिक लिंक की रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों और क्लिनिकों में नियमित रूप से प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मानीटर, बैरोमीटर आदि और डेन्टल एमलगम जैसे विभिन्न उपकरणों में मर्करी होती है जिनका उपयुक्त निपटान न किए जाने के कारण मर्करी प्रदूषण को बढ़ाता है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2003 में यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के अनुसर मर्करी युक्त अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध है। यद्यपि उद्योगों जैसे क्लोरलकली, कीटनाशी और ड्रग्स, हलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रानिक उपकरण, डेन्टल एमलगम, डाक्टरी थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में प्रयोग के लिए शुद्ध (मैटल) मर्करी के आयात की अनुमति है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अंतर्गत मर्करी से संदूषित अपशिष्ट निपटान मदों से उत्पन्न सहित ठोस अपशिष्टों को भस्म करने की अनुमति नहीं है।

केरल में गरीबी रेखा से नीचे के लोग

1672. श्री पी.सी. थामस: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार केरल में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा केरल को राज्य सहायता प्राप्त दरों पर प्रदान किए गए गेहूं सहित अन्य खाद्यान्नों की वस्तु-वार गुणवत्ता कैसी थी;

(ग) क्या केरल को आवंटित खाद्यान्न राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत के महापंजीयक के आबादी प्रक्षेपणों के आधार पर अद्यतन किए गए योजना आयोग (1993-94) के निर्धनता अनुमानों के अनुसार केरल राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या 15.54 लाख है।

(ख) राज्य सरकारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप और कीट-जन्तुबाधा से मुक्त अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केरल को राजसहायता प्राप्त दरों पर प्रदान किए गए खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवारों के खाद्यान्नों की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने की परिकल्पना नहीं की गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केरल सहित सभी राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन परिवारों की अनुमानित संख्या अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के अनुसार किया जा रहा है। इस मानदंड को बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान रूप से अपनाया जा रहा है।

विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

योजना का नाम	वर्ष के दौरान किया गया आवंटन					
	2001-02		2002-02		2003-04	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1821.86	452.64	2013.65	447.90	1981.94	479.60
मध्याह्न भोजन	46.69	—	47.11	—	43.33	—
अन्नपूर्णा	4.51	—	—	—	3.72	—
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	41.52	—	100.00	10.00	68.59	21.10
काम के बदले अनाज/सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक	5.00	—	52.00	—	61.00	—
किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	—	—	2.40	—	9.60	—
कल्याण संस्थाएं/हॉस्टल	1.61	—	27.62	—	27.60	—

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयां

1673. श्री शिशुपाल एन. पाटले:

प्रो. एम. रामदास:

श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सहित देश में उन निजी/सरकारी क्षेत्र की कंपनियों/कारखानों/औद्योगिक इकाइयों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जो जहरीली बहिस्राव इत्यादि छोड़ने से मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन गई है और जिससे भू-जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है;

(ख) सरकार द्वारा औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने उन्हें बहिस्राव शोधन संयंत्र (ई.टी.पी.) लगाने अथवा इकाइयों को बंद करने अथवा उन्हें कहीं और स्थानांतरित करने के लिए निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन इकाइयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या जिन्हें गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्थानांतरित/बंद किया गया;

(च) क्या प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने/बंद करने हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में 17 श्रेणियों के अंतर्गत अत्यधिक प्रदूषण फैला रहे उद्योगों के रूप में कुल 2155 उद्योगों की पहचान की गई है। इनमें से 53 चूककर्ता उद्योग पाए गए हैं। इन अभिज्ञात उद्योगों की राज्य-वार ब्योरा विवरण में संलग्न है।

(ख) से (ङ) प्रदूषण फैला रहे उद्योगों के विरुद्ध कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ शामिल है:

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित मानकों के अनुपालन के लिए उद्योगों को नोटिस/निर्देश जारी किए गए।
- प्रदूषण उद्योगों के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.एस.) द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई।
- पर्यावरण सुरक्षा के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व (सी.आर.ई.पी.) के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए उद्योगों की 17 श्रेणियों हेतु कार्य बिन्दुओं का क्रियान्वयन तैयार किया गया।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधनों तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और इसके संशोधनों के तहत पर्यावरणीय निगरानी हेतु नियमित मॉनीटरी की जाती है।

(च) और (छ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं और कुछ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पांडिचेरी और उड़ीसा ने प्रदूषण उत्पन्न कर रहे उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

विवरण

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	इकाइयों की कुल सं.	स्थिति (इकाइयों की सं.)		
			बंद	सी #	चूककर्ता ##
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	269	29	240	00
2.	अरुणाचल प्रदेश	00	00	00	00
3.	असम	16	03	12	01
4.	बिहार	46	19	27	00
5.	छत्तीसगढ़	25	02	21	02
6.	गोवा	08	00	08	00
7.	गुजरात	283	10	272	01
8.	हरियाणा	107	24	69	14
9.	हिमाचल प्रदेश	11	00	11	00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	10	03	07	00
11.	झारखंड	21	03	16	02
12.	कर्नाटक	116	17	99	00
13.	केरल	43	06	37	00
14.	मध्य प्रदेश	78	15	61	02
15.	महाराष्ट्र	392	26	356	10
16.	मणिपुर	00	00	00	00
17.	मेघालय	01	00	01	00
18.	मिजोरम	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6
19.	नागालैंड	00	00	00	00
20.	उड़ीसा	29	03	21	05
21.	पंजाब	72	09	60	03
22.	राजस्थान	108	08	96	04
23.	सिक्किम	01	00	01	00
24.	तमिलनाडु	156	02	154	00
25.	त्रिपुरा	00	00	00	00
26.	सं.शा.प्र.-अंडमान और निकोबार	00	00	00	00
27.	सं.शा.प्र.-चंडीगढ़	01	00	01	00
28.	सं.शा.प्र.-दमन एवं दीव दादर और नागर हवेली	00	00	00	
29.	सं.शा.प्र.-दिल्ली	05	01	04	00
30.	सं.शा.प्र.-लक्षद्वीप	00	00	00	00
31.	सं.शा.प्र.-पांडिचेरी	08	01	07	00
32.	उत्तरांचल	20	00	20	00
33.	उत्तर प्रदेश	263	27	232	04
34.	पश्चिम बंगाल	66	17	44	05
	कुल	2155	225	1877	53

मानदंडों के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं।

मानदंडों के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

[अनुवाद]

तटीय जोन प्रबन्धन योजना

1674. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के लिए समेकित तटीय जोन प्रबन्धन योजनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह में चुने हुए तटीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

वितरण हेतु नई योजना

1675. श्री थावरचन्द गेहलोत:

प्रो. एम. रामदास:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर कोई नयी प्रणाली लागू करने का है;

—

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या चालू योजनाओं के लाभ निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों को मिलते रहेंगे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतमों के लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसमें गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह देने का प्रावधान किया गया था। निर्गम की मात्रा को अप्रैल, 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना, जिसमें शुरू में एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को कवर किया गया था, का जून, 2003 में विस्तार किया गया था ताकि इसमें 1.50 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को कवर किया जा सके। अब इसका और विस्तार किया जा रहा है ताकि और 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, विशेष कर जो भुखमरी के कगार पर हैं, को कवर किया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए अंत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अन्नपूर्णा और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि जैसी अन्य अनुपूरक कल्याण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

पैकेज टूर पर वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

1676. श्रीमती जयाप्रदा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों के लिए पैकेज टूर पर वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत रियायत देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश को पर्यटन उद्योग के एक केन्द्र में परिवर्तित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं:—

1. भारत पर्यटन विकास निगम, विभिन्न भारत पर्यटन विकास निगम होटलों में, कमरे के किराए पर 50 प्रतिशत रियायत प्रदान करता है।
2. एयर इंडिया द्वारा सेवा दिए जा रहे घरेलू क्षेत्रों पर, वरिष्ठ नागरिकों के मूल किराए पर, एयर इंडिया 55 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है।
3. दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम लिमिटेड, वरिष्ठ नागरिकों को पैकेज टूर के परिवहन खंड पर 30 प्रतिशत रियायत देता है।
4. इंडियन एयरलाइन्स अपनी घरेलू उड़ानों पर वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत रियायत दे रहा है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए नई योजनाएं, यथा, पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास, भारी राजस्व सर्जक परियोजनाओं हेतु सहायता तथा सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण, शुरू की हैं। वार्षिक आधार पर देश में छः पर्यटन परिपथों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने हेतु, अभिनिर्धारित किया जाता है। इन परिपथों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाता है और विकासित किया जाता है। पर्यटन विभाग उनके विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में, भारत का विपणन करने के उद्देश्य से, इलेक्ट्रानिक/प्रिंट तथा इंटरनेट मीडिया के तत्वों को कवर करते हुए, एक एकीकृत अभियान के माध्यम से, विभाग ने भारत को "इन्क्रेडिबल इंडिया" के रूप में अवस्थित और ब्रांड किया है। विभाग ने, पर्यटक सूचना ब्रोशर से पोस्टर, स्क्रॉल आदि के रेंज में, विश्व स्तर की प्रचार-सामग्री का भी उत्पादन किया है।

बांस का संवर्धन

1677. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बांस के संवर्धन तथा इसके विकास इत्यादि के संबंध में 37 करोड़ रुपये की लागत वाला कोई प्रस्ताव/परियोजना मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार का इन योजनाओं को कब तक मंजूरी देने तथा उनके लिए कब तक निधियां जारी करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) तराई, अर्द्धशुष्क विंध्यान और बुंदेलखंड क्षेत्र के वन क्षेत्रों में बांस के विकास और संरक्षण का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए 36.93 करोड़ रुपए का है जो 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि प्रचालनों के लिए और वन क्षेत्र के 5000 हेक्टेयर में पौध रोपण शुरू करने के लिए है।

(ग) राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत प्रस्तावित परियोजना को वित्त पोषित किया जा सके। उनको यह भी परामर्श दिया गया है कि मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण के तहत केन्द्रीय निधिकरण के लिए संबंधित प्रभागीय वन विकास एजेंसी (एफ.डी.ए.) में अपनी परियोजना के घटकों को शामिल करें।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण एककों में कर्मचारियों की कमी

1678. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, कृषि उद्यमी राज्य स्तर पर कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के समक्ष राज्य स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के कारण पेश आने वाली कोई विशेष कठिनाई केंद्र सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्तियां प्रत्यायोजित करना अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि की उत्पादन लागत

1679. श्री अजीत जोगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सिंचाई योग्य भूमि के क्षेत्र में विस्तार करके तथा उत्पादन दर में वृद्धि करके कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत का निर्धारण उपज और खेती की लागत दोनों से किया जाता है। चूंकि उपज बढ़ाने वाले आदानों के उपयोग को सुकर बनाकर उपज को बढ़ाने की सिंचाई में काफी संभावना है इसलिए सरकार ने सिंचाई को प्राथमिकता से ध्यान देने हेतु अभिवृद्धि क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। इसके अलावा, किसानों को उपज बढ़ाने वाले आदानों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने ग्रामीण ऋण तथा ग्रामीण अवसंरचना की अभिवृद्धि क्षेत्रों के रूप में पहचान की है। केन्द्र सरकार के बजट 2004-05 ने अभिवृद्धि क्षेत्रों के अधीन निम्नलिखित मदों की पहचान की है:—

(i) तीन वर्षों में कृषि ऋण को दोगुना करना;

(ii) सिंचाई प्रणाली को तेजी से पूरा करना; तथा

(iii) ग्रामीण अवसंरचना में निवेश करना।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकीय पर्यटन

1680. श्री दिनशा पटेल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पारिस्थितिकीय-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-सरकारों को कितनी सहायता प्रदान की गई?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं की शर्त पर, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पारिस्थितिकीय-पर्यटन को शामिल करते हुए पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्योरा विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं (रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	167.85	2	507.50	6	946.50
2.	असम	7	167.50	9	768.13	3	313.46
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	321.90	5	41.30	6	1044.60
4.	बिहार	1	1.35	8	505.00	6	1019.42
5.	छत्तीसगढ़	3	35.00	9	308.00	6	1005.00
6.	गोवा	9	93.73	1	0.50	2	36.76
7.	गुजरात	11	305.50	2	197.12	8	920.51
8.	हरियाणा	7	125.44	8	332.25	16	1215.38
9.	हिमाचल प्रदेश	12	157.64	30	779.32	4	182.32
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3	65.50	3	94.38	5	895.00
11.	झारखंड	2	80.00	0	0	2	1109.00
12.	कर्नाटक	8	254.76	6	902.49	14	932.66
13.	केरल	11	680.08	11	861.36	6	608.50
14.	मध्य प्रदेश	11	256.37	18	711.18	10	621.90
15.	महाराष्ट्र	10	1128.20	8	623.46	10	931.83
16.	मणिपुर	0	0.00	2	5.24	1	82.44
17.	मेघालय	5	87.87	3	70.35	2	40.22
18.	मिजोरम	6	73.25	6	141.16	5	567.70
19.	नागालैण्ड	5	41.54	5	360.50	4	711.00
20.	उड़ीसा	4	38.05	2	47.50	5	419.55
21.	पंजाब	3	17.50	3	23.00	2	96.00
22.	राजस्थान	2	5.00	13	1098.70	14	1644.81
23.	सिक्किम	5	108.33	13	346.24	8	1151.09
24.	तमिलनाडु	20	533.67	5	559.00	14	1339.82

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	5	114.40	5	216.13	6	450.17
26.	उत्तरांचल	3	65.51	3	548.00	4	230.44
27.	उत्तर प्रदेश	5	55.74	3	295.00	7	1115 80
28.	पश्चिम बंगाल	17	229.85	5	201.10	10	717.44
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0.00	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	2	8.00	3	7.75	2	10.00
31.	दादर एवं नगर हवेली	1	3.70	2	8.07	0	0
32.	दिल्ली	6	55.01	14	504.00	17	3316.28
33.	दमन एवं द्वीव	1	5.00	3	49.50	1	265.07
34.	लक्षद्वीप	1	17.00	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	3	78.61	2	7.87	1	245.17
	जोड़	209	5609.35	212	11121.10	207	24185.84

पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में खारे पानी का प्रवेश

1681. श्री अधीर चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) ने पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में खारे पानी के प्रवेश संबंधी अध्ययन शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो खारे पानी के प्रवेश से प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्य योजना रिपोर्ट

1682. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रस्तुत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्य योजना-दो रिपोर्ट में जन-उपयोग की चुनी हुई वस्तुओं पर बराबर जल प्रभार तथा शुल्क लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने नदियों को जोड़ने से पूर्व पानी का परीक्षण करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार की देश की नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता की पूर्णत: परामर्शी ढंग से व्यापक समीक्षा करने की योजना है।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए आवास योजना

1683. श्री हरिकेवल प्रसाद:

श्री बीर सिंह महतो:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई.पी.एफ. के माध्यम से बीड़ी कामगारों के लिए कोई आवास योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की निबंधन और शर्तें तथा अन्य प्रावधान क्या हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार इस योजना से राज्यवार कितने बीड़ी कामगार लाभान्वित हुए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से बीड़ी श्रमिकों के लिए अलग से किसी आवासीय योजना को लागू नहीं किया जाता। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के पैरा 68 ख के अनुसार, निधि के सदस्यों को, जिनमें 5 वर्ष की सदस्यता वाले बीड़ी श्रमिक भी शामिल हैं, आवासीय मकान/फ्लैट की खरीद या आवास निर्माण और इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त भू-खण्ड की खरीद के लिए निधि के राशि निकालने की अनुमति दी जाती है।

उक्त विधिक प्रावधानों के अनुरूप, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को एक स्थान पर ही आवास उपलब्ध कराने के लिए आवासीय वित्त एजेंसी के तौर पर हुडको और विभिन्न राज्य आवासीय बोर्डों/विकास प्राधिकरणों को एक साथ लाने के लिए ''सुविधा प्रदाता'' के रूप में पहल की है। इस प्रयोजनार्थ नया पैरा 68 ख ग भी इस योजना में शामिल किया गया है।

(ग) इस योजना से लाभान्वित बीड़ी श्रमिकों की संख्या से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

[अनुदान]

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के लिए धनराशि का अभाव

1684. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि अनुसंधान कार्यक्रम धनराशि के अभाव से बाधित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कौन से महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र प्रभावित हुए हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिन्धु जल संधि की समीक्षा

1685. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु जल संधि की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की समीक्षा करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वन क्षेत्र पर खनन का प्रभाव

1686. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वन क्षेत्र में लोगों को खनन गतिविधियां चलाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो वन क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों के दुष्प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अन्तर्गत केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी खनन उद्योगों के साथ ही साथ निजी व्यक्तियों के पक्ष में खनन कार्यों के लिए वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को वानिकी मंजूरी प्रदान करती है।

(ख) यदि खनन कार्य अनियमित और अवैज्ञानिक तरीके से बिना पर्याप्त शमन/पुनरूद्धार उपायों से किया जाता है तो इससे वन अवक्रमित होते हैं, भूमि, जल स्तर कम हो जाता है तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है, वनस्पति जात और प्राणिजात को हानि पहुंचती है और भूमि कटाव आदि होता है।

(ग) खनन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय केन्द्रीय सरकार गैर वनभूमि/अवक्रमित वन भूमि से दुगुनी भूमि, जैसा भी मामला हो, पर प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयुक्त योजना प्रस्तुत करना, खनन क्षेत्र के आस पास सुरक्षा क्षेत्र तैयार करने की योजना, अवक्रमित वनभूमि पर अतिरिक्त संवर्धन पौधरोपण, खान सुधार और पुनर्वास योजना, ओवर बर्डन भरण स्थिरीकरण योजना, वन्यजीव क्षेत्र के मामले में वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि सुनिश्चित करती है। इन योजनाओं का संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निष्पादन किया जाता है।

दलहन, अनाज, तिलहनों का उत्पादन

1687. श्री बी. विनोद कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार दलहनों, अनाजों, तिलहनों के उत्पादन तथा उनकी आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए अलग-अलग क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं के संबंध में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अलग-अलग निर्धारित किए गए लक्ष्यों सहित उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उत्पादन से संबंधित आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं। जहां तक आवश्यकता का प्रश्न है, दलहन तथा तिलहन का घरेलू उत्पादन इनकी आवश्यकता की तुलना में कम है, जबकि अनाज का घरेलू उत्पादन इसकी मांग के अनुरूप है। दलहन के घरेलू उत्पादन की कमी को निवल आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान क्रमश: 0.11 मिलियन टन, 2.06 मिलियन टन तथा 1.74 मिलियन टन था। तिलहन की कमी को खाद्य तेलों के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 में क्रमश: 4.18 मिलियन टन, 4.32 मिलियन टन तथा 4.27 मिलियन टन था।

(ख) अनाज फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए "कृषि का वृहद प्रबंध" स्कीम के अन्तर्गत अक्तूबर, 2000 से निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:—

(i) चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल);

(ii) गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-गेहूं);

(iii) मोटा अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज़ विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-मोटा अनाज)।

तिलहन तथा दहलन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार 1 अप्रैल, 2004 से समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम तथा मक्का स्कीम (आइसोपॉम) का कार्यान्वयन कर रही है। आइसोपॉम के अन्तर्गत प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त मदों के अखिल भारतीय लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

(मिलियन मीटरी टन)

फसल	2001-02		2002-03		2003-04*	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
अनाज	203.0	199.5	204.0	163.1	205.0	195.9
दलहन	15.0	13.4	16.0	11.1	15.0	14.9
तिलहन	28.0	20.7	27.0	15.1	24.7	25.0

* दिनांक 03.06.04 को अग्रिम अनुमान

उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वर्ष 2003-04 के दौरान तिलहन को छोड़कर लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि कम रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा किसी भी फसल के लक्ष्य का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता, तथापि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आइसोपॉम का कार्यान्वयन तिलहन व दलहन हेतु 14 राज्यों में किया जा रहा है। ये राज्य हैं—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। मक्का के लिए इस स्कीम का कार्यान्वयन 15 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। आयल पॉम के लिए इस स्कीम का कार्यान्वयन 10 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोआ, उड़ीसा, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा मिजोरम में किया जा रहा है।

विवरण

अनाज, दलहन एवं तिलहन का उत्पादन

उत्पादन ('000 मी. टन)

राज्य	अनाज			दलहन			तिलहन		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	14975.0	13697.8	9382.3	1054.2	1137.7	1068.4	2510.9	1614.0	1256.0
अरुणाचल प्रदेश	208.5	210.3	234.6	6.8	7.1	6.4	25.6	28.2	28.2
असम	4104.2	3957.3	3834.4	62.3	65.7	60.2	160.0	156.0	148.5
बिहार	11435.6	11135.1	9596.9	620.7	547.0	674.5	131.1	120.2	104.6
छतीसगढ़	2633.8	5331.0	2818.7	267.5	448.4	341.6	88.5	112.6	101.4
गोआ	143.4	127.6	135.9	9.6	8.4	7.5	3.2	2.5	4.2
गुजरात	2348.3	4525.8	3293.8	190.7	379.8	327.2	1661.7	3635.5	1683.1
हरियाणा	13195.0	13150.0	12252.0	99.4	148.1	83.8	570.7	806.9	708.7
हिमाचल प्रदेश	1092.5	1589.3	1113.9	19.7	11.1	24.1	10.1	10.0	6.4
जम्मू और कश्मीर	1101.6	1313.1	1171.3	12.9	12.7	26.7	28.1	41.8	26.6
झारखण्ड	1915.0	2198.9	2540.0	96.0	43.3	144.8	28.0	28.0	8.1
कर्नाटक	10029.8	7945.2	6031.0	956.2	751.5	800.0	1538.2	1019.0	1111.7
केरल	754.7	708.6	702.9	10.6	10.3	7.6	3.5	2.1	1.4
मध्य प्रदेश	7910.0	10382.2	7534.8	2275.4	3224.6	2211.2	4096.2	4567.6	2996.1
महाराष्ट्र	8497.5	9306.9	8771.0	1637.4	1881.0	2047.0	2098.8	2226.4	2323.7
मणिपुर	392.6	397.4	388.6	3.2	3.1	3.2	1.3	0.4	0.4
मेघालय	212.5	221.2	216.9	3.5	3.5	3.9	6.3	6.4	5.3
मिजोरम	120.1	122.4	124.1	3.9	3.9	5.0	5.4	5.1	5.1
नागालैण्ड	301.6	325.7	360.8	21.1	29.7	28.0	46.1	53.2	74.0
उड़ीसा	4771.5	7279.9	3350.3	212.7	284.2	205.0	117.9	137.5	114.4
पंजाब	25280.1	24850.9	23456.0	44.4	36.0	33.9	87.4	82.6	91.1
राजस्थान	9309.1	12577.6	7083.5	731.5	1426.1	484.5	2032.6	3129.0	1754.4
सिक्किम	98.0	93.1	96.1	5.2	5.6	5.6	6.9	6.9	5.2
तमिलनाडु	8304.2	7418.0	6661.5	312.7	313.9	272.9	1440.4	1313.0	1023.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त्रिपुरा	517.2	592.0	552.3	5.9	5.5	5.2	4.7	3.8	3.3
उत्तर प्रदेश	40554.6	41759.5	34244.8	2160.3	2377.0	2056.8	1144.6	1034.0	873.0
उत्तरांचल	1704.5	1688.5	1530.0	21.8	19.0	31.0	14.5	17.7	23.0
पश्चिम बंगाल	13595.7	16326.3	15354.6	219.3	174.9	167.1	571.0	495.4	472.8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	32.2	27.3	29.3	0.4	0.2	0.3			
दादर और नगर हवेली	23.7	33.4	24.2	5.0	6.6	4.5	0.1	0.3	0.1
दिल्ली	108.4	119.1	81.5	0.4	0.4	1.2	2.3	2.0	2.1
दमन और दीव	3.2	4.0	4.3	1.3	1.1	1.2			
पाण्डिचेरी	64.3	67.7	72.3	3.6	0.7	2.8	0.7	3.4	3.5
अखिल भारत	185738.5	199483.1	163044.6	11075.6	13368.1	11143.1	18436.8	20662.4	14959.7

केरल में ई.एस.आई अस्पताल

1688. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने केरल के आश्रमम, कोल्लम में ई.एस.आई अस्पताल हेतु नया भवन निर्मित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा कोई राशि स्वीकृत की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है और अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अप्रैल, 2004 में 1110.93 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है तथा उनमें से अब तक 200.00 लाख रुपये की राशि निर्गत की जा चुकी है।

[हिन्दी]

बालश्रम को समाप्त करना

1689. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बालश्रम की प्रथा समाप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) पांच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 21 जिलों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

यह परियोजना अगस्त, 2000 में श्रम मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के बीच हस्ताक्षरित ''इनहांस्ड इंडो-यू.एस. कोआपरेशन ऑन एलीमिनेटिंग चाइल्ड लेबर'' पर संयुक्त वक्तव्य की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में तैयार की गई है। इस परियोजना के लिए निधियां दोनों देशों द्वारा दी जाएंगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के कृषकों को मुआवजा

1690. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को कृषकों द्वारा कम मूल्य पर अपने धान बेचने के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार यही सुविधा अन्य राज्यों के किसानों को भी उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित करती है ताकि पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) तथा राज्य एजेन्सियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रचालन आयोजित करते हैं ताकि मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोका जा सके।

अरावली शृंखला में अवैध खनन

1691. श्री विजय कृष्ण: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अरावली शृंखला में अवैध खनन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय न्यायालय ने इसे रोकने के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार को निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संबद्ध राज्य सरकार के तंत्र कार्रवाई करने के स्थान पर खनन माफिया का बचाव कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार खनन को तत्काल रोकने के लिए सरकार का कौन से ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल रिट याचिका सं. 4409/2003, 2108/2003, 4606/2003, 1967/2003, 4864/2003, 7544/2003 में अपने दिनांक 17.3.2004 के निर्णय में राजस्थान राज्य सरकार को कानून के उपबंधों के उल्लंघन में किए जा रहे खनन कार्यों को बन्द करने के निर्देश दिए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्य सरकारें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है और सभी पट्टों, जिनके लिए अपेक्षित मंजूरी/सहमति नहीं है, के खनन कार्यों को पहले ही रोक दिया गया है।

उत्तक संवर्धन को प्रोत्साहन

1692. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्तक संवर्धन हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में किसी ऐसी योजना को प्रोत्साहन दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सभी राज्यों में उनकी अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कृषि वृहद् प्रबंध—कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण" का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें फलों के पौधों के लिए उत्तक संवर्धन यूनिटों की स्थापना (सार्वजनिक/निजी) संबंधी घटक भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) राजस्थान की कार्य योजना में अब तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं देखा गया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक फसलों को शामिल किया जाना

1693. श्री शिवाजी अधलराव पाटील:
श्री सुरेश कुरूप:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से गन्ना, नारियल, सुपारी, कालीमिर्च और कॉफी सहित सभी फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। केरल तथा तमिलनाडु सरकारों ने आयल पॉम, नारियल, रबड़, सुपारी, कॉफी, चाय तथा इलायची

आदि बारहमासी बागवानी फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन कवरेज के लिए अनुरोध किया है। गन्ना पहले ही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन शामिल है।

राज्यों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, बारहमासी बागवानी फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन कवरेज के लिए फसल उपज अनुमान के वास्ते प्रणाली विज्ञान का सुझाव देने हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकीय सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर रबी 2002-03 से सीमित स्तर पर प्रायोगिक आधार पर आम, सेव, संतरा, अनन्नास तथा केला को कवर करने का निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

रिक्त पड़े आरक्षित पद

1694. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों हेतु आरक्षित कतिपय पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विभागों और उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति दी गयी है और गत तीन वर्षों के दौरान नयी भर्ती भी की गयी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न विभागों और उपक्रमों में की गयी नयी नियुक्तियों के संबंध में वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्नति में निर्धारित नियमों का अनुपालन हुआ है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन कोई विभाग अथवा उपक्रम नहीं है। तथापि इस मंत्रालय के अन्तर्गत एक सम्बद्ध कार्यालय (युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग) तथा एक अधीनस्थ कार्यालय (राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन) है।

युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग में सभी पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है।

अनुसूचित जनजाति से संबंधित युवा अधिकारी (समूह ख) का एक पद राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन में खाली पड़ा हुआ है। इस पद को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जहां तक मंत्रालय के पदों का संबंध है समूह ख, ग तथा घ से संबंधित रिक्त पद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, जो इन श्रेणियों के बारे में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है, के द्वारा भरे जाते हैं। समूह क के पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार, मंत्रालय में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) से संबंधित कोई रिक्ति, किसी भी श्रेणी में नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) एन.एस.एस. में दो युवा अधिकारियों (समूह ख राजपत्रित) को वर्ष 2001 में नियुक्त किया गया था और वर्ष 2003 के दौरान तीन व्यक्तियों को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया था। इनमें से एक अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से संबंधित है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीज अधिनियम में संशोधन

1695. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को नकली बीज की बिक्री को रोकने के लिए बीज अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां। भारत सरकार का वर्तमान बीज अधिनियम, 1966 को नए बीज अधिनियम से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) बीज विशेषज्ञों के साथ परामर्श और बीज नीति समीक्षा समूह की सिफारिशों के आधार पर, प्रस्तावित बीज विधेयक, 2004 को तैयार किया गया है। विचाराधीन विधेयक की पुनरीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की गई है तथा इसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किए जाने हेतु अन्तर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

पर्यटन क्षेत्र में व्यय

1696. श्री प्रदीप गांधी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन क्षेत्र में सरकार द्वारा कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) यात्रा और पर्यटन उद्योग, आतिथ्य, परिवहन, आवास, खान-पान, मन-बहलाव, मनोरंजन तथा यात्रा से संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए सेवाएं सीधे ही पूरा करता है। अर्थव्यवस्था में कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जो यात्रा और पर्यटन उद्योग से सीधे जुड़े हुए हैं। यह सेवाएं रोजगार सृजित करती हैं। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार अपेक्षाकृत कम लागत पर तेजी से सृजित होते हैं, और छोटे व्यवसाय तथा स्थानीय समुदायों में संकेंद्रित होते हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (2004-2005) के लिए, पर्यटन मंत्रालय का अनुमोदित योजना परिव्यय 500.00 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

भूमिहीन व्यक्तियों को वनभूमि का आवंटन

1697. श्री कैलाश मेघवाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलोत्पादक वृक्ष रोपण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों अथवा भूमिहीन व्यक्तियों को वन भूमि आवंटित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि-वानिकी में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर से प्रतिबन्ध हटाना

1698. श्री वाई.जी. महाजन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि वानिकी में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर से प्रतिबन्ध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सस्य-वानिकी में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्रों में भू-क्षरण

1699. श्री परसुराम माझी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में तटीय क्षेत्र भू-क्षरण का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समस्या किस हद तक हल कर दी गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां। सभी तटीय राज्यों से तटीय कटाव की समस्या की सूचना मिली है।

(ख) तटीय कटाव किसी विशिष्ट स्थानों तक सीमित नहीं है। विभिन्न स्थान समय-समय पर कटाव से प्रभावित होते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटीय कटाव का सामना कर रहे निम्नलिखित गंभीर स्थानों की पहचान की है:—

राज्य	समुद्री कटाव से प्रभावित स्थान
आंध्र प्रदेश	उप्पाडा और काकीनाडा के निकट के गांव तथा पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में कुछ स्थान
गोवा	परनेम, बार्देज, सालसेट, कनाकोना, तिसवाड़ी तालुका के तटीय क्षेत्र
गुजरात	बालसाड, नवसारी, सूरत और भरूच जिलों के तटीय क्षेत्र
कर्नाटक	मंगलौर के तटीय क्षेत्र और दक्षिण कन्नड जिले में उड़पी और कुन्दापुर तालुका तथा उत्तर कन्नड जिले

राज्य	समुद्री कटाव से प्रभावित स्थान
	में भटकल, होन्नावर, कुन्टा, अंकोला और कारवर तालुका
केरल	तिरूवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा, एर्नाकुलम, थ्रिसूर, मंजेरी, कोझिकोड, थलेसरी, कसारगोड डिवीजनों के तटीय क्षेत्र
महाराष्ट्र	मुम्बई, उपनगरीय मुम्बई, थाणे, रायगढ़, रत्नागिरि और सिंध दुर्ग जिले के तटीय क्षेत्र
उड़ीसा	गंजाम, पुरी, केन्द्रपाड़ा, बालासोर, जगतसिंहपुर और भद्रक के तटीय क्षेत्र
पांडिचेरी	पांडिचेरी के तटीय क्षेत्र
तमिलनाडु	चेन्नई उत्तर, कांचीपुरम, कड्डालोर, नागापट्टिनम, थियुथुकुडी, तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी जिले के तटीय क्षेत्र
पश्चिम बंगाल	24 परगना (दक्षिण), 24 परगना (उत्तर) और दीघा के तटीय क्षेत्र
लक्षद्वीप	अकाट्टी, अमिनी, अन्द्रोत, बित्रा, चेतलत, कदमात, काल्पेनी, कवारती, किल्टन और मिनीकोय द्वीपों के तटीय क्षेत्र

(ग) और (घ) कटावरोधी कार्यों की आयोजना एवं उनका क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा 20.64 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से प्रायोगिक आधार पर मार्च, 2004 में गंभीर क्षेत्रों में समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई है। इस स्कीम में महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पाण्डिचेरी में विशिष्ट गंभीर क्षेत्रों के समुद्री कटावरोधी कार्य शामिल हैं।

युवक छात्रावास

1700. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक कितने युवक छात्रावास स्थापित किए गए हैं और वे राज्य-वार किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक जिले में कम से कम एक युवक छात्रावास स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) देश में अब तक पैंसठ छात्रावास स्थापित किए गए हैं। युवा छात्रावासों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। युवा छात्रावास संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर नये युवा छात्रावासों की स्थापना पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निर्मित युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावास (छात्रावासों) की अवस्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	सिंकदराबाद, विजयवाड़ा, तिरूपति, विशाखापटनम, नामार्जुनसागर
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलगुन
3.	असम	4	नौगांव, गुवाहाटी, गोलाघाट, तेजपुर
4.	बिहार	1	पटना
5.	गुजरात	1	गांधीनगर
6.	हरियाणा	4	पंचकुला, कुरूक्षेत्र (पीपली), भिवानी, गुड़गांव

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	2	डलहौजी, बिलासपुर
8.	जम्मू व कश्मीर	3	पटनीटाप, नागरोता, श्रीनगर
9.	कर्नाटक	3	मैसूर, हासन, तीर्थरामेश्वर
10.	केरल	3	तिरुवनंतपुरम (वेली), एरणाकुलम (कोच्चि), कालीकट (कोषीकोड)
11.	महाराष्ट्र	2	औरंगाबाद, बुलढाना
12.	मणिपुर	2	इम्फाल, ऊखरूल
13.	मेघालय	2	शिलांग, तूरा
14.	मध्य प्रदेश	2	भोपाल, जबलपुर
15.	नागालैण्ड	2	मोकोकचुंग, दीमापुर
16.	मिजोरम	1	एजवाल
17.	पंजाब	4	रोपड़ (रूपनगर), अमृतसर, संगरूर, पटियाला
18.	राजस्थान	2	जयपुर, जोधपुर
19.	तमिलनाडु	4	चेन्नई, मदुरै, तन्जावूर, त्रिची (तिरुचिरापल्ली)
20.	उत्तर प्रदेश	1	आगरा
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्ट ब्लेयर
22.	पश्चिम बंगाल	3	दार्जिलिंग, चुरूलिया, बर्धवान
23.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी
24.	त्रिपुरा	1	अगरतला
25.	उड़ीसा	4	पुरी, जोशीपुर, गोपालपुर-ऑन-सी, कोरापुट
26.	गोवा	2	पणजी, पदम मापुसा
27.	सिक्किम	1	नामची
28.	उत्तरांचल	3	मसूरी, उत्तरकाशी, नैनीताल
	कुल	65	

[हिन्दी]

कृषि फार्म विकास कार्यों के लिए किसानों द्वारा वहन किया जाने वाला खर्च

1701. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फार्म स्थल पर विकास कार्यों के लिए किसानों द्वारा लागत के 10 प्रतिशत के भुगतान की शर्त रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को भूमि केवल सी.ए.डी. का विकास हो जाने पर ही आबंटित की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए इस लागत की शर्त को हटाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां। सरकार ने केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत फील्ड चैनलों के निर्माण और जल ग्रसित क्षेत्रों के सुधार के लिए लाभग्राही किसानों द्वारा लागत के न्यूनतम 10 प्रतिशत के नकद भुगतान अथवा मजदूरी के रूप में योगदान देने की शर्त रखी है।

(ख) इस स्कीम के तहत न्यूनतम 10 प्रतिशत के अंशदान का प्रावधान सृजित परिसंपत्तियों के विषय में लाभग्राही किसानों को अवगत कराना है ताकि वे कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखें और भविष्य में इसका उपयुक्त रखरखाव करते रहें।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान में किसानों को भूमि का आबंटन जलमार्गों तथा कमान क्षेत्र विकास के अन्य आवश्यक कार्यों के पूरा होने के पश्चात् ही किया जाता है। चूंकि कमान क्षेत्र विकास संबंधी क्रियाकलापों के पूरा होने के पश्चात् ही किसानों को इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में बसाया जाता है इसलिए राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह जल प्रयोक्ता संघों की स्थापना संबंधी अपनी वचनबद्धता स्वीकार करे तथा भूमि आबंटित होते ही किसानों से 10 प्रतिशत अंशदान की वसूली करे। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ङ) किसानों द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान के प्रावधान में छूट देने से इस कार्यक्रम के तहत सृजित संपत्तियों का दीर्घकाल तक हित नहीं होगा क्योंकि किसान उसका नियंत्रण और रखरखाव नहीं कर सकेंगे।

[अनुवाद]

डेयरी उद्योग का विकास और विस्तार

1702. श्री किरिप चालिहा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर असम में डेयरी उद्योग के विकास और विस्तार के लिए चयनित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग ने विगत तीन वर्षों के दौरान निम्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं:—

(i) गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना (आई.डी.डी.पी.)—केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीम जो 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के साथ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दुग्ध प्रशीतन और डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना का प्रावधान है। 1994-95 में असम के लिए 1260.76 लाख रुपए की कुल लागत से आई.डी.डी.पी. के तहत एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसमें से विगत तीन वर्षों के दौरान 149.34 लाख रुपए की निर्मुक्ति सहित अब तक 799.34 लाख रुपए जारी किए गए है।

(ii) रुग्ण दुग्ध संघों के पुनर्वास के लिए सहकारिताओं को सहायता भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 50 : 50 की भागीदारी के आधार पर दी जाती है। भारत सरकार के 321.92 लाख रुपए के अंश के साथ पश्चिम असम दुग्ध संघ के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 643.84 लाख रुपए की कुल लागत से इस योजना के तहत असम राज्य के लिए एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक इसमें से 225.00 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

देश में उपरोक्त दो योजनाओं के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं के ब्यौरे उनकी अनुमानित लागत के साथ क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

इसके अलावा, एन.डी.डी.बी. ने भी अपने परिप्रेक्ष्य योजना 2010 के तहत डेयरी सहकारिताओं को निधियां आबंटित की हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सहकारिताओं को एन.डी.डी.बी. द्वारा आबंटित की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान आई.डी.डी.पी. के तहत अनुमोदित परियोजनाएं तथा उनके कुल अनुमोदित लागत

क्र.सं.	राज्य/योजना	शामिल जिले	कुल अनुमोदित लागत (लाख रुपए में)		
			2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्रा-II	आदिलाबाद, अनंतपुर, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर, खम्मत	934.28	—	—

1	2	3	4	5	6
2.	बिहार-IV	नालंदा	447.73	—	—
3.	बिहार-V	मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा	—	279.78	—
4.	छत्तीसगढ़-II	रायगढ़ एवं अम्बिकापुर	700.63	—	—
5.	छत्तीसगढ़-III	कोरिया, कबांधा एवं जसपुर	849.16	—	—
6.	मिजोरम-III	कोलाशिव	199.41	—	—
7.	सिक्किम-IV	पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी जिले	—	—	1007.43
8.	उत्तर प्रदेश-V	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं रामपुर	1231.32	—	—
9.	उत्तर प्रदेश-VI	प्रतापगढ़	—	—	290.54
10.	उत्तरांचल	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर	—	1911.18	—

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान ''सहकारिताओं को सहायता' के तहत अनुमोदित परियोजनाएं तथा उनकी अनुमोदित लागत

क्र.सं.	राज्यों के नाम	शामिल जिले/दुग्ध संघ	कुल अनुमोदित लागत मूल्य (लाख रुपए में)		
			2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	कर्नाटक	बीजापुर	250.00		
		गुलबर्ग	330.00		
2.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	520.08		
		मथुरा			320.00
		वाराणसी			190.00
3.	महाराष्ट्र	पुणे	530.00		
		वर्धा	128.90		
		लातूर			90.00
4.	पश्चिम बंगाल	हिमूल	643.84		
5.	असम	पश्चिमी असम	1356.27		
6.	नागालैण्ड	कोहिमा	20.47		
7.	पंजाब	होशियारपुर	437.96		
		अमृतसर	503.77		

1	2	3	4	5	6
		जालंधर	977.93		
8.	तमिलनाडु	विलुपुरुम		400.00	
		इरोड		900.00	

विवरण-III

अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजना में वर्षवार परिव्यय (लाख रुपए में)

राज्य	संघ	2001-02	2002-03	2003-04
आंध्र प्रदेश	गुण्टूर	530.585	438.276	345.7678
	कृष्णा	550	327.35	181.56
	नालगोण्डा आर.आर.	0	39.44	602.4
	नेल्लोर	227.852	238.765	174.776
	विशाखा	253.21	336.38	614.66
बिहार	बरौनी	292.25	333.27	101.61
	मिथिला	445.08	389.13	269.93
	पटना	325.36	418.12	186.57
	शाहाबाद	312.02	246.28	236.06
	तिरुत	264.54	240.65	157.86
गोवा	गोवा	316.18	151.66	139.58
गुजरात	अहमदाबाद	603.45	991.61	146.55
	बनस	251.64	1145.5	1659.87
	बड़ौदा	485.42	680.39	1589.71
	गांधीनगर		100	608.53
	खेड़ा	1	203.45	192.21
	मेहसाना	350.13	345.7	296.659
	पंचमहल	1655.28	1652.35	696.03
	राजकोट	119.48	121.26	104.96
	सूरत	839.26	680.63	271.19
	बलसाड	607.04	1203.66	670.08
हरियाणा	अम्बाला	138.54	200.015	219.804
	गुड़गांव, रोहतक	207.56	154.425	187.189

राज्य	संघ	2001-02	2002-03	2003-04
	जींद, हिसार	372.811	232.882	123.288
	सिरसा	273.186	94.535	306.717
कर्नाटक	बंगलौर	946.705	835.31	385.043
	बीजापुर	0	47.01	42.16
	दक्षिण कन्नड़	394.505	324.255	99.54
	गुलबर्ग	1.04	29.94	16.95
	हासन	187.472	196.095	183.192
	कर्नाटक दुग्ध संघ	63	48.5	318.63
	कोलार	758.185	657.163	453.935
	मण्डया	654.265	345.669	231.36
	मैसूर	391.81	350.93	128.86
	रायचूर	269.363	222.913	55.789
	शिमोगा	916.289	815.42	289.998
	टुमकूर	332.39	261.31	76.95
केरल	एर्नाकुलम	36.3201	49.3401	26.8551
	केरल दुग्ध संघ	0	270	270
	मालाबार	442.42	388.562	336.176
	त्रिवेन्द्रम	318.66	400.276	477.326
मध्य प्रदेश	भोपाल	381.23	110.3	54.24
महाराष्ट्र	अकोले	153.12	223.01	17.05
	औरंगाबाद		0	276.78
	इंदपुर		4.3	181.94
	कोल्हापुर	2250.57	462.715	370.24
	कोयना, करड	76.03	66.4	21.01
	नासिक		0	158.94
	उस्मानाबाद	15.83	132.56	56.88
	पूणे	108.72	109.4	134.91
	संगमनर	597.59	348.55	139.21
	सतारा	152.31	60.95	35.2
	शोलापुर	552.05	719.75	200.4

राज्य	संघ	2001-02	2002-03	2003-04
	वालवा	470.48	527.36	55.37
	वर्ना	937.668	273.33	132.17
उड़ीसा	कटक	123.208	60.717	58.739
	पुरी	39.431	37.495	36.646
	समलेस्वरी	153.004	40.954	49.808
पंजाब	अमृतसर	246.425	128.63	88.63
	भटिंडा	220.331	144.36	70.175
	फरीदकोट	191.785	185.72	46.29
	गुरदासपुर	147.625	135.535	99.62
	होशियारपुर	63.45	91.525	140.425
	जालंधर	148.785	78.635	107.7
	लुधियाना	1428.725	380.95	324.64
	पटियाला	207.925	100.445	106.132
	रोपड़	374.7	194.555	386.335
	संगरूर	192.606	138.69	67.49
राजस्थान	अलवर		139.85	26.202
	भिलवाड़ा	254.455	245.51	118.68
	बीकानेर	144.475	168.19	142.345
	गंगानगर	99.662	112.72	235.16
	जयपुर	996.638	972.452	279.47
	जालौर, शिरोही	0	26.907	139.969
	जोधपुर	73.2386	193.4626	235.6206
	पाली	162.911	61.46	135.44
	उदयपुर	318.289	429.943	200.39
तमिलनाडु	इरोड	5.811	55.041	57.581
	विलिपुरम	2.601	50.261	71.551
पश्चिम बंगाल	बर्धमान	42.899	34.657	29.103
	भागीरथी	169.394	142.842	79.835
	दामोदर	37.883	34.217	31.797
	किसान	138.365	211.386	31.566

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की बारगी सिंचाई परियोजना

1703. श्री गणेश सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में बारगी सिंचाई परियोजना का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है;

(ख) क्या हां, तो इस परियोजना के पूरा होने के मार्ग में क्या अड़चनें हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बार्गी परियोजना जिसे रानी अवन्ती बाई लोधी सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, के बांध और विद्युत गृह को पहले ही पूरा कर लिया गया है तथा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य चल रहा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) द्वारा नहर संबंधी कार्यों के वित्त-पोषण संबंधी मुद्दों को हल न किए जाने के कारण परियोजना के पूरा होने में बाधा आई है।

(ग) इस परियोजना को वर्ष 2007 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों द्वारा बहि:स्राव शोशन संयंत्रों की स्थापना

1704. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग बस टर्मिनल, नई दिल्ली के निकट प्रेम नगर मार्केट में चल रही आइसक्रीम फैक्ट्री और जल संयंत्र द्वारा बहि:स्राव शोधन संयंत्र (ई.टी.पी.) स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह फैक्ट्रियां उक्त क्षेत्र में विशेषकर रात में प्रदूषणकारी तत्व और ध्वनि प्रदूषण फैलाती है; और

(घ) यदि हां, तो इन फैक्ट्रियों को उक्त क्षेत्र से हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) प्रेमनगर मार्केट, सेवानगर (सफदरजंग बस टर्मिनल के पास) नई दिल्ली में दो आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियां और दो वाटर कूलिंग प्लाण्ट चल रहे हैं। दोनों आइसक्रीम उत्पादक इकाइयों ने जल बहि:स्राव शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान आइसक्रीम फैक्ट्रियों के बहि:स्राव शोधन संयंत्र प्रचालन में नहीं पाए गए थे। तथापि, वाटर कूलिंग प्लाण्ट्स से जल बहि:स्राव नहीं देखा गया। रात के समय ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी निर्धारित सीमओं से अधिक था। डी.पी.सी.सी. ने दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

गोदामों से खाद्यान्नों का गायब होना

1705. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों के गायब होने का पता चला और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्यान्नों के गायब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1997-98 से 1999-2000 तक के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की कमी का विवरण नीचे दिया गया है:—

वर्ष	जारी की गई मात्रा	हानि की मात्रा	मूल्य	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
गेहूं				
1997-98	184.02	-0.12	-9.41	-0.07
1998-99	199.96	-0.18	12.13	-0.09
1999-2000	234.66	-0.37	-26.27	-0.16
चावल				
1997-98	233.72	1.52	114.57	0.65
1998-99	244.84	2.02	160.88	0.83
1999-2000	239.82	1.61	141.35	0.67

1	2	3	4	5
धान				
1997-98	16.38	0.38	25.78	2.32
1998-99	13.33	0.57	46.48	4.28
1999-2000	24.19	0.48	42.17	1.98

नोट: (-) से आशय भंडारण वृद्धि है।

(ख) खाद्यान्न भंडारण में हानियां, नमी में शुष्कन, बहु-हैंडलिंग, भंडारण की लम्बी अवधि, पक्षियों/कृन्तकों से उत्पन्न संकट, कीटों की वजह से घुन लगने, चोरी आदि के कारण होती हैं।

(ग) कमी के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है और जहां कहीं भी दुर्विनियोजन, हेरा-फेरी, चोरी, लापरवाही आदि के कारण हानियां होने का पता चलता है, जिम्मेदारी तय करने तथा वसूली करने के लिए कर्मचारी विनियमों/सतर्कता प्रक्रियाओं के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-विविधता की सुरक्षा

1706. श्री मणि चारेनामै: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की जैव विविधता की अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो समृद्ध जैव-विविधता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकांश संकटापन्न जीव संरक्षित क्षेत्रों से बाहर पाए जाते हैं तथा वे असुरक्षित रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की उनकी सुरक्षा करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी सुरक्षा के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पूर्वी हिमालय के नाम से उत्तर पूर्व क्षेत्र देश के हाट स्पाट का एक भाग है। मंत्रालय इस क्षेत्र में जैव विविधिता के संरक्षण के लिए अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। नमभूमि का संरक्षण एवं प्रबंधन, जीवरिजर्व और वनस्पति उद्यानों को सहायता देना जैसी कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें हैं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों का विकास, हाथी परियोजना और बाघ परियोजना के अन्तर्गत राज्य को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) उत्तर पूर्व क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) संकटापन्न पशुओं के प्राकृतिक वासस्थल कानूनी तौर पर अभिनिर्धारित संरक्षित क्षेत्रों और बाहर के क्षेत्र दोनों में आते हैं। संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर दोनों जगह इन पशुओं की कानूनी, तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से रक्षा उपाय किए जाते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में वासस्थलों के पुनरूद्धार, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने और गतिशीलता आदि के लिए वर्ष 2003-2004 के दौरान 15.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

विवरण

राज्य	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभ्यारण्य
असम	1. डिब्रू-शेखोव	1. बरान्दी
	2. काजीरंगा	2. बरादब्यम बीलमुख
	3. मानस (बाघ रिजर्व)	3. बुराछपोरी
	4. नमेड़ी	4. चकरासिला
	5. अरोगा	5. डीपरबील
		6. गरमपानी
		7. गिबोन
		8. लोखवा
		9. पाबीतोरा
		10. पादुमनी बरगन बोराजन
		11. पानीडीहिंग
		12. सोना रूपा
		13. ईस्ट कारबी अंगलोग
		14. कारबी अंगलोंग
		15. नामबीर
अरुणाचल	1. मुलिंग	1. लाली (डी' रिंग)
प्रदेश	2. नामदाफा (बाघ रिजर्व)	2. दिबांग
		3. ईगल नेस्ट
		4. इटानगर
		5. कमलांग
		6. काने

राज्य	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभ्यारण्य
		7. मीहो
		8. पाखी
		9. सीसा आर्चिड
		10. टेली वैली
		11. योरडी सुपसी रबसी
त्रिपुरा		1. गुन्टी
		2. रोवा
		3. सिपाहीजोला
		4. त्रिषणा
मेघालय	1. बालपक्रम	1. बागमेरा (पिचर प्लांट)
	2. नोकरीक	2. नोंगखेलीम
		3. सिजु
मिजोरम	1. मुरलीन	1. दम्पा (टी.आर.)
	2. ब्ल्यू माउंटेन (पवनगुपी)	2. खवांगलुंग
		3. लेंगटेंग
		4. नगीनपुई
		5. तवाई
		6. थोरांगतलांग
मणिपुर	1. कीबुल-लामजाओ	1. बुनिंग
		2. जीरी माफरू
		3. केहलम
		4. यांगीडपोकपी लोकछाओ
		5. जिलद
नागालैण्ड	1. इटांकी	1. फाकिम
		2. पुलीबदेज
		3. रंगफर
सिक्किम	1. कंचनजंगा	1. बरसे (रोडोदेन्दोरोन)
		2. फामबुंगला
		3. क्योगनोसला एल्पाइन
		4. मीनाम
		5. शिगबा (रोडोदेन्दोरोन)
		6. पंगलखा

खेल परिसंघ

1707. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के कितने खेल परिसंघ अस्तित्व में हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परिसंघ के पांच उच्च पदाधिकारियों के नाम क्या हैं और उनका कार्यकाल कितना है;

(ग) परिसंघ का प्रतिनिधित्व करने वाले उन पदाधिकारियों में से कितनों के खेलों में शानदार रिकार्ड हैं; और

(घ) उक्त परिसंघों में सदस्यों की नियुक्तियों के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) इस मंत्रालय द्वारा 63 राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई के लिए वर्षा जल का उपयोग

1708. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिंचाई और अन्य प्रयोजनों हेतु वर्षा जल का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जल, राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों संबंधी स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निर्माणाधीन जलसंसाधन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध ढंग से निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में उनकी सहायता के लिए उन्हें केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि लाभ शीघ्र प्राप्त हो सकें। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "भूजल के पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारम्भ की गई थी। यह स्कीम 35.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 2 वर्षों के दौरान भी जारी रही। वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा

देने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष हिस्से के दौरान कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ''भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन'' संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण-2004 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम पर जोर देने और ''जल निकायों का पुनरूद्धार'' तथा ''जल संचयन'' संबंधी स्कीमें शुरू करने की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

1709. श्री शैलेन्द्र कुमार:

श्री राजेन्द्र कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश विशेषकर चैल में चीनी मिलें स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार गन्ना किसानों को पैसे का समुचित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चीनी उद्योग को 11.9.98 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। उद्यमी मौजूदा चीनी मिलों से 15 कि.मी. की दूरी बनाए रखते हुए अपनी परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से राज्य सरकारों को लिखने के अलावा निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(i) 01 मार्च, 2002 से चीनी फैक्ट्रियों की लेवी देयता घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है ताकि फैक्ट्रियां गैर-लेवी कोटे के तहत खुले बाजार में अधिक चीनी बेच सकें।

(ii) 18.12.2002 से आरम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का एक बफर स्टाक सृजित किया गया था, जिसमें चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपये की धनराशि देना अन्तर्ग्रस्त था। इसके अतिरिक्त, बफर स्टाक के कारण बैंकों से लगभग 374 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। अत:, गन्ने के मूल्य की देय धनराशि की अदायगी करने के लिए 786 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी। सरकार ने बफर स्टाक को रखने की अवधि 18.12.2003 से आगे एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। इससे चीनी मिलों की भुगतान करने की क्षमता में वृद्धि होगी जिससे वे गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान कर सकेंगी।

[अनुवाद]

पांडिचेरी में कारक्काल क्षेत्र के लिए पानी छोड़ना

1710. प्रो. एम. रामदास: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के कारक्काल क्षेत्र की कावेरी जल विवाद अधिकरण के दिनांक 25 जून, 1991 के अंतरिम आदेश के बाद से किसी भी वर्ष में जून से सितंबर तक कभी भी पानी नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी.डब्ल्यू. डी.टी.) के अंतरिम आदेश के अनुसार, तमिलनाडु द्वारा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कराईकल क्षेत्र को 6.00 हजार मिलियन घन फीट वार्षिक जल आपूर्ति करना अपेक्षित है। तमिलनाडु और पांडिचेरी सरकारों के बीच परस्पर सहमति के अनुसार तमिलनाडु द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के कराईकल क्षेत्र को जल की आपूर्ति की जा रही है।

बागवानी नीति

1711. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यान्वित बागवानी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार बागवानी उत्पादन को बढ़ाने हेतु बागवानी नीति बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में राष्ट्रीय अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) महाराष्ट्र सरकार वर्ष 1990-91 से महाराष्ट्र में रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत बागवानी विकास के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में छोटे और सीमांत किसानों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नव-बौद्ध अनधिसूचित जनजातियों/भ्रमणशील जनजातियों के किसानों को बागवानी फसलों की खेती पर हुए श्रम अधिभार खर्च पर 100 प्रतिशत राज सहायता मुहैया कराई जाती है। आदानों संबंधी खर्च पर पहले वर्ष के लिए 25 प्रतिशत दूसरे वर्ष के लिए 25 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता का भुगतान भी किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत जिसमें राज्य सरकार को राज्य में बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए बागवानी नीति प्रतिपादित करने के लिए लचीलापन है, बागवानी विकास के लिए सहायता मुहैया करा रही है।

(घ) और (ङ) जी हां। महाराष्ट्र सरकार से राज्य में अनार राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को प्राप्त हुआ है। भा.कृ.अ.प. की स्थल चयन समिति द्वारा केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान केन्द्र, बीकानेर की स्थापना के लिए महाराष्ट्र में ग्राम केगांव/हीराज, तालुक-उत्तरी शोलापुर, जिला, शोलापुर में स्थल का चयन कर लिया गया है जिसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार चयनित स्थल भूमि को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गई है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भूमि लेने की प्रक्रिया को भी आरम्भ कर दिया है। यह क्षेत्रीय केन्द्र अनार और शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर की अन्य अधिदेशाधीन फसलों जैसे बेर, अनोला और अन्य फसलों पर अनुसंधान कार्य करेगा।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

1712. श्री अजीत जोगी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में बीड़ी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में बीड़ी कामगारों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां।

(ख) राज्यों की सामाजिक-आर्थिक एवं कृषि-जलवायु परिस्थितियों, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता, मजदूरी दरों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में भिन्नता के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में बीड़ी कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों में अन्तर पाया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों का अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्र में बीड़ी कामगारों सहित अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और इसे लागू करने के लिए समुचित सरकार होना न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता का भी एक कारण है।

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियां गठित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी में एकरूपता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा प्रस्तुत की है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से समय-समय पर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि बीड़ी बनाने सहित उनके किसी भी अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी, राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी से कम निर्धारित न की जाए।

[अनुवाद]

पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण

1713. श्री दिनशा पटेल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वनों वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाई गई और कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वनों, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई और कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण स्कीमों का विवरण, उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार और विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता, राज्यवार एवं प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी/आवंटित की गई राशि	पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य द्वारा प्रयोग की गई निधि
1	2	3	4	5
	पर्यावरण संरक्षण			
1.	**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**	आंध्र प्रदेश	113.00	706.55
		बिहार	25.00	172.38
		झारखंड	0.00	51.70
		गुजरात	4031.00	5404.73
		गोवा	246.00	0.00
		हरियाणा	2537.00	4247.27
		कर्नाटक	1200.00	2143.53
		केरल	78.00	0.00
		मध्य प्रदेश	2175.00	3846.27
		महाराष्ट्र	5245.70	5694.43
		उड़ीसा	595.00	476.04
		पंजाब	6397.00	7150.09
		राजस्थान	0.00	65.65
		तमिलनाडु	19991.80	28605.63
		उत्तर प्रदेश	11581.91	10106.88
		उत्तरांचल	647.00	634.09
		पश्चिम बंगाल	5802.00	7985.39
		दिल्ली	16425.22	13909.56
2.	**सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र को बढ़ावा देना**	आंध्र प्रदेश	30.00	30.00
		गुजरात	253.70	155.50
		कर्नाटक	10.00	10.00
		महाराष्ट्र	523.80	127.00
		पंजाब	34.00	34.00
		तमिलनाडु	35.50	35.50
3.	**राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम**	असम	97.58	50.00
		जम्मू एवं कश्मीर	220.57	74.47

1	2	3	4	5
		गुजरात	20.00	20.00
		हिमाचल प्रदेश	157.13	134.16
		केरल	84.73	0.00
		मणिपुर	110.00	110.00
		उड़ीसा	314.99	254.99
		पंजाब	144.36	21.20
		राजस्थान	85.98	30.00
		तमिलनाडु	22.16	22.16
		त्रिपुरा	40.00	0.00
		पश्चिम बंगाल	52.70	47.95
	वन संरक्षण			
4.	**नौवीं योजना में एकीकृत वन सुरक्षा (दावानल नियंत्रण और प्रबंधन के रूप में जानी जाती है)**	आंध्र प्रदेश	318.00	318.00
		झारखंड	276.82	276.82
		गुजरात	199.50	199.50
		गोवा	158.69	158.69
		हरियाणा	167.13	167.13
		हिमाचल प्रदेश	233.70	233.70
		जम्मू एवं कश्मीर	243.03	243.03
		कर्नाटक	179.00	179.00
		केरल	277.10	277.10
		मध्य प्रदेश	453.60	453.60
		महाराष्ट्र	238.92	238.92
		उड़ीसा	249.22	249.22
		पंजाब	28.80	28.80
		राजस्थान	71.00	71.00
		तमिलनाडु	250.05	250.05
		उत्तर प्रदेश	256.50	256.50
		उत्तरांचल	322.57	322.57
		पश्चिम बंगाल	292.65	292.65
		असम	516.56	516.56
		अरुणाचल प्रदेश	1109.77	1109.77
		मणिपुर	191.62	191.62

1	2	3	4	5
		मेघालय	544.60	544.60
		मिजोरम	1372.62	1372.62
		नागालैंड	951.95	951.95
		सिक्किम	892.21	892.21
		त्रिपुरा	1306.84	1306.84
		छत्तीसगढ़	355.00	355.00
5.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (वानिकी)	आंध्र प्रदेश	12726.00	12726.00
	विश्व बैंक द्वारा	केरल	10100.00	9193.00
	(राज्य सरकारों को सीधे दी गई निधि)	उत्तर प्रदेश	4608.00	4608.00
		उत्तरांचल	6118.00	6118.00
6.	गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद (एन.टी.	आंध्र प्रदेश	318.17	318.17
	एफ.पी.) (नौवीं प्लान)	अरुणाचल प्रदेश	35.00	35.00
		असम	85.53	85.53
		छत्तीसगढ़	90.00	90.00
		गुजरात	139.97	139.97
		गोवा	18.47	18.47
		हरियाणा	59.33	59.33
		हिमाचल प्रदेश	67.54	67.54
		जम्मू एवं कश्मीर	275.91	275.91
		कर्नाटक	72.24	72.24
		केरल	44.03	44.03
		मध्य प्रदेश	96.06	96.06
		महाराष्ट्र	66.00	66.00
		मेघालय	23.00	23.00
		मिजोरम	82.84	82.84
		नागालैण्ड	37.00	37.00
		उड़ीसा	121.37	121.37
		पंजाब	20.00	20.00
		राजस्थान	234.40	234.40
		सिक्किम	167.53	167.53
		तमिलनाडु	19.00	19.00
		त्रिपुरा	12.48	12.48

1	2	3	4	5
		उत्तर प्रदेश	17.87	17.87
		पश्चिम बंगाल	88.64	88.64
7.	एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना (आई.ए.ई.पी.) (नौवीं योजना)	आंध्र प्रदेश	228.20	228.20
		अरुणाचल प्रदेश	86.36	86.36
		असम	26.05	26.05
		झारखण्ड	52.31	52.31
		छत्तीसगढ़	37.05	37.05
		गुजरात	398.17	398.17
		हिमाचल प्रदेश	64.00	64.00
		जम्मू एवं कश्मीर	447.79	447.79
		कर्नाटक	151.49	151.49
		केरल	390.86	390.86
		मध्य प्रदेश	237.37	237.37
		महाराष्ट्र	101.07	101.07
		मणिपुर	197.22	197.22
		मेघालय	0.00	0.00
		मिजोरम	68.39	68.39
		नागालैण्ड	114.23	114.23
		उड़ीसा	665.24	665.24
		राजस्थान	291.34	291.34
		सिक्किम	110.25	110.25
		तमिलनाडु	100.00	100.00
		त्रिपुरा	51.33	51.33
		उत्तर प्रदेश	49.08	49.08
		उत्तरांचल	369.11	369.11
		पश्चिम बंगाल	240.91	240.91
8.	क्षेत्रान्मुखी जलावन की लकड़ी और चारा परियोजना (ए.ओ.एफ.एफ.पी.) (नौवीं योजना)	आंध्र प्रदेश	142.77	142.77
		अरुणाचल प्रदेश	11.60	11.60
		असम	69.06	69.06
		झारखण्ड	119.92	119.92
		छत्तीसगढ़	88.20	88.20
		गुजरात	170.56	170.56
		गोवा	7.60	7.60

1	2	3	4	5
		हरियाणा	296.03	296.03
		हिमाचल प्रदेश	83.18	83.18
		कर्नाटक	203.45	203.45
		केरल	48.57	48.57
		मध्य प्रदेश	233.35	233.35
		महाराष्ट्र	42.37	42.37
		मणिपुर	50.00	50.00
		मिजोरम	48.11	48.11
		नागालैण्ड	0.00	0.00
		उड़ीसा	42.33	42.33
		राजस्थान	38.69	38.69
		सिक्किम	46.51	46.51
		तमिलनाडु	71.90	71.90
		त्रिपुरा	45.00	45.00
		उत्तर प्रदेश	96.00	96.00
		उत्तरांचल	41.66	41.66
		पश्चिम बंगाल	156.38	156.38
9.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	1978.00	1978.00
		अरुणाचल प्रदेश	865.00	865.00
		असम	558.00	558.00
		बिहार	188.00	188.00
		जम्मू एवं कश्मीर	1420.00	1420.00
		झारखण्ड	1063.00	1063.00
		छत्तीसगंढ़	1686.00	1686.00
		गुजरात	792.00	792.00
		गोवा	64.00	64.00
		हरियाणा	2757.00	2757.00
		हिमाचल प्रदेश	975.00	975.00
		कर्नाटक	3167.00	3167.00
		केरल	453.00	453.00
		मध्य प्रदेश	3844.00	3844.00
		महाराष्ट्र	1863.00	1863.00

1	2	3	4	5
		मणिपुर	748.00	748.00
		मिजोरम	2471.00	2471.00
		नागालैण्ड	1953.00	1953.00
		उड़ीसा	1915.00	1915.00
		पंजाब	224.00	224.00
		राजस्थान	1130.00	1130.00
		सिक्किम	1025.00	1025.00
		तमिलनाडु	2322.00	2322.00
		त्रिपुरा	741.00	741.00
		उत्तर प्रदेश	1839.00	1839.00
		उत्तरांचल	855.00	855.00
		पश्चिम बंगाल	781.00	781.00
	वन्यजीव संरक्षण			
10.	**बाघ परियोजना**	आंध्र प्रदेश	64.99	64.99
		अरुणाचल प्रदेश	187.39	187.39
		असम	186.70	186.70
		बिहार	125.00	125.00
		झारखण्ड	129.64	129.64
		छत्तीसगढ़	147.73	147.73
		कर्नाटक	740.31	740.31
		केरल	234.43	234.43
		मध्य प्रदेश	2362.03	2362.03
		महाराष्ट्र	1059.47	1059.47
		मिजोरम	186.38	186.38
		उड़ीसा	311.60	311.60
		राजस्थान	623.57	623.57
		तमिलनाडु	176.00	176.00
		उत्तर प्रदेश	273.74	273.74
		उत्तरांचल	550.74	550.74
		पश्चिम बंगाल	535.68	535.68
11.	**पारि-विकास स्कीम**	आंध्र प्रदेश	69.60	69.60
	(दसवीं योजना के दौरान अन्य स्कीमों में शामिल किया गया)	अरुणाचल प्रदेश	45.15	45.15
		असम	43.81	43.81

1	2	3	4	5
		बिहार	33.86	33.86
		झारखण्ड	12.56	12.56
		छत्तीसगढ़	24.70	24.70
		गुजरात	32.56	32.56
		हिमाचल प्रदेश	131.35	131.35
		कर्नाटक	339.35	339.35
		केरल	138.27	138.27
		मध्य प्रदेश	231.97	231.97
		महाराष्ट्र	46.40	46.40
		मणिपुर	9.15	9.15
		मेघालय	17.11	17.11
		मिजोरम	226.83	226.83
		नागालैण्ड	28.45	28.45
		उड़ीसा	42.60	42.60
		पंजाब	12.27	12.27
		राजस्थान	80.20	80.20
		सिक्किम	26.23	26.23
		तमिलनाडु	6.38	6.38
		त्रिपुरा	44.35	44.35
		उत्तर प्रदेश	118.99	118.99
		उत्तरांचल	82.00	82.00
		पश्चिम बंगाल	121.95	121.95
12.	लाभोन्मुखी जनजाति विकास स्कीम (दसवीं योजना के दौरान बाघ परियोजना स्कीम में शामिल किया गया)	कर्नाटक	100.00	100.00
		मध्य प्रदेश	300.00	300.00
13.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता	आंध्र प्रदेश	260.64	160.80
		अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	46.34	18.44
		अरुणाचल प्रदेश	416.56	169.81
		असम	326.37	217.16
		बिहार	29.17	0.00
		चण्डीगढ़	32.40	32.40
		झारखण्ड	84.51	29.89

1	2	3	4	5
		छत्तीसगढ़	424.91	119.87
		दादर एवं नागर हवेली	21.26	10.28
		गोवा	126.44	0.00
		गुजरात	269.71	47.99
		हरियाणा	59.23	60.85
		हिमाचल प्रदेश	374.05	170.09
		जम्मू एवं कश्मीर	264.72	92.01
		कर्नाटक	1681.28	344.99
		केरल	468.85	312.04
		मध्य प्रदेश	640.06	270.54
		महाराष्ट्र	486.82	299.45
		मणिपुर	149.11	123.09
		मेघालय	161.27	83.72
		मिजोरम	595.99	307.09
		नागालैण्ड	193.67	124.13
		उड़ीसा	340.09	220.63
		पंजाब	29.60	0.00
		राजस्थान	654.09	296.52
		सिक्किम	272.13	180.26
		तमिलनाडु	351.10	167.95
		त्रिपुरा	393.55	116.67
		उत्तर प्रदेश	381.55	192.63
		उत्तरांचल	212.51	97.44
		पश्चिम बंगाल	618.79	339.18
14.	भारतीय पारि-विकास परियोजना* *39% सहायता विश्व बैंक के आई.डी.ए. से और 30% सरकार का सहयोग है	गुजरात	1413.33	1591.14
		कर्नाटक	1952.33	1445.06
		झारखण्ड	773.90	934.40
		मध्य प्रदेश	1329.37	1485.58
		केरल	870.08	990.73
		राजस्थान	1089.02	1108.47
		पश्चिम बंगाल	1252.30	1130.13
15.	हाथी परियोजना	आंध्र प्रदेश	136.00	123.27
		अरुणाचल प्रदेश	169.00	136.51

1	2	3	4	5
		असम	344.60	264.45
		झारखण्ड	160.69	158.69
		कर्नाटक	323.66	322.59
		केरल	382.16	344.11
		मेघालय	135.00	130.64
		मिजोरम	5.00	0.00
		नागालैण्ड	163.13	163.13
		उड़ीसा	326.52	287.66
		तमिलनाडु	228.26	196.46
		त्रिपुरा	20.00	4.00
		उत्तरांचल	361.14	331.15
		पश्चिम बंगाल	301.42	277.96

टिप्पणी: कुछ वर्षों में निधि का अधिक प्रयोग पिछले वर्षों की आगे लाई गई निधि के प्रयोग के कारण है।

कृषि सुधार

1714. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने कृषि सुधारों का आह्वान करते हुए पांच सूत्रीय योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पांच सूत्रीय योजना में दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि सुधारों के बारे में भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) की पांच सूत्रीय योजना पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

1. भारतीय उद्योग महासंघ से प्राप्त योजना	की गई कार्रवाई
1. कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम में संशोधन करने एवं मण्डी कर को समाप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। इससे प्रतिस्पर्धात्मक मण्डी का विकास होगा और किसान व प्रसंस्करणकर्ता दोनों लाभान्वित होंगे	1. कृषि उत्पादन तथा खाद्य पसंस्करण उद्योगों सहित खुदरा शृंखला में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने तथा किसानों के खेतों से कृषि जिन्सों की खरीद को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार करना जरूरी समझा जाता है। अन्य बातों के अलावा कृषि विपणन के बारे में राज्यों में प्रचलित कानून (कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम) में संशोधन की आवश्यकता के साथ-साथ प्रत्यक्ष विपणन, संविदा कृषि तथा निजी व सहकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक कृषि मण्डियों के विकास को सुधारों के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। परिकल्पि सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आदर्श कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम, जिसका प्रारूपण एवं परिचालन इन मंत्रालय द्वारा किया गया है, के सुझावों के

अनुसरण में सभी राज्यों से कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों से मण्डी शुल्क को युक्ति संगत बनाने का भी अनुरोध किया गया है, जो प्रदत्त सेवाओं के आधार पर सेवा प्रसार के रूप में हो।

2. संगठित निजी क्षेत्र को विस्तार एवं प्रौद्योगिकी अन्तरण पर अपनी धनराशि खर्च करने के लिए सहायता करना। इससे किसानों को ज्ञात होगा कि वे क्या उत्पादन करें व कैसे उत्पादन करें। ताकि वे कड़े गुणवत्ता मानदण्डों को पूरा कर सकें।

2. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" नामक एक नई केन्द्रीय स्कीम का निरूपण किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत विस्तार सुधार शुरू करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी और इस स्कीम का कार्यान्वयन 252 जिलों में किया जाएगा। प्रस्तावित स्कीम में विस्तार सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है।

3. एकीकृत खाद्यान्न कानून का कार्यान्वयन करना तथा संसाधित खाद्यान्न पर करों को कम करना, ताकि यह क्षेत्र उन्नति करे और कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि हो।

3. खाद्य सुरक्षा एवं मानदण्डों, विनियमन तथा प्रवर्तन से संबंधित मामलों में एक सिंगल इन्फरंस प्वाइंट बनाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक समेकित खाद्यान्न कानून के निरूपण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। यह विषय अभी मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है।

4. बीस मिलियन जैसी अनिवासी भारतीयों की विशाल जनसंख्या से जिन्सों का निर्यात शुरू करने के बजाए, उच्च मूल्य वाले परम्परागत भारतीय खाद्यान्न के विदेशी खरीददारों को लक्ष्य बनाना, जो एक बहुत बड़ा बाजार साबित होंगे।

4. भारतीय परम्परागत खाद्यान्न के खरीददारों को लक्ष्य बनाने के लिए संसाधित खाद्यान्न के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने अनेक कदम उठाए हैं। इसमें कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भाग लेना तथा संसाधित खाद्यान्न को प्रोत्साहन देने के लिए खरीददार-विक्रेता बैठकों का आयोजन शामिल है। अपेडा उत्पाद अभिज्ञात करने, स्थान का चयन करने तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के माध्यम से कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जेड) की अवधारणा के कार्यान्वयन का भी प्रयास कर रहा है। अपेडा द्वारा निर्यात के प्रयोजन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक व्यावहारिक आदर्श स्थापित करना, ताकि निजी निवेशक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की सहभागिता से कृषि के आधारभूत ढांचे में निवेश करें।

5. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.ए.ए.सी.) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया एक सार्वजनिक—निजी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कृषि व्यापार में निवेश को सुलभ कराना और उसे प्रोत्साहन देना है। अनेक बैंक एस.एफ.ए.सी. के प्रमोटर सदस्य हैं। निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एस.एफ.ए.सी. कृषि व्यापार परियोजना की पूंजी लागत की इक्विटी राशि में 50% तक सहायता देता है, जो अधिकतम 25 लाख रुपये होती है और इसके अलावा यह छोटे किसानों की शेयर धारिता में प्रति परिवार 5000 रुपये तथा प्रति परियोजना 25 लाख रुपये का अंशदान भी देता है।

दालों का उत्पादन

1715. श्री बी. विनोद कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पिछले कई वर्षों में दालों का उत्पादन स्थिर हो गया है;

(ङ) क्या इससे खुले बाजार में दालों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो कमजोर वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर दाल उपलब्ध कराने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2003 में दलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, 1984 में 41.9 ग्राम प्रति दिवस की तुलना में 29.1 ग्राम प्रति दिवस है।

(ख) जी, हां।

(ग) जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ दलहन उत्पादन में उतार-चढ़ाव का कारण इनका मानसून पर निर्भर रहना है। इसका दलहन की उपलब्धता पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।

सरकार प्रमुख दलहनों जैसे तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मसूर तथा चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। पिछले कुछ वर्षों में दलहनों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्य खाद्यान्नों की तुलना में अधिक रहे हैं। वर्ष 2003-04 तक राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना का कार्यान्वयन 30 राज्यों में किया गया। अप्रैल, 2004 से तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का से संबंधित समेकित स्कीम 14 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है।

(घ) दलहन उत्पादन में अनुमानित वृद्धि 11.37% हुई और यह 2001-02 में 13.37 मिलियन मी. टन से बढ़कर 2003-04 में 14.89 मिलियन मी. टन हो गया।

(ङ) 26 जून, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान दलहन के थोक मूल्य सूचकांक (1993-94=100) में 3.6% की गिरावट आई, जबकि इससे पिछले वर्ष इसमें 2.2% की गिरावट आई थी। यह आयात के माध्यम से दलहन की उपलब्धता में वृद्धि प्रदर्शित करता है।

(च) तिलनह, दलहन, आयल पाम तथा मक्का से संबंधित समेकित स्कीम के कार्यान्वयन से दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होने की आशा है, ताकि कमजोर वर्गों सहित सभी को दलहन उचित दरों पर उपलब्ध हो सकें। घरेलू आपूर्ति तथा मांग के अन्तर को देखते हुए, उचित दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दलहन का आयात किया जाता है।

पशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना

1716. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना में भाग ले रहे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। सरकार अक्तूबर, 2000 से राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना क्रियान्वित कर रही है तथा 24 राज्य इस परियोजना में भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले राज्यों की सूची तथा इस परियोजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत भाग लेने वाले राज्य तथा इस परियोजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-2002	2002-2003	2003-2004	कुल जारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	741.75	934.57	718.18	2394.5
2.	अरुणाचल प्रदेश*				0

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	274		98	372
4.	गुजरात			40	40
5.	गोवा			58.71	58.71
6.	हरियाणा	323			323
7.	हिमाचल प्रदेश		220	100	320
8.	कर्नाटक			465	465
9.	केरल	209.75	230	220	659.75
10.	मध्य प्रदेश	829.47	300	360	1489.47
11.	महाराष्ट्र			860	860
12.	मणिपुर			17.36	17.36
13.	मेघालय			65.64	65.64
14.	मिजोरम	18.93	17.97	40	76.9
15.	नागालैंड	97.3	96	182	375.3
16.	उड़ीसा	40	551.6		591.6
17.	पंजाब		120.83		120.83
18.	राजस्थान	559.3			559.3
19.	सिक्किम	168.93			168.93
20.	तमिलनाडु		570		570
21.	त्रिपुरा			95	95
22.	उत्तर प्रदेश		1063		1063
23.	उत्तरांचल	248		275	523
24.	पश्चिम बंगाल	677.02			677.02
	कुल	4187.45	4103.97	3594.89	11886.31

*वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य को 140.00 लाख रुपए प्रदान किए गए थे।

अपर्याप्त प्रौद्योगिकी के कारण घाटा

1717. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपर्याप्त प्रौद्योगिकी के कारण प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में खाद्य वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एक ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की आवश्यकता है जो एक तरफ तो फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखे और दूसरी तरफ बर्बादी रोकने के लिए खाद्यानों का उचित प्रसंस्करण करे ताकि बर्बादी को रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का कौन-सा कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषि उत्पाद की कुल खराबी 50,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जिसमें से फलों और सब्जियों की खराबी सबसे अधिक 25% से 30% तक है।

(ख) तिलहनों, दलहनों, खाद्यान्नों आदि में खराबी को कम करने के लिए वैज्ञानिक भंडारण सृजित करने हेतु प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की आवश्यकता है। फलों तथा सब्जियों के मामले में कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी तथा शीत शृंखला के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। प्रसंस्करित खाद्य उद्योग के विकास से खाद्य उत्पादों के समयपूर्वक विपणन में सहायता मिलेगी, जिससे खराबी न्यूनतम रहेगी।

(ग) विभिन्न संस्थान जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जिन्स विशिष्ट अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा देश में राज्य कृषि विश्वविद्यालय आदि उपयुक्त तथा लागत सापेक्ष कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकीयों को विकसित करने में संलग्न हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा विपणन और निरीक्षण निदेशालय, घरेलू तथा निर्यात विपणन में सुधार हेतु ग्रामीण गोदामों, शीत शृंखलाओं की स्थापना, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, ढुलाई आदि जैसी कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकीयों के विभिन्न घटकों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने 08.07.2004 को संसद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, डेयरी मशीनरी, खाद्य तेल तथा मीट, मुर्गी पालन और मछली उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कर लाभ तथा उत्पादन शुल्क में कमी करने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

अन्त्योदय योजना

1718. **श्री रामदास बंडु आठवले:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों के दौरान अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की कितनी मात्रा उठाई गई;

(ग) क्या यह निर्धारित करने के लिए कि खाद्यान्न लक्षित लोगों तक पहुंचे, कोई अध्ययन कराया गया है/कराये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना को सफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या और योजना के अधीन उठान किए गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	मद	वर्ष	
		2002-03	2003-04
1.	देश में लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या (वर्ष में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	98.59 लाख	124.47 लाख
2.	महाराष्ट्र में लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या (वर्ष में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	10.017 लाख	14.357 लाख
3.	देश के स्तर पर खाद्यान्नों का उठान	35.39 लाख टन	38.24 लाख टन
4.	महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का उठान	3.64 लाख टन	3.91 लाख टन

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के मूल्यांकन हेतु मैसर्स ओ.आर.जी.—सेंटर फार सोशल रिसर्च को एक अध्ययन कार्य सौंपा है। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में किये गये प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्नों की आवक/उठान तथा उचित दर दुकानों पर उनकी सुपुर्दगी की समय सारणी के बारे में रिपोर्ट दी जाएगी।

(च) योजना को सफल बनाने के लिए सरकार योजना के कार्यकरण को निरंतर मानीटरिंग करती है। अंत्योदय अन्न योजना के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में उक्त योजना के शुरुआती दौर के बाद कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ कमजोर श्रेणियों को शामिल करने के लिए योजना के आधार का विस्तार किया गया है। इसके अलावा, योजना के तहत खाद्यान्नों के उठान में निरन्तर वृद्धि यह दर्शाती है कि यह योजना सफल रही है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को सहायता

1719. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी की सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन आगे आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) इस समय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III" पर कार्य चल रहा है जिसमें गोदावरी नदी सम्बन्धी विकास शामिल है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक अन्य "आंध्र प्रदेश इकोनोमिक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (इरिगेशन कम्पोनेन्ट)" में भी गोदावरी डेल्टा प्रणाली के कुछ पुनर्स्थापना कार्य शामिल हैं। उपर्युक्त दो स्कीमों के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार से गोदावरी सम्बन्धी सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते बाह्य वित्तपोषण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई, जल विद्युत, शहरी परिवहन जैसे स्वास्थ्य तथा अवसंरचना सम्बन्धी परियोजनाओं के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने आस्ट्रिया सरकार के साथ 5.6.2003 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। समझौता ज्ञापन के अनुसार आस्ट्रियाई पक्ष पहचान किए गए एवं सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए, जिसमें गोदावरी नदी पर देवादुला में गोदावरी लिफ्ट सिंचाई शामिल है, वाणिज्यिक ऋण सहित उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता का विस्तार करने की संभावनाओं का पता लगाएगा।

ग्रामीण ऋण पैकेज का क्रियान्वयन

1720. श्री कैलाश मेघवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों से यह आग्रह किया है कि वे ग्रामीण ऋण पैकेज को क्रियान्वित करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) तीन वर्षों में कृषि ऋण के प्रवाह को दुगुना करने के लिए 18 जून, 2004 को सरकार द्वारा की गई घोषणा के तदनन्तर, वित्त मंत्री ने दिनांक 19 जून, 2004 के अपने पत्र के तहत सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इसको कार्यान्वित करने में राज्य प्रशासन तथा पदाधिकारियों को शामिल करने का अनुरोध किया है। राज्य, जिला तथा अधीनस्थ स्तरों पर किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं:—

(i) राज्य और जिला स्तरीय बैंक समिति (एस.एल.बी.सी.) की बैठकों में नाबार्ड तथा बैंकों के स्थानीय कार्यालयों के साथ परामर्श के अनुसार परिचालन लक्ष्यों को अन्तिम रूप देना।

(ii) वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी शाखाओं के कार्य क्षेत्र में पौध रोपण, बागवानी, मछली पालन, जैव कृषि, कृषि-प्रसंस्करण तथा अन्य कृषि गतिविधियों जैसी नई बैंक योग्य निवेश परियोजनाओं की विरचना हेतु सहायता।

(iii) किराएदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों तथा हिस्से में फसल पैदा करने वालों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उनको आवश्यक प्रमाणपत्र/कागजात प्रस्तुत करना।

(iv) ऋण राहत के उद्देश्यार्थ बैंकों द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाना।

(v) इस प्रयास में पूरी तरह भाग लेने के लिए राज्यों में सहकारिता संघों को बल तथा सहायता प्रदान करना; तथा

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए जिला क्लेक्टरों को सुझाव देना कि किसानों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समितियां वित्त के मापदण्ड की तुरन्त समीक्षा करती हैं।

[हिन्दी]

जल स्रोतों को बढ़ाया जाना

1721. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में विशेषकर दिल्ली में जल स्रोत धीरे-धीरे सूख रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जल स्रोतों को बढ़ाने हेतु बनाई गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) वर्ष 1994-2003 तक की लंबी अवधि के मानसून पूर्व के जल स्तरों के रुख को देखने से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के 41 जिलों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट का पता चलता है। दिल्ली में, नई दिल्ली के जिलों, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली में भूजल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट का पता चलता है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम को 35.81 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में भी जारी रखा गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकारों, विशेषरूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों ने भी छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन और भूजल के पुनर्भरण के संबंध में उपयुक्त उपाय प्रारंभ कर दिए हैं।

भूजल के पुनर्भरण के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी विभिन्न उपाय प्रारंभ किए हैं। नजफगढ़ नाला और मुण्डेला नाला के तलों को गहरा कर दिया गया है ताकि इस नालों की जल धारण क्षमता बढ़ायी जा सके और भूजल का पुनर्भरण किया जा सके। इन नालों में वर्षा जल को संचित किया जा रहा है और इस भण्डारित जल का उपयोग पूरे गैर-मानसून अवधि के दौरान कृषकों द्वारा सिचाई के लिए किया जा रहा है। भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल को एकत्र करने की दृष्टि से महरोली क्षेत्र में 23 चेक बांधों और मुंगेश पुर नाले में कृत्रिम पुनर्भरण ट्रेंचों का निर्माण किया गया है। वर्षा जल के संचयन और भूजल के पुनर्भरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से लगभग 70 ग्रामीण तालाबों को गहरा किया गया है ताकि उनकी जल संचयन की क्षमता में वृद्धि हो सके। भूजल के पुनर्भरण के प्रयोजन की दृष्टि से यमुना नदी के बाढ़ के जल को एकत्र करने के लिए बवाना निकास को अपसर्जित मुहाने के भाग में एक कृत्रिम जल निकाय का सृजन किया गया है। भूजल के पुनर्भरण में सहायता के लिए यमुना नदी के बाढ़ के जल को भी भालसवा झील में डायवर्ट किया जा रहा है।

[अनुवाद]

धनराशि का वितरण

1722. श्री किरिप चालिहा: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं और दसवीं योजनावधि के दौरान देश में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने हेतु वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। इस मंत्रालय द्वारा अपनी प्रमुख स्कीमों जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता शामिल है, के अंतर्गत 9वीं योजना में और 10वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान परियोजनाओं को दी गई राज्यवार सहायता के ब्यौरे **विवरण** में संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नवीं योजना के दौरान दी गई वित्तीय सहायता	दसवीं योजना (वर्ष 2002-03: 2003-04) के दौरान दी गई वित्तीय सहायता	
		2002-03	2003-04
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.90	1.98	1.00
आंध्र प्रदेश	720.93	167.89	526.74
अरुणाचल प्रदेश	—	44.16	—
असम	839.69	232.31	307.77
बिहार	105.55	19.99	0.42
चंडीगढ़	—	4.00	7.85
छत्तीसगढ़	200.00	3.15	3.00
दिल्ली	10.07	714.01	274.58
गोआ	6.38	—	39.00
गुजरात	409.98	157.97	193.62
हरियाणा	387.90	412.50	257.94
हिमाचल प्रदेश	169.98	112.36	104.18
जम्मू एवं कश्मीर	480.22	515.52	166.78
झारखण्ड	—	2.00	—
कर्नाटक	1074.42	315.37	261.33
केरल	1311.58	420.34	209.53
लक्षद्वीप	22.00	—	—
मध्य प्रदेश	1025.57	616.84	302.78
महाराष्ट्र	1214.09	908.73	1100.55
मणिपुर	679.67	343.44	110.29
मेघालय	44.30	58.10	—
मिजोरम	253.97	12.24	115.50
नागालैण्ड	348.07	—	40.75
उड़ीसा	545.72	22.12	5.00

1	2	3	4
पांडिचेरी	3.00	13.37	0.03
पंजाब	777.17	182.91	254.36
राजस्थान	—	336.24	196.34
सिक्किम	—	1.20	0.50
तमिलनाडु	1331.20	827.39	574.93
त्रिपुरा	240.10	82.75	34.07
उत्तर प्रदेश	1176.26	295.80	634.56
उत्तरांचल	18.94	5.03	5.37
पश्चिम बंगाल	1180.67	398.89	472.86
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समान रूप से	—	—	40.33

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की बाणसागर परियोजना

1723. श्री गणेश सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में बाणसागर परियोजना का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई और अभी कितना कार्य पूरा किया जाना बाकी है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) बाणसागर बांध (यूनिट-I) की अनुमानित लागत 1054.96 करोड़ रुपये (1998 के मूल्य स्तर पर) है जिसमें से 31.3.04 तक 908.81 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया गया है। मुख्य बांध का 8% कार्य, नहर प्रणाली का 88% कार्य तथा विद्युत उत्पादन के कार्यों का 5% हिस्सा अभी पूरा किया जाना है।

(ग) बाणसागर बांध को जून, 2005 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दुर्दशा

1724. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दुर्दशा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने गन्ना देयों के शीघ्रता से निपटान के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करने के अलावा निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) 1 मार्च, 2002 से गन्ना मिलों की शुल्क बाध्यता को घटाकर 10% तक कर दिया गया है ताकि मिल खुले बाजार में गैर-शुल्क कोटा के तहत और अधिक चीनी बेचने में सक्षम हो सकें।

(ii) 20 लाख मी. टन चीनी के बफर स्टाक, जो 18 दिसम्बर, 2002 से एक वर्ष के लिए बनाया गया था, को 18 दिसम्बर, 2003 तक और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

30.6.2004 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने के 4079.46 करोड़ रु. की देयता में से 239.44 करोड़ के बकाया को छोड़ते हुए 3840.02 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सैदपुर और गुरौली उद्वह सिंचाई परियोजना

1725. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सैदपुर और गुरौली उद्वह सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने का है;

(ख) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इस पर कितनी राशि व्यय की जाएगी;

(ग) क्या इस परियोजना के द्वारा यमुना से नहर निकाली जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) दसवीं योजना दस्तावेज तथा उत्तर प्रदेश की वृहद एवं मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं संबंधी वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के वार्षिक योजना दस्तावेजों के अनुसार सैदपुर और गुरौली लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के नाम नई परियोजनाओं (वृहद एवं मध्यम) की श्रेणी में शामिल नहीं किये गये हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश में 47.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली जरौली पम्प नहर परियोजना (वृहद) नामक एक परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.09.1997 को आयोजित अपनी 67वीं बैठक में स्वीकृत किया गया है। योजना आयोग द्वारा दिनांक 23.03.1998 को 47.92 करोड़ रुपये की निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्कीम पर मार्च, 2004 तक 41.65 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। पम्प हाउस के निकासी टैंक से एक 4.7 कि.मी. लम्बा पोषक चैनेल निकाला गया है। इस परियोजना को मार्च, 2005 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1726. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन के कारण प्रति वर्ष काफी लोग मर जाते हैं और कृषि, पशुधन, जल संसाधन, वन और मत्स्यवन पर काफी प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक एवं मानव प्रणाली पर इसके प्रभाव पर चर्चा के लिए "क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन इंडिया" विषय पर आयोजित कार्यशाला में हाल ही में भारत और जर्मनी के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया; और

(घ) यदि हां, तो इसमें किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन पर अंतर मंत्रालीय पैनल की तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट में कृषि, पारि-प्रणाली और जैव-विविधता सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को प्रदर्शित किया गया है। सैक्टर विशिष्ट प्रभाव और उनकी सीमा, जोकि मानव कार्यों के कारण हुई हो, के लिए आगे और वैज्ञानिक जांच की जानी अपेक्षित है।

(ग) और (घ) जी, हां। हाल ही में कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में वाटरशेड विकास को जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया था। विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिए पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों पर अपने मतों का आदान प्रदान करते हैं।

यात्री निवास का निर्माण

1727. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने यात्री निवासों का निर्माण किया गया और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) राजस्थान में चालू वित्त वर्ष के दौरान सहायता के लिए कितने यात्री निवासों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है;

(ग) क्या राज्य के झालावाड़ जिले में इनमें से किसी परियोजना का निर्माण किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में यात्री निवास के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। तथापि, बजट आवास इकाइयों का निर्माण, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास एवं उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास की पुनर्गठित योजनाओं के अधीन अनुमेय है। गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में रौइंग में एक यात्री निवास की स्वीकृति दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से विनिर्दिष्ट परियोजना प्रस्ताव विचारार्थ भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

आनियन इन्टरवेन्शन स्कीम, 2000

1728. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आनियन इन्टरवेन्शन स्कीम, 2000 का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वस्तु के रूप में प्याज के शीघ्र खराब होने की प्रकृति के मद्देनजर "आनियन इन्टरवेन्शन स्कीम, 2000" के अंतर्गत प्याज उत्पादकों के 50 प्रतिशत घाटे की हिस्सेदारी के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्ष 2000 से अब तक राज्य को इस योजना के अंतर्गत कितनी सहायता दी गई और ऐसे इन्टरवेन्शन के माध्यम से प्याज की कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ङ) क्या अन्य प्याज उत्पादक राज्यों ने भी प्याज उत्पादकों की सहायता के लिए इसी तरह की योजना शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने हानि को केन्द्रीय सरकार के साथ 50:50 के आधार पर शेयर करने की इच्छा के साथ वर्ष 2000-2001 के दौरान मण्डी हस्तक्षेप योजना के तहत प्याज की अधिप्राप्ति हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तदनुसार, 20.1.2000 से 29.2.2000 तक महाराष्ट्र में 250/-रु. प्रति क्विंटल के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य पर 65.000 मी. टन प्याज की अधिप्राप्ति के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) केन्द्रीय एजेंसी थी जबकि महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ लि. राज्य एजेंसी थी। मण्डी हस्तक्षेप योजना के तहत कुल 65000 मी. टन प्याज की अधिप्राप्ति की गयी थी जिसमें 9.75 करोड़ रु. की कुल हानि हुई। इस हानि को केन्द्रीय सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच 50:50 के आधार पर शेयर किया गया था। हानि के 4.875 करोड़ रु. के केन्द्रीय हिस्से को महाराष्ट्र सरकार को जारी कर दिया गया था।

(ङ) और (च) हाल ही में, मण्डी हस्तक्षेप योजना के तहत प्याज की अधिप्राप्ति के लिए राजस्थान सरकार के अनुरोध पर, राजस्थान के प्याज उत्पादकों की मदद करने की दृष्टि से 11.6.2004 से 10.7.2004 तक 280/-रु. प्रति क्विंटल के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य पर 5000 मी. टन प्याज की अधिप्राप्ति को अनुमोदित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रदूषण के कारण रोगों का प्रसार

1729. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदूषण के कारण देश में कई रोग तेजी से फैल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में प्रदूषण रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) पर्यावरणीय प्रदूषण से मर्त्यता की घटनाएं हो सकती हैं तथापि, ऐसा कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि विभिन्न रोगों के प्रकट होने और पर्यावरणीय प्रदूषण के बीच कारण प्रभाव का कोई संबंध है।

महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं जिसमें शामिल हैं—प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक नीति बनाना, सी.एन.जी. सहित उन्नत ऑटो-ईंधन की आपूर्ति, वाहनीय और औद्योगिक उत्सर्जन मानदंडों को कड़ा बनाना, विशिष्ट उद्योगों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति, नगरीय और जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों का परिबर्धन, स्वच्छतर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, वायु और जल की गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के नैटवर्क को स्थापित करना, सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करना, प्रमुख शहरों और संवेदनशील प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा बकाए के भुगतान में चूक

1730. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में कर्मचारी राज्य बीमा बकाए के भुगतान में चूककर्ता कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार, देश में कमचारी राज्य बीमा बकाए के भुगतान के चूककर्ता नियोजकों की कुल संख्या 1,03,636 है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के राजस्व वसूली तंत्र को अधिक मजबूत बनाया गया है ताकि वसूली को प्रभावी बनाया जा सके तथा दिनांक 01.09.1991 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों को भूमि राजस्व की बकाया देयों की वसूली हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं।

कृषि वस्तुओं की खरीद

1731. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: .

(क) क्या सरकारी संगठन ऐसे समय में कृषि वस्तुओं को बाजार से नहीं खरीद रहे हैं जब उनका मूल्य उनके समर्थन मूल्य से भी कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) उन जिन्सों जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है, की अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकारों द्वारा नामोद्दिष्ट अन्य एजेंसियों के अलावा सरकार, भारतीय खाद्य निगम (गेहूं, धान, और मोटा अनाज), भारतीय जूट निगम (जूट), भारतीय कपास निगम (कपास), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन (नैफेड) (दलहन और तिलहन) तथा तम्बाकू बोर्ड (तम्बाकू) जैसी सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों के जरिए खरीद प्रक्रिया आयोजित करती हैं।

चालू मौसम के दौरान भी नामोद्दिष्ट केन्द्रीय एजेंसियां अधिप्राप्ति प्रक्रिया को चलाने में सहायता रही हैं। चावल, गेहूं और मोटे अनाज की अधिप्राप्ति के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कृषि वस्तुओं की अधिप्राप्ति

वस्तु	विपणन वर्ष	अधिप्राप्ति लाख टन में
1. चावल	2003.04	223.05
2. गेहूं	2004.05	167.08
3. मोटा अनाज	2003.04	6.51

असम में बाढ़ और भूक्षरण

1732. **श्री सर्बानन्द सोनोवाल:**
श्री अनवर हुसैन:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में बाढ़ और भूक्षरण की समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकार किया है जो असम की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने के विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) नदी कटाव सहित बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबन्धन स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करती है। असम की बाढ़ और कटाव की समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानने पर विचार करने की आवश्यकता होगी क्योंकि बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय है तथा देश के बाढ़ से प्रभावित अन्य राज्यों के सामने भी ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं।

तथापि, बाढ़ समस्या की गंभीरता के महत्व को स्वीकारते हुए भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों तथा उनके तहत आने वाले उपबेसिनों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की थीं तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इन्हें असम सहित संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पगलादिया बांध का निष्पादन कार्य भी शुरू किया है जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्ण केन्द्रीय वित्त पोषण सहित 542.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जनवरी, 2001 में अनुमोदित किया गया था जिससे दीर्घकालिक उपाय के रूप में असम में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण संबंधी लाभ होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा 100% केन्द्रीय वित्तपोषण के माध्यम से 62.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से असम में अनेक जल निकास विकास/कटाव रोधी स्कीमें भी शुरू की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, असम सरकार तथा सिक्किम सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर बंगाल की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने गंभीर कटाव रोधी/बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें शुरू करने के लिए 90% केन्द्रीय हिस्से और 10% राज्य हिस्से सहित 166.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। इस योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, गंभीर कटाव रोधी/बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों को शुरू करने के लिए असम को पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय द्वारा संसाधनों के नॉन-लैप्सेबल केन्द्रीय पूल के तहत तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से योजना आयोग द्वारा भी केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। बाढ़ और कटाव नियन्त्रण को भारत सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1733. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री हरिशचंद्र चव्हाण:
श्री प्रदीप गांधी:
श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए घोषित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के लिए आबंटित राशि और आबंटित राशि में से उपयोग की गई राशि का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा किसानों के लाभ हेतु विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्रमुख केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित किया गया है :—

1. कृषि का वृहत प्रबन्धन। इसमें 27 स्कीमें शामिल हैं। सूची संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।
2. कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन।
3. पूर्वी भारत में फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबन्धन।
4. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.)
5. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.पी.)
6. आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.)
7. संवर्द्धित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.)
8. कृषि सांख्यिकी की रिपोर्टिंग के लिए एजेंसी की स्थापना (ई.ए.आर.ए.एस.)
9. प्रमुख फसलों के उत्पादन तथा क्षेत्र के प्राकलनों की समयपूर्वक सूचना देना।
10. फसल सांख्यिकी में सुधार।
11. फल और सब्जी तथा लघु फसलों संबंधी फसल प्राकलन सर्वेक्षण।
12. उत्तर-पूर्वी राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन।

(ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2001-2002, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान राज्य वार इन स्कीमों के अन्तर्गत आवंटित तथा उपयोग की गई राशि संलग्न विवरण-II, में दी गई है।

(ग) और (घ) विभाग सी.एस.एस. के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त कृषि के वृहत प्रबन्धन की स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने के लिए विभाग ने तीन संस्थानों अर्थात् नाबार्ड, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोलकाता तथा कृषि वित्त निगम लिमिटेड (ए.एफ.सी.एल.) को कार्य सौंपा है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों के जरिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों के कृषि विभागों में कार्यरत अधिकारियों तथा राज्य सरकारों की सार्वजनिक विस्तार प्रणाली के जरिए किसानों के मध्य जागरूकता पैदा की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने किसान चैनल तथा किसान कॉल सेन्टर, किसानों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना के प्रसार हेतु शुरू किए हैं।

विवरण-I

वृहत प्रबन्धन स्कीम के अन्तर्गत कवर की गई केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों की सूची

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता
2. महिलाओं की सहकारी समितियों को सहायता
3. गैर अतिदेय कवर स्कीम
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
5. अनु. जाति/अनु. जनजातियों के लिए विशेष योजना
6. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8. मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत् विकास
11. उर्वरकों का सन्तुलित एवं समेकित उपयोग
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
13. समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्रीय फलों का समेमित विकास
14. सब्जी बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
16. औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास
17. मूल एवं कन्द फसलों का विकास

18. कोको तथा काजू का विकास
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम
20. खुम्बी का विकास
21. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
22. मधुमक्खीपालन
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम
24. सब्जी फसलों के आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन सिबंधी स्कीमें
25. नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
26. क्षारीय मृदा का सुधार एवं विकास
27. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड

विवरण-II

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

वृहद प्रबंधन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2250.00	3421.40	3800.00	2648.15	3400.00	3279.20
2.	अरुणांचल प्रदेश	219.5	373.85	500.00	298.05	400.00	466.12
3.	असम	523.50	769.86	700.00	512.97	700.00	490.00
4.	बिहार	1800.00	940.59	2400.00	1879.16	1800.00	1573.84
5.	झारखण्ड	1095.00	675.00	1200.00	1146.00	1200.00	561.28
6.	गोआ	200.00	199.29	200.00	137.99	200.00	231.44
7.	गुजरात	1900.00	625.92	3140.00	926.61	2300.00	2886.08
8.	हरियाणा	1620.00	1767.57	1600.00	1742.47	1600.00	1608.67
9.	हिमाचल प्रदेश	1800.00	1751.76	1600.00	1473.47	1600.00	1894.10
10.	जम्मू-कश्मीर	900.00	1130.41	1600.00	1674.64	1600.00	1442.36
11.	कर्नाटक	5850.00	6072.36	5800.00	6236.40	5500.00	5681.23
12.	केरल	2313.54	2313.54	3000.00	2231.15	2900.00	1450.22
13.	मध्य प्रदेश	5000.00	3674.88	4500.00	5686.09	4400.00	2458.87
14.	छत्तीसगढ़	1339.02	1483.00	1400.00	1483.90	1400.00	960.52
15.	महाराष्ट्र	9000.00	9443.78	8200.00	9720.98	8000.00	4006.00
16.	मणिपुर	345.00	517.11	600.00	290.00	600.00	515.92
17.	मिजोरम	720.00	785.75	900.00	784.62	800.00	800.00
18.	मेघालय	202.74	677.90	700.00	648.50	600.00	584.05

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैण्ड	776.80	776.80	1000.00	500.00	800.00	1040.00
20.	उड़ीसा	1485.00	1756.58	2400.00	2160.11	2300.00	1179.33
21.	पंजाब	1035.00	370.26	1700.00	392.36	1500.00	0.00
22.	राजस्थान	5250.00	6667.52	6700.00	5397.17	6700.00	7396.56
23.	सिक्किम	422.00	659.45	500.00	343.01	500.00	503.96
24.	तमिलनाडु	4500.00	5333.81	4200.00	3971.75	4200.00	4081.50
25.	त्रिपुरा	630.00	653.23	800.00	644.31	800.00	413.72
26.	उत्तर प्रदेश	7500.00	6270.65	6885.00	7663.52	6800.00	6717.24
27.	उत्तरांचल	1400.00	1389.18	1400.00	1305.30	1400.00	1423.20
28.	पश्चिम बंगाल	2500.00	1908.03	2400.00	1733.06	2400.00	2041.95
	कुल :	62577.10	62409.48	69825.00	63631.74	66400.00	55687.36

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	290.00	250.00	174.00	186.70	385.00	225.54
2.	गुजरात	90.00	182.96	244.00	284.05	425.00	448.04
3.	हरियाणा	102.00	126.00	117.00	81.61	225.00	95.97
4.	कर्नाटक	210.00	177.80	166.00	151.74	385.00	377.55
5.	मध्य प्रदेश	210.00	69.00	170.00	145.04	325.00	138.64
6.	महाराष्ट्र	410.00	322.00	410.00	544.03	645.00	641.38
7.	उड़ीसा	10.00	52.01	64.00	60.17	145.00	54.17
8.	पंजाब	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	19.45
9.	राजस्थान	199.00	172.00	163.00	157.95	275.00	208.02
10.	तमिलनाडु	70.00	80.00	138.00	135.38	225.00	222.31
11.	त्रिपुरा	15.00	3.24	13.00	7.50	15.00	2.84
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	61.24	16.00	58.42	130.00	57.26
13.	पश्चिम बंगाल	15.00	28.05	15.00	7.44	45.00	33.58
	कुल :	1621.00	1524.30	1700.00	1820.03	3230.00	2524.75

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंध

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	48.00	0.00	इस स्कीम	0.00	कोई निधियां	0.00
2.	असम	52.20	0.00	के अधीन	0.00	निर्मुक्त नहीं	0.50
3.	बिहार	537.00	0.00	नाबार्ड के	324.65	की गईं क्योंकि	269.87
4.	छत्तीसगढ़	17.10	0.00	100 करोड़ रु.	0.00	नाबार्ड/	23.65
5.	झारखण्ड	188.40	0.00	की एक	63.39	वाणिज्यिक बैंकों	179.80
6.	मणिपुर	48.00	0.00	मुश्त निधि	12.98	के पास	37.17
7.	मिजोरम	48.00	0.00	निर्मुक्त की	0.15	48 करोड़ रु.	2.10
8.	उड़ीसा	120.00	0.00	गई थी	26.71	की शेष राशि	70.40
9.	उत्तर प्रदेश	334.50	0.00		1148.58	अपर्याप्त	1176.30
10.	पश्चिम बंगाल	106.80	0.00		103.61	थी।	84.41
	कुल :	1500.00	0.00	0.00	1680.07	0.00	1844.20

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	928.75	734.07	760.00	1083.92	1218.00	1230.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	15.00	46.83	21.00	35.99
3.	असम	150.00	0.00	110.00	110.00	104.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	30.00	0.00	27.00	0.00
5.	झारखण्ड	30.00	0.00	20.00	5.00	9.00	0.00
6.	गोआ	5.00	4.83	6.00	4.22	3.00	0.00
7.	गुजरात	850.00	0.00	850.00	615.00	732.00	630.76

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	183.00	180.83	150.00	186.46	178.00	170.58
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	20.46	20.00	15.67	10.00	13.60
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	20.00	1.17	12.00	0.00
11.	कर्नाटक	535.00	499.75	584.00	54.41	522.00	547.40
12.	केरल	35.00	0.00	26.00	7.42	9.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	1207.00	620.96	1084.00	1220.00	1060.00	692.03
14.	छत्तीसगढ़	157.00	0.00	80.00	69.09	46.00	45.90
15.	महाराष्ट्र	825.00	784.25	785.00	944.83	642.00	815.01
16.	मणिपुर	56.00	104.34	72.00	72.00	72.00	71.90
17.	मिजोरम	190.00	238.33	79.00	174.00	79.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	24.00	5.17	24.00	43.00
19.	नागालैण्ड	136.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00
20.	उड़ीसा	131.25	193.04	240.00	410.32	205.00	140.95
21.	पंजाब	0.00	13.78	35.00	7.76	30.00	5.84
22.	राजस्थान	910.00	885.54	1070.00	759.66	869.00	1108.65
23.	सिक्किम	69.00	46.90	50.00	74.00	50.00	50.89
24.	तमिलनाडु	470.00	450.47	450.00	441.02	347.00	347.00
25.	त्रिपुरा	115.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	100.00	315.57	100.00	264.82	298.00	247.71
27.	उत्तरांचल	50.00	29.82	30.00	24.66	18.00	26.52
28.	पश्चिम बंगाल	190.00	0.00	160.00	95.00	131.00	47.99
	कुल :	7323.00	5122.94	7000.00	6842.43	6866.00	6362.21

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	87.00	84.56	100.00	142.43	69.00	100.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	28.96	15.00	9.97	15.00	29.93

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	32.00	0.00	15.00	15.00	50.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	40.00	0.00	9.00	0.00
5.	झारखण्ड	27.66	0.00	10.00	2.50	9.00	0.00
6.	गोआ	1.00	0.70	2.00	0.00	1.00	0.31
7.	गुजरात	105.00	135.89	80.00	75.00	42.00	33.64
8.	हरियाणा	0.00	34.03	30.00	39.70	61.00	38.56
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	3.58	10.00	7.10	4.00	27.16
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	18.00	103.92	4.00	0.00
11.	कर्नाटक	107.00	87.45	166.00	57.19	117.00	124.26
12.	केरल	5.00	0.00	6.00	3.75	3.00	1.75
13.	मध्य प्रदेश	275.84	119.32	312.00	361.29	336.00	281.61
14.	छत्तीसगढ़	85.00	0.00	50.00	35.21	42.00	41.32
15.	महाराष्ट्र	262.00	184.85	284.00	263.66	212.00	170.87
16.	मणिपुर	31.84	91.24	30.00	40.51	20.00	49.99
17.	मिजोरम	80.00	125.00	51.00	131.00	25.00	0.00
18.	मेघालय	4.16	0.00	15.00	9.50	15.00	19.00
19.	नागालैण्ड	70.00	90.00	37.00	60.50	35.00	17.50
20.	उड़ीसा	58.50	0.00	70.00	55.40	33.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.60	11.00	0.00	9.00	2.60
22.	राजस्थान	255.00	389.98	312.00	353.49	269.00	238.44
23.	सिक्किम	14.00	8.00	10.00	16.00	10.00	12.69
24.	तमिलनाडु	115.00	0.00	93.00	93.00	69.00	68.13
25.	त्रिपुरा	73.00	0.00	37.00	37.00	30.00	47.00
26.	उत्तर प्रदेश	107.00	376.47	60.00	465.80	172.00	280.14
27.	उत्तरांचल	55.00	0.00	14.00	29.68	13.00	12.20
28.	पश्चिम बंगाल	30.00	0.00	18.00	4.50	21.00	21.56
	कुल :	1896.00	1760.63	1896.00	2413.10	1695.00	1619.04

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

ऑयल पाम विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	562.67	242.72	420.00	71.14	350.00	426.86
2.	असम	8.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00
3.	गोआ	8.00	7.94	10.00	6.29	10.00	0.25
4.	गुजरात	19.33	25.52	40.00	32.22	50.00	19.20
5.	कर्नाटक	90.00	87.00	90.00	103.23	80.00	129.21
6.	केरल	0.00	0.00	20.00	0.00	6.00	41.12
7.	उड़ीसा	0.00	0.00	14.00	0.00	6.00	0.00
8.	तमिलनाडु	140.00	129.21	100.00	68.93	90.00	93.31
9.	त्रिपुरा	7.00	1.33	6.00	0.00	8.00	0.00
	कुल :	835.00	493.72	704.00	281.81	602.00	709.95

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17.88	40.30	33.75	18.52	5.00	13.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.02	22.33	10.46	11.14	15.95	10.18
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	16.88
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	25.45	0.00	0.00
5.	झारखण्ड	22.83	0.00	3.00	0.00	0.00	0.47
6.	गोआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	3.78	0.00	0.29	2.00	3.76

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	0.00	1.88	0	2.03	0.00	2.28
9.	हिमाचल प्रदेश	31.77	42.88	47.57	34.87	47.27	31.49
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.36	0.00	0.00	5.00	0.00
11.	कर्नाटक	38.10	33.60	42.62	36.94	4.00	16.24
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	0.00	34.58	3.00	46.09	20.62	3.79
14.	छत्तीसगढ़	29.03	20.48	6.36	10.52	10.07	0.00
15.	महाराष्ट्र	41.44	31.63	80.77	47.37	15.13	37.58
16.	मणिपुर	2.11	27.11	13.44	10.35	22.30	19.44
17.	मिजोरम	38.30	41.21	44.72	29.7	29.89	50.28
18.	मेघालय	8.28	0.00	0.00	10.35	4.30	0.00
19.	नागालैण्ड	12.93	7.53	0.00	11.00	4.30	4.30
20.	उड़ीसा	0.00	29.13	0.00	0.74	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	24.50	40.60	20.88	33.75	50.31	47.83
23.	सिक्किम	24.29	26.84	17.85	10.71	3.00	23.45
24.	तमिलनाडु	0.00	10.71	11.48	12.20	15.75	15.75
25.	त्रिपुरा	13.50	16.84	13.53	8.73	15.82	7.45
26.	उत्तर प्रदेश	33.75	88.70	38.92	51.32	51.20	21.69
27.	उत्तरांचल	10.35	5.42	10.35	10.62	10.65	6.86
28.	पश्चिम बंगाल	10.35	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
	कुल :	381.43	525.91	400.00	422.51	337.00	332.95

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

रिपोर्टिंग सांख्यिकी एजेंसी की स्थापना (ई.ए.आर.ए.एस.)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केरल	345.00	345.00	311.50	353.50	405.00	395.00
2.	उड़ीसा	475.00	475.00	444.00	548.02	571.00	588.15

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पश्चिम बंगाल	120.00	120.00	114.50	60.00	140.00	120.77
4.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	13.00	12.00	15.00	15.00
5.	नागालैण्ड	5.00	5.00	2.00	2.66	6.00	7.00
6.	सिक्किम	5.00	5.00	2.00	1.52	5.00	4.55
7.	त्रिपुरा	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00
	कुल :	950.00	950.00	890.00	977.70	1144.00	1130.47

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

मुख्य फसल स्कीमों के क्षेत्र व उत्पादन के आकलन की समय पर रिपोर्टिंग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	35.00	35.00	39.00	39.61	45.00	41.75
2.	असम	15.00	11.00	20.00	21.00	24.00	22.70
3.	बिहार	24.00	24.00	20.00	15.39	19.00	17.97
4.	झारखण्ड	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	36.00	36.00	35.31	25.92	40.00	27.35
7.	हरियाणा	8.84	8.84	7.72	10.13	13.00	8.88
8.	हिमाचल प्रदेश	7.67	7.67	7.50	7.08	5.00	6.64
9.	जम्मू-कश्मीर	4.00	4.00	3.83	8.17	10.00	13.27
10.	कर्नाटक	62.85	62.85	43.00	48.46	62.00	58.45
11.	मध्य प्रदेश	32.84	32.84	32.00	22.22	30.00	25.03
12.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	10.00	9.53	10.00	10.22
13.	महाराष्ट्र	26.00	26.00	24.60	20.88	25.00	20.75
14.	राजस्थान	35.00	35.00	34.00	31.69	40.00	31.34
15.	तमिलनाडु	28.00	28.00	27.00	21.26	26.00	23.84
16.	उत्तर प्रदेश	70.00	70.00	59.00	56.08	68.00	59.82
17.	उत्तरांचल	0.00	0.00	4.00	3.88	4.00	3.83
	कुल :	385.20	381.20	376.96	341.30	421.00	371.84

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

फसल सांख्यिकी का सुधार (आई.सी.एस.)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	24.00	24.00	27.82	28.69	37.00	32.09
2.	असम	3.00	3.00	5.00	3.50	5.00	3.53
3.	बिहार	20.00	20.00	18.00	10.70	9.00	12.78
4.	झारखण्ड	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	24.00	24.00	18.00	17.38	23.00	24.17
6.	हरियाणा	10.87	10.87	6.29	9.81	15.00	12.67
7.	हिमाचल प्रदेश	10.81	10.81	7.06	4.17	2.00	2.19
8.	जम्मू-कश्मीर	9.00	9.00	4.00	5.60	9.00	6.01
9.	कर्नाटक	7.70	7.70	3.89	6.85	8.00	7.02
10.	मध्य प्रदेश	34.00	34.00	31.70	26.41	43.00	20.65
11.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	7.44	16.35	13.00	10.57
12.	महाराष्ट्र	8.34	8.34	7.68	9.11	13.00	9.11
13.	राजस्थान	17.20	17.20	16.00	13.99	16.00	11.41
14.	तमिलनाडु	14.20	14.20	12.00	12.91	16.00	13.00
15.	उत्तर प्रदेश	90.00	90.00	83.56	74.89	95.00	76.57
16.	उत्तरांचल	0.00	0.00	2.56	2.24	3.00	2.48
	कुल :	273.12	273.12	262.00	242.60	307.00	244.25

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

फलों एवं सब्जियों तथा गौण फसलों का फसल अनुमान सर्वेक्षण (एफ. एवं वी.)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	31.00	31.00	24.17	27.21	32.00	28.37

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	गुजरात	45.00	45.00	44.43	34.08	33.00	39.11
3.	हरियाणा	11.00	9.79	8.40	11.02	13.00	10.10
4.	हिमाचल प्रदेश	25.00	22.27	18.66	23.37	25.00	23.37
5.	कर्नाटक	90.00	90.00	80.26	77.68	96.00	89.57
6.	महाराष्ट्र	57.00	26.00	31.00	41.00	42.00	46.00
7.	उड़ीसा	25.00	28.00	29.38	21.30	30.00	28.66
8.	पंजाब	34.00	30.76	12.50	15.79	14.00	15.40
9.	राजस्थान	18.00	14.91	12.36	10.44	9.00	11.06
10.	तमिलनाडु	26.00	26.00	18.16	18.55	18.00	19.44
11.	उत्तर प्रदेश	38.00	38.00	19.68	24.58	19.00	32.34
	कुल :	400.00	361.73	299.00	305.02	331.00	343.42

वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य वार आवंटन और व्यय का ब्यौरा

पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 हेतु आबंटन	2001-02 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय	2002-03 हेतु आबंटन	2003-04 में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	957.69	957.69	1099.00	1099.00	1220.00	447.65
2.	असम	1055.90	1055.90	1092.15	1092.15	1400.00	0.00
3.	मणिपुर	495.31	495.31	685.00	685.00	638.00	200.00
4.	मिजोरम	735.82	735.82	1099.73	1099.73	1089.00	590.00
5.	मेघालय	753.59	753.59	775.60	775.60	850.00	387.00
6.	नागालैण्ड	703.01	703.01	979.00	979.00	1256.00	550.00
7.	सिक्किम	744.25	744.25	855.00	855.00	1000.00	456.41
8.	त्रिपुरा	749.68	749.68	785.00	785 00	900.00	543.43
9.	उत्तरांचल					564.72	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश					650.00	358.00
11.	जम्मू-कश्मीर					650.00	0.00
	कुल :	6195.25	6195.25	7370.48	7370.48	10217.72	3532.49

खाद्य तेल पर आयात शुल्क

1734. श्री कैलाश मेघवाल:

श्री एन.एन. कृष्णदास:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य तेल की कमी के कारण इसके मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कब तक कमी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा खाद्य तेल के मूल्य को नियंत्रित रखने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पिछले एक माह में प्रमुख खाद्य तेलों के मूल्यों में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन खाद्य तेलों (नारियल तेल को छोड़कर) के आयात की अनुमति दी जाती है। तथापि, खाद्य तेलों के मूल्यों और उपलब्धता की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में भूक्षरण और बाढ़

1735. श्री सूरज सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर बिहार में भूक्षरण और बाढ़ की बढ़ती हुई समस्या चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कार्य-योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां। नदी के किनारों/तलों में कटाव और बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, इसकी तीव्रता स्थान दर स्थान तथा वर्ष दर वर्ष बदलती रहती है।

(ख) और (ग) कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ प्रबंधन तथा कटावरोधी स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना एवं कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया कराता है।

गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन देश में गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.) ने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं। इसी प्रकार से, संसद के एक अधिनियम के तहत 1982 में गठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भी ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिनों तथा उसके अंतर्गत उप बेसिनों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। ये योजनाएं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई हैं।

केन्द्र सरकार गंभीर बाढ़ प्रबंधन तथा कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी मुहैया करा रही है। इस संबंध में 178.85 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा 136.17 करोड़ रुपये) की अनुमानित लागत से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तरांचल के गंगा बेसिन राज्यों में कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम इस कार्यान्वयनाधीन है। ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए 166.68 करोड़ रुपये (केन्द्रीय हिस्सा 150 करोड़ रुपये) की अनुमानित लागत से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी तैयार की गई है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम में धौला हाथीघुली और माजुली द्वीप में गंभीर कटावरोधी स्कीमें भी शुरू की हैं। बिहार के संबंध में, बाढ़ प्रबंधन की दीर्घकालिक योजना के तहत भारत सरकार ने सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सन कोसी भंडारण-सह-डाइवर्जन स्कीम का अन्वेषण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया है जिसके लिए 29.34 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त भारत और नेपाल के बीच नैपाली भूभाग में नान स्पिलिंग जोन तक लालबकिया, बागमती, कमला एवं खांडो नदियों पर मौजूदा तटबंधों का विस्तार करने तथा बाढ़ के पानी को बिहार में मौजूदा तटबंधों से ग्रामीण क्षेत्रों में आने से रोकने के लिए भारत की ओर के तटबंधों को तदनुरूप सुदृढ़ करने के साथ ऊंची भूमि से जोड़ने के लिए समझौता भी किया गया है। नेपाल की ओर से किए जाने वाले कार्यों का वित्तपोषण विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है जबकि भारत की ओर के कार्य बिहार सरकार द्वारा किए जाते हैं और उनकी पूरी लागत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल **पूर्वाह्न** ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 जुलाई, 2004/29 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री हरिकेवल प्रसाद	182
2.	डा. एम. जगन्नाथ	183
3.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	184
4.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री ब्रजेश पाठक	185
5.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री कीर्ति वर्धन सिंह	186
6.	श्री राम कृपाल यादव श्री बृजभूषण शरण सिंह	187
7.	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी श्री पी. राजेन्द्रन	188
8.	श्रीमती नवैदिता माने श्री विजय कृष्ण	189
9.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री नीतीश कुमार	190
10.	श्री भर्तृहरि महताब	191
11.	श्रीमती सी.एस. सुजाता श्री वरकला राधाकृष्णन	192
12.	डा. सत्यनारायण जटिया श्री निखिल कुमार चौधरी	198
13.	श्री तूफानी सरोज	194
14.	प्रो. रासा सिंह रावत	195
15.	श्री पी.एस. गढ़वी	196
16.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	197
17.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	198
18.	श्री मोहन सिंह श्री रायापति सांबासिवा राव	199
19.	श्री पी.सी. थामस श्री एन.एन. कृष्णदास	200
20.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन श्री बीर सिंह महतो	201

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
आदित्यनाथ, योगी	1577
अहीर, श्री हंसराज जी.	1567, 1650 (सं),
अजय कुमार, श्री एस.	1571 (सं),
अजनाला, डा. रतन सिंह	1609 (सं),
आठवले, श्री रामदास बंडु	1543, 1652, 1694, 1718, 1729
बब्बर, श्री राज	1578
भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1598, 1661, 1701
बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	1588, 1650, 1704
बुधौलिया, श्री राजनरायन	1544, 1649
चालिहा, श्री किरिप	1599, 1663, 1702, 1722
चन्देल, श्री सुरेश	1589
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1563, 1665
चारेनामै, श्री मणि	1604, 1668, 1706
चह्वाण, श्री हरिश्चंद्र	1546, 1733 (सं),
चौधरी, श्री निखिल कुमार	1641 (सं), 1645, 1689, 1721
चौहान, श्री शिवराज सिंह	1576, 1641
चौधरी, श्री अधीर	1560, 1584 (सं), 1627, 168
दासगुप्त, श्री गुरुदास	1606, 1669, 1707, 1724, 1730
दूबे, श्री चन्द्र शेखर	1611
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1541, 1648
गढ़वी, श्री पी.एस.	1584 (सं), 1637, 1685, 1733 (सं),
गांधी, श्री प्रदीप	1544 (सं), 1545, 1655, 1696, 1733 (सं),
गंगवार, श्री संतोष	1549, 1654
गाव, श्री तापिर	1564
गेहलोत, श्री थावरचन्द	1675
हुसैन, श्री अनवर	1590, 1732 (सं),
जगन्नाथ, डा. एम.	1617 (सं), 1733
जटिया, डा. सत्यनारायण	1647 (सं),
जयाप्रदा, श्रीमती	1615, 1676

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
झा, श्री रघुनाथ	1582, 1666
जोगी, श्री अजीत	1554, 1622, 1679, 1712
कलमाडी, श्री सुरेश	1587
करुणाकरन, श्री पी.	1586
खां, श्री सुनील	1570
खन्ना, श्री अविनाश राय	1559, 1662
कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू	1552
कृष्ण, श्री विजय	1629, 1633 (सं), 1691
कृष्णदास, श्री एन.एन.	1643, 1734 (सं),
कुरूप, श्री सुरेश	1693 (सं),
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	1569, 1647
लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	1609
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1580
महाजन, श्री वाई.जी.	1542, 1649 (सं), 1657, 1693 (सं.), 1698
महतो, श्री बीर सिंह	1632 (सं), 1683 (सं),
महताब, श्री भर्तृहरि	1634
माझी, श्री परसुराम	1556, 1658, 1699
मनोज कुमार, श्री	1553, 1659
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	1628, 1684
माने, श्रीमती निवेदिता	1628 (सं), 1633
मरांडी, श्री बाबू लाल	1595
मेघवाल, श्री कैलाश	1591, 1656, 1697, 1720, 1734
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1612, 1616(सं), 1671
मोहले, श्री पुन्नूलाल	1622 (सं),
मोल्लाह, श्री हन्नान	1571
मूर्ति, श्री ए.के.	1536
मुर्मू, श्री रूपचन्द	1607, 1647 (सं), 1670, 1703, 1733 (सं)
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	1573
नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	1608
नायक, श्री अनंत	1558
निहाल चन्द, श्री	1548
निखिल कुमार, श्री	1584
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	1547, 1620, 1677
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1583, 1644
पाण्डा, श्री प्रबोध	1540, 1646, 1655 (सं), 1690
परस्ते, श्री दलपत सिंह	1551
पटेल, श्री दिनशा	1568, 1626, 1680, 1713
पाठक, श्री ब्रजेश	1671 (सं),
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	1600, 1674
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	1562, 1651, 1693, 1717, 1728
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1621, 1678, 1711
पाटले, श्री शिशुपाल एन.	1613, 1673
प्रसाद, श्री हरिकेवल	1613, 1683
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1555, 1556 (सं), 1653, 1695, 1719
राधाकृष्णन, श्री वरकला	1635 (सं),
राजेन्द्र कुमार, श्री	1709 (सं),
राजेन्द्रन, श्री पी.	1618, 1688
रामदास, प्रो. एम.	1614, 1673 (सं), 1675 (सं), 1710
राणा, श्री काशीराम	1585 (सं), 1640 (सं),
राव, श्री रायापति सांबासिवा	1630, 1682, 1714, 1726
राव, श्री डी. विट्टल	1593 (सं), 1610
रावत, प्रो. रासा सिंह	1619
रावत, श्री अशोक कुमार	1671 (सं),
रावत, श्री कमला प्रसाद	1579
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1638, 1686, 1731
रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1565
सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	1631 (सं),
सरोज, श्री तूफानी	1636
सतीदेवी, श्रीमती पी.	1570 (सं),
सत्पथी, श्री तथागत	1616

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
सेन, श्रीमती मिनाती	1535,
सेठ, श्री लक्ष्मण	1535 (सं),
सेठी, श्री अर्जुन	1602
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1640
शैलेन्द्र कुमार, श्री	1601, 1664, 1709, 1725
सिंह, चौधरी लाल	1572
सिंह, श्री अजित कुमार	1605
सिंह, श्री दुष्यंत	1557, 1623, 1692, 1716, 1727
सिंह, श्री गणेश	1561, 1624, 1646 (सं), 1703, 1723
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1628 (सं), 1684 (सं),
सिंह, श्री मोहन	1639
सिंह, श्री प्रभुनाथ	1538, 1667, 1673 (सं), 1705
सिंह, श्री राकेश	1566, 1625
सिंह, श्री सूरज	1594, 1735
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1571 (सं), 1592
सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1581, 1732
सुब्बा, श्री मणी कुमार	1732 (सं),
सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1635
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1574
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1550, 1580 (सं),
थामस, श्री पी.सी.	1672
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1603, 1652 (सं), 1718 (सं),
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1575
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1585
वीरेन्द्र कुमार, श्री	1596, 1660, 1700
वर्मा, श्री राजेश	1612 (सं), 1671 (सं),
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1597
विनोद कुमार, श्री बी.	1539, 1642, 1687, 1715
यादव, श्री राम कृपाल	1632
येरननायडु, श्री किन्जरपु	1537, 1617
जाहेदी, श्री महबूब	1593

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि		182, 187, 191, 192, 198, 200,
उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		188, 195, 199,
पर्यावरण और वन	:	186, 194,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	197,
श्रम और रोजगार	:	183, 189, 190, 193, 196,
पर्यटन	:	
जल संसाधन	:	184, 185, 201,
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1540, 1546, 1551, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1573, 1574, 1576, 1591, 1594, 1600, 1601, 1603, 1609, 1610, 1611, 1620, 1623, 1626, 1628, 1633, 1635, 1636, 1648, 1649, 1651, 1657, 1662, 1665, 1679, 1684, 1687, 1690, 1692, 1693, 1695, 1698, 1702, 1711, 1714, 1715, 1716, 1717, 1720, 1724, 1728, 1731, 1733,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1538, 1547, 1549, 1556, 1560, 1562, 1575, 1584, 1586, 1587, 1597, 1605, 1617, 1632, 1640, 1641, 1652, 1654, 1655, 1656, 1666, 1667, 1672, 1675, 1705, 1709, 1718, 1734,
पर्यावरण और वन	:	1537, 1541, 1550, 1553, 1558, 1580, 1581, 1585, 1588, 1589, 1604, 1607, 1608, 1612, 1614, 1618, 1625, 1650, 1663, 1668, 1671, 1673, 1674, 1677, 1686, 1691, 1697, 1704, 1706, 1713, 1726, 1729,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1592, 1599, 1619, 1678, 1722,
श्रम और रोजगार	:	1535, 1536, 1543, 1554, 1564, 1570, 1571, 1583, 1593, 1606, 1616, 1621, 1613, 1639, 1644, 1646, 1669, 1683, 1688, 1689, 1712, 1730,
पर्यटन	:	1539, 1542, 1544, 1557, 1578, 1579, 1595, 1596, 1615, 1622, 1637, 1638, 1642, 1643, 1659, 1676, 1680, 1696, 1727,
जल संसाधन	:	1545, 1548, 1555, 1559, 1563, 1572, 1577, 1582, 1590, 1598, 1613, 1624, 1627, 1630, 1634, 1653, 1658, 1660, 1661, 1664, 1670, 1681, 1682, 1685, 1699, 1701, 1703, 1708, 1710, 1719, 1721, 1723, 1725, 1732, 1735,
युवक कार्यक्रम और खेल	:	1552, 1561, 1602, 1629, 1645, 1647, 1694, 1700, 1707.

पी०एल०एस०-40/3/11/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।